लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Thi.d Session]

Parliament Library
Fumigated
On 8.2.84

सत्यमेव जयते

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 22 नवम्बर, 1791/1 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 6, Monday, November 22, 1971/Agrahayana 1, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
153. सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of the working of Community Development Schemes	...	1-4
154. कृषि जोतों की गणना	Census of Agricultural Holdings	...	4-5
159. मर्मगाओं विकास परियोजना पर कार्य का बंद होना	Stoppage of work in Mormugao Development Projecr	...	5-6
161. रबी की फसल के लिए बिहार को उर्वकों की सप्लाई	Despatch of Fertilisers to Bihar for Rabi Season	...	6-10
162. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताएँ	Short-Term Credit needs of Agriculture at the end of Fourth Plan	...	10-13
164. सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	Cultural Delegations	...	13-16
166. सामाजिक आवास योजना के लिए दस करोड़ रुपये का नियतन	Allocation of Rs. 10 crores for Social Housing Scheme	...	16

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign † marked above the name of a Member indicates the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
167. आवास परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को धनराशि का नियतन	Allocation of Funds to West Bengal for Housing Projects ...	17-19
170. बिहार में भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया अध्यादेश	Ordinance Lowering Land Ceiling in Bihar for President's Assent ...	19-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
151. जामनगर तथा अन्यपत्तनों से बम्बई तक यात्रियों के लिए जलयान सेवा	Passenger Service by sea from Jamnagar and other ports to Bombay	22
152. कला आयोग की स्थापना	Formation of Art Commission ...	23
155. सुपर बाजारों के कार्यकरण के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट	Evaluation Report on the Working of Super Bazars ...	23-24
156. फल-परिष्करण उद्योग की स्थापना	Setting up of Fruit Processing Industry	25
157. ट्रेक्टरों की माँग, उनका उत्पादन और उनकी बिक्री	Demand, Manufacture and sale of Tractors ...	25-26
158. रबी की खेती के लिए आंन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Andhra Pradesh for Rabi Cultivation ...	26-27
160. शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय अमरीकी संगठन	American Foundations in Educational Field ...	27
163. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों की संख्या	Number of Cases involving Untouchability Offences Act ...	27-28
165. राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु, विचाराधीन टाटा जमीदारी उन्मूलन विधेयक	Tata Zamindari Abolition Bill Pesnding for Presidential Assent ...	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos		
168. दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें गुम हो जाना	Missing of Books from Delhi University Library	28-29
169. बिरला हाउस नई दिल्ली के लिए मुआवजा	Compensation for Birla House, New Delhi ...	29-30
171. चीनी की बिक्री पर लगाये गये नियंत्रण को हटाने के लिए तमिलनाडु की चीनी मिलों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Sugar Factories in Tamil Nadu seeking removal of restrictions imposed on Sale of Sugar ...	30
172. पश्चिम बंगाल में अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Teaching and Non-Teaching Staff in West Bengal ...	31-34
173. राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन के भवन का असुरक्षित घोषित किया जाना	Rajinder Nagar Police Station Building declared Unsafe ...	35
174. उत्तर प्रदेश में समेकित वन-विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक को सहायता	World Bank Assistance for Integrated Forest Development Project in Uttar Pradesh ...	35-36
175. सी० जी० एच० एस० डाक्टर्स एसोसियेशन दिल्ली से ज्ञापन	Memorandum from CGHS Doctors Association, Delhi ...	36
176. देश के चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान	Solution to problems of Chronically drought affected areas in the country ...	36-37
177. तमिलनाडु में परिवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Transport in Tamil Nadu ...	37-38
178. गेंहू बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Wheat Board ...	38

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

179. गन्ने के मूल्य का बढ़ाया जाना — Upward Revision of Sugarcane price — 38-39

180. विश्व युवक केन्द्र के बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अनुदान का उपयोग — Utilisation of Grant by Board of Trustees of Visva Yuvak Kendra ... 39-40

अता प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

994. केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायतें — Complaints against Managing Director Central Warehousing Corporation ... 40

995. नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स का कार्यालय — Hindutstan Latex Office at New Delhi 40-41

996. भारतीय खाद्य निगम, केरल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल — Strike by Employees of Food Corporation of India, Kerala ... 41

997. नियन्त्रित एवं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क को समान किया जाना तथा चीनी का सुरक्षित भंडार — Equalisation of Exise Duty on Free and 'Levy' Sugar and its Bufferstock ... 41-42

998. संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐजेन्सियों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र — Training Centres for Health established by UN Agencies ... 42

999. आसाम में चीनी और वनस्पति की कमी — Scarcity of Sugar and Vanaspati in Assam ... 42-43

1000. दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के स्नातकोत्तर अध्यापक — S.C. and S. T. Post-Graduate Teachers under Education Department, Delhi Administration ... 43-45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1001. बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तित लोगों के लिये शैक्षणिक सुविधाएँ और सरकारी क्षेत्र में संरक्षण	Educational Facilities and Reservation in Government Service for Scheduled Caste Converts to Buddhism	45
1002. दिल्ली नगरनिगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरण	Transfer of Delhi Corporation Schools to Delhi Administration ...	46-47
1003. मार्च, 1971 में हुए आम चुनावों का अध्ययन करने के लिये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा सहायता	Grants by Indian Council of Social Science Research to study March, 1971 General Elections ...	47-48
1004. सड़क द्वारा माल भेजने को सुविधाजनक बनाने की पद्धति	System to facilitate easy flow of Goods Traffic by Road ...	48-50
1005. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल) के अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Section Officer (Civil) C.P.W.D. ...	50-51
1006. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण की अवधि निर्धारित करना	Tenure fixed for Transfer in C.P.W.D. ...	51
1007. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के वेतन मान	Pay Scales of Junior Engineers in C.P.W.D.	51
1008. शुष्क पत्तनों का निर्माण	Construction of dry Docks ...	51-52
1009. सहायक उपकरणों की अनियमित सप्लाई के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों की डिलीवरी में बिलम्ब	Late delivery of Ships at Hindustan Shipyard due to irregular Supply of Ancillary Equipment ...	52-53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1010.	डिब्रूगढ़ में छात्रावास बनाने के लिए कालेजों को अनुदान	Grants to Colleges in Dibrugarh for Construction of Hostels ...	53
1011.	गोहाटी में रिजर्व बैंक आफ इडिया के कार्यालय भवन के स्थान पर पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना	Archaeological finds at Site of Reserve Bank of India Office Building at Gauhati ...	53-54
1012.	वर्ष 1970-71 और 1971-72 में रुई का उत्पादन	Cotton production during 1970-71 and 1971-72	54-55
1013.	कानूनी विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाना	Raising the Minimum age of Legal Marriage	55
1014.	गुजरात में कपास का उत्पादन और उसमें आत्मनिर्भरता	Production of Cotton in Gujarat and Self-Sufficiency in Cotton Production ...	55-57
1015.	गुजरात में भूमिगत जल सम्बन्धी अध्ययन	Ground Water Studies in Gujarat	57
1016.	अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए भगवती समिति का प्रतिवेदन	Report of Bhagvati Committee for Inland Waterways Development	57-58
1017.	राज्यों में छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के अधीन क्षेत्र	Area under Minor Irrigation works in States	58-59
1018.	पूर्वी जर्मनी के दोषपूर्ण ट्रैक्टरों की मरम्मत करने के उपरान्त भी वापिस करने की शर्त	Condition of Return of Defective Tractors from East Germany even after repair ...	59-60
1019.	मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन	Amendment of Mysore Land Reforms Act	60
1020.	भूमिहीन श्रमिकों के लिए एकीकृत भूमि वितरण और ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम	Integrated Land Re-Distribution and Rural Works Programme for Landless Labour ...	60-62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1021. गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण उत्पादकता और मूल्यों के संदर्भ में चीनी उद्योग में संकट की स्थिति	Sugar Crisis in terms of Productivity and Price due to reduction in cane production	... 62-63
1023. गरहहेटा, मिदनापुर से चन्द्रकोना और बोदनगंज के लिए पक्की सड़कें	Metal Roads for Garhheta, Midnapore to Chandrokona and Bodanganj	63
1024. दिल्ली परिवहन के कार्य की जाँच करने के लिये विशेषज्ञ समिति	Committee of Experts for working of D.T.U.	... 64-65
1025. बहराइच में यातायात में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए घाघरा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Ghaghra River to remove Transport Bottleneck at Bahraich	... 65
1026. टेबिल टेनिस टीम द्वारा चीन का दौरा	Visit by Table Tennis Team to China	... 65-
1027. केरल में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for implementation of Land Reforms in Kerala	... 66-67
1028. राज्यों में न्याय-पंचायतें	Nyaya Panchayats in States	... 67
1029. देश में कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम	Syllabus of Agricultural Universites in the Country	67-68
1030. देश में बाढ़ के कारण राजपथों और पुलों को हुई क्षति	Damage to Highways and Bridges due to Floods in the Country	68
1031. पोत-प्रांगणों में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Existing Facilities at Shipyards	68-69
1032. कोचीन पोत-प्रांगण परियोजना में मंझले प्रकार के पोतों का निर्माण	Production of Medium Size Ships at Cochin Shipyard Port	... 69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1033.	जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन	All-India [Conference on population Education	69-71
1034.	खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पन्न कठिनाई कम करने हेतु राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States to ease Hardship caused by Rising Food-grains Prices	71
1035.	राज्यों में कृषि-औद्योगिक विकास निगम तथा उनके वित्तीय संसाधन	Agro-Industrial Development Corporation in States and their Financial Resources	71-72
1036.	स्थगित की गई समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes held in Abeyance	72
1037.	दिल्ली में सुपर बाजारों में लाभ अर्जित करने की क्षमता	Profitability of Super Bazars in Delhi ...	72
1038.	चिकित्सा स्नातकों में अपेक्षित ज्ञान की कमी	Poor Quality of Medical Graduates	73
1039.	राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	National Filaria Control Programme	74
1040.	विश्वविद्यालयों में पृथक सुरक्षा बल	Independent Security Forces in Universities	74-75
1041.	नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए योजना	Plan for Beautification of New Dehii ...	75
1042.	नियंत्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Sugar after decontrol ...	75-77
1043.	चावल की अधिक उत्पादनशील किस्म की खेती में अनुसन्धान	Research in Cultivation of High Yielding Variety of Rice	77-78

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.

1044.	वनस्पति घी में रंग मिलाया जाना	Colourisation of Vanaspati Ghee ...	78-79
1045.	हावड़ा के जल प्रदाय विभाग के छटनी शुदा पम्प ड्राइवरों और श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेना	Reinstatement of Retrenched Pump Drivers and workers of Water Supply Department of Howrah ...	79-80
1047.	टनभार में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त जहाजों की खरीद	Acquisition of Additional Ships to increase Tonnage ...	80
1049.	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सितम्बर 1971 में हुआ सम्मेलन	Conference of Registrars of Cooperative Societies held in September, 1971 ...	80-81
1050.	मरमगाओं पत्तन विकास योजना के पूरा होने में देरी	Delay in Completion of Mormugao Port Development Scheme ...	81
1051.	विशाखापत्तनम पत्तन का विकास	Development of Visakhapatnam Port ...	81-82
1052.	दिल्ली विश्व विद्यालय से संबंध कालेजों में हिंसात्मक घटनाएं	Violent Incidents in Colleges affiliated to Delhi University	82
1053.	राज्यों में भूमि सुधार के संबंध में हुई प्रगति	Progress of Land Reforms in States ...	82-86
1054.	ट्रैक्टरों की खरीद के लिए विश्व बैंक से ऋण तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उनका उपयोग	Aid from World Bank for purchase of Tankers and their use by Shipping Corporation of India	86
1055.	अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों के कार्यक्रम की सफलता	Success of High-Yielding Varieties Programme ...	86-87
1056.	नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में रिक्त पड़े मकान	Houses Lying vacant in Government Colonies in New Delhi ...	87-88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1057.	पश्चिमी बंगाल में समाज कल्याण विभाग के अधीन संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन मान और भत्ते निर्धारित करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Fixation of Pay Scale and D. A. of different Categories of Workers of Institutions under Social Welfare Department in West Bengal	88
1058.	पश्चिमी बंगाल के हाई तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग के वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान में अनियमितता	Irregularity in Payment of Salaries and D.A. of Teaching and Non Teaching Staff in High and Higher Secondary Schools in West Bengal	88-89
1059.	केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व भारती बीर भूम (पश्चिम बंगाल) को दिए गए अनुदान	Grants given by Central Government to Viswa Bharati, Birbhum, West Bengal	89
1060.	अक्तूबर 1971 के दौरान मेरठ के निकट दुहाई गाँव में खाद्यान्नों के भंडार का लूटा जाना	Looting of Foodgrains godown at Dohai village, Meerut during October, 1971	89-90
1061.	नैनिताल में पाए गए ताँबे के सिक्के	Copper coins found in Nainital	90
1062.	मैक्सिकन गेंहूँ का उत्पादन	Production of Mexican Wheat	90-91
1063.	वर्ष 1971-72 के दौरान राज्यों को सूखी खेती के लिए धन का नियतन	Allocation to States for dry-farming during-1971-72	91-92
1064.	कलकत्ता में राशन की दुकानों पर खराब किस्म के चावल की सप्लाई	Supply of bad quality rice through Ration shops in Calcutta ...	92-93
1065.	पंजाब में भूमि विकास के लिए आवर्तक निधि	Revolving funds for Development of land in Punjab ...	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1066 ऐतिहासिक स्थानों से मूर्तियों की चोरी	Theft of idols from Historical Places	... 93-94
1067. राष्ट्रीय सफाई अभियान	National Cleanliness Campaign	... 94
1068. जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आस्तियां और दायित्व	Assets and Liabilities of Jayanti Shipping Co.	94-95
1069. विद्यार्थियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन	Drug habits among students	95
1070. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme for Public Sector Undertakings	95-98
1071. नेत्रहीन शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था	Provision for employment of educated blind persons	... 98-99
1072. स्कूल के लड़कों तथा लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्वस्थता कोर की सेवाओं का उपयोग	Utilization of services of National Fitness Corps for Training School boys and girls	... 99-100
1074. हैजे तथा अन्य महामारियों के कारण शिविरों में बंगला देश के शरणार्थियों की मृत्यु	Deaths of Bangla Desh refugees in camps due to Cholera and other Epidemics	... 100-104
1075. जनता को कैन्सर रोग की रोक-थाम की शिक्षा देने वाले स्वयं-सेवक	Volunteers to educate public re. prevention of Cancer	104
1076. देश के मैडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार के लिये आरक्षित स्थान	Seats reserved for Central Government in medical colleges in the country	... 104-105
1077. दिल्ली नई 'दिल्ली में निर्माणाधीन टाईप III और IV क्वार्टर	Type III and IV quarters under constructions in Delhi, New Delhi	... 105-106

अता० प्र० संख्या
U.S. Q. Nos.

1078. दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय	C.G.H.S. dispensaries in Delhi	... 106-107
1079. डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में निर्माणाधीन क्वार्टर	Quarters under construction in the D.I.Z. area, New Delhi	... 107-109
1080. अयोध्या में विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of University at Ayodhya	109
1081. टलमा पुल, जलपाईगुडी में दुर्घटना से हत/आहत व्यक्ति और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का भुगतान	Persons killed/injured due to accident at Talma bridge, Jalpaiguri and payment of compensation to the bereaved families	... 109-110
1082. विश्व युवक केन्द्र के निदेशक द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Director, Viswa Yuvak Kendra	110
1083. विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति में सुधार	University Examinations Reform	... 110-111
1084. भारतीय ओलम्पिक संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से पृथक होना	Disaffiliation of Indian Olympic Association from International Olympic Committee	... 111
1085. जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम में हुई प्रगति पर असंतोष	Dissatisfaction at the progress of Population Control Programme	... 111-113
1086. शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया के लाभ में कमी	Decline in Profitability of Shipping Corporation of India	... 113-114
1087. चिकित्सीय आधार पर सरकारी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा सूची	Waiting list for allotment of Government quarters on Medical grounds	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ग्रा० प्रा० संख्या **U. S. Q. Nos**		
1088. परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के जन्म को रोकना	Check on births through Family Planing efforts	... 114-116
1089. उत्तर प्रदेश द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये अनुरोध	Request from U.P. to increase the Sugarcane price	... 116-117
1090. वन्य जीवन की उपयोगिता और उसके संरक्षण का आदिम जातियों के प्रचार	Propagation of utility of wild life and its preservation among tribals	... 117-118
1091. मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण के सप्ताहों में शेर तथा अन्य वन्य पशुओं के मारे जाने के संबंध में जांच	Enquiry into killing of tigers and other animals in Madhya Pradesh during Wild Life Preservation Weeks	118
1092. माध्यमिक शिक्षा विधेयक का पुरः स्थापित किया जाना	Introduction of Secondary Education Bill	... 118
1093. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नियम और विनियम	Rules and Regulations of Rashtriya Sanskrit Sansthan	... 118-119
1094. मैसूर राज्य में औषधियों की सप्लाई के लिए टैंडर	Tenders for supply of Medical drugs in Mysore State	119
1095. मैसूर में दवाइयां खरीदने में घोटाला	Drug purchase scandal in Mysore	... 119-120
1096. किसानों को संकर बाजरा बीजों की सप्लाई के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against supply of Hybrid Bajra seeds to farmers	... 120-121
1097. दिवाली के दिन गुड़ के वायदा व्यापार तथा गन्ने की पिराई पर लगाया गया प्रतिबन्ध	Ban imposed on forward trading in Gur, Crushing of sugarcane etc. on Dewali day	... 121-122
1098. ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों की नियुक्ति	Posting of qualified doctors in Health Centres/Hospitals in rural area	... 122-123

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1099. अवैध शराब पीने से मृत्यु	Death due to consumption of Illicit Liquor	... 123-124
1101. भूतपूर्व नरेशों की भूमि का अधिग्रहण करने की नीति	Policy for Acquisition of Land held by Ex-Rulers	124
1102. नगरीय परिवहन आयोग गठित करने का प्रस्ताव	Proposal to Constitute Urban Transport Commission	124
1103. युवक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Youth Welfare Board	... 124-125
1104. दिल्ली में यातायात की समस्याएँ और दुर्घटनाएँ	Traffic Problems and Accidents in Delhi	... 125-126
1105. दस वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा काल वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के पास सरकारी आवास न होना	Class III and IV Government Employees without Accommodation with Ten or more years Service	... 127
1106. झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities to Jhuggi Jhonpri Dwellers	... 128
1107. सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण	Construction of overbridge on Railway Crossing Near Safdarjung Airport	128
1108. देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति का चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली पर प्रभाव	Prospects of Procurement of Rice and other Foodgrains due to Flood and Drought in the country	129
1109. कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा कूड़ा-करकट साफ कराने का प्रबन्ध	Disposal of Garbage by C.M.D.A.	129

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1110. स्वयं खेती करने वाले किसानों की प्रतिशतता में कमी तथा खेतिहर सजदूरों की संख्या में वृद्धि	Fall in percentage of Working Cultivators and increase in Agricultural Labour	... 129-130
1111. 13 अक्टूबर, 1971 को कलकत्ता में राजकीय बसों और ट्रामों की टिकटों की बिक्री।	Ticket Sales of State Buses and Trams in Calcutta on 13th October, 1971	130
1112. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के लिए भवन	Building for Central Hindi Institute	131
1113. छात्रावासों के निर्माण के लिए आगरा विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Agra Unievrsity for Building Hostels	131
1114. दिल्ली के कैंसर अस्पताल की स्थापना	Setting up of Cancer Hospital in Delhi	... 131-132
1115. इन्डिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण	Acquisition of India Office Library	132
1116. हिन्दी बंगाली शब्दकोश का प्रकाशन	Publication of Hindi-Bengali Dictionary	133
1117. दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट का कार्यकरण	Functioning of African Studies Deptt. of Delhi University	... 133-134
1118. परिवहन में गतिरोध हो जाने से अगरतला में चीनी का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Sugar in Agartala due to Transport Bottleneck	... 134-135
1119. उच्चतर शिक्षा पर किया गया व्यय	Expenditure on High Education	135
1120. अन्धे लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल की रूस यात्रा	Study Team to U.S.S.R. on Employment to blind Man	... 135-138

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्र० संख्या U.S. Q. Nos		
1121. पटना और गाजीपुर के बीच अब आरम्भ की गई अन्तर्राज्यीय जल परिवहन सेवा का कलकत्ता तक विस्तार	Extension of Inland Water Transport Service to Calcutta now started between Patna and Ghazipur	... 138-139
1122. गेहूँ की बेहतर किस्म के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया कार्य	Work Done by Indian Council of Agricultural Research for better Quality of Wheat	139
1123. इण्डिया सोसायटी आफ न्यूक्लीयर मेडिसन का सम्मेलन	Conference of India Society of Nuclear Medicines	140
1124. दिल्ली के अस्पतालों में एक्सरें फिल्मों की भारी कमी	Acute Shortage of X-Ray Films in Delhi Hospitals	... 140-142
1125. राजस्थान में खादर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ऋण तथा राज सहायता	Loans and Subsidy in Rajasthan for Reclamation of Ravine Land	... 142-143
1126. भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा दिये गये क्रयादेशों को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Release of Foreign Exchange to Hindustan Shipyard to execute Orders placed by Indian Shipping Companies	143
1127. राजस्थान में ग्राम्य आवास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था	Allocation for Rural Housing Scheme in Rajasthan	... 143-144
1128. जहाज मालिकों को कलकत्ता से अधिक नाविकों की भर्ती करने के अनुदेश	Instructions to Ship Owners to recruit more Seamen from Calcutta	144
1129. अप्रैल-जुलाई, 1971 में गोदामों में पड़े अनाज की क्षति तथा किसानों को 'साइलो' सप्लाई करने की योजना	Damage of Foodgrains stored in Granaries during April-July 1971 and Scheme fo providing Silos to farmers	... 144-145

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1130. गन्ने की बिक्री के लिए जोनल प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Abolition of Zonal Restrictions on the sale of Sugarcane	... 145
1131. कृषि उत्पादकों के मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया	Procedure followed for fixing Price of Agricultural Produce	... 145-146
1132. नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट करनाल (हरियाणा) की उपलब्धियां	Achievements of National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana)	... 146-147
1133. औषधियों के स्वदेशी प्रणाली के मान्यता प्राप्त अनुसंधान केन्द्र	Recognised Research Centre of Indigenous System of Medicine	... 147-154
1134. मिट्टी की किस्म के अनुसार उर्वरकों के चयन में किसानों की सहायता तथा उर्वरकों का वितरण	Helping Farmers in selection of fertilizers according to Soils	... 154
1135. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से चलाये गए पोषण कार्यक्रम	Nutrition Programme in Collaboration with UNICEF, FAO AND WHO	... 154-156
1136. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दिया गया अनुदान	Grants by U.G.C. to Universities and Colleges	... 156
1138. रबी की फसल की जल्दी बुवाई के लिए द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Early Rabi Sowing	... 156-157
1139. मसालों के उत्पादन और मूल्य के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding production and price of spices	... 157-158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U.S.Q. Nos		
1140. ट्रैक्टरों के प्रयोग की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase of Percentage in use of Tractor	... 158
1141. देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन और उनका आयात	Indigenous Production of Tractors and their Import	158
1142. दिल्ली के सुपर बाजारों में सरकार द्वारा लगाया गया धन, हिसाब किताब रखना और कुप्रबन्ध	Amount invested by Government, Maintenance of Accounts and Mismanagement in Super Bazar of Delhi	... 158-159
1143. युवक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड को अनुदान	Grants to National Advisory Board for Youth Services	159
1144. आन्ध्र प्रदेश में सूखा	Drought in Andhra Pradesh	160
1145. वन्य जीवन का संरक्षण	Preservation of Wild Life	... 160-161
1146. मध्य प्रदेश स्थित महीदपुर रोड सुगर मिल को बेचे जाने वाले गन्ने का विक्रय मूल्य	Sale Price of Sugarcane to be Sold to Mahidpur Road Sugar Mill, Madhya Pradesh	161
1147. जन जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिये केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Spreading Education among Tribals	... 161-163
1148. जनजातियों के लिए बोर्डिग स्कूलों की योजना	Scheme for Boarding Schools for Tribals	... 163-164
1149. राजधानी में जनजातियों की कला तथा दस्तकारी की स्थाई प्रदर्शनी	Setting up of Permanent Exhibition of Arts and Crafts of Tribals in Capital	164
1150. नौवहन कम्पनियों में कलकत्ता से नाविकों की भर्ती	Recruitment of Seamen from Calcutta in Shipping Companies	... 164-165
1151. पूना के निकट प्रागैतिहासिक बस्तियों का पाया जाना	Pre-Historic Settlements unearthed near Poona	... 165-166

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1152. चौथी योजना के अंत तक नकदी फ़सलों का अनुमानित उत्पादन	Estimated production of Cash Crops by the end of 4th Plan	... 166-167
1153. छात्रों की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति	Committee to look into grievances of students	... 167
1154. मोगा, पंजाब के पंजाब रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा भूख-हड़ताल	Hunger Strike by Office Bearers of Punjab Rodways Workers Union	... 167-168
1155. पश्चिमी बंगाल में मान्यता-प्राप्त स्कूल	Recognised Schools in West Bengal	... 168-169
1156. पश्चिमी बंगाल में प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की भर्ती	Recruitment of Primary School Teachers in West Bengal	... 169
1157. अपंजीकृत चिकित्सक	Non-Registered Medical Practitioners	... 169-171
1158. पश्चिमी तट पर मत्स्य नौकाओं के लिए जापानी पत्तन	Japanese Base on Western Coast for Fishing Trawlers	... 171
1159. त्रिचूर (केरल) में मछली पकड़ने की नावें और अन्य सामान बनाने के लिए औद्योगिक केन्द्र	Industrial Centre for Building Fishing Boats and other equipment in Trichur (Kerala)	172
1160. दमे का इलाज	Treatment of Bronchial Asthma	... 172
1162. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्व	R.S.S. Elements in Banaras Hindu University	... 172-173
1163. माडर्न बेकरीज का उत्पादन, विक्रय, लाभ/हानि	Production Sale Profit/Loss of Modern Bakeries	... 173-174
1164. आसाम में धान का मूल्य	Price of Paddy in Assam	... 174-175

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1165. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के आदिवासियों में क्षय रोग का अत्यधिक फैलना	Widespread Tuberculosis among Tribals of Malda District (West Bengal)	... 175-176
1166. सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	Death due to Road Accidents	176
1167. परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कमी	Scarcity of Foodgrains in Tripura due to lack of Transport Facilities	... 176-177
1168. गोआ में जुआरी पुल के निर्माण के लिए टैंडर	Tenders for the Construction of Zuari Bridge in Goa	177
1169. अनाज की फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बोर्ड के विचार	Views of R.B.I. Board regarding production of Food Crops	... 177-178
1170. दिल्ली/नई दिल्ली के टैक्सी स्टैंडों पर सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में टैक्सी ड्राइवरों की एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Association of Taxi Drivers regarding facilities at Taxi Stands in Delhi/New Delhi	... 178
1171. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत अधिक अध्यापकों का स्थानांतरण	Large Scale transfer of Teachers in Government Schools, Delhi	... 178-179
1172. नई दिल्ली में नये मेडिकल कालेज की स्थापना	Setting up of New Medical College in New Delhi	... 179
1173. लोदी कालोनी के निकट खुले नाले के कारण स्वास्थ्य को हानि	Health Hazard due to open Drain adjoining Lodi Colony	... 179-180
1174. उत्तर प्रदेश में स्त्रियों में कैंसर को रोकने के लिए निरोधात्मक उपाय	Prevntive Measures to check Cancer among women in U.P.	... 180

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1175. भारत की फुटबाल की टीम के स्तर में गिरावट	Deterioration in Standard of Indian Football	... 180-181
1176. केरल आवास निगम की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	Fioancial Assistance for the projects by the Kerala Housing Coropration	... 181-182
1177. एर्णाकुलम-फरोका तटीय राजमार्ग का विकास करने हेतु धनराशि नियत करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध	Request from Kerala Government to allocate Funds for Development of Ernakulam Faroka coastal Highway	... 182-183
1178. कलकत्ता में परीक्षण किये गए औषधियों के घटिया नमूने	Sub-standard samples of drugs Tested in Calcutta	183
1179. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दुग्ध के मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिशें	Recommended increase in price of milk supplied by Delhi Milk Scheme	183
1180. खाद्यान्नों की आवश्यकता और उत्पादन	Requirement and Production Food grains	184
1181. खाद्यान्न जोनों की समाप्ति	Abolition of Food Zones	... 184
1182. चावल का आयात	Import of Rice	... 185
1183. विशाखापत्तनम पर लौह अयस्क का लदान करने वाले मजदूरों में बेरोजगारी	Unemployment among Iron Ore Loading Workers at Visakhapatnam	185
1184. गेहूं की फसल के लिए अतिरिक्त भूमि में उर्वरक के उपयोग के बारे में अनुसंधान	Research on Use of Fertiliser on Non. irrigated Wheat Crop	... 185-186
1185. देहाती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं	Health Services in Rural Areas	... 186-188

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
1186. पब्लिक स्कूलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर उच्च धनी वर्गों का एकाधिकार	Rich Class monopoly in Education imparted by Public Schools	... 188-189
1187. पश्चिम बंगाल के अप्रशिक्षित अध्यापकों को वार्षिक वेतन-वृद्धि	Annual Increment to Untrained Teachers of West Bengal	189
1188. 24 परगाना (पश्चिमी बंगाल) के सुन्दरवन में सांप के काटने का इलाज	Treatment of Snake-bite in Sunder bans of 24 P (West Bengal)	... 189-190
1189. धान के 2/3 महीनों के पौधों पर खारी पानी के प्रभावों सम्बन्धी अनुसन्धान	Research on Effects of Saline water on Young paddy plants of 2/3 months	... 190
1190. काकद्वीप-पठारप्रतिमा, राय-डिगी-पठार-प्रतिमा और काचू बेरिया-काकद्वीप (सागर द्वीप समूह के लिए नौका लाँच सेवायें)	Launch Services for Kakdwip-pathar-pratima, Raidighi patharpratima and Kachuberia-Kakdwip (Sagar Islands)	190
1191. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में सरकारी क्वार्टर	Quarters in occuption of Retired Government Employees	191
1192. मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सरकारी क्वार्टर का रखा जाना	Retention of Government accommodation by the Dependents of deceased Government Employees	192
1193. सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित व्यक्ति को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government accommodation to the dependent of the retired Government Employees	... 192-193
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	—

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
कानपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेदखली के नोटिस देने का समाचार	Reported eviction Notices served on Cetral Government Employees in Kanpur	... 193-198
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	... 193,195,197
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	... 193,195,197-198
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	... 198-199
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers aid on the Table	... 199-200
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	201
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Industrial Disputes (Amendment) Bill-as passed by Rajya Sabha	201
लोक लेखा समिति अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Eighteenth and Nineteenth Reports	201
खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुँग जिलों पर विस्तार) विधेयक	Prevention of Food Adulteration (Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill	... 201-202
छोटे सिक्के (अपराध) विधेयक	Small Coins (Offences) Bill	202
छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re. Small Coins (Offences) Ordinance	... 202-203
डाक की वस्तुओं पर कर विधेयक	Tax on Postal Articles Bill	... 203-205
डाक की वस्तुओं पर कर अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re. Tax on Postal Articles Ordinance	205
रेलवे यात्री भाड़ा विधेयक	Railway Passenger Fares Bill	... 205-206

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
रेलवे यात्री भाड़ा अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Railway Passenger Fares Ordinance	206
अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर विधेयक	Inland Air Travel Tax Bill	... 206-207
अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर अध्यादेश के बारे में विवरण	Statemet ae. Inland Air Travel Tax Ordinance	207
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Report of University Grants Commission for 1969-70	... 207-225
श्रीमती एम० गौडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	... 207-208
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	... 208-210
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	... 210-211
प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	... 211-213
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	... 213-214
श्री राजा राम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri	... 214-215
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Banera	... 215-216
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ram Shekhar Prasad Singh	... 216-217
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	... 217-218
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	... 218-219
श्री अनंत प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia	... 219-220
श्री पी० वी० जी राजू	Shri P. V. G. Raju	220
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	... 221-222
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	... 222-223

विषय	Subjcet	पृष्ठ/Pages
आ० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos		
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	223
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	... 223-225
अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill	... 226
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Consiber	226
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza	... 226
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re: Half-an-Hour Discussion	... 226

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 22 नवम्बर, 1971/1 अग्रहायण, 1893 (शक)
Monday, November 22, 1971/Agrahayana 1, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

*153. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास खन्डों को ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों का आधार-स्तम्भ बनाने के प्रयोजन से सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को नया रूप देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) से (ग). सामुदायिक विकास कार्यक्रम

और उसमें लोगों का प्रभावी ढंग से सहयोग लिया जाए। अब यह चौथी पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र का एक अंग है। तथापि, केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करने के प्रयोजन से आरम्भ किए गए विशेष कार्यक्रमों और स्थायी प्रकार की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने के लिए आरम्भ की गई ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को देखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि सामुदायिक विकास खन्डों और उनके कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से अनुस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे कमजोर वर्गों की देखभाल कर सकें।

राज्यों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खन्ड अभिकरण का पूरा-पूरा उपयोग करें। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाने आवश्यक हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : देरी से ही सही पर अब सरकार ने जो सामुदायिक विकास, कार्यकलापों को नया रूप देना तय किया है वह सही दिशा में एक कदम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने वितरण व्यापार का समाजीकरण करने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रो० शेरसिंह : वितरण व्यापार का समाजीकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि सामुदायिक विकास के सन्दर्भ में यह प्रश्न संगत नहीं है। वितरण व्यापार का समाजीकरण करने का काम सामुदायिक विकास विभाग का नहीं है। पिछड़े वर्ग को रोजगार देने के लिए हम कार्यक्रम बना रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : यह बहुत ही संगत प्रश्न है। मंत्री महोदय इसे किस प्रकार असंगत बनाते हैं। क्या हाल ही में ग्रामीण संस्थायें, कृषक संगठनों और 12 एशियाई देशों के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी हुई थी जिसमें उन्होंने सामुदायिक विकास खन्डों द्वारा किए गये ग्रामीण विकास पर चर्चा की थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को किसी और रूप में पूछ सकते हैं। यदि माननीय मंत्री को ऐसी किसी गोष्ठी की जानकारी हो और वे उत्तर देने की स्थिति में हों तो दें।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई गोष्ठी हुई थी और उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी।

प्रो० शेरसिंह : मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, हां, शान्ति प्रतिष्ठान में एक गोष्ठी हुई थी और हमारे अधिकारियों ने उसमें भाग लिया था।

श्री राम सहाय पांडे : जिला परिषदों और पंचायतों में कमजोर वर्ग के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्देश दिए हैं ;

प्रो० शेरसिंह : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। छोटे किसान और मध्यम वर्ग के किसान जिला परिषद और पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। अन्य वर्गों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं है जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं।

श्री राम सहाय पांडे : जिला परिषदों और पंचायतों पर बड़े किसानों का अधिकार है और कमजोर वर्ग को तब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता जब तक कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश नहीं देती।

प्रो० शेरसिंह : कुछ वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण करना बड़ा कठिन है। संविधान के अनुसार हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ही स्थान आरक्षित कर सकते हैं, अन्य वर्गों के लिए नहीं।

श्री कृष्णराव पाटिल : क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव है ?

प्रो० शेरसिंह : इसके लिए हमने मध्यम वर्ग के किसानों, छोटे किसानों और अन्य लोगों के सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रम अपनाया है।

Shri Sarjoo Pandey : Generally, weaker section did not get any benefit from these development blocks. What specific suggestions are there so that the weaker section may also have the benefit of Community Development.

Prof. Sher Singh ; It is correct that the weaker sections of the society are not getting the benefit of these development programmes. Therefore all the new steps being taken in this direction are for the benefit of the poorer sections. Programmes of giving employment to marginal farmers, small farmers, agricultural labourers and other farmers are being undertaken. We are thinking of taking some other steps but they are still under consideration and after gettng the sanction we will go ahead.

(1) सामुदायिक विकास एजेंसी को छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मदद देने का भार अपने ऊपर ले लेना चाहिए;

Our pilot projects are making progress. We are thinking about increasing the number of centres and their developmental activities.

(2) इसे कृषि मजदूरों को रोजगार देने वाली एजेन्सी का काम करना चाहिए;

We are trying to integrate all these programmes.

(3) इसे कस्बों और विकास केन्द्रों का काम अपने हाथ में लेना चाहिए।

Our pilot projects are making progress. We are increasing such growth centres and their developmental activities.

(4) उपरोक्त भाग (1) और (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आयोजन और कार्यों का सुनिश्चय करने हेतु जहाँ ऐसी स्थिति हो उस क्षेत्र या जिले को एकीकृत किया जाना चाहिए।

We are integrating all these programmes.

ब्लाक संगठनों में कृषि विशेषज्ञों, इन्जीनियरिंग कर्मचारियों, कृषि-सेवा कर्मचारियों और सामाजिक शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

सामाजिक परिवर्तन में गति ला कर युवा और महिला संगठनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

जनता को प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मूल जनतांत्रिक निकाय ग्राम पंचायत को शक्तिशाली बनाना चाहिए।

These are 6-7 points. We could work more effectively by following them.

Shri B.P. Maurya : Even today there are many villagers in India where slavery still exists. I would therefore like to know whether Government will take steps so that the agricultural labourers may be able to get some place to live and water to drink ?

Prof. Sher Singh : My friend Shri Gujral had already told about housing.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्ध रखता है।

श्री आई० के० गुजराल : ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के लिए प्लाट देने की योजना राज्यों को भेज दी गई है। अब इस सम्बन्ध में आगे निर्णय लेना राज्यों का काम है। केन्द्र की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध की जायेगी।

कृषि जोतों की गणना

*154. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री 5 अगस्त, 1971 के कृषि जोतों की गणना से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 7032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि जोतों का गणना-कार्य इस बीच आरम्भ किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। क्षेत्र कार्य चालू है।

(ख) क्षेत्र कार्य अधिकांश राज्यों में दिसम्बर, 1971 तक और शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मार्च, 1972 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। इसके बाद आंकड़ों का सारणीकरण किया जाएगा और उसे सन् 1972 के अन्त तक पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा। राज्य की रिपोर्ट मई, 1973 तक पूरी होने की सम्भावना है ताकि सितम्बर, 1973 तक अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार हो सके।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह कार्य अधिक से अधिक 1973 तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यही बात मैंने बताई है। हमारा कार्यक्रम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यह एक बड़ा काम है।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : इस गणना के बाद का क्या कार्यक्रम है ?

अध्यक्ष महोदय : अधिक बच्चे पैदा करना !

मर्मगाओ विकास परियोजना पर कार्य का बन्द होना

*159. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मर्मगाओ विकास परियोजना में कार्य बन्द कर दिये जाने की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 1000 से अधिक श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई है।

(ख) यदि हां, तो कार्य बन्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने जबरन छुट्टी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से ग). युगोस्लाविया निकर्षण फर्म ने जिसे मर्मगाओ पत्तन पर पत्तन विकास के लिए परियोजना के मांग के रूप में निकर्षण तथा भूमि सुधारने का कार्य सौंपा गया था, 31-8-71 को अकस्मात् ही इस कारण कि उन्हें घाटा हुआ है तथा पत्तन न्यास द्वारा कुछ दावों को मनवाने के लिए कार्य बन्द कर दिया तथा कार्य कर रहे 481 कर्मचारियों को कार्य से अलग कर दिया। पत्तन न्यास पर फर्म के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच कई बार हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप फर्म के साथ समझौता हो गया तथा उन्होंने 5-11-1971 से कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है।

श्री समर मुखर्जी : क्या इस काम को फिर से शुरू करने की कोई सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : काम 5 नवम्बर से शुरू किया जा चुका है ।

श्री समर मुखर्जी : क्या जबरन निकाले गये लोगों को वापिस लिया जा चुका है ?

श्री राज बहादुर : उन्हें वापिस लिया जायेगा। काम फिर से शुरू किया जा चुका है। श्रमिकों के विषय में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री समर मुखर्जी : काम शुरू किया जायेगा या शुरू किया जा चुका है ?

श्री राजबहादुर : यह 5 नवम्बर से शुरू किया जा चुका है।

श्री समर मुखर्जी : क्या उन्हें वापिस लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : उन्हे वापिस लिया जा चुका है ।

रबी की फसल के लिए बिहार को उर्वरकों की सप्लाई

*161. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां रबी की फसल बोने के समय किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरकों की सप्लाई की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सप्लाई कितनी मात्रा में और कब-कब की गई;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, 1971 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में, रबी 1971-72 के लिए, बिहार की उर्वरक की मांग 1,10,000 मीटरी टन बताई गई थी । इसमें से लगभग 36,800 मीटरी टन अर्थात् लगभग 33 प्रतिशत केन्द्रीय उर्वरक पूल ने सप्लाई करनी थी, और शेष लगभग 67 प्रतिशत मांग सीधे स्थानीय विनिर्माताओं से पूरी की जानी थी। बिहार में रबी मौसम के लिए मूल उर्वरकों की मांग भारत सरकार के अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च की तिमाहियों के आवंटन से पूरी की जाती

है। भण्डार बनाने के लिए रबी की कुछ मांग जुलाई-सितम्बर की तिमाही में किए गए आंबटन से भी पूरी की जाती है। अप्रैल, 1971 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में बिहार की रबी मौसम के लिए उर्वरक की मांग को अगस्त, 1971 में राज्य सरकार ने कुछ हद तक संशोधित कर दिया था। इसके अनुसरण में, अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 की तिमाही तक के आंवटन जारी किए जा चुके हैं और जनवरी-मार्च 1972 के यथा समय जारी कर दिए जायेंगे।

जुलाई-सितम्बर, 1971 की तिमाही का दो-तिहाई और अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 की तिमाही के सम्पूर्ण को रबी आंवटन के एक भाग के रूप में और अगस्त से अक्तूबर, 1971 में की गई तदनुरूप आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए मागों, आंवटनों और प्रेषण-अनुदेशों के सम्बन्ध में सप्लाई की स्थिति अनुबन्ध 1 में दी गई।

अनुबन्ध 1 को देखने से यह पता चलता है कि यूरिया की सप्लाई सन्तोषजनक थी। वास्तव में भारत सरकार ने उपलब्ध यूरिया की पर्याप्त मात्रा को विशेषतौर बिहार भण्डागार राज्य निगम के गोदामों में रख छोड़ा था जिससे कि बिहार में वितरण में सहायता मिल सके। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1971 के अन्त में इन गोदामों में यूरिया की निम्नलिखित मात्रा उपलब्ध थी :—

	वचनबद्ध	वचनरहित	कुल
31-8-71	2,817	9,995	12,873
30-9-71	2,513	6,355	8,886
31-10-71	2,318	2,582	5,000

डाय एमोनियम फास्फेट और कैलिशयम एमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई का अनुपात क्रमशः 40 प्रतिशत और 37 प्रतिशत होने के कारण कम था। कैलिशयम एमोनियम नाइट्रेट के मामले में यह स्थिति मुख्य रूप से विदेश से अधिप्राप्ति की कठिनाई के कारण थी। अब दो जहाजों के आने की आशा है और शीघ्र ही बिहार सरकार की मांग पूरी हो जाने की सम्भावना है। यहां यह भी बता दिया जाए कि सरकार की नीति कैलिशयम एमोनियम नाइट्रेट के स्थान पर यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने की है क्योंकि यूरिया एक अच्छा उर्वरक है और भविष्य में देश में ही उत्पन्न किया जाएगा। जहां तक डाय एमोनियम फास्फेट का संबंध है, इसका आंशिक कारण विदेशों से अधिप्राप्ति में कठिनाइयां और मुख्य तौर पर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ों और अन्य कठिन हालातों के कारण कलकत्ता और विशाखापत्तनम से रेल के चलने की कठिनाई थी। भारत सरकार ने कलकत्ते से बिहार के निश्चित स्थान तक 1,000 किलोमीटर तक और विशाखापत्तनम से अप्रतिबन्धित रेल-शीर्षों से दूर 500 किलोमीटर तक के लिए प्रेषणों के लिए सड़क संचलन के लिए विशेष स्वीकृति दी है। परन्तु पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्र की मोजूदा कठिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ट्रकों की सामान्य कमी के कारण राज्य सरकार ट्रकों आदि की व्यवस्था में अपनी कठिनाइयों के कारण इस सुविधा का केवल सीमित उपयोग कर सकेगी।

विवरण

उर्वरक की किस्म	अप्रैल 1971 को दी गई रबी 1971-72 की मांग	अगस्त 1971 में संशोधित रबी, 1971-72 की मांग	जुलाई-सितम्बर 1971 की तिमाही में अलाट की गई मात्रा का दो-तिहाई	अक्तूबर-दिसम्बर 1971 की तिमाही में अलाट की गई मात्रा	रबी 1971-72 के लिए अलाट की गई कुल मात्रा	जुलाई-सितम्बर, 1971 के लिए दिए गए प्रेषण अनुदेश की दो-तिहाई	अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 के लिए दिया गया प्रेषण-अनुदेश	रबी 1971-72 के लिये प्राप्त कुल प्रेषण-अनुदेश	अगस्त से अक्तूबर 1971 तक दिया गया सम्भरण (नीचे दिया गया नोट भी देखें)	प्रेषण अनुदेशों पर सप्लाई की अनुमानित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एमोनियम सल्फेट	75000	10000	...	8000	8000	...	...	...	...	...
यूरिया	55000	55000	20000	55000	75000	4200	...	4200	8577	100 प्रतिशत से अधिक
कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट	3000	15000	6666	...	6666	7000	...	7000	2572	37 प्रतिशत
डाय-एमोनियम फास्फेट	30000	50000	8000	32500	40500	8300	...	8300	3275	40 प्रतिशत

नोट : स्तम्भ 10 में दी गई सप्लाई पूर्व अलाटमेंट और प्रेषण-अनुदेशों की अवधि सहित इस अवधि के दौरान की गई कुल वास्तविक सप्लाई है।

श्री एन० ई० होरो : विवरण में कहा गया है कि विदेशों से उर्वरकों की वसूली और देश में इधर-उधर ले जाने सम्बन्धी दो कठिनाईयाँ रही हैं। बिहार को उर्वरक देने के प्रश्न पर विचार करने के बाद सरकार ने इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या किया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जो कुछ मैंने कहा उसे ठीक तरह से समझना है। बिहार सहित सारे देश में नाईट्रोजन युक्त उर्वरक की कोई कमी नहीं। केवल एमोनियम सल्फेट और कैन सरीखे उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं। अब सारी दुनिया में इस प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन नहीं हो रहा क्योंकि यूरिया एक बेहतर उर्वरक है।

बिहार के बारे में स्थिति यह है कि उसे कलकत्ता तथा विजग से आवंटन प्राप्त करने सम्बन्धी कठिनाई रही हैं। बिहार सरकार को परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा है। बिहार सरकार को हमने बताया था कि यदि ट्रकों द्वारा इस माल को उठाया जाये तो हम उन्हें परिवहन व्यय दे देंगे। कलकत्ता से 1000 किलोमीटर तक का परिवहन व्यय दिया जायेगा। बिहार सरकार के पास ट्रकों के प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाईयां हैं, जिसके बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो उन्हें कलकत्ता से उर्वरक उठाने के लिए ट्रकों का अधिग्रहण करना चाहिये।

श्री एन० ई० होरो : इन कठिनाईयों का सामना करने के लिये क्या सरकार पटना सरीखे स्थानों में उर्वरकों को गोदामों में रखने के बारे में विचार करेगी ताकि परिवहन सम्बन्धी समस्या आवश्यकता के समय अनुभव न हो ? क्या वे इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। राज्यों में स्टाक रखने की हमारी नीति रही है। बिहार में उरिया का स्टाक रखा गया है जिसे अभी तक पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया गया है।

श्री डी० एन० तिवारी : विवरण से प्रतीत होता है कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 57 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया। कहीं भी बाढ़ स्थिति का उल्लेख नहीं। अब हम समझते हैं कि बाढ़ के लिए किसी ऋण की स्वीकृति नहीं हुई क्योंकि हमारा अनुभव है कि बिहार में रबी फसल के समय उर्वरक की कमी रहती है और किसान उर्वरक के लिये इधर-उधर जाते हैं और उन्हें कुछ नही मिलता ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने कहा हमने बिहार सरकार को दो या तीन महीने पहले प्रबन्ध करने के लिये कहा है लेकिन...

श्री डी० एन० तिवारी : उस समय कोई बाढ़ नहीं आयी थी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : : बाढ़ के बाद भी हमने आवंटन किये हैं। हमने उन्हें कहा

कि स्टाक कलकत्ता तथा विशाखापत्तम में उपलब्ध है। हमने उन्हें कहा कि इसे उठा लें और खर्च हम दे देंगे। लेकिन बिहार सरकार इसे न उठा सकी। हमने इस मामले को बिहार सरकार के साथ अनेक बार उठाया है। हमें स्थानीय कठिनाईयों की जानकारी है। लेकिन स्थानीय प्रबन्ध राज्य सरकारों ने करना है। हम धन के रूप में तथा अन्य रूप से सहायता दे सकते हैं जो कि बिहार के मामले में किया गया है।

श्री डी० एन० तिवारी : प्रश्न बाढ़ से सम्बन्धित है और आप उत्तर सूखे के बारे में दे रहे हैं। क्या आपने कोई प्रबन्ध किये हैं ? मैं जानना चाहता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न बिहार में आयी बाढ़ के दौरान रबी फसल के लिए किसानों की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में है। बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी रबी की फसलें खराब हुई हैं। इस के अतिरिक्त, हमारे प्रबन्ध बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों के लिए भी हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : उत्तर के अनुसार यह केवल बाढ़ से सम्बन्धित है।

Shri Narsingh Narain Pandey : I sent a telegram to the Hon. Food Minister that there were neither fertilizers nor seeds in the godowns of U.P. and Bihar. Fertilizers or seeds were not made available for the rabi season. The Hon. Minister made a statement after the flood that Government would make arrangements for seeds. I want to know the arrangements made by the Hon. Minister to remove these difficultie. so that fertiizers and seeds could be made available.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वे इसे समझें। राज्य में आन्तरिक वितरण व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। हम उन्हें अन्न तथा खाद उपलब्ध-कर सकते हैं लेकिन परिवहन का प्रबन्ध राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। अभी हाल में सुरक्षा सरीखी प्राथमिकता वाले आवागमन के कारण राज्य सरकारों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकारों ने ये दोष जानबूझ कर नहीं किये। बाढ़ के कारण पहले आवागमन व्यवस्था ठप्प रही। उसके बाद सुरक्षा तथा अन्य कारणों से वैगन उपलब्ध न हो सके लेकिन अब हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिये मैंने कहा है कि हम उन्हें पर्याप्त राशि देने के लिये तैयार हैं। यदि परिवहन सम्बन्धी किसी अतिरिक्त व्यय की कठिनाई है तो हम खर्च की राशि अदा कर देंगे। माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्टाक में कुछ नहीं है। यह उत्तर देने से पहले मैं आज ही जांच कर चुका हूँ। भारत सरकार के बिहार के गोदामों में उरिया खाद है जिसका पूर्णतः उपयोग नही हुआ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बाधा न डालें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विशेष रेल गाड़ियां चलायी जा रही हैं। माननीय सदस्य मेरे से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे। मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है हमने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या यह खुले वैगनों में उर्वरक

उठाने के लिए तैयार हैं क्योंकि रेलवे के पास बन्द वैगन नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमत होने के लिए एक महीना लगाया। मैं स्वयं लखनउ गया और मंत्री जी से खुले वैगन स्वीकार करने के लिये कहा। इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। अगला प्रश्न

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताएं

*162. **श्री आर० पी उलगनम्बी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताओं का अध्ययन कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कृषि कार्यों के लिये ऋण की आवश्यकताओं को सरकार का विचार किस प्रकार पूरा करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति (1969) ने चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में अल्प-अवधि के ऋण की मांग का अनुमान 2,000 करोड़ रुपये लगाया है।

(ख) चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान में सहकारी संस्थाओं से लगभग 700 करोड़ रुपये की अल्प अवधि ऋण की मांग पूरी होने की सम्भावना है। चौथी योजना के अन्त तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये किसानों को 400 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष ऋण दिये जाने की संभावना है। इसमें से लगभग 200 करोड़ रुपये अल्प-अवधि के कृषि उत्पादन के उद्देश्यों के लिए होगा। फिर भी, मांग और पूर्ति में अन्तर होगा। अतः संस्थागत ऋण एजेन्सियों को छोटे कृषकों की मांग पूरी करने के लिये प्राथमिकता देनी होगी ; जिससे अधिकाँश कृषक अपने संसाधनों पर काफी हद तक विश्वास रख सकें।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये मैं जान सकता हूँ कि क्या कोई क्षेत्र-वार अनुमान लगाया गया है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्यवार अनुमान लगाया गया है और ऋण-सम्बन्धी समिति ने इस पर विचार किया है और यह सारा योग राज्यवार आंकड़ों का है। राज्यवार आंकड़ों का समावेश ऋण सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट में भी है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं राज्यवार आंकड़ों का विवरण देने के लिए तैयार हूँ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : 100 करोड़ रुपये का अन्तर है। यह कैसे पूरा होगा। क्या

इसके लिये कोई संख्या बनायी गयी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ग्राम्य ऋण पुनर्विलोकन समिति ने 2000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। 1100 करोड़ रुपये के ऋण के आने की आशा है और 1100 करोड़ रुपये का अन्तर रहेगा और मैं नहीं समझता कि यह अन्तर निकट भविष्य में संस्थात्मक ऋण द्वारा पूरा होगा। सरकार की नीति छोटे लोगों को ऋण देने की रही है और समाज के समृद्ध वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने इसके साथ-साथ गांव के छोटे किसानों की कर्जदारी पर विचार किया है ? क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि संस्थागत ऋणों तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के बावजूद भी छोटे किसान की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है और यदि हाँ तो सरकार कौन सी विशेष व्यवस्था कर रही है जिसके द्वारा संस्थायें तथा वाणिज्यिक बैंक अपने कार्यों को छोटे किसानों तक ही सीमित रखें ताकि पैदावार बढ़ा सकें ? क्या कार्यक्रम है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया समय-समय पर ग्रामीण ऋण ग्रस्तता का सर्वेक्षण करता है। उन्होंने एक सर्वेक्षण दस साल पहले किया था और दूसरा होने वाला है जिसे रिजर्व बैंक उचित समय पर करेगा ऋणग्रस्तता तथा अन्य कारणों से छोटे किसान पर्याप्त ऋण नहीं प्राप्त करते और अभी हाल में रिजर्व बैंक को ऋण संगठनों को निदेश जारी करने पड़े कि इस पर काबू पाने के लिये उचित कदम उठाये जायें। सूखे तथा प्राकृतिक विपदाओं के लिए एक लेखा उपाय निकाला गया है जिससे अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सके और किसानों को यह ऋण दिया जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में किसानों को कितनी राशि का अल्पकालीन ऋण दिया गया और क्या यह ऋण वसूल किया जा चुका है ? यदि नहीं तो किसानों पर कितना बकाया है ? नये ऋण देते समय क्या ये वसूली करना छोड़ देंगे या इसे स्थगित कर देंगे ताकि जरूरतमंद किसान इन ऋणों को ले सकें ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ये सुविधायें उड़ीसा के बाढ़ तथा तूफान पीड़ित क्षेत्रों में भी उपलब्ध करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सहकारी ऋण ढ़ांचे के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपया बकाया है। माननीय सदस्य इस बात को अनुभव करेंगे कि छोटे किसानों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। यह एक कठिन तथा विकट समस्या है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ सरकार की नीति उन किसानों की मदद करने की रही है जो प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऋण अदा नहीं कर सकते और इस दिशा में नीति निर्णय लिया जा चुका है। जहां तक उड़ीसा के तूफान पीड़ित किसानों का सम्बन्ध है, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया है कि यदि तूफान के कारण ये अदा न कर सकें तो उन्हें नये ऋण दिये जायेंगे लेकिन उस दिशा में उड़ीसा सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे।

Shri Bhogendra Jha : The Government have been saying that loans would be advanced to the small farmers, but as far as I know their contention regarding payment incapability of the small farmers is not correct. My experience is that rich people do not pay the Government loans...

Mr. Speaker : You enter into introductions. You came to your question straight away.

Shri Bhogendra Jha : I am coming straight to the question. Will the Hon. Minister tell the House the total amount of loan advanced to the small farmers after bank nationalization ? How much money of the 14 nationalized banks was given to the capitalists and...

Mr. Speaker : This question does not arise.

Shri Bhogendra Jha : How much money was given to the small farmers, marginal farmers, capitalists and land grabbers ?

अध्यक्ष महोदय : आप पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं। यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की उस बात को अनुभव करता हूं कि उन के बिहार राज्य और स्कूल पूर्वी क्षेत्र में ऋण प्रणाली बहुत कठिन है क्योंकि ऋण ढांचे का विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक छोटे किसानों को दिये गए ऋण की प्रतिशतता का सम्बन्ध है, मेरे पास सहकारी बैंकों के आंकड़े तो हैं लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के ब्यौरे मेरे पास अभी नहीं हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कुल खातेदारों की संख्या 806,000 है लेकिन इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

*164. **श्री वी० मायावन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भेजे गए तथा उनमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया;

(ख) उक्त प्रतिनिधि मंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का दौरा किया तथा उनमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमश: 17, 22 और 14 सांस्कृतिक

प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए। उन प्रतिनिधिमंडलों में, अध्येता, लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, थियेटर विशेषज्ञ, कला समालौचक, संगीत-शास्त्रज्ञ, नृत्यकलाविद, नर्तक, पेंटर, मूर्तिकार आदि शामिल थे। श्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा 9, जुलाई, 1971 को पूछे गए तारांकित-प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में, विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों से संबंधित विस्तृत सूचना लोक सभा सचिवालय को भेजे गए विवरण (अनुबन्ध 'ख') के रूप में भेज दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**—1067/71]

(ख) उपर्युक्त सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों ने रूस और पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के देश, इंग्लैंड, अमरीका, जापान, फिलिपीन, फिजी, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, उत्तरी तथा पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, आस्ट्रेलिया, मेक्सिको, करेबियन द्वीप समूह, इण्डोनेशिया आदि का दौरा किया। उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में, इसके ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) 1968-69 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमशः 30, 42 और 48 सांस्कृतिक प्रतिमंडल भारत आए। ये प्रतिनिधिमंडल, जिनमें नर्तक, संगीतकार, कलाकार, लेखक, अध्येता, कला समालोचक आदि शामिल थे, रूस, फ्रांस, संघीय जर्मन गणराज्य, रूमानिया, हंगरी, बलगेरिया, अर्जेंटाइना, यूगांडा, चेकोस्लोवाकिया, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान आदि देशों से आए थे।

उन विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के बारे में विस्तृत सूचना जो भारत आए थे, उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित आश्वासन की पूर्ति में लोक सभा सचिवालय को भेजे गए विवरण के अनुबंध 'क' के रूप में अंकित ब्यौरे में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1067/71]

श्री वी० मायावन: प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अधिकांश सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों में दक्षिण भारत के किसी भी कलाकार को शामिल नहीं किया जाता है और क्या यह सच है कि किसी भी तमिल नाटक मंडली को मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य देशों को अब तक नहीं भेजा गया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन: मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है. यदि इसके लिए पूर्व सूचना दी जाती तो मैं इसका उत्तर दे सकता था। परन्तु सूची देखने से पता चलता है कि भारत नाट्यम की 17 सदस्यीय नृत्य व संगीत मंडली ने रूस, मंगोलिया, पोलैण्ड और जर्मन लोकतंत्र गणराज्य का दौरा किया था। कलाक्षेत्र, मद्रास की 25 सदस्यीय मंडली ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया का दौरा किया था। इसमें एसे भी नाम हैं जो निश्चित रूप से दक्षिण भारतीयों के ही लगते हैं जैसे श्री टी० जानकीरमन, प्रोफेसर शिवराम मूर्ति, श्रीमती कमला, जिसने 20 सदस्यीय भारत नाट्यम प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया था। यहां अनेक दक्षिण भारतीयों के नाम हैं परन्तु यदि वे पूर्वसूचना देंगे तो मैं इसकी विस्तृत सूची दे सकता हूं।

श्री वी० मायावन: मैं जान सकता हूं कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशों में भेजे जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं ? सरकार को

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है ? क्या प्रतिनिधिमंडलों के चयन और गठन में राज्य सरकारों से सलाह ली जाती है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : गत 25 वर्षों से इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है। वर्तमान प्रथा के अनुसार इस संबंध में मंत्रालय निर्णय लेता है जो या तो विभिन्न राष्ट्रीय अकादमियों से सीधे प्राप्त परामर्श पर होता है अथवा वैकल्पिक रूप से इसने प्रतिनिधि मंडलों के संबंध में कतिपय उत्तर-दायित्व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को सौंपे अथवा स्थानांतरित किए हुए हैं, जैसा कि सभा को याद होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का प्रशासनिक कार्य भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया है।

Shri Pannalal Barupal : May I know the number of Members of Parliament who have not been sent with any Cultural or Parliamentary Delegations so far ? There are many such members who are here since 1952 but they have not even been sent to Andaman.

Mr. Speaker : The Hon. Minister may state how many artistes of Parliamentary Committee have been sent abroad.

Shri Pannalal Barupal : The Prime Minister had given assurance regarding sending of Members of Parliament abroad but that has been forgotten.

श्री राम सहाय पांडे : विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों में भेजे जाने वाले कलाकारों के चयन का मापदंड क्या है, अध्यक्षमहोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यहां कई संसद सदस्य बड़ा अच्छा गाते हैं और उसमें से कुछ कर्नाटक संगीत में अच्छा गाते हैं। मुझे भी इस क्षेत्र का कुछ ज्ञान है। आप सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों में संसद सदस्यों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों के लिए परीक्षा आयोजित करूंगा और अच्छे कलाकारों की सिफारिश करूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है जहां तक सांस्कृतिक मंडलियों का संबंध है, विदेशों को गए सांस्कृतिक मंडलियों के चयन में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है ? दूसरा, विदेशों से आने वाली कितनी मंडलियों ने गत तीन वर्षों में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ?

प्रो० एंस० नुरुल हसन : पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र के संबंध में मेरा विचार है कि मनीपुरी नृत्य मंडलियां विदेशों को गई थीं। मैं जानता हूं कि विदेशों में उन्हें भारी प्रशंसा मिली है।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा नृत्य के बारे में आपका क्या विचार है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : उड़ीसा नृत्य मंडलियां भी विदेशों को गई थीं और उन्हें भारी प्रशंसा

मिली है । प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मुझे इस बात के लिए पूर्व सूचना चाहिए कि दिदेशों से आए कौन से प्रतिनिधिमंडल उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में गए थे ।

श्री सी० चित्ति बाबू : क्या मंत्री महोदय का विचार ऐसी मंडली विदेशों में भेजने का है जिसमें शास्त्रीय वाद्य यंत्र नादस्वरम, जो कि दक्षिण भारत का परंपरागत वाद्य यंत्र है, जानने वाले कलाकार हों ? अमरीकियों ने नादस्वरम में बहुत दिलचस्पी दिखायी है ।

प्रो एस० नुरुल हसन : यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है और इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

श्री शंकर राव सावन्त : महाराष्ट्र से कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों को भेजे गये थे ?

Mr. Speaker : The Hon. Minister may sent a list lateron.

इस बारे में विचार करते समय आपको राज्यों में भी जाना होगा ।

सामाजिक आवास योजना के लिये दस करोड़ रुपये का नियतन

*166. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सामाजिक आवास योजना को कार्य रूप देने के लिए जीवन बीमा निगम की निधि में से राज्य आवास बोर्डों को आवास ऋण देने हेतु दस करोड़ रुपये की राशि नियत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पूंजी निवेशों पर केन्द्र का नियंत्रण रहेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण के करारनामें की शर्तों के अनुसार, राशियों का उपयोग मेरे मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए ही केवल किया जाना है ।

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम का विचार किस प्रकार अपने धन का उपयोग पालिसी-धारियों के हितों को बिना हानि पहुंचाये मुख्य सामाजिक उद्देश्यों जैसे आवास के लिए करने का है ?

श्री आई० के० गुजराल : जीवन बीमा निगम धनराशि का सीधा उपयोग नहीं करता है । जीवन बीमा निगम पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ऋण देता है और चूंकि यह ऋण सुरक्षित ऋण होता है, इसलिए जीवन बीमा निगम को किसी प्रकार का भय नहीं है ।

आवास परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को धनराशि का नियतन

*167. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में आवास परियोजनाओं हेतु पश्चिम बंगाल के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) इन प्रयोजनाओं पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल प्रशासन की उपेक्षा के कारण कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के लिए योजना आयोग द्वारा 315 लाख रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1969-70 के दौरान 74 लाख रुपये का व्यय किया गया था। 1970-71 के लिए 103 लाख रुपये के अनुमोदित व्यय के विपरीत 214 लाख रुपये के प्रत्याशित व्यय की सूचना मिली थी। अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। 1971-72 वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा 120 लाख रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया था। इस व्यवस्था में से अब तक उपयोग में लाई गई रकम की सूचना अभी नहीं मिली है।

(ग) और (घ). ऐसा कोई उदाहरण नोटिस में नहीं आया है।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : उत्तर से ऐसा लगता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए केवल 315 लाख रुपये की कुल राशि अनुमोदित की गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1971 के "पेट्रिआट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि :

"यद्यपि पश्चिम बंगाल को ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा सब से अधिक धनराशि का आवंटन किया था फिर भी राज्य सरकार ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत सुस्ती दिखाई है। केन्द्र ने चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए इस राज्य को 140 करोड़ रुपये मंजूर किये थे जब कि शेष सम्पूर्ण देश के लिए 242 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी। कलकत्ता में बस्तियों को हटाने के लिए भी केन्द्र ने 8 करोड़ रुपये निर्धारित किये थे। बस्तियों को

हटाने के लिए इस वर्ष में तीन करोड़ रुपया मंजूर किया गया जिसमें से राज्य सरकार ने जुलाई तक केवल 60 लाख रुपया ही खर्च किया था।" इसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे प्रतिक्रिया बताने की क्या आवश्यकता है। यह रहा इसका विवरण।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि वर्ष 1971-72 के लिए मंजूर किए गए 120 लाख रुपये के परिव्यय में से 31 अक्तूबर 1971 तक कितना धन व्यय किया गया था।

श्री आई० के० गुजराल : मैं कलकत्ता गया था और वहां मैंने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से व्यय की गति के बारे में बात की थी। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण एक नया निकाय है जिसका गठन केवल गत वर्ष ही किया गया था और प्रथम कुछ वर्षों में इसे क्रियान्वित मशीनरी का कठिन मिलना स्वाभाविक ही था। परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत हो रहा हैं, मुझे आशा है कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण अपना कार्य बढ़ाता चला जायेगा। केवल कलकत्ता ही ऐसा नगर है जिसे केन्द्र इतनी अधिक सहायता दे रहा है और हम चाहते हैं कि कलकत्ता द्वारा हमारी आशाओं के अनुसार इसे पूरी तरह प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि मंत्री महोदय ने उल्लेख किया, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण का गठन हाल ही में नहीं किया गया था अपितु यह तो एक सर्वकारी निकाय है जिसका कार्य नगरीय विकास के अनेक पहलूओं की देखभाल करना है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में तथा विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए अब तक किसी विशेष निकाय की स्थापना की गई है और क्या यह सत्य नहीं है कि अभी तक किसी राज्य आवास बोर्ड के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया और यह धनराशि चाहे वह जीवन बीमा निगम से प्राप्त की गई हो या केन्द्रीय सरकार से किसी विशेष निकाय के अभाव से उसका कारगर ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा ? इसके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय मित्र की बात से सहमत हूं। मैं पश्चिम बंगाल प्रशासन को इस बात के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उसे एक आवास बोर्ड की स्थापना अवश्य करनी चाहिये। यह खेद की बात है कि अभी तक मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिली। परन्तु मैं यह भी कह दूं कि केवल पश्चिम बंगाल ही इसका एक मात्र उदाहरण नहीं है। कुछ अन्य राज्य भी ऐसे है जहां कि अभी तक आवास बोर्डों की स्थापना नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यों में आवास निर्माण के कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब तो पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रपति का शासन है। अब आवास बोर्ड की स्थापना करने में भला क्या कठिनाई है ?

श्री आई० के० गुजराल : यद्यपि पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रपति का शासन है परन्तु इसका प्रशासन तो अपना ही है । मैं वहां के प्रशासन, राज्यपाल और सम्बन्धित सचिवों से अनुरोध करता रहा हूं कि उन्हें आवास बोर्ड का गठन शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए ।

श्री बी० के० दासचौधरी : पश्चिम बंगाल की आवास परियोजनाओं के लिए आवास बोर्ड की स्थापना करने के बारे में मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की है। उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उन्हें कलकत्ता के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के मुफस्सिल जिलों में भी आवास परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मुफस्सिल जिलों की आवास परियोजनाओं पर भी विचार करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आवास सम्बन्धी आवंटन पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है । यह खेद की बात है कि राज्य के अन्य भागों में आवास निर्माण का कार्य इस लिए धीमा है क्योंकि वहां कोई आवास परियोजना नहीं है । इसीलिए मैं आवास बोर्ड की आवश्यकता पर बल दे रहा हूं ।

बिहार में भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया अध्यादेश

*170. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री राम भगत पस्वान :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने और शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में जुलाई, 1971 में दो अध्यादेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रपति ने उन अध्यादेशों पर अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). अधिकतम भूमि सीमा अध्यादेश के एक मसौदे पर 7-9-71 को बिहार के मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री से विचार विनिमय किया गया था। भारत सरकार बिहार सरकार द्वारा बनाये गये विधेयक के प्रस्तावों से प्रायः सहमत है। इस बारे में भारत सरकार के सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन है । भारत सरकार चाहती है कि नया कानून यथा शीघ्र पारित कर दिया जाए ।

जहां तक शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है मामला भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है । शीघ्र निर्णय के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

Shri Bhogendra Jha : So far as the question of land ceiling is concerned, I think the Hon. Minister and this House are fully aware of the fact that big land lords from various States are pressurising so much that inspite of repeated demands, it has not so far been implemented. For instance take the case of Maharashtra where the Hon. Minister hails from, the interests of big landlords are being protected by the Chief Minister him self. The Government of Bihar was some what leold in coming forward with this ordinance but that too has been throttled by the constant pressure from the landlords, in the State Cabinet, administration and in the party itself. Even in the ordinance, the interests of the landlords have been safeguarded to some extent but still it is a progressive step. Is it a fact that big owners of Maths in Bihar, whose Maths a·e hot beds of corrupt'on, evil deeds and sins, had come here and since they have got the patronage of some of the Central leaders, the Government of Bihar is being pressurised into exempting the lands of these persons from the said Ordinance. The owners of Maths commit murders almost every months.

Such murders are still continuing. Even during the President rule, two police officers were suspended for suppressing two mur ers. Is it also a fact that under the pressure of Mathadhish it has been decided to exempt their lands from the purview of this Ordinance ? Has it been suggested that sugar Millowners such as Birlas, should also be exempted from the purview of this Ordinance ? May I know whether the delay which is being caused is because of their pressure ? It is being stated that this matter is actively under consideration for the last four months. Will it not be fair on the part of the Centre to give up this active consideration and give assent to the Ordinance ? Bihar is the first State to initiate such a measure.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमान जी इनके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपके सचिवालय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे मुझे केवल वही प्रश्न भेजने चाहिये जिनका सम्बन्ध सीधे मेरे मंत्रालय से हो। मैं जानता हूँ कि सरकार तो एक ही है परन्तु शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा का प्रश्न एक मंत्रालय के अन्तर्गत आता है तो भूमि की अधिकतम सीमा का दूसरे मंत्रालय के अन्तर्गत।

अध्यक्ष महोदय : इस की प्रक्रिया यह है कि प्रश्न अग्रेतर ही सम्बद्ध मंत्रालय को भेज दिया जाता है और अगर कोई मंत्रालय हमें इस बात की सूचना दे देता है कि प्रश्न का सम्बन्ध उसके मंत्रालय से नहीं है तो वह प्रश्न अन्य सम्बद्ध मंत्रालय को भेज दिया जाता है। परन्तु मुझे खेद है कि इस प्रकार की बात हो गई है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है; भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में, समाज के किसी भी सम्बद्ध वर्ग का प्रभाव इस पर नहीं पड़ सकता।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र में भी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हां, महाराष्ट्र में भी—बिहार ने इस सम्बन्ध में जो हमें सब से

पहले जो अखिल भारतीय स्तर का प्रस्ताव भेजा था, उसके बारे में हमारा विचार यह है कि अधिकतम सीमा के लिए परिवार को आधार माना जाना चाहिये । परन्तु बिहार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें व्यक्ति को इस का आधार न माना गया था । अतः यह स्वाभाविक ही था कि हम यह प्रस्ताव पुनः विचार के लिए बिहार सरकार को भेजते क्योंकि हम अखिल भारतीय स्तर पर परिवार को अधिकतम सीमा का आधार बना चुके थे और इसीलिए हमने बिहार सरकार से कहा कि वह इसे अध्यादेश में जोड़ दे । मुझे तो इस बात की हैरानी है कि क्या माननीय सदस्य स्वयं इससे सम्बद्ध तो नहीं है क्योंकि जब इस पर विचार किया गया था, तो सदस्य महोदय ने इस पर दबाव नहीं डाला था । इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि बिहार के साथ ही पूर्वी भारत में, भूमि जोतने वाले फसल के भागीदारों को सरंक्षण देना भी है । इस अध्यादेश में फसल के भागीदारों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी । इसीलिए हमने बिहार सरकार से कहा कि इस की व्यवस्था की जानी चाहिये और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य भी इस बात की सराहना करेंगे । अतः इसीलिए हम यह सभी मामले राज्य सरकार के साथ उठा रहे हैं और हम ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दे दिये है । अब यह बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी इस कार्य को करती है । मैं अपने उत्तर के मुख्य भाग में ही यह कह चुका हूं कि जो सुझाव हमने दिये है उनके साथ हम बिहार सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश को स्वीकृति देने के लिए बहुत उत्सुक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरा ? शहरी सम्पत्ति के बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में वह कह ही चुके हैं कि वह उनका विषय नहीं है ?

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Minister has referred to share-croppers. There is sufficient provision for it in the Agricultural Laws of Bihar. As regards the implementation of that law, we know it very well that it will not be implemented until farmers are united. To implement the share-croppers laws, more than twenty thousand farmers are being prosecuted. We will face all these things. shichever Government is there, it will have to implement this law. I think it whould not delay the Ordinance under this pretext. As regards family being the basis of land ceiling, Hon. Minister's party is not in agreement with that. That is why this Ordinance could not be framed according to our wishes although we were a party to the Government. A legislation to abolish Zamindari of Tatas, passed by State Assembly and Council is pending Centre's assent for the last seventeen months. Now it is heard that it has been sent back.

Mr. Speaker : Hon. Minister should ask a question. He should not indulge into a regular speech.

Shri Bhogendra Jha : I am asking a question now. Is it a fact that the Bill to amend the Land Reform Act to abolish the Zamindari of Tatas has been pending with the Central Government for the last 17 months and now under the pressure of Tatas it has been sent back without the President's assent ? Is the Central Government not delaying the assent to protect the interests of the landlords ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की धारणा का पूरा विरोध करता हूँ ।

वास्तव में इस से पहले टाटा जमींदारी के बारे में एक अलग प्रश्न पूछा गया था परन्तु चूंकि श्री रामावतार शास्त्री उपस्थित नहीं थे अतः प्रश्न पर विचार न हो सका। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल समाप्त करने जा रहा हूं··· (**व्यवधान**)

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह कह रहा था कि टाटा की जमींदारी समाप्त करने से सम्बद्ध बिहार सरकार के प्रस्ताव को कुछ सांविधिक और कानूनी पहलुओं के कारण वापिस भेज दिया गया है···और मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूँ··· (**व्यवधान**)

Shri Bhogendra Jha : That has been discharged by the Patna High Court. He is committing contempt of the Patna High Court.....(**Interruptions**)

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह विवाद करने का समय तो नहीं है परन्तु संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। उदाहरणतया बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमि को भी नहीं छोड़ा गया था तथा इसके साथ ही इसके अनेक कानूनी तथा दूसरे पहलू भी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उस पर किसी भी व्यक्ति या वर्ग द्वारा कोई दबाव नही डाला जा सकता।

Shri Bhogendra Jha : It is something very serious. You are working according to the directions of Tatas. You have committed contempt of the Patna High Court.

Mr. Speaker : Now the question hour is over. Now we pass on to Call Attention.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जामनगर तथा अन्य पत्तनों से बम्बई तक यात्रियों के लिए जलयान सेवा

*151. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामनगर तथा अन्य पत्तनों से बम्बई तक यात्रियों के लिए जलयान सेवा आरम्भ करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कला आयोग की स्थापना

*152. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता की सिफारिशों के अनुसार एक कला आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). सिफारिश विचाराधीन है ।

सुपर बाजारों के कार्यकरण के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट

* 155. **श्री विश्वनाथ झुँझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की हाल ही में जांच कराई थी कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने तथा मंहगाई का सामना करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने यहां से सामान खरीदने को प्रेरित करने के साधन के रूप में सुपर बाजार कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी नहीं । तथापि, सुपर बाजार, दिल्ली के केवल ड्रग्स तथा औषध अनुभाग के बारे में हाल ही में मूल्यांकन किया गया था ।

(ख) एक विवरण, जिसमें मूल्यांकन प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सुपर बाजार के ड्रग्स तथा औषध अनुभाग के बारे में मूल्यांकन प्रतिवेदन में जो मुख्य-मुख्य बातें कही गई हैं, वे निम्न प्रकार हैं :—

1. सुपर बाजार द्वारा ली जाने वाली कीमतें ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित की गई कीमतों से अधिक नहीं होती है । इसके अतिरिक्त, वहां अनुचित लाभ लेने का उद्देश्य नहीं होता है और जब कुछ ड्रग्स की कमी होती है तब भी सुपर बाजार द्वारा ऐसे ड्रग्स के लिए नियंत्रित कीमतें ही ली जाती है, जबकि ड्रग्स की कम सप्लाई होने पर कुछ विक्रेताओं की प्रवृत्ति अधिक कीमतें लेने की होती है ।

2. ड्रग्स तथा औषध अनुभाग ने 1969-70 में लगभग 21 लाख रु० का व्यापार किया

और 1970-71 के लिए यह राशि लगभग 27 लाख रु० है। एक दिन में लगभग 1000 नुस्खों पर दवाएं दी गईं।

3. सुपर बाजार में रात्रि सेवा नहीं है, क्योंकि उनका विचार है कि इसके लिए पर्याप्त ग्राहक नहीं होंगे जिससे कि यह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो सके।

4. सुपर बाजार आक्सीजन सिलिंडर रखता है और ग्राहकों को 200 रु० जमा करने पर दिए जाते हैं, जबकि अन्य विक्रेताओं द्वारा 200-300 रु० लिए जाते हैं। योग्य मामलों में चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा दी गई गारंटी पर कोई राशि जमा कराए बगैर भी सिलिंडर दिए जाते हैं। तथापि, सुपर बाजार की सिलिंडरों के लिए होम डिलिवरी सेवा नहीं है।

5. सुपर बाजार सभी प्राणरक्षा वाले तथा अन्य महत्वपूर्ण ड्रग्स रखता है, जैसे मारफीन, पैथीडाइन और अन्य नार्कोटिक ड्रग्स, सिरा तथा वैकसीनस, एंटीबायटिक्स आदि।

6. सुपर बाजार ने तीन महत्वपूर्ण अस्पतालों (इर्विन, विलिंग्डन तथा सफदरजंग) में उनके अहाते में शाखाएं खोली हैं, जिनमें औषध अनुभाग भी हैं। ये इन अस्पतालों में आने वाले रोगियों की जरूरतों को पूरा करती है। सुपर बाजार के लिए और व्यापार सुलभ करने के लिए अस्पतालों, नर्सिग होम्स, प्रमुख चिकित्सा व्यवसायियों आदि से सम्पर्क स्थापित करने अथवा विज्ञापन देने की कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं।

7. जहां तक ड्रग्स की कीमतों के स्तर को बनाए रखने में सुपर बाजार का कुछ प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, इस बारे में उल्लेख किया जाता है कि ड्रग्स की कीमतें, जिसमें ट्रेड कमीशन भी शामिल है, ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती है और इस मामले में सुपर बाजार द्वारा कोई विशेष भूमिका अदा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

8. यह अनुभव किया जाता है कि सुपर बाजार के ड्रग्स भण्डारों में प्रचुर बिक्री हो रही है। शायद यह इसलिए सम्भव है कि वे महत्वपूर्ण स्थानों में स्थित है जैसे अस्पताल, कन्नाट प्लेस आदि। इसके अलावा ग्राहकों को इस बात का विश्वास है कि इन भण्डारों में असली औषधियां मिलेंगी।

9. सुपर बाजार एंटीबायटिक्स तथा हारमोन्स ओफथैलमिक ड्रग्स का सम्मिश्रण और मरहम आदि तैयार नहीं करता है। यह अनुभव किया जाता है कि सुपर बाजार द्वारा ड्रग्स तथा औषधियों के क्षेत्र में अपने कार्य में सुधार करने की गुँजायश है।

(**टिप्पण :** सुपर बाजार ने अब कुछ रसायनों, लवणों आदि को दुबारा पैक करने का कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है)

फल-परिष्करण उद्योग की स्थापना

*156. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फलों का परिष्करण करने सम्बन्धी उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ट्रैक्टरों की मांग, उनका उत्पादन और उनकी बिक्री

*157. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्रीमती सावित्री श्याम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश में कुल कितने ट्रैक्टरों की मांग है ;

(ख) गत वर्ष कितने ट्रैक्टरों का देश में निर्माण हुआ और कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया था; चालू वर्ष में देश में निर्मित और आयातित ट्रैक्टरों की संख्या की तुलना में यह आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ; और

(ग) ट्रैक्टरों की बिक्री पर हाल में लगाये गये नियंत्रण से देश को किस प्रकार लाभ होगा तथा क्या बिक्री के पश्चात् मरम्मत आदि की कोई सेवा भी प्रदान की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1 जून, 1971 को कुल 1,14,905 ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान लगाया गया था।

(ख) वर्ष 1970 में 19, 943 ट्रैक्टर बनाये गये थे और 12, 954 ट्रैक्टर आयात किये गये

या लदान किया गया था । अक्तूबर, 1971 तक 13,339 ट्रैक्टर बनाये गये और अगस्त, 1971 तक 12,421 ट्रैक्टर आयात किये गये थे या लदान किया गया था।

(ग) ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 का उद्देश्य फर्जी मांग बुक करने को निरुत्साहित करना, खरीद के शीघ्र बाद लाभ पर, जो अत्यधिक कमी के कारण मिलता है, उन्हें बेचने से रोकना है। देशीय और आयातित दोनों ट्रैक्टरों के लिये बिक्री के पश्चात् सेवाओं की व्यवस्था की गई है।

रबी की खेती के लिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*158. **श्री पी० कमाक्षैया** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को रबी की खेती के कार्यक्रम के लिए कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) (1) 579. 40 लाख रुपये का एक अल्पावधि ऋण, विशेषकर बारानी परिस्थितियों के फलस्वरूप इस वर्ष के रबी कृषि कार्यक्रम में उपयोग में लाने के लिये स्वीकृत किया गया है। इस ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(i) उर्वरक तकावी	...	479. 00 लाख रुपये
(ii) बीज	...	49.40 लाख रुपये
(iii) कीटनाशी औषधियां	...	51.00 लाख रुपये
	योग:	579.40 लाख रुपये

(2) आन्ध्र प्रदेश सरकार को सन् 1971-72 के दौरान रबी कपास तथा तम्बाकू के लिये सहायता देने के साथ-साथ खरीफ तथा रबी तिलहनों के विकास के लिये भी सहायता दी गई है। इन योजनाओं के हेतु राज्य सरकार के लिये निम्न राशि स्वीकृत की गई है :—

कपास (रबी)	...	13.46 लाख रुपये
तम्बाकू (रबी)	...	16.90 लाख रुपये
तिलहन (खरीफ तथा रबी)	...	19.86 लाख रुपये
	योग:	100.22 लाख रुपये

उपरोक्त राशियों का उपयोग तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था तथा वनस्पति रक्षण रसायन और उपकरण तथा कपास और मूंगफली सम्बन्धी प्रदर्शनों की लागत पर उपदान देने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू के सम्बन्ध में पौद, धान्यागारों तथा कुओं की लागत पर भी उपदान प्रदान किया जा रहा है।

(3) केन्द्र के तकनीकी तथा क्षेत्र अधिकारियों के तीन लघु दलों ने राज्य के जिलों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में रबी खाद्य तथा नकदी फसलों की संभावनाओं का मूल्यांकन किया और मौसम के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार को समुचित सिफारिशें भी की।

(4) राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों आदि के सामयिक संचलन के लिये मांगी गई सहायता भी प्रदान की गई।

शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय अमरीकी संगठन

*160. **श्री रतनलाल ब्राह्मण :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शिक्षा के लिये वित्तीय अथवा सक्रिय सहायता देने वाले कितने गैर सरकारी अमरीकी की संगठन हैं, और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे गैर सरकारी विदेशी संगठनों को कार्य करने की अनुमति देने के मापदण्ड क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क)और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों की संख्या

*163. **श्री बख्शी नायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के उल्लंघन के कुल कितने मामले हुए;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1971 के "स्टेट्समैन" में 'दि प्लाइट आफ हरिजन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है; और, यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख). ये उपलब्ध नहीं हैं और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी हां। प्रकाशित की गई बातों पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु विचाराधीन टाटा जमींदारी उन्मूलन विधेयक

*165. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा द्वारा पारित किये गये टाटा जमींदारी उन्मूलन विधेयक को केन्द्र ने अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 को बिहार सरकार को वापिस कर दिया है ताकि वे कुछ कानूनी तथा संवैधानिक पहलुओं पर पुनः विचार कर सकें।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पुतस्कालय से पुस्तकें गुम हो जाना

*168. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से 52,000 से अधिक पुस्तकें गुम हो गई हैं;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त हानि के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जुलाई, 1971 में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए स्टाक-सत्यापन से यह पता चला है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कुल 4,15,145 पुस्तकों में से लगभग 30,751 पुस्तकों की कमी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जिन पुस्तकों का पता नहीं लग रहा ऐसी पुस्तकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए संगणक की सहायता से सम्पूर्ण अवाप्ति-क्रमांक पद्धति पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पूर्ण रूप से आंकड़े तैयार करने के बाद ही वास्तविक कमी का पता लग सकेगा। जिम्मेदारी ठहराने और हानि की वसूली करने के संबंध में आगे की कार्रवाई पर विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

बिरला हाउस, नई दिल्ली के लिए मुआवजा

*169. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित बिरला हाउस को अधिगृहीत करने के लिए बिरला बंधुओं को कुल कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) किस आधार पर इसका हिसाब लगाया गया था;

(ग) किन अधिकारियों ने इसका हिसाब लगाया; और

(घ) इस हाउस का बही मूल्य कितना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन सम्पत्ति के अर्जन के लिए देय मुआवजा निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी, भूमि अधिग्रहण कलक्टर, दिल्ली प्रशासन, ने बिरला हाउस के लिए कुल 55,48,647,37 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है। मुआवजे का हिसाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है। भवन के साथ हस्तान्तरित न की गई बिजली की कुछ फ़िटिंग्स के लिए 18,000 रुपये की राशि भुगतान करते समय अस्थाई तौर पर रोक ली गई।

(घ) चूंकि बिरला हाउस सरकारी सम्पत्ति नहीं थी, सरकार ने इसके बही-मूल्य का कोई लेखा नहीं रखा था।

चीनी की बिक्री पर लगाये गए नियंत्रण को हटाने के लिए तमिलनाडु की चीनी मिलों द्वारा अभ्यावेदन

*171. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या तमिलनाडु की चीनी मिलों ने गत मास, उत्पादकों द्वारा व्यापारियों को चीनी बेचने पर सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण को हटाने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) इस नियंत्रण के लगाए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) ये नियंत्रण किस प्रकार के हैं; और

(घ) उत्पादकों की कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस बारे में साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (तमिलनाडु शाखा) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) ये प्रतिबन्ध उत्पादकों द्वारा जमाखोरी को रोकने और उनके द्वारा चीनी की बिक्री और प्रेषण में समानता लाने की दृष्टि से लगाए गए थे।

(ग) निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं :

(1) चीनी के उत्पादकों के पास यदि वैध निर्मुक्ति आदेश के प्रति चीनी का बिना बिका स्टाक उपलब्ध हो, तो उन्हें लाइसेंस शुदा व्यापारियों को चीनी बेचने से इनकार करने की मनाही कर दी गई है।

(2) उत्पादकों को बिक्री के लिए निर्मुक्त की गई चीनी में से मासिक निर्मुक्ति आदेश की प्रत्येक सप्ताह अवधि में कम से कम 20 प्रतिशत चीनी बेचनी होगी।

(3) चीनी उत्पादक व्यक्तिगत लाइसेंसशुदा व्यापारियों को प्रत्येक सप्ताह अवधि में 2,200 क्विन्टल से अधिक चीनी न भेजेंगे अथवा न उसकी सुपुर्दगी देंगे।

(घ) जो प्रतिबन्ध लगाए गए थे वे लोक हित में आवश्यक और उचित हैं।

पश्चिम बंगाल में अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण

*172. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों एवम् गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतन-मान और मंहगाई भत्ते में वृद्धि और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के वर्गवार पुनरीक्षित वेतन-मान तथा मंहगाई भत्ते कितने-कितने हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए हुए वेतन-मान पश्चिम बंगाल के उस समय के विद्यमान वेतन-मान से कम थे । तथापि 1-4-70 से वेतन-मान संशोधित कर दिए गए हैं।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रायोजित तथा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा गैर अध्यापक कर्मचारियों के वेतन मान पहली अप्रैल, 1970 से, मंहगाई भत्ता मिलाने के बाद, परिशोधित कर दिए गए हैं। परिशोधित वेतनमान का विवरण इस प्रकार हैं। मान्यता प्राप्त घाटा न दिखाने वाले तथा सहायता प्राप्त न करने वाले स्कूलों के कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 1970 से बढ़े हुए वेतन के तौर पर 7.50 रुपये प्रतिमास पाने के लिए अनुमति दे दी गई है।

पदों के नाम	परिशोधित वेतन मान
1. उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों तथा हाई स्कूलों, उच्चत्तर माध्यमिक मदरसे और हाई मदरसे के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाएँ, आनर्स की डिग्री वाले वे प्रशिक्षित स्नातक प्राप्त अथवा उत्तर स्नातक जिन्होंने मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में पाँच वर्ष के अध्यापन के अनुभव सहित एम० ए०/एम० एस० सी० परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । इस प्रयोजन के लिए, विशेष आनर्स के साथ	450-25-500-30-740-40-900 (आठ-अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) ग्यारह कक्षा वाले स्कूलों को निम्नलिखित विशेष वेतन मिलेगा:— (1) एक पाठ्यक्रम के साथ-25/-रुपये (2) दो पाठ्यक्रम के साथ-50/-रुपये (3) तीन पाठ्य क्रम से अधिक के साथ-75/-रुपये ।

स्नातकों को आनर्स स्नातक नहीं माना जाएगा।

2. उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों, उच्चत्तर माध्यमिक मदरसों तथा हाई मदरसों के सहायक प्रधान अध्यापक/अध्यापिकाएँ मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित आनर्स की डिग्री अथवा मास्टर की डिग्री वाले प्रशिक्षित स्नातकों के लिए	350-20-450-600 (आठ अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) और निम्नलिखित प्रकार से विशेष वेतन:— दसवीं कक्षा वाले स्कूलों केलिए-35/- रुपये। ग्यारहवीं कक्षा वाले स्कूलों के लिए:— 1. एक पाठ्यक्रम वालों को-40/- रुपये प्रतिमास और 2. एक से अधिक पाठ्यक्रम वालों को 50/- रुपये।
3. जूनियर हाई स्कूलों और जूनियर मदरसों के प्रधान अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापिकाएँ तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित प्रशिक्षित स्नातक सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक/अध्यापिकाएँ पी० जी० बी० टी० अथवा पी० टी० डिग्री सहित एम० ए० अथवा एम० एस० सी० अथवा बी० ए० (आनर्स) दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षा वाले स्कूलों/मदरसों के सहायक शिक्षक आनर्स अथवा मास्टर की डिग्रीधारी प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित स्नातक और कृषिधारी सहित ग्यारहवीं कक्षा वाले स्कूलों में स्नातक कृषि डिग्रीधारी अध्यापक कक्षा दसवीं और ग्यारहवीं स्कूलों, कक्षा दसवीं और ग्यारहवीं मदरसे, जूनियर हाई स्कूलों और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक	265-7-300-8-420-10-450 (आठ और सोलह अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) विशिष्ट वेतन के तौर पर 25 रुपये प्रतिमास सहित 320-10-420-15-600 (आठ और सोलह अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) द्वितीय श्रेणी में एम० ए० अथवा एम० एस० सी० वाले स्नातकों को तीसरी अर्थात् 340 रुपये से आरम्भ करेंगे। 320-10-420-15-600 (आठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) अप्रिशिक्षित अध्यापक प्रशिक्षित होने तक वेतन मान की आरम्भिक अवस्था में रहेगें।

नोट : द्वितीय श्रेणी के मास्टर की डिग्री धारी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित स्नातक उस समय के वेतनमान की तीसरी अवस्था पर आरम्भ करेगें और यदि वे अप्रशिक्षित हों तो प्रशिक्षित होने तक उनको कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(क) प्रशिक्षित स्नातक/बंगीय संस्कृति शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गई संस्कृत की दो उपाधियों अथवा उसके समकक्ष (जैसा कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो) सहित शास्त्रीय अध्यापक 10 वर्ष पूरे होने पर एम० एम० सहित अध्यापन अनुभव/विश्व-विद्यालयों द्वारा प्रदान की गई स्नातक संगीत डिग्री सहित, संगीत अध्यापक अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री अथवा डिपलोमा सहित/कला और शिल्प अथवा कला भवन (विश्वभारती) की अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का सम-कक्ष डिपलोमा।	265-7-300-8-420-10-450 (आठवीं और सोलहवी अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक) अप्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित होने तक वेतन मान अर्थात् 265 रुपये की आरम्भिक अवस्था पर रहेगा।
(ख) अवर स्नातक अध्यापक :	
(1) आई० ए० / आई० एस० सी० (स्नातक)	220-5-350 (आठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(2) अप्रशिक्षित अवर स्नातक (आई० ए०/आई० एस०सी०)	अप्रशिक्षित अवर स्नातक प्रशिक्षित होने तक वेतन की अर्थात् 220) रुपये की आरम्भिक अवस्था पर रहेंगे।
(3) विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये आई० संगीत० प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिये गये समकक्ष प्रमाण पत्र सहित संगीत अध्या-पक/स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र सहित शिल्प अध्यापक।	220-5-350 (आठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(4) पी० एम० अध्यापक / शास्त्रीय अध्यापक :	220-5-350 (आठवीं और सोलहवी अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(i) काव्य तीर्थ सहित मैट्रीकुलेट अथवा पांच वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित काव्य तीर्थ, अथवा	
(ii) बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा दी गई दो उपाधियों सहित अथवा	

उसके समकक्ष (सरकार से मान्यता प्राप्त के आधार पर) दस वर्ष से कम अध्यापन अनुभव सहित अथवा	
(iii) अन्तिम मदरसा अथवा उसके समकक्षपरीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अध्यापक	
(ग) अन्य अध्यापक मैट्रीकुलेट/आई० ए० एक विषय सहित	205-2-225 (आँठवीं अवस्था के बाद दक्षता रोक)
गैर अध्यापक स्टाफ :	
लिपिक (मैट्रीकुलेट)	190-3-214-4-270-5-275 (आँठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
लिपिक (नांन मैट्रिक)—पुस्तकालयध्यक्ष (पुस्तकालयों और अर्हताओं के विवरण सहित केवल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए।)	181-2-205 (आँठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(1) 10,000 पुस्तकों की से कम पुस्तकालयों के लिए	
(क) पुस्तकालयध्यक्षता में डिप्लोमा के साथ स्नातक	237-7-300-8-404 (आठवीं और 16 वीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(ख) पुस्तकालयध्यक्षता में प्रशिक्षित प्रमाण-पत्र धारी इण्टरमीडिएट	190-3-214-4-270-5-275 (आठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
(2) 10,000 पुस्तकों की प्रभाव सूची पत्र क्षमता वाले पुस्तकालयों और स्नातक से ऊपर पुस्तकालय अध्यक्षता में डिप्लोमा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	270-10-500 (8वीं और 16वीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)
	130-1-145-2-165 (आठवीं और सोलहवीं अवस्थाओं के बाद दक्षता रोक)

डिसिटिंकशन के साथ प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित स्नातक, टाइम-वेतनमान की तीसरी अवस्था पर आरम्भ करेंगे और परिवे अप्रशिक्षित हों तो प्रशिक्षित होने तक उनको कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।

राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन के भवन का असुरक्षित घोषित किया जाना

*173. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री के० मालन्ना :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग नौ वर्ष पूर्व 5 लाख रुपये की लागत से राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन के लिए जिस भवन का निर्माण किया गया था, उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को तुरन्त वह स्थान खाली करने का आदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) भवन में कुछ दरारें आ गई हैं, और इनके बढ़ने के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। अतएव भवन के प्रयोग को असुरक्षित समझा गया है। क्योंकि भवन का निर्माण 1961/62 के दौरान हुआ था। ठेकेदार के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस अवधि के लिए वह उत्तरदायी था, वह समाप्त हो चुकी है। किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दरारें नींव के असामान्य तौर पर धंसने के कारण हैं।

उत्तर प्रदेश में समेकित वन विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

*174. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिए नई समेकित विकास परियोजना जिसकी लागत का अनुमान 30 करोड़ रुपये हैं, वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बात क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना से अतिरिक्त कच्चा माल उपलब्ध होने और वनों के दुर्गम आन्तरिक भागों को सड़कों द्वारा जोड़ दिए जाने के फलस्वरूप अब तक अप्रयुक्त पड़ी औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) 2,20,000 हैक्टार में शीघ्र विकसित होने वाली आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की विभिन्न किस्मों की रोपाई ।

(2) काष्ठ निष्कासन की आधुनिक विधियों का प्रचलन

(3) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय वनों में ट्रकों के आवगमन के लिए उपयुक्त सड़कों का निर्माण ।

(ग) जी हां ।

सी० जी० एच० एस० डाक्टर्स एसोसियेशन, दिल्ली के ज्ञापन

*175. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी० जी० एच० एस० डाक्टर्स एशोशियेशन, दिल्ली से इस आशय का कोई ज्ञापन तथा सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने तथा उनकी आधार-भूत मांगों को कार्यरूप देने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने डाक्टरों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) एसोसिएशन की मांगें मुख्यतः चिकित्सा अधिकारियों के कार्यभार, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के काम करने के समय, जनरल ड्यूटी अफसरों द्वारा औषधियों के नुसखों पर प्रतिबन्ध, चिकित्सा अधिकारियों की अपने निवास स्थानों के समीप नियुक्ति तथा "औषधालयों" के नाम में परिवर्तन आदि के बारे में हैं ।

(ग) इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

देश के चिरकालिक सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान

*176. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिरकालिक सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र

द्वारा चौथी योजना में स्वीकृत स्कीमों की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का हल करने के लिए केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण

निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के लिए ग्रामीण निर्माण की एक केन्द्रीय-क्षेत्र योजना वर्ष 1970-71 के दौरान शुरू की गई थी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले 54 चुनिंदा जिलों में मध्यम । लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनारोपण तथा ग्रामीण सड़कों आदि जैसी श्रमोन्मुखी और उत्पादनशील योजनाएं शुरू की जा रही हैं । वर्ष 1970-71 के दौरान राज्यों को स्वीकृत योजनाओं के लिए 13.85 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की मंजूरी दी गई थी । राज्य सरकारों की सूचनानुसार वास्तविक व्यय 6.48 करोड़ रुपये हुआ है । चालू वित्तीय वर्ष में अब तक स्वीकृत योजनाओं के लिए 22.29 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की स्वीकृति दी गई है । राज्यों से वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के विषय में विस्तृत रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

तमिलनाडु में परिवहन का राष्ट्रीयकरण

*177. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार का विचार राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सड़क यात्री

परिवहन सेवाएं प्रग्रामी रूप से तमिलनाडु में युक्तियुक्त की जा रही है। ऐसे सभी परिवहन उपक्रमों के यात्री परिवहन प्रभागों जिनके पास 19 जून, 1971 का 50 या अधिक बस परमिट हैं के प्रबन्ध ग्रहण को सुगम करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में विधान बनाया है।

(ख) तमिलनाडु में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव

*178. **श्री भानसिंह भौरा :**
श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित कर दिये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हाल ही में हुए "भारतीय भोजन में गेहूं" सम्बन्धी गोष्ठी में गेहूं बोर्ड स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था।

(ख) और (ग). सरकार ने इस प्रस्ताव की अभी जांच करनी है।

गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाना

*179. **श्री एस० एस० बनर्जी :**
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्ने के मूल्यों को बढ़ाने की मांग को नामंजूर कर दिया है और 1971-72 की फसल के लिए वर्तमान सांविधिक न्यूनतम मूल्य जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों की सर्वसम्मत मांग के बावजूद भी गन्ने के मूल्यों को न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय. सरकार ने सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद 1971-72 मौसम के लिए गन्ने का मूल्य न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत अथवा उसपर कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल जारी रखने का निर्णय लिया है लेकिन उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए मूल्य में 6.6 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की भी व्यवस्था है। इस निर्णय के निम्नलिखित कारण हैं :

1 गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि से चीनी के मूल्यों में और बढ़ोत्तरी हो जाती।

2 गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने से अन्य प्रतिस्पर्धा फसलों के मूल्यों पर प्रतिक्रिया होती और इससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता।

3 चीनी कारखानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक गन्ने का मूल्य देना चाहिए क्योंकि चीनी मूल्यों के मौजूदा स्तर पर उन्हें अधिक वसूली हो रही है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व युवक केन्द्र के बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अनुदान का उपयोग

*180. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र के बोर्ड आफ ट्रस्टीज ने उस भूमि तथा नकद अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं दिया है जिसके लिए इस संस्था को सरकार ने यह दिया था ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

994. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स का कार्यालय

995. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम का प्रशासनिक कार्यालय नई दिल्ली में काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली प्रतिष्ठान पर प्रति वर्ष कुल कितनी धन राशि खर्च हो रही है ; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों ने 1969 से यात्रा-भत्ते के रूप में कुल कितनी धन-राशि प्राप्त की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की स्थापना पर हुआ कुल व्यय (यात्रा भत्ता सहित) इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये
1969-70	1,91,661.92
1970-71	2,20,678.17

साक्षात्कार के लिए बुलाये गए उम्मीदवारों को दिया गया यात्रा भत्ता इस रकम में शामिल नहीं है।

(ग) सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 1969-70 और 1970-71 में लिया गया यात्रा भत्ता इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये
1969-70	9,305.00
1970-71	16,487.00

भारतीय खाद्य निगम, केरल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

996. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने अक्तूबर, 1971 के दौरान हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस मामले में समझौता करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नियंत्रित एवं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क को समान किया जाना तथा चीनी का सुरक्षित भंडार

997. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री नियंत्रित खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क को समान किया जाना तथा चीनी के सुरक्षित भंडार के बारे में 1 अप्रैल, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) से (ग). चीनी के मूल्य, संचलन और वितरण पर से नियंत्रण 25 मई, 1971 से हटा लिया गया था। उक्त तारीख के बाद सभी प्रकार की चीनी पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत का समान उत्पादन-शुल्क लगाया जा रहा है।

सरकार कारखानों द्वारा बिक्री के लिए चीनी की निर्मुक्ति का विनियमन करती रही है और सूझ-बूझ के साथ की गई निर्मुक्ति की हर प्रक्रिया द्वारा वह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार-

खानों के पास भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित मात्रा में पर्याप्त आरक्षित स्टाक पड़ा रहे । चीनी के विनियंत्रण के बाद भी इस प्रक्रिया का चलन जारी रखा जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र

998. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री संयुक्त राष्ट्र ऐजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में 23 फरवरी, 1970 अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानकारी एकत्र कर ली गई है जिसका वचन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा चुकी है और 16 अक्तूबर, 1971 को दी जा चुकी है तथापि सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1068/71]

आसाम में चीनी और वनस्पति की कमी

999. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम में चीनी और वनस्पति की भारी कमी है और इन दोनों वस्तुओं का काला बाजार मूल्य सामान्य जनता की शक्ति से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो चीनी और वनस्पति की कमी होने और उनके मूल्य असाधारण रूप से बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) चीनी और वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) असम में इस समय चीनी की कोई कमी नहीं है । सितम्बर से असम को चीनी भेजने का कार्य बहुत संतोषनक रूप से हो रहा है । जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है, असम को जाने वाली सप्लाई में कुछ विघ्न पैदा हो गया था क्योंकि रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल और बाढ़ों के कारण यातायात छिन्न-भिन्न हो गया था, लेकिन संचार व्यवस्था के चालू होने से स्थिति में सुधार हो गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चीनी के बारे में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं जोकि भारत भर में लागू होंगे—

(1) चीनी कारखानों के पास यदि वैध निर्मुक्ति आदेश के प्रति चीनी का बिना बिका स्टाक उपलब्ध है तब उन्हें लाइसेंस शुदा व्यापारियों को चीनी बेचने से इन्कार करने की मनाही कर दी गई है।

(2) चीनी कारखानों को बिक्री के लिए निर्मुक्त अपने मासिक कोटे की कम से कम 20 प्रतिशत चीनी सप्ताह अवधि में बेचनी होगी।

(3) चीनी कारखानों द्वारा व्यक्तिगत लाइसेंसशुदा व्यापारियों को चीनी भेजने या उसकी सुपुर्दगी देने की मात्रा प्रत्येक सप्ताह अवधि में 2,200 क्विंटल तक सीमित कर दी गई है।

(4) लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों द्वारा किसी एक समय में रखे जाने वाले स्टाक पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं। इसकी अधिकतम सीमा कलकत्ता में चीनी के आयातकों के मामले में 7,500 क्विंटल और एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में चीनी के लाइसेंसशुदा व्यापारियों के मामले में 250 क्विंटल के बीच है।

(5) चीनी के व्यापारियों को चीनी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाली पेशगियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है, उसका अधिकतम बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। असम को पड़ोसी राज्यों में स्थित कारखानों से 140 मी० टन वनस्पति भेजने के प्रबन्ध किए गए थे। रेलवे प्राधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे असम को वनस्पति भेजने के लिए अग्रता के आधार पर वैगन आवंटित करें।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के स्नातकोत्तर अध्यापक

1000. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के स्नातकोत्तर अध्यापकों के बारे में 23 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति, विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, हां !

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सब विषयों में अलग स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद हैं;	(क), (ख) और (ग) : एक सूची संलग्न है जिसमें दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की गई है।
(ख) उपरोक्त पदों में से विषयवार स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद स्थायी हैं;	
(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में स्नातकोत्तर अध्यापकों की विषयवार संख्या क्या है; और	
(घ) स्थायी पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के स्नातकोत्तर अध्यापकों की संख्या क्या है ?	(घ) कुछ नहीं।

विवरण

विषय	(क) स्नातक अध्यापकों के पदों की विषय-वार संख्या	(ख) उत्तर स्नातक अध्यापकों के स्थायी पदों की विषयवार संख्या	(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिवासी से सम्बन्धित उत्तर स्नातक अध्यापकों की विषयवार संख्या
1. अंग्रेजी	444	104	3
2. गणित	207	75	...
3. भौतिकी	152	27	2
4. रसायन	202	52	7
5. जीव विज्ञान	124	15	3

विषय	(क) स्नातक अध्यापकों के पदों की विषयवार संख्या	(ख) उत्तर स्नातक अध्यापकों के स्थायी पदों की विषयवार संख्या	(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिवासी से सम्बन्धित उत्तर स्नातक अध्यापकों की विषयवार संख्या
6. वाणिज्य	86	14	1
7. अर्थशास्त्र	257	84	8
8. नागरिक शास्त्र	225	22	8
9. इतिहास	227	87	7
10. भूगोल	27	7	...
11. हिन्दी	296	106	7
12. संस्कृत	171	26	3
13. पंजाबी	95	...	...
14. फारसी	1	1	...
15. मनोविज्ञान	1	...	...
16. उर्दू	2	1	...
17. कृषि	15	1	...
जोड़	2452	622	49

बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति में धर्म परिवर्तित लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं और सरकारी क्षेत्र में संरक्षण

1001. **श्री अम्बेश :क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री 23 जुलाई, 1971 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5772 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तित लोगों के लिये शैक्षणिक और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों पर मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों की रियायत उन्हीं शर्तों पर देने का निर्णय किया गया है, जिन पर कि वे अनुसूचित जातियों को दी जाती है। इस सम्बंध में आदेश 30 अक्तूबर, 1971 को जारी किए गए थे ।

Transfer of Delhi Corporation Schools to Delhi Adminisrtation

1002. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4457 on the 28th August, 1970 regarding transfer of Delhi Corporation Schools to Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information asked for therein has been collected by Government;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not, the time by which the said information would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D.P. Yadav) : (a) Yes. Sir.

(b) A statement is attached.

(c) Does not arise.

Statement

Question	Answer
(a) Whether the Secondary and Higher Secondary Schools of the Delhi Municipal Corporation have been transferred to the Delhi Administration from July, 1970;	(a) Yes, Sir.
(b) whether the trained Graduate teachers of the Primary Schools of the Delhi Municipal Corporation used to be promoted to the Secondary and Higher Secondary schools;	(b) Yes, Sir.
(c) whether after the transfer of the said Secondary and Higher Secondary Schools to the Delhi Administration, these trained Graduate teachers of the Primary Schools of the Corporation would continue to get promotions as before;	(c) No, Sir.

(d) if not, whether a decision to find out some other avenue of promotion for these trained Graduate teachers of the Primary Schools has been taken; and

(e) if so, the details thereof and, if not, the easons therefor ?

(d) & (e). Under the terms and conditions of transfer, the Recruitment Rules were to be suitably amended to provide for due weightage to the experience of teaching in primary Schools and to allow relaxation of age. Accordingly the Delhi Administration have made the following amendments in the Recruitment Rules.

(i) Relaxation in age has been given in case of teachers of primary schools of Local Bodies of the Union Territory of Delhi by one year for every year of service rendered in respect of recruitment of trained Graduate Teachers and Language Teachers.

(ii) Relaxation has been given in the condition of 45% of marks in the aggregate of B.A B.Sc. examination in case of teachers of primary Schools of Local bodies of the Union Territory of Delhi in respect of recruitment of trained graduate teachers.

(2) 25% of the vacancies have been reserved for filling up from amongst qualified Primary Teachers of the Delhi Municipal Corporation on seniority-cum eligibility basis, after allowing 10% vacancies for Departmental quota. This year 36 Assistant Teachers of the Delhi Municipal Corporation have been appointed to the post of T.G.Ts. and Language Teachers accordingly.

मार्च, 1971 में हुए आम चुनावों का अध्ययन करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा सहायता

1003. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1971 में हुए आम चुनावों का अध्ययन करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सहायता में से कितनी प्रतिशत सहायता "सेन्टर फार स्टडी आफ डिवलिपग सोसाइटी" को दी गई;

(ख) क्या उक्त सेन्टर ने इससे पूर्व निर्वाचक संबंधी राजनीतिक सर्वेक्षण के बारे में एकत्रित आंकड़े पेन्टागन से सम्बद्ध अमरीकी कैम्पस को भेज दिए थे, और

(ग) क्या उक्त सेन्टर का निदेशक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का सदस्य है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) लगभग 50 प्रतिशत इस केन्द्र को आम चुनाव का राष्ट्रीय अध्ययन का कार्य सौंपा गया था, जिसमें लगभग 5000 व्यक्तियों से साक्षात्कार सहित 15 प्रतिशत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे।

(ख) 1967 के चुनावों में इस केन्द्र ने केलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा अन-अरबोर के मिचीगन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विभागों से सहयोगात्मक अध्ययन किया था। अत: इस अध्ययन के लिए तैयार किये गए आंकड़ों में इन विभागों का भी भाग है। सरकार को, इन संस्थाओं का पेन्टागन से किसी प्रकार के सम्बद्ध होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, हां।

सड़क द्वारा माल भेजने को सुविधाजनक बनाने की पद्धति

1004. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों में सड़क द्वारा माल भेजने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई पद्धति चालू करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं और वह पद्धति किन राज्यों में लागू की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). गत वर्षों में लम्बी दूरी वाले अंतर्राज्य मार्गों पर सड़क द्वारा माल भेजने को सुविधाजनक बनाने के लिये कई क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में अन्तर्राज्य परिवहन आयोग कार्य कर रहा है। इनमें से दक्षिणी क्षेत्रीय परियोजना, 1 जनवरी, 1967 से प्रवृत्त की गई है। इसमें महाराष्ट्र, मैसूर, आंध प्रदेश, तामिल नाडू और केरल के पांच राज्य शामिल हैं। इन पांच राज्यों के बीच एक विशेष पारस्परिक करार हुआ है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

(i) इस करार के अंतर्गत चल रही गाड़ियां उक्त पांच राज्यों के कुछ निर्दिष्ट मार्गों पर बिना प्रति हस्ताक्षर प्राप्त किये माल ला ले जा सकेंगी और एक तरफा कराधान आधार पर चलाई जा सकेंगी।

(ii) करार पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(iii) प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता राज्य ने सार्वजनिक गाड़ियों के संबंध में संयुक्त परमिट जारी करने थे जिनकी संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। उक्त परमिट करार में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के लिए ही मान्य हैं।

(iv) इस परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही गाड़ी को, अपने राज्य के मोटर गाड़ी कर तथा माल कर के अलावा गृह राज्य के अतिरिक्त चार हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों में से प्रत्येक को 500/–रुपये की रकम प्रति वर्ष अदा करनी होगी।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग के उपक्रम पर महाराष्ट्र, मैसूर, तामिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के पांच राज्यों ने 1 जनवरी, 1972 से पांच वर्ष की अगली अवधि के लिए मौजूदा करार को बढ़ाने की अब सहमति प्रकट कर दी है।

पश्चिमी क्षेत्रीय परियोजना में जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित आठ राज्य संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे :—

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली।

इस परियोजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :–

(i) इस परियोजना के अंतर्गत मालगाड़ियों को सदस्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये बिना ही चलाया जा सकता है और वे इक तरफा कराधान के आधार पर चलाई जा सकेंगी।

(ii) प्रारंभ में उक्त परियोजना दो वर्ष के लिए मान्य होगी।

(iii) प्रत्येक सदस्य राज्य 200 तक संयुक्त परमिट जारी करेगा।

(iv) प्रचालक को गाड़ी चलाने के लिए अपने राज्य के अलावा कम से कम तीन अन्य राज्य चुनने की अनुमति रहेगी।

(v) प्रचालक अपने राज्य के सामान्य कर (अर्थात् मोटर गाड़ी कर तथा माल कर) अदा करेगा और इनके अलावा उसे परिचालन के लिए अन्य चुने हुए तीन सदस्य राज्यों में से प्रत्येक को संयुक्त कर के रूप में 700 रुपये प्रतिवर्ष देने होंगे। प्रारम्भ में अन्य राज्यों की ओर से अपना राज्य, सभी करों की वसूली करेगा।

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने पहले ही से इस परियोजना में शामिल होने की सहमति प्रकट कर दी है और उक्त योजना के, 1972 के प्रारम्भ में प्रवृत्त होने की आशा है।

उत्तरी क्षेत्रीय परियोजना में, जिसको कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित नौ राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे :—

जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल उत्तरी क्षेत्रीय परियोजना लगभग पश्चिमी क्षेत्रीय सीमा की तरह ही क्रियान्वित होगी। सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने, सिद्धान्त रूप से, इस योजना में शामिल होने की अपनी सहमति प्रकट की है और अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने सदस्य यूनिटों की स्वीकृति के लिए नवम्बर, 1971 के पहले सप्ताह में पारस्परिक करार का अन्तिम मसौदा परिचालित कर दिया है। आशा है कि परियोजना 1972 के प्रारम्भ में लागू कर दी जायेगी।

दक्षिणी क्षेत्रीय परमिट परियोजना के समान ही अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना भी शुरू की है जिसमें निम्न पांच राज्य शामिल होंगे :—

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल। उक्त राज्यों ने सिद्धान्त रूप में, इस परियोजना में शामिल होना स्वीकार कर लिया है।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने मई, 1969 में दक्षिणी क्षेत्रीय परियोजना के नमूने पर, पूर्वी क्षेत्रीय योजना का गठन करने का भी प्रस्ताव किया था। इसमें बिहार, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मनीपुर तथा नेफा राज्यों को सम्मिलित करने का विचार है।

दूर पूर्वी परियोजना क्षेत्र में अन्तर्राज्य संचलन के बोझ को हल्का करने के लिए एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परियोजना को तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। जिसमें आसाम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मनीपुर नेफा तथा मेघालय राज्य शामिल होंगे। प्रस्तावित भाग लेने वालों के साथ उक्त परियोजनाओं का अनुसरण किया जा रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल) के अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

1005. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी रिक्त स्थानों पर सीधी भर्ती को रोकने का प्रस्ताव इस समय प्रक्रम में है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग सेवा द्वितीय श्रेणी की अस्थायी तथा स्थायी दोनों ही रिक्तियों में सीधी भर्ती को निम्नलिखित शर्तों पर 7 वर्षों की अवधि के लिए निलम्बित करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है :—

(i) जूनियर इंजीनियर (तृतीय श्रेणी) के स्तर पर भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर की जाये;

(ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (जूनियर प्रथम श्रेणी) के स्तर पर सीधी भर्ती के कार्यक्रम को क्रमावस्था के अनुसार बढ़ाना;

सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करके इन शर्तों को पूरा करने के लिये कार्यवाही पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण की अवधि निर्धारित करना

1006. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण की अवधि निर्धारित करने के बारे में 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद जैसे जूनियर एसिस्टेंट इंजीनियर, एसिस्टेंट इन्जीनियर से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीयर से सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर आदि के पदों पर पदोन्नत करते समय स्थानान्तरण की अवधि निर्धारित करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में कार्यकाल सम्बन्धी नियमों को प्रायः एक स्थान विशेष पर किसी अधिकारी के निरन्तर ठहरने की कुल अवधि के सन्दर्भ में लागू किया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियरों के वेतन मान

1007. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के विभागों और अन्य मंत्रालयों जैसे रेलवे, एम० ई० एस०, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और औद्योगिक विकास और समवाय कार्य के वर्तमान जूनियर इन्जीनियरों के वेतनमानों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनमानों, उनके कर्त्तव्यों और भविष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त असमानता कब तक दूर किए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

शुष्क पत्तनों का निर्माण

1008. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने शुष्क पत्तनों के निर्माण की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) देश में सूखी गोदी और पोत मरम्मत की सुविधाओं के प्रश्न पर स्थायी समिति के पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत अनुषंगी उपसमिति द्वारा जाँच की गई है। सरकार को प्रस्तुत करने से पहले रिर्पोट पर स्थायी समिति द्वारा उप समिति की रिर्पोट पर विचार किया जाना है।

(ख) प्रश्न इस समय नहीं उठता।

सहायक उपकरणों की अनियमित सप्लाई के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों की डिलीवरी में विलम्ब

1009. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्माताओं द्वारा सहायक उपकरणों की अनियमित सप्लाई किए जाने के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों की डिलीवरी में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) देश में उपकरण संबंधी बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कार्य अभी तक सुनिश्चित रूप से नहीं हो पा रहा है और उन कठिनाइयों से पूरी तरह बच जाना संभव नहीं है जिनके सम्बन्ध में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

(2) कई बार उन कारणों से देरी हो जाती है जो कि निर्माता के वश में नहीं है, अर्थात् मजदूरों की तरफ से होने वाली गड़बड़ी या इस्पात व कम सप्लाई वाले अन्य पदार्थों की सप्लाई में देरी।

(3) कुछ मामलों में निर्माता को कुछ घटकों के लिए अन्य देशी या विदेशी निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

(4) आर्डर प्राप्त करने के लिए कभी कभी देशी फर्म झूठी वितरण तारीखों का वादा कर देती हैं और जिन्हें वे निभाने में विफल रहती हैं।

(ग) उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि ऐसे विलम्ब की हमेंशा के लिए दूर कर देना सम्भव नहीं है। फिर भी यह देखने के लिए कि देशी फर्म वितरण शर्तों का कहां तक पालन कर सकती है और उनकी इस क्षमता में कैसी प्रगति रहती है, सरकार ने हाल ही में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है।

दिब्रूगढ़ में छात्रावास बनाने के लिये कालेजों को अनुदान

1010. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में दिब्रूगढ़ जिले के उन कालेजों के नाम क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में छात्रावास आदि बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिए गए हैं; और

(ख) दिब्रूगढ़ जिले के उन कालेजों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अभी भी विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) डिगबोई कालेज, डिगबोई।

(ख) नाहरकीतिया कालेज, नाहरकीतिया।

गौहाटी में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कार्यालय भवन के स्थान पर पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना

1011. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करें े कि :

(क) क्या गौहाटी में उस स्थान पर महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोज की गई है जहां रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कार्यालय भवन बनाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान की खुदाई के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). गोहाटी शहर में अम्बरी नामक स्थान पर मार्च, 1969 में नये रिज़र्व बैंक भवन की नींव खोदते समय कुछ प्राचीन मूर्तियां तथा संरचनाएं प्राप्त हुई थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्वीकृति से, 1969 में, गोहाटी विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रारंभिक खुदाई का संचालन किया, जिसमें हिन्दु मूर्तियों तथा अन्य अवशेषों, जिनमें ईसा की लगभग

नवीं शताब्दी के निश्चित किए गए मिट्टी के बर्तन भी थे, को काफी संख्या में खोद कर निकाला गया। 1970-71 के दौरान, दक्कन कालेज, पूना के सहयोग से गोहाटी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा खुदाई का एक नियमित कार्यक्रम शुरू किया गया था, तथा खुदाई में पाई गई वस्तुओं, जिनमें ईंट-संरचनाएं तथा मिट्टी के बर्तन जैसे अवशेष भी शामिल थे, की दो संरचनात्मक अवधियां, जिनमें से एक ईसा की सातवीं से बारहवीं शताब्दी की तथा दूसरी ईसा की तेरहवीं से सतारहवीं शताब्दी की पहचानी गई हैं। राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से गोहाटी विश्वविद्यालय का विचार पहले कार्य को जारी रखते हुए इन सदियों में समतल खुदाई शुरु करने का है।

(ग) इस खुदाई के लिए गोहाटी विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता दी थी। इन खुदाइयों पर अब तक कुल किए गए व्यय को उनसे सुनिश्चित किया जा रहा है।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में रुई का उत्पादन

1012. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री० डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1970-71 और 1971-72 में कितनी रुई का उत्पादन हुआ ; और

(ख) देश में रुई के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसके आयात में कमी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान कपास का उत्पादन 45.56 लाख गांठ था। वर्ष 1971-72 के उत्पादन के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कपास के उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात को कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास के लिये अनुसंधान कार्य को गतिमान करना ;

(2) सिंचाई तथा सुनिश्चित वर्षा वाले चुने हुए क्षेत्रों में कपास की सघन खेती करना ;

(3) मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के चुने हुए जिलों में सघन कपास जिला कार्यक्रम ;

(4) संकर-4, अधिक उत्पादनशील संकर कपास का विकास तथा विस्तार;

(5) भूमि । हवाई छिड़काव द्वारा अभियान के रूप में कीट तथा बीमारियों का नियंत्रण ; और

(6) आन्ध्र प्रदेश की नागर्जुन सागर परियोजना, मैसूर की तुंगभद्रा परियोजना तथा राजस्थान का राजस्थान नहर जैसी सिंचित परियोजनाओं के अन्तर्गत कपास का विकास।

कानूनी विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाना

1013. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने देश में जन्म दर पर नियन्त्रण रखने के लिए कानूनी विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1971 में जयपुर में हुई अपनी बैठक में परिषद ने यह निश्चय किया है कि (1) एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए कि लोग बड़ी आयु में विवाह करने के पक्ष में हों राज्यों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उचित उपाय किए जाएं ; और (2) परिषद् के पूर्व प्रस्तावों के अनुसार बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में भारत सरकार शीघ्र संशोधन करे।

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के संशोधन के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गुजरात में कपास का उत्पादन और उसमें आत्मनिर्भरता

1014. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री डो० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में रुई का अधिकतम उत्पादन करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को गुजरात राज्य में वर्ष 1968-69 में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1970-71 में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) 1968-69 और 1970-71 में कपास का उत्पादन करने के लिए राज्य के कार्यक्रम के अधीन कुल कितने क्षेत्र में कपास बोया गया है; और

(ङ) रुई का आयात कम करने तथा भारत को रुई उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). सन् 1968-69 तथा 1970-71 के दौरान गुजरात राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कपास सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1968-69	54,000 हैक्टार	53,584
1970-71	54,000 हैक्टार	53,980

इससे यह पता चलेगा कि निर्धारित लक्ष्य अधिकांशतः प्राप्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी समन्वित कपास विकास योजना के अन्तर्गत आदानों का वितरण शुरू कर दिया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य के कपास विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये उपायों के परिव्ययस्वरूप सन् 1966-67 में कपास की प्रति हैक्टार उपज 149 कि० ग्राम से बढ़कर सन् 1970-71 में 179 कि० ग्राम हो गई।

(ङ) कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये जा रहे कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) अधिक उत्पादनशील किस्मों को विकसित करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य को गतिमान करना।

(ii) सिंचाई तथा निश्चित वर्षा की परिस्थितियों के अनुसार चुने हुए क्ष त्रों में कपास की सघन खेती करना।

(iii) भूमि तथा हवाई छिड़काव के माध्यम से अभियान आधार पर कीटों तथा रोगों पर नियंत्रण करना।

(iv) संकर-4 कपास-एक अधिक उत्पादनशील किस्म का विकास तथा विस्तार करना।

(v) आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना में मैसूर तथा राजस्थान नहर में तुंगभद्रा परियोजना में सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत कपास का विकास करना।

(vi) इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में चुने हुए जिलों में सन् 1971-72 के बाद एक सघन कपास जिला कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

गुजरात में भूमिगत जल सम्बन्धी अध्ययन

1015. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और अन्य राज्यों में भूमिगत जल का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 1968-69 में भूमिगत जल सर्वेक्षण के एकक स्थापित किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत जल का जितना सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के लिए उक्त अध्ययन कहां तक लाभप्रद सिद्ध हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गुजरात में तरतीब वार भूमिगत जल अध्ययन के लिए मार्च 1970 में भूमिजल विज्ञान सर्वेक्षण एककें स्थापित की गई है।

(ख) तरतीबवार भूमिगत जल सर्वेक्षण के अधीन 4,000 वर्ग एकड़ में सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(ग) किये गए भूमिगत जल अध्ययनों से राज्य को कूपों और नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का आयोजित लाभ उठाने में सहायता मिली है। असफल कूपों की प्रतिशतता में कमी हुई है। जहां खारी जल होने के कारण भूमिगत जल विकास नहीं किया जा सकता वहां लवणीय क्षेत्रों को बंद करके केवल स्वच्छ जल क्षेत्रों का लाभ उठाया जा सकता है। भूमिगत जल अध्ययन से राज्य के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल के शीघ्र कम होने के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिली है और इससे अधिक जल प्रयोग न करने के लिए उपाय किये जा सकते हैं। राज्य भूमिगत जल कक्ष ने अभी तक कृषि पुनर्वित्त निगम और गहन विकास क्षेत्र योजनाओं के लिए 14 क्षेत्रों और पम्पसैटों को बिजली देने के लिए 10 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें अनुमोदित कराने में सहायता दी है।

अन्य राज्यों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए भगवती समिति का प्रतिवेदन

1016. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री अंतर्देशीय जल परिवहन

समिति के प्रतिवेदन के बारे में 28 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित शेष योजनाओं को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : प्रश्न गत शेष योजनाओं में से 35.39 लाख रुपये (जबकि भगवती समिति ने 36.37 लाख रुपये का अनुमान लगाया था) की लागत की योजनाएं अब मंजूर हो चुकी हैं। शेष योजनाएं अभी राज्य सरकारों आदि के परामर्श से विचाराधीन हैं, कितना समय लगेगा यह बताना संभव नहीं है क्योंकि मुख्यत: राज्य सरकारें यह बताने में असमर्थ रही हैं कि किस तारीख तक अंतिम विचार केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच जाएंगे।

राज्यों में छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के अधीन क्षेत्र

1017. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सभी राज्यों में राज्यवार, छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के अधीन कितने नये अतिरिक्त क्षेत्र को लाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : वर्ष 1970-71 के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत आया अतिरिक्त क्षेत्र (प्रत्याशित) विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम			वर्ष 1970-71 की अवधि में प्रत्याशित
1. आन्ध्र प्रदेश	...	...	48.97
2. असम	...	...	26.00
3. बिहार	...	...	116.00
4. गुजरात	...	...	90.00
5. हरियाणा	...	...	78.00
6. हिमाचल प्रदेश	...	...	1.90
7. जम्मू तथा कश्मीर	...	...	6.00

राज्य का नाम			वर्ष 1970-71 की अवधि में प्रत्याशित
8. केरल	...	...	9.70
9. मध्य प्रदेश	...	...	99.00
10. महाराष्ट्र	...	...	102.00
11. मेघालय	...	...	1.30
12. नागालैंड		...	1.60
13. मैसूर		...	49.00
14. उड़ीसा	...	...	14.00
15. पंजाब	...	...	158.00
16. राजस्थान	...	...	40.00
17. तमिलनाडु	...	...	100.00
18. उत्तर प्रदेश	...	...	480.00
19. पश्चिम बंगाल	...	...	60.00
समस्त राज्य	...	...	1481.37

पूर्वी जर्मनी के दोषपूर्ण ट्रैक्टरों की मरम्मत करने के उपरान्त भी वापिस करने की शर्त

1018. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी के ट्रैक्टरों में कतिपय सुधार करने के उपरान्त भी उनमें दोष विद्यमान हैं;

(ख) क्या पूर्वी जर्मनी की सरकार ने एक नई शर्त यह लगाई है कि ट्रैक्टरों की जांच करने से पूर्व 8 प्रतिशत ह्रास मूल्य के अतिरिक्त प्रति ट्रैक्टर 6,500 रुपये कम कर दिये जायें; और

(ग) क्या सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है; और यदि हां, तो ऐसे ट्रैक्टरों के

क्रेताओं को कुल कितनी हानि उठानी पड़ेगी और जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य ने ऐसे कितने ट्रैक्टरों को वापिस लेना स्वीकार किया है और शेष कितने ट्रैक्टरों की जांच की जानी है तथा उन्हें वापिस किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कृषि मंत्रालय को सूचित किया गया था कि पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों ने लागत-भाड़ा मूल्य पर ४ प्रतिशत ह्रास के अतिरिक्त प्रति आर० एस०-09 ट्रैक्टर 6,500 रुपये कम करने की पूर्व शर्त लगाई थी । पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधि द्वारा लगाई गई यह शर्त स्वीकार नहीं की गई । परन्तु इस मामले को हल करने के लिये सलेख में दी गई व्यवस्था के अनुसार यह मामला तकनीकी समिति को सौंप दिया गया था । सामान्य मरम्मत के कारण प्रति ट्रैक्टर औसत कमी लगभग 600 रुपये हैं । पूर्वी जर्मनी से 1,998 ट्रैक्टर आयात किये गये थे । प्रथम सलेख में लगभग 550 ट्रैक्टरों की व्यवस्था थी । इनमें से अब तक 485 ट्रैक्टरों का निरीक्षण किया गया है और पूर्वी जर्मनी के सम्भरण कर्त्ताओं, के प्रतिनिधियों ने इन्हें वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान की है । शेष ट्रैक्टरों की वापसी के बारे में बातचीत चल रही है ।

मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

1019. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए एकीकृत भूमि वितरण और ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम

1020. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी जोतों की असमर्थता और भूमिहीन श्रमिकों की घोर निर्धनता को दूर करने हेतु एकीकृत भूमि वितरण और ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक छोटे किसानों तथा ग्रामीण जनता के उन वर्गों को, जिन्हें सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, विकास के लाभ पहुंचाना है। पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले छोटे किसान और कृषि श्रमिक कुल ग्रामीण परिवारों में से क्रमश: 52 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम चौथी योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। सम्भवत: ये कार्यक्रम इन वर्गों के लिए अधिक रोजगार अर्जित कर सकेंगे और समय के साथ साथ इन क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में तीव्रता आ जाएगी।

उन छोटे किसानों की बड़ी संख्या हैं, जो इस समय विकास सक्षम नहीं हैं, किन्तु उनके पास पर्याप्त भूमि संसाधन है और यदि वे उन्नत तकनोलौजी को अपनाए तो विकास सक्षम किसान बन सकते हैं। इस वर्ग के किसानों के विकास के लिए, 46 परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में शुरू की जा रही हैं। इसके लिये चौथी योजना परिव्यय 67.50 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में प्रयत्नों को संगठित करने का उद्देश्य है ताकि सक्षम विकासशील किसानों को आदान, ऋण सेवायें तथा सप्लाई पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जा सके। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सघन कृषि करना है। सक्षम विकासशील छोटे किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सीमांकित किया जा रहा है। यह सिंचित क्षेत्रों तथा असिंचित क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है। व्यापकरूप से इस वर्ग में स्थानीय समायोजन सहित 2.5 से 5 एकड़ की जोत भूमि आ जाती है। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत एक जिला या उसका एक भाग आता है। और उसमें लगभग 50,000 परिवार आते हैं। चौथी योजना के दौरान प्रत्येक एजेन्सी के लिए वित्तीय व्यवस्था 1.50 करोड़ रु० है।

सक्षम विकासशील किसानों के अतिरिक्त, ऐसे बहुत छोटे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनकी अपनी भूमि बहुत सीमित है और जिनकी आय को आवश्यक रूप से सहाय्य कारोबार तथा फार्म श्रम द्वारा अनुपूरित करना होता है। इन सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों की भलाई के लिये 41 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए कुल चतुर्थ योजना परिव्यय 47.50 करोड़ रु० है। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत एक जिला या एक जिले का एक भाग आता है जिसमें लगभग 20,000 परिवार होते हैं। कुछ परियोजनाओं के अन्तर्गत आया हुआ क्षेत्र दो जिलों का एक सघन और समीपस्थ क्षेत्र होता हैं। यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से विपणन तथा निर्माण कार्यों में निहित होता है। इन परियोजनाओं के लिये क्षेत्रों का चयन उत्पादकों हेतु मांग के केन्द्रों की उपलब्धि से सम्बधित होता है। इन परियोजनाओं से लाभ उठाने वाले वे सीमान्त किसान हैं जिनके पास 2.5 एकड़ जोत भूमि है और कुछ कृषि श्रमिकों के परिवार हैं।

यद्यपि कुछ भाग लेने वालों को सघन कृषि करने के योग्य बनाया जा रहा है तथापि इन कार्यक्रमों में मुख्यरूप से डेरी, मुर्गीपालन, सूअरपालन, भेड़ पालन आदि सहायक धन्धों पर बल दिया जा रहा है। पूर्णत: भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम मौजूद हैं। चौथी योजना में प्रत्येक परियोजना के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

सूखे क्षेत्रों के किसानों के लिए उन क्षेत्रों में जहां बारानी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है

चौथी योजना के दौरान एक समेकित बारानी कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अन्ततः 24 मार्ग-दर्शी परियोजनायें तैयार करने का विचार है। इस योजना के लिए कुल चौथी योजना उपबन्ध 2. करोड़ रुपये का है।

गैर-योजना कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में उन क्षेत्रों में जो प्रायः सूखे से प्रभावित होते रहते हैं, ग्राम्य निर्माण परियोजनायें शुरू की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थायी तौर से नागरिक निर्माण कार्य सर्जित करना है जिससे कि सूखा पड़ने पर उसका प्रभाव कम हो सके और ग्रामीण परिवार को रोजगार प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम के अनुसार 54 जिलों में कार्य किया जाएगा। इस योजना के लिये चौथी योजना में कुल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा रोजगार की कमी की मौजूदा परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि देश के समस्त जिलों में अनिवार्य रूप से श्रम प्रधान परियोजनाओं को चलाने के लिए एक योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जानी चाहिए। यह योजना अप्रैल, 1971 से चालू हुई थी और चौथी योजना के अन्त तक चलेगी। इस योजना पर सम्भवतः 50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। इस योजना में उन परियोजनाओं की क्रियान्विति के माध्यम से रोजगार की सीधी उपलब्धि निहित है जो देश के समस्त जिलों में अनिवार्य-रूप से श्रम-प्रधान है। इस योजना का दोहरा प्रयोजन है। प्रथम, प्रत्येक परियोजना के अनुसार प्रत्येक जिले में हर वर्ष दस महीने के काम के मौसम में औसतन 1,000 लोगों को निरन्तर रोजगार दिया जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक परियोजना स्थानीय विकास योजनाओं की अनुरूपता में स्थायीरूप से निर्माण कार्य करेगी।

राज्य सरकारों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाये जाने से भी पुनः वितरण के लिये कुछ भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है।

गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण उत्पादकता और मूल्यों के संदर्भ में चीनी उद्योग में संकट की स्थिति

1021. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता और मूल्यों के संदर्भ में चीनी उद्योग में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है और यह कमी भूमि में अन्य फसलें उगाने तथा गत कुछ फसली मौसमों में गन्ने के कम मूल्य होने के कारण हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). 1971-72 में चीनी का उत्पादन 1970-71 की अपेक्षा कम होने की आशा की जाती है और चीनी के मौजूदा मूल्य भी चीनी

के विनियंत्रण से पूर्व के मूल्य से कुछ अधिक हैं लेकिन कुल मिलाकर इसे संकटमय स्थिति नहीं कह सकते हैं।

(ग) वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) चीनी कारखानों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनसे यह आशा की जाती है वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से गन्ने का अधिक मूल्य देकर अधिक गन्ना प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

(2) 30 नवम्बर, 1971 तक उत्पादित चीनी पर लगे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 17 रुपये प्रति क्विंटल और उसके बाद 30 सितम्बर, 1972 तक 1970-71 की उसी अवधि के दौरान उत्पादित चीनी के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर 16 रुपये प्रति क्विंटल छूट दी गई है।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भी गन्ना क्रय-कर में ऐसी ही छूट दें।

(4) राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया गया है कि वे चीनी कारखाने के क्षेत्रों में खंडसारी यूनिट और शक्ति चालित कोल्हुओं की स्थापना तथा उनके कार्य-चालन पर प्रतिबन्ध लगाएं।

(5) सट्टे में गुड़ के मूल्यों में भारी वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से गुड़ के वायदा व्यापार को बन्द कर दिया गया है।

गरहहेटा, मिदनापुर से चंद्रकोना और बोदनगंज के लिए पक्की सड़कें

1023. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरहहेटा मिदनापुर से चन्द्रकोना और बोदनगंज को जाने वाली सड़कों को पक्का बनाने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना अवधि में उक्त सड़कों का निर्माण करने को तैयार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली परिवहन के कार्य की जांच करने के लिये विशेषज्ञ समिति

1024. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन के कार्य की जांच करने के लिए एक निदेशक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निदेशपद क्या हैं और उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). (1) राजस्व के ह्रास के प्रश्न की जांच करने के लिए, और

(2) दिल्ली परिवहन निगम के वर्कशाप की हालात की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की दो समितियां नियुक्त की गई हैं। इन समितियों की संरचना निम्न प्रकार हैं :—

राजस्व ह्रास समिति

1.	श्री टी० एन चतुर्वेदी—मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन	अध्यक्ष
2.	श्री वी० एस० सिंह, नौवहन और परिवहन मंत्री के विशेष सहायक	सदस्य
3.	श्री एस० सी० पांडे, निदेशक (परिवहन), दिल्ली प्रशासन	सदस्य
4.	श्री आर० सी० जैन, उप सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
5.	श्री जे० एन० गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी एसोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांन्सपोर्ट अन्डरटेकिंग्ज	सदस्य सचिव

वर्कशाप समिति

1.	श्री एस० एन० चावला, निदेशक केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (टी० एण्ड आर०)	अध्यक्ष

2. श्री के० सी० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ... सदस्य
स्थायी समिति (एस० एण्ड सी०)
एसोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट
अन्डरटेकिंग्ज

बहराइच में यातायात में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए घाघरा नदी पर पुल का निर्माण

1025. **श्री बीर० आर० शुक्ल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के एक औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य मे नियुक्त किए गए एक केन्द्रीय दल ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि बहराइच से अन्य स्थानों में जाने तथा वहां से बहराइच आने में यातायात में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए घाघरा घाट स्थान पर घाघरा नदी पर उपरिपुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सराकर वहां ऐसे पुल का निर्माण करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ; और

(ग) क्या इस पुल के निर्माण से निकटवर्ती तीन जिलों, यथा—बहराइच, गोंडा, और बाराबंकी के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

टेबिल टेनिस टीम द्वारा चीन का दौरा

1026. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन जनवादी गणराज्य ने भारत से एक टेबिल टेनिस टीम को आमंत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) (1) श्री रंगा रामानुजम ... नेता

खिलाड़ी

(2) श्री जी० जगन्नाथ

(3) श्री मीर कासिम अली

(4) श्री दीपक वंडरा

(5) श्री दिलीप राज सक्सेना

(6) श्री ए० टी० एम० याह्या

(7) श्री केटी चार्जमेन

(8) श्री रूपा मुखर्जी

(9) श्री शैलजा सलौखे

(10) श्री नयरेश मडला

(11) श्री फरूक खुदाईजी

केरल में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता।

1027. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री केरल में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने में 29 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अभी तक, किसी भी राज्य सरकार को भूमि सुधार के लिए राज्य योजना प्रावधानों से अधिक कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है। केरल सरकार को सुझाव दिया दिया गया था कि केरल भूमि सुधार अधिनियम के अधीन प्रतिपूर्ति की अदायगी के सम्पूर्ण प्रश्न का पुनरीक्षण किया जाए, जिससे कि इसे पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम पर्याप्त सीमा तक स्व-वित्तीय कार्यक्रम बनाया जा सके। केरल सरकार ने निम्न मदों पर व्यय करने के लिए वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना में 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है :

(1) कुडिकिडाम्पुकर कल्याण निधि।

(2) कृषक पुनर्स्थापन निधि।

(3) अभ्यार्पितियों की सहायता।

(4) कर्मचारी-गण।

राज्यों में न्याय-पंचायतें

1028. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सब राज्यों में न्याय पंचायतें विद्यमान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में न्याय पंचायत प्रणाली आरम्भ नहीं की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम

1029. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि** मंत्री देश में कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में 8 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन विश्वविद्यालयों में किन विषयों पर शिक्षा दी जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय हैं :—

कृषि संकाय : सस्य-विज्ञान, उद्यान-विज्ञान, मृदा-विज्ञान, पौध-प्रजनन, पौध रोग-विज्ञान, कीटविज्ञान, कृषि विस्तार, कृषि अर्थशास्त्र तथा खाद्य औद्योगिकी।

पशु विज्ञान संकाय : पशु चिकित्सा, शरीर-रचना विज्ञान, जीवाणु-विज्ञान, औषध-विज्ञान, शल्य चिकित्सा, परजीवी-विज्ञान, औषध-प्रभाव-विज्ञान, रोग-विज्ञान, प्रसूति-विज्ञान, मादा रोग-विज्ञान, पशु प्रजनन, पशु-पोषण, पशु उत्पादन और प्रबन्ध, डेरी रसायन, डेरी जीवाणु-विज्ञान, डेरी औद्योगिकी तथा डेरी और कुक्कुट विज्ञान।

बुनियादी विज्ञान और मानवशास्त्र : ग्रामीण समाज-विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, जीव-रसायन, अणुजीव-विज्ञान, कृषि वनस्पति-विज्ञान, कृषि प्राणि-विज्ञान, कृषि भौतिकी, गणित।

कृषि इंजीनियरी संकाय : सिंचाई, जल निकास, फार्म संरचना, फार्म विद्युत और मशीनरी।

गृह-विज्ञान संकाय : खाद्य और पौषहार, बच्चा विकास, गृह-प्रबन्ध, गृह-विज्ञान विस्तार, वस्त्र तथा कपड़ा उद्योग ।

देश में बाढ़ के कारण राज्यपथों और पुलों को हुई क्षति

1030. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों के कारण देश भर में राजपथों और पुलों को क्षति हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्षति किस प्रकार की हुई और यदि क्षति का अनुमान लगाया गया है तो कितनी राशि की ; और

(ग) इन राजपथों की मरम्मत पर कितना धन खर्च होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोत-प्रांगणों में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार

1031. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पोत-प्रांगणों में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने और नये पोत प्रांगणों का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नई सुविधाएं क्या क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) (1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने निम्नलिखित विकास योजनाओं का कार्य हाथ में लिया है ।

(i) समाकलित विकास कार्यक्रम संपूर्ण होने पर उसकी क्षमता लगभग 13,000 डी० डब्लू० टी० के 2-3 जहाजों से बढ़कर उसी आकार के लगभग 6 जहाजों तक की हो जाएगी ।

(ii) बढ़ती हुई निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जलीय थाले का निर्माण ।

(iii) 70,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों को सम्भालने के लिए सूखी गोदी का निर्माण।

(2) गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता, जो इस समय केवल छोटे जहाजों का निर्माण करता है, ने विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया है, जो वर्कशाप को 15000-25000 डी० डब्लू० टी० के समुद्र पार जाने वाले जहाजों के निर्माण योग्य बनायेगा।

(3) राजाबागान डोकयार्ड जो इस समय 500 डी० डब्लू० टी० तक के छोटे तिरते जल-यानों का निर्माण कर सकता है, ने विकास कार्यक्रम हाथ में लिया है जो इस 3000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों को निर्माण योग्य बनायेगा।

(4) कोचीन में एक नये शिपयार्ड का निर्माण किया जा रहा है जो 66000-85000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों के निर्माण करने योग्य होगा।

(5) हल्दिया में एक नये शिपयार्ड के निर्माण के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक कार्य दल की स्थापना की गई है।

कोचीन पोत प्रांगण परियोजना में मझले प्रकार के पोतों का निर्माण

1032. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पोत प्रांगण परियोजना में मंझले प्रकार के पोतों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वहां ऐसे कितने पोतों का निर्माण किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोचीन शिप-यार्ड 66,000 डी० डब्लू० टी० और 85,000 डी० डब्लू० टी० के बीच की क्षमता के पोत उत्पादन करने के लिए बनाया जा रहा है।

(ख) उसका वार्षिक उत्पादन 66,000 डी० डब्लू० टी० के 2 जहाज होंगे।

जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन

1033. **श्री पी० एम० मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी, और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) "जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा" पर अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में 21 से 23 अक्तूबर, 1971 को आयोजित हुआ था।

(ख) समूचे स्कूल स्तर पर जन संख्या सम्बन्धी शिक्षा की पाठ्य चर्या को लागू करना और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर कार्रवाई हेतु एक उचित योजना का तैयार करना। इन चर्चाओं में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र और गैर स्कूली युवकों के लिए एक कार्यक्रम की सम्भावना पर विचार करना भी शामिल था।

(ग) इस सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नलिखित है :—

(1) विषय का महत्व और आवश्यकता की दृष्टि से स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जन संख्या सम्बन्धी शिक्षा को लागू करना उचित जान पड़ता है।

(2) स्कूलों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा० शि० अनु० तथा प्र० परि०) द्वारा तैयार किया गया पाठ्य-विवरण प्रारूप राज्यों द्वारा जहां आवश्यक हो, उचित रूप से अपनाया और कार्यान्वित किया जा सकता है।

(3) राज्य शिक्षा संस्थानों को अनुदेशिक तथा सम्पूरक अध्ययन सामग्री को तैयार करने और संवितरण हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(4) इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए।

(5) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को, शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के लिए अन्य संख्या सम्बन्धी शिक्षा पर एक आदर्श पाठ्य चर्या तैयार करनी चाहिए।

(6) राज्य शिक्षा विभागों को विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण कालेजों से, वर्तमान बी० एड० पाठ्य चर्याओं में जन-संख्या सम्बन्धी शिक्षा के विषय वस्तु को समाविष्ट करने सम्बन्धी मामले को लेना चाहिए।

(7) शिक्षकों के सेवा-कालीन प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम आरम्भ में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया जाए। शिक्षकों के लिए उचित शैक्षणिक सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

(8) जब कभी भी सम्भव हो, विश्वविद्यालयों से जन संख्या सम्बन्धी शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों तथा मानवशास्त्रों के भाग के रूप में पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए ।

(9) समुदाय केन्द्रों के रूप में, गैर स्कूली युवकों के कार्यक्रम के लिए स्कूल सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं ।

(10) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्य चर्या प्रारूप को गैर स्कूली युवकों के लिए उचित रूप से संशोधित किया जा सकता है ।

(11) गैर स्कूली युवकों के लिए कार्यक्रम में उत्तरदायी पैतृत्व की धारणा को उचित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है ।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पन्न कठिनाई कम करने हेतु राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

1034. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि से उत्पन्न कठिनाई को कम करने हेतु स्थानीय मंडियों में खाद्यान्न भेजने के लिए राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे स्थिति और अधिक खराब नहीं होगी ; और

(ग) क्या किसानों में यह भावना है कि अब प्रचुर मात्रा में फसल बोने का चक्र समाप्त हो गया है और अगले वर्षों में उत्पादन कम होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

Agro-Industrial Devlopment Corporation in States and their Financial Resources

1035. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7842 on the 12th August, 1971 regarding tractors and other facilities provided by Agro-Industries Development Corporation and state:

(a) the names of the states in the country in which Agro-Industrial Development Corporations have been set up ; and

(b) the financial resources of these Corporations ?

The Ministar of Stat ein the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Agro-Industries Corporations have been set up in all States excepting Nagaland and Meghalaya.

(b) The main source of finance of these Corporations is their paidup Capital which is contributed in almost equal proportion by the Government of India and the State Governments which are share-holders of these Corporoations. The total paid-up capital of these Corporations as on 1-11-1970 amounted to Rs. 36.29 crores. Additional funds required by the Corporations are also obtained in the form of loans from the State Bank of India, Commercial Banks and other finance institutions like Land Mortgage Banks, etc.

स्थगित की गई समाज कल्याण योजनाएं

1036. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों पर किए गए व्यय के कारण बहुत सी समाज कल्याण योजनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्थगित रखने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सुपर बाजारों में लाभ अर्जित करने की क्षमता

1037. **श्री विश्वनाथ झुँझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में दिल्ली के सुपर बाजारों और अपना बाजार को कितना लाभ हुआ और इन बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य कहां तक खुले बाजार के मूल्यों के मुकाबले में कम हैं और ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : वर्ष 1969-70 में सुपर बाजार को उसकी शाखाओं को मिलाकर 18.57 लाख रु० की हानि हुई है । वर्ष 1970-71 में भी इसे हानि हुई है, जिसकी सही राशि का पता इस समय इसके लेखाओं की चल रही लेखा-परीक्षा के पूरा हो जाने पर चलेगा । सुपर बाजार की नीति उपभोज्य वस्तुएं ऐसे सही तथा उचित मूल्यों पर बेचना है जो बाजार भाव से उचित रूप में मेल खाते हों । कुछ वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्यों की एक सूची, जो सुपर बाजार द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है, संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 1069/71]

चिकित्सा स्नातकों में अपेक्षित ज्ञान की कमी

1038. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने शिकायत की है कि उस के समक्ष साक्षात्कार के लिए आने वाले चिकित्सा स्नातकों में अपेक्षित ज्ञान की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की उपरोक्त आलोचना तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस के गम्भीर परिणामों की ओर ध्यान दिया है;

(ग) क्या अनेक कालेजों में चिकित्सा शिक्षा के लिये चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित किये गये अपेक्षित आवश्यक उपकरणों एवं सुविधाओं की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो चिकित्सा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। 1968 में संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए उनके द्वारा साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों के सामान्य स्तर के बारे में टिप्पणियां की थी।

(ख) इन टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और जहां कहीं आवश्यक हो समुचित सुधार करने के लिए, इन्हें सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

(ग) चिकित्सा कालेज खोलना एक बड़ी लागत वाला काम है तथा इसकी स्थापना की तिथि से ही सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हैं। साज-सामान तथा शिक्षण की सुविधाओं का विकास चरणवार इस प्रकार किया जाता है जिससे इनका स्तर भारतीय चिकित्सा परिषद के स्तर के अनुरूप हो जाय। उक्त परिषद को सांविधिक तौर पर देश में चिकित्सा शिक्षा का स्तर निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। किसी चिकित्सा कालेज द्वारा प्रदत्त अर्हता को तभी मान्यता दी जाती है जब वह चिकित्सा कालेज अपेक्षित स्तर तक पहुंच जाता है तथा चिकित्सा परिषद् उसकी संस्तुति करती है।

(घ) राष्ट्रीय आवश्यकता तथा साधनों के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा स्नातकों की शिक्षण तथा प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1969 में चिकित्सा शिक्षा समिति नियुक्त की। इस समिति ने विस्तृत सिफारिशों की ओर बाद में स्वास्थ्य मंत्रियों, विश्व विद्यालय के उप-कुलपतियों, प्रधानाध्यापकों, चिकित्सा कालेजों के डीनों, आयुर्विज्ञान और प्रशासन आदि के विशेषज्ञों के चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में इन सिफारिशों में सुधार किया गया तथा उनका विस्तार किया गया। जुलाई 1970 में औरंगाबाद में हुई अपनी छठी बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया तथा उनका समर्थन किया। सरकार

ने इन्हें संकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा इनको क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों। विश्वविद्यालयों को भेज दिया है।

राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

1039. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 सितम्बर, 1971 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक चौथाई जनता फिलेरियासिस का शिकार है यह निष्कर्ष वास्तव में किये गए सर्वेक्षणों के आधार पर निकाला गया है;

(ख) क्या 1969-70 और 1970-70 के लिये राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की क्रियान्विति में गम्भीर कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी रही है और किन राज्यों में बीमारी व्यापक रूप से फैली है तथा बीमारी पर नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जैसा कि संलग्न विवरण 1 में उल्लेख किया गया है 1969-70 तथा 1970-71 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी हो रही है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1070/71] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह रोग व्यापक रूप से फैला है। इस रोग पर नियंत्रण करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये उपायों का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1070/71]

विश्वविद्यालयों में पृथक सुरक्षा बल

1040. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पृथक सुरक्षा बल से संबंधित योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) संस्थान के अन्दर विभिन्न प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कितने विश्वविद्यालयों ने अब तक अपने पृथक सुरक्षा बल बना लिए हैं,

(ग) इन संस्थानों के सुरक्षा बल में कितने कर्मचारी हैं तथा उनके कृत्य क्या हैं; और

(घ) इन बातों के लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो०डी०पी०यादव) : (क) देश के किसी भी विश्वविद्यालय में स्वतंत्र सुरक्षा सेना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं की है। फिर भी आयोग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को उनकी वर्तमान निगरानी पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए सहायतार्थ सहमत हो गया है और विश्व भारती को प्रांगण में अपने सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए उसने कुछ अनुदान दिया है।

(ख) से (घ). सराकर के पास कोई सूचना नहीं है।

नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए योजना

1041. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के लिए कितनी निधि का नियतन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). सरकार नई दिल्ली के उद्यान-नगरी के स्वरूप को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। तदनुसार, बृहत्त योजना के अधीन 18,000 एकड़ भूमि को पार्कों तथा उद्यानों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। चूँकि इससे कई प्राधिकरण संबंधित हैं, सौन्दर्य संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए "भू-दृश्य समिति" गठित की गई है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम जैसे विभिन्न प्राधिकरण अपने अपने बजटों में उद्यानों तथा पार्कों के विकासार्थ निधियों की व्यवस्था करते हैं। जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन उद्यान निदेशालय का सम्बन्ध है, उन्होंने बुद्धाजयन्ती पार्क, सेन्ट्रल विष्टा आदि के अनुरक्षण के अतिरिक्त दक्षिणी रिज, विलिंगडन क्रीसेन्ट-सरदार पटेल रोड़ को सुन्दर बनाने के 40,410/-रुपये की लागत के कार्य को हाथ में ले लिया है।

नियंत्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि

1042. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी से नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात इसके मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध हो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुछेक महत्वपूर्ण मंडियों में विनियंत्रण से पूर्व और इस समय चल रहे चीनी के थोक मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) देश में चीनी के मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) चीनी की बिक्री के लिए मासिक निर्मुक्ति आदेशों के प्रति चीनी की बिक्री और उसकी सुपुर्दगी देने की अवधि 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।

(2) चीनी कारखानों के पास यदि बिक्री के लिए निर्मुक्त स्टाक की बिना बिकी चीनी की मात्रा बच जाती है उसे बचने से इनकार करने की मनाही कर दी गई है।

(3) चीनी कारखानों को बिक्री के लिए निर्मुक्त अपने मासिक कोटे की कम से कम 20 प्रतिशत चीनी प्रत्येक सप्ताह अवधि में बेचनी पड़ती है।

(4) चीनी कारखानों द्वारा व्यक्तिगत व्यापारियों को चीनी भेजने या उसकी सुपुर्दगी देने की मात्रा प्रत्येक सप्ताह अवधि में 2,200 क्विंटल तक सीमित कर दी गई।

(5) लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों द्वारा किसी एक समय में रखे जाने वाले स्टाक पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं। इसकी अधिकतम सीमा कलकत्ता में चीनी के आयातकों के मामले में 7500 क्विंटल और एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में चीनी के लाइसेंसशुदा व्यापारियों के मामले में 250 क्विंटल के बीच है।

(6) चीनी के व्यापारियों को चीनी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाली पेशगियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं।

(7) गुड़ का वायदा बाजार 18 अक्तूबर, 1971 से बन्द कर दिया गया है।

(8) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के साथ यह व्यवस्था की है कि वे निर्मुक्त चीनी की 15 प्रतिशत चीनी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1.83 रु० से 1.84 रु० प्रति किलोग्राम पर बेचे।

(9) 1971-72 में चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ चीनी पर उत्पादन-शुल्क में छूट, गन्ना क्रय कर में छूट देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध, कारखानों के इर्द-गिर्द लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में नये शक्ति चालित कोल्हू और खंडसारी यूनिट स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाने और वहां पर मौजूदा शक्ति चालित कोल्हुओं तथा खंडसारी यूनिटों को विनियमित करने पर विचार करना। चीनी कारखानों से कहा गया है कि उनसे यह आशा की जाती है कि वे चीनी के ऊंचे मूल्यों और दिये गए या दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की दृष्टि में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से गन्ने का अधिक मूल्य देंगे।

विवरण

कुछेक महत्वपूर्ण खपत केन्द्रों में खुले बाजार में चीनी के थोक मूल्य बताने वाला विवरण

(रु० प्रति क्विंटल)

महीना तथा तारीख	दिल्ली	कानपुर	कलकत्ता	बम्बई	मद्रास
24 मई, 1971 (विनियन्त्रण से थोड़ा समय पहले)	209	193	196	200	181
12 नवम्बर, 71	217	199	208	208	199

चावल की अधिक उत्पादनशील किस्म की खेती में अनुसन्धान

1043. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में चावल सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती कितने क्षेत्र में की गई है; और

(ग) इन किस्मों की खेती और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकी का प्रचार करने के लिए कौन से उपाय किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत में चावल सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना ने देश के कृषि जलवायु सम्बन्धी प्रदेशों को पृथक करने और उपभोक्ताओं की अभिरुचि में भारी अन्तर को कम करने के उद्देश्य से 14 किस्मों को निर्मुक्त किया। वे स्थानीय लम्बी किस्मों की अपेक्षा 60-100 प्रतिशत अधिक उपज देने योग्य हैं। चावल की इन किस्मों में अधिक उत्पादनशील (जया, आई आर 8, विजय तथा पंकज), अगेतीपन (वाला कांवरी, कंची कृष्णा तथा पदमा), उत्तम अनाज की किस्म (रत्न, साबरमती, जमुना, कृष्णा, विजया आई आर 20 तथा

जगन्नाथ) और तनावर्धक तथा पत्ता धानी (रत्न, विजया और आई आर 20) प्रतिरोधक ब्लास्ट, वैक्टीरियल लीफ ब्लाइट तथा टुंगरी-बाइरस (विजया तथा आई आर 20) शामिल हैं।

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र और निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र (हैक्टार हजारों में)

उपलब्धि			लक्ष्य	
1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1973-34
17852	2683	3237	-	10,100

(ग) उठाये गए कदमों में निम्निलिखित भी सम्मिलित हैं :—

1. राष्ट्रीय प्रदर्शन।

2. सघन कृषि विकास कार्यक्रम।

3. अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम।

4. विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

5. किसानों का प्रशिक्षण।

6. किसानों का क्षेत्र दिवस कार्यक्रम।

7. समाचार पत्रों, कर्मशालाओं, रिपोर्टों, पत्रिकाओं, मैगजीनों, बुलेटिनों के माध्यम से और यदाकदा सम्पर्क स्थापित करके नई कृषि तकनोलौजी का प्रचार।

8. राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य का कृषि विभाग, राज्य के कृषि महाविद्यालयों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों की आपूर्ति।

वनस्पति घी में रंग मिलाया जाना

1044. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी में रंग मिलाने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) . सरकार ने वनस्पति के लिए रंग ढूढ़ने हेतु अनुसंधान कार्य को तेज़ करने और उनका उपयुक्त तरीके से समन्वय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की थी। इस विषय पर हुए पूर्व अध्ययनों का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण करने और विस्तृत पुष्टिकारक अनुसंधान कार्य करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो व्यवहार्य है और न ही वाछंनीय है और इस उद्देश्य के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने चाहियें। इस विचार से सामान्यतया सहमत होते हुए सरकार ने उन सभी संस्थानों और एजेंसियों से कहा है जोकि इस संबंध में अनुसन्धान कार्य कर रही हैं, वनस्पति में मिलाने के लिए उपयुक्त रंग सामग्री की खोज करते रहें।

हावड़ा के जल प्रदाय विभाग के छंटनी शुदा पम्प ड्राइवरों और श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेना

1045. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा नगरपालिका (पश्चिम बंगाल) के जल प्रदाय विभाग के छंटनी-शुदा पम्प ड्राइवरों और श्रमिकों को पुनः काम पर लिए जाने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) अभी तक कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया जाना है;

(घ) क्या हावड़ा पौड़ा करनी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो छंटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ङ) .पश्चिम बंगाल सरकार एवं हावड़ा नगरपालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

ग्रीष्म ऋतु में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए हावड़ा नगरपालिका अतिरिक्त कर्मचारी लगाती है। ऐसी नियुक्तयां मौसमी तथा अस्थायी होती हैं। छुट्टी-रिजर्व वाले 16 अतिरिक्त पम्प-ड्राइवरों की, जिन्हें अस्थायी आधार पर रखा गया था, सेवाएं आगे नहीं रखी गई क्योंकि मौसम के कारण उत्पन्न आवश्यकता समाप्त हो गई थी। अतः इसमें छंटनी अथवा पुनः बहाली का कोई प्रश्न नहीं है। हावड़ा पौड़ा कार्नी संघ ने एक अभ्यावेदन दिया था और हावड़ा के जिला मजिस्टेट द्वारा बुलाई गई इस संघ वालों के साथ की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई जांच की जाय। नगरपालिका के वाटर वर्क्स के प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा की गई जांच-पड़ताल पर यह पता चला कि 19 पम्प चालू हैं। एक पम्प पर सामान्यतया

चार पम्प-ड्राइवरों को रखा जाता है। इस प्रकार जहां 76 पम्प ड्राइवर होने चाहिए थे वहां नगरपालिका के पास 132 स्थायी पम्प-ड्राइवर हैं। इसके अतिरिक्त नगरपालिका ने 10 अस्थायी पम्प-ड्राइवर तथा 16 छुट्टी-रिजर्व वाले नियुक्त किए हैं। इन छुट्टी रिजर्वों को नगरपालिका की सामान्य कार्य पद्धति के अनुसार और आगे नहीं रखा गया। नगरपालिका को अपना काम चलाने के लिए कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने का अधिकार है और ऐसे मामलों के अलावा जहां किसी कर्मचारी को हटाने अथवा बर्खास्त करने के लिए कानूनन राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती है। इस मामले में ऐसी मंजूरी आवश्यक नहीं थी।

टनभार में वृद्धि के लिए अतिरिक्त जहाजों की खरीद

1047. **श्री बक्शी नायक :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार आगामी चार वर्षों में जो अतिरिक्त जहाज प्राप्त करना चाहती है उनका टन भार, विशिष्ट विवरण क्या है;

(ख) इन जहाजों को किन-किन सूत्रों से खरीदे जाने की सम्भावना है और उसके लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत की कुल टनभार क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). चौथी योजना में नौवहन के लिए 40 लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य है जिसमें से 35 लाख जी० आर० टी० परिचालन में होंगे और 5 लाख जी० आर० टी० के पक्के आदेश दिये होंगे। वर्तमान भारतीय व्यवहारिक टन भार (1-10-1971 को) 24.85 लाख जी० आर० टी० है और 11.98 लाख जी० आर० टी० के पक्के आदेश दिये गये हैं। चौथी योजना काल के अन्त तक लगभग 2.36 लाख जी० आर० टी० के अधिक आयु वाले पोतों की रद्दी को भी ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितने टनभार के लिए अभी आदेश दिया जाना है वह 5.53 लाख जी० आर० टी० है। इस समय यह बताना कठिन है कि अतिरिक्त जहाजों की क्या विशिष्टियां होगी, कहां से खरीदी जाऐंगी और उनकी कीमत क्या होगी क्योंकि ये जहाज विभिन्न नौवहन कम्पनियों के द्वारा खरीदे जायेंगे।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सितम्बर, 1971 में हुआ सम्मेलन

1049. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 में नई दिल्ली में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या सुझाव लिए गए थे; और

(ग) क्या सरकार उसमें किए गए सुझावों, विशेषत: फसल-ऋण संबन्धी नियमों के बारे में सुझावों पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक सम्मेलन में दिए गए सुझावों का सम्बन्ध है, सम्मेलन की कार्यवाही की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों पर 29 व 30 नवम्बर, 1971 को होने वाले सहकारिता के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

मरमगाओ पत्तन विकास योजना के पूरे होने में देरी

1050. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमगाओ पत्तन विकास योजना निर्धारित समय से अधिक समय में पूरी होगी;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) योजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मरमगाओ पत्तन विकास परियोजना के पूरे होने की मूल निर्धारित तिथि 1971 के अन्त तक थी। परन्तु 31 अगस्त, 1971 से 5 नवम्बर, 1971 तक ठेकेदारों द्वारा निकर्षण और भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य के अचानक बन्द कर देने के कारण सिविल इंजीनियरी कार्य के लिये आवश्यक भूमि सुधार के कुछ क्षेत्रों का पूरे होने में कुछ विलम्ब होने की आशा है और इससे समस्त पूर्ण होने की तारीख की कुछ हद तक प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान सूचना के अनुसार परियोजना की 1974 के प्रथम तिमाही में पूरे होने की संभावना है।

विशाखापत्तनम पत्तन का विकास

1051. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1971 के "दि इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के विकास की योजना दो वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विकास कार्यक्रम में रुकावट सुपुर्दगी कार्यक्रम को बनाये रखने के लिए क्रेन के देशी विक्रेताओं के नाकामी के कारण है। सरकार को इस विलम्ब का ज्ञान है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड सम्बन्धित फर्म से निरन्तर संपर्क में है ताकि उपस्कर शीघ्रा तिशीघ्रसुपर्द किये जा सकें। सुपुर्दगी शर्तों को बनाये रखने के लिये देशी फर्म की क्षमता की जांच करने के लिए और ऐसी क्षमता के संदर्भ में प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए सरकार ने हाल ही में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए एक संचालन समिति बनायी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में हिंसात्मक घटनाएं

1052. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक कालेजों में हाल ही में कई हिंसात्मक घटनायें घटी थीं, और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच आयोग नियुक्त किया है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो मास के दौरान, दिल्ली के कालेजों में कोई हिंसात्मक घटनाएं नहीं घटीं। किन्तु सितम्बर, में, कुछ कालेजों और दिल्ली परिवहन संघ के कर्मचारियों के बीच गड़बड़ी हुई।

(ख) विद्यार्थियों और दिल्ली परिवहन संघ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में घटनाओं के बारे में दर्ज किए गए मामलों की तहकीकात की जा रही है। विश्वविद्यालय ने, परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की समस्याओं की जांच करने के लिए, एक समिति नियुक्त की है।

राज्यों में भूमि सुधार के सम्बन्ध में हुई प्रगति

1053. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमूल भूमि विधान बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या प्रगति की है; और

(ख) भूमि सुधारों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये उपाय किये गये हैं। जिससे कि भूमि के संकेन्द्रण को समाप्त करने के साथ-साथ कृषि व्यवस्था के फलस्वरूप कृषि उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। ये उपाय इस प्रकार है : बिचौलिये, पट्टों की समाप्ति, पट्टेदारी प्रणाली में सुधार, अर्थात उचित लगान का निर्धारण तथा कृषक पट्टेदारों, उप-पट्टेदार तथा बटाईदार की पट्टेदारी की सुरक्षा और स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार, अधिशेष भूमि पर भूजोतों की अधिकतम सीमा तथा अधिशेष भूमि पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा अनार्थिक जोतधारियों का पुनः स्थापन।

गत 20 वर्षों की अवधि में भूमि सुधारों की क्रियान्विति की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई है। जमींदारी, जागीरें तथा इनाम जैसी मध्यवर्ती पट्टेदारियां, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थीं, व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण देश में समाप्त कर दी गई हैं। मध्यवर्ती पट्टेदारियों की समाप्ति पर पट्टेदारों की एक विशाल संख्या, जोकि अनुमानतः 200 लाख के लगभग आंकी गई है, राज्य के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने के साथ-साथ भू-स्वामी बनने में भी समर्थ हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि विभिन्न राज्यों तथा पांडिचेरी के माही क्षेत्र द्वारा पट्टे की सुरक्षा तथा लगान को विनियमित करने की दृष्टि से कई उपाय अपनाये गये हैं ; पट्टेदारों को सीधे सरकार के सम्पर्क में लाने तथा उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं ; फलतः 70 लाख से भी अधिक क्षेत्र में 30 लाख पट्टेदारों तथा बटाईदारों ने स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, अधिकांश राज्यों में सांविधिक लगान सकल उत्पादन के चौथाई तथा पांचवे भाग से अधिक नहीं होना चाहिये।

हरियाणा तथा पंजाब के अतिरिक्त, जहां कि भू-जोतों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, सभी राज्यों में भूजोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिये कानून बना दिये गये हैं, किन्तु राज्यों को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी व्यक्ति के पास स्वीकृत सीमा से अधिक भूमि होने पर उस पर पट्टेदारों को बसा सकता है। बताया गया है कि उच्चतम सीमा कानून को लागू करने से अभी तक 20 लाख एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की जा चुकी है और इसका लगभग आधा भाग विस्थापित पट्टेदारों, अनार्थिक भू-धारियों तथा भूमिहीन कृषकों में बांट दिया गया है।

तथापि इन की कार्यान्विति में बाधायें रही है और बहुत से राज्यों में प्रगति धीमी रही है। उद्देश्यों अधिनियमों, कानूनों तथा उनकी कार्यान्विति में काफी अन्तर रहा है। कुछ और लघु मध्य-वर्ती पट्टों की समाप्ति के लिये अभी विधायी उपबन्धों की व्यवस्था की जानी है। जहां तक काश्त-कारी सुधारों का प्रश्न है आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र, तमिल नाडु, पांडिचेरी तथा दादरा और नगर हवेली में पट्टेदारों तथा बटाईदारों की स्थिति सुरक्षित नहीं है। हरियाणा तथा पंजाब में पट्टेदारों की सुरक्षा भू-स्वामियों के निरन्तर पुनर्ग्रहण अधिकार पर निर्भर करती है। आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब जम्मू तथा कश्मीर (12 एकड़ से अधिक भूजोतों वाले व्यक्तियों के पट्टेदारों के सम्बन्ध में) और तमिलनाडु में सावधिक लगान अथवा भू-स्वामियों को दिया जाने वाला फसल का भाग कुछ अधिक है। हरियाणा तथा पंजाब में अधिकतम लगान सकल उत्पादन का तिहाई भाग है। आंध्र क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रों के लिये यह उत्पाद का 50 प्रतिशत तथा बारानी भूमियों के लिये

45 प्रतिशत है। (एक बिल पास करके सिंचित क्षेत्रों में लगान को कम करके 30 प्रतिशत तथा अन्य भूमियों के लिये 25 प्रतिशत कर दिया गया है)। जम्मू तथा कश्मीर में, यह उत्पाद के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है। तमिलनाडु में यह $33\frac{1}{3}$ से 40 प्रतिशत तक है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पजाब, तमिलनाडु, गोवा तथा पांडिचेरी में पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार नहीं दिये गये हैं। उड़ीसा में भूमि की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में बनाये गये अधिनियम को रोक-आदेश के कारण अभी तक प्रवृत्त नहीं किया गया है। पंजाब तथा हरियाणा के भूतपूर्व पंजाब के क्षेत्रों में स्वामित्व की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। राज्य पट्टेदारों को केवल अधिशेष भूमि पर बसा सकते हैं जो कि भू-स्वामी के अधिकार में ही रहती है।

(ख) भूमि सुधारों को गतिमान करने के लिये उठाये गये कदम :—

नवम्बर, 1969 तथा सितम्बर, 1970 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधारों की समस्या तथा प्रगति पर व्यापक रूप से विचार किया गया था। 1969 के सम्मेलन में नई कृषि नीति के संदर्भ में भूमि नीति के नवीकरण पर बड़ा जोर दिया गया था। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कृषि क्षेत्र में टैक्नोलौजिकल विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत से राज्यों में उच्चतम सीमा स्तर, अन्तरण तथा छूट सम्बन्धी उपबन्धों के सावधानी पूर्वक पुनरीक्षण की आवश्यकता है। कृषि नीतियां कृषि विकास के व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में छोटे भूधारियों, कृषक, पट्टेदारों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की परिस्थितियों में सुधार लाने के सामान्य सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर तैयार तथा कार्यान्वित की जानी चाहियें।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के तुरन्त उपरान्त खाद्य तथा कृषि मंत्री ने 16 दिसम्बर, 1969 को राज्य सरकारों का ध्यान मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों की ओर आकर्षित किया था। भू-जोतों की उच्चतम सीमा के प्रश्न तथा उसके प्रवर्तण और अधिशेष भूमि के वितरण की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था, जिससे कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा बटाईदारों के जीवनयापन की परिस्थितियों में सुधार लाया जा सके। प्रधान मंत्री ने फरवरी, 1970 में मुख्य मंत्रियों का ध्यान भूमि सुधारों की ओर आकर्षित करते हुये पट्टे की सुरक्षा के महत्व, उचित लगान, उच्चतम सीमा के दृढ़ता से पालन तथा सरकारी पड़ती भूमि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विशेष प्राथमिकता देते हुए भूमिहीन श्रमिकों को देने पर बल दिया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि इनकी कार्यान्विति एक निश्चित तिथि तक पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को भूमि-सुधारों का एक क्रम-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। 1 जून, 1970 को प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों तथा राज्यपालों को एक और पत्र प्रेषित किया था, जिसमें भूमि सुधारों को एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत लागू करने की अत्यावश्यकता पर पुनः बल दिया गया था, क्योंकि गांवों में व्याप्त तनाव को दूर करने तथा द्रुत ग्राम विकास का एकमात्र यही उपाय है।

सितम्बर, 1970 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि नीति में अपेक्षित परिवर्तनों, विशेषकर उच्चतर सीमा स्तर में कमी लाने तथा उच्चतर सीमा उपबन्धों को अधिक प्रभावी तथा

उपयोगी बनाने और उनके युक्तिकरण के सम्बन्ध में विशद विवेचन का प्रयत्न किया गया था। यह भी देखने में आया है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणी की भूमियों की उच्चतम सीमा के स्तर, उपयोग की इकाई तथा छूट आदि के सम्बन्ध में काफी अन्तर है। सम्मेल में जोत की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित समस्याओं के सारे प्रश्न को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के पास भेजने का निर्णय किया गया। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के इस निर्णय के अनुसार केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने स्थिति का पुनरीक्षण किया और निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(i) जोत की अधिकतम सीमा सारे परिवार पर लागू होनी चाहिये, 'परिवार' शब्द की व्याख्या में पति, पत्नी तथा छोटे बच्चे शामिल हैं;

(ii) जहां परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो वहां 5 से अधिक प्रत्येक सदस्य के लिये इस ढंग से अतिरिक्त भूमि की अनुमति दी जाये कि परिवार के लिये स्वीकार्य कुल भूमि, एक परिवार की जोत की अधिकतम सीमा से दुगुनी न हो ;

(iii) पांच सदस्यों के परिवार के लिये जोत की अधिकतम सीमा, लगातार सिंचित अथवा सरकारी स्रोत से सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों तथा दो फसल उगाने वाली भूमि के लिये 10 से 18 एकड़ तक निर्धारित की जाये। प्रत्येक राज्य तथा यहां तक कि उसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा की स्थिति, भूमि की उत्पादकता, उगाई जाने वाली फसल के स्वरूप, आदि में भिन्नता है, अतः समिति ने सारे देश के लिये किसी दृढ़ जोत की अधिकतम सीमा के सुझाव देने के बजाय साधारण सीमा का ही उल्लेख करना उचित समझा, जिसके अन्तर्गत जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ;

(iv) विभिन्न अन्य वर्गों की भूमि के लिये रूपान्तरण अनुपात, जल उपलब्धि, उत्पादकता, मृदा वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसल, आदि को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिये। यहां तक कि बारानी भूमि के सम्बन्ध में भी पांच सदस्यों के परिवार के लिये अत्यधिक जोत की अधिकतम सीमा 54 एकड़ होनी चाहिये। यह सीमा शिथिलनीय होगी, बशर्ते की मृदा के स्वरूप, वर्षा, निरन्तर सूखे की परिस्थितियां, आदि के कारण ऐसा करने के लिये विशेष औचित्य हों।

(v) राज्यों के वर्तमान कानूनों में यंत्रीकृत फार्मों, सुव्यवस्थित फार्मों, आदि के लिये दी गई छूट वापिस ली जानी चाहिये ;

(vi) चाय, काफी, इलायची, रबर, आदि के बागानों के लिये दी गई छूट के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात सावधानी से जांच की जानी चाहिये। तत्पश्चात्, राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिये इस प्रकार तथा अन्य प्रकार की छूट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

भारत सरकार ने भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके इन्हें कार्यान्वित करें।

टैकरों की खरीद के लिए विश्व बैंक से ऋण तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उनका उपयोग

1054. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने टैंकरों की खरीद के लिए सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के लिए वचन दिया गया है और कितने टैकर खरीदे जाने हैं;

(ग) क्या इन टैंकरों का प्रयोग केवल शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). चार समुद्र पार और दो तटीय तेल वाहकों की खरीद के लिए यू० एस० 800 लाख डालर के प्रस्तावित आई० डी० ए० ऋण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तेल वाहक पोतों के बारे में अंतिम निर्णय आई० डी० ए० के ऋण के लिए सहमत हो जाने के बाद किया जायेगा।

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों के कार्यक्रम की सफलता

1055. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, खाद्यान्न, मोटा संकर अनाज, मक्का और ज्वार के मामले में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को नगण्य सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग के कार्यक्रम, मूल्यांकन, संगठन और आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किये गये अध्ययन का प्रतिवेदन सदन के सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। गेहूं और बाजरे के विषय में पर्याप्त उपलब्धियां हुई हैं। चावल का कार्यक्रम, जो कि मुख्य चावल

उत्पादन वाले खरीफ मौसम के दौरान अधिक उत्पादनशील किस्मों को उगाना अनुपयुक्त होने तथा कीटों तथा रोगों के संक्रमण के कारण पिछड़ा हुआ था, अब अच्छी प्रगति की ओर अग्रसर है। परन्तु किस्मों में कुछ कमियां होने के कारण संकर मक्का और ज्वार के कार्यक्रमों की प्रगति धीमी रही है। चावल, मक्का और चरी के अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) रिपोर्ट अब भी प्रारूप की अवस्था में है। इसके अंतिम रूप दिये जाने और मुद्रित होते ही यह सभा के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

विवरण

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में)

वर्ष	चावल	मक्का	चरी
1966-67	888.40	207.50	190.60
1967-68	1735.00	287.00	603.00
1968-69	2681.04	387.97	690.53
1969-70	4341.92	451.73	554.85
1970-71	5501.20	507.73	936.19
1971-72	7000.00	500.00	1200.00

नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में रिक्त पड़े मकान

1056. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकारी रिहायशी कालोनियों में विभिन्न वर्गों के कितने मकान 30 दिन से अधिक समय से खाली पड़े है;

(ख) क्या कुछ कालोनियों में कुछ मकान 10 महीने से अधिक समय से खाली पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और मकानों को तैयार होते ही उनका तुरन्त आवंटन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के टाइप I से VIII तक के 104 रिहायशी एकक 30 दिन से अधिक से खाली पड़े हैं।

(ख) 10 महीनों से अधिक अवधि के लिए खाली पड़े मकानों की संख्या 79 है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित रिहायशी एककों के खाली पड़े रहने का कारण यह है कि जिन अधिकारियों को इन मकानों की पेशकश की जाती है, वे नगर के मध्य में स्थित अपेक्षाकृत निचले टाइप आदि के वास के दखल में हैं, और वे दूर की बस्तियों के मकानों के आवंटन को स्वीकार नहीं करते। आवंटन में और देरी न हो, इसे रोकने के लिए प्रतीक्षा-सूची के कई अधिकारियों को इन मकानों का आवंटन एक साथ किया जाता है। उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मकानों में से 75 में भारी मरम्मत की आवश्यकता है तथा, इन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सौंप दिया गया है। शेष चार मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया है तथा उन्हें गिराया जाना है। जिन मकानों में भारी मरम्मत अपेक्षित है, उनकी आवश्यक मरम्मत हो जाने पर और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके सुरक्षित घोषित किए जाने पर उन्हें तुरन्त ही आवंटित कर दिया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में समाज कल्याण विभाग के अधीन संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते निर्धारित करने के लिए वित्तीय सहायता

1057. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से समाज कल्याण विभाग के अधीन संस्थाओं के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों को बढ़े हुए जीवन निर्वाह व्यय के अनुरूप निर्धारित करने के लिए धन आवंटित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी-वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के पश्चिम बंगाल में श्रेणीवार वर्तमान वेतन भत्ते क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के हाई तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग के वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान में अनियमितता

1058. **श्री गदाधर साहा :**

श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के हाई तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग के साथ वेतन-मंहगाई भत्ते के भुगतान में बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व भारती, वीर-भूम (पश्चिम बंगाल) को दिए गए अनुदान

1059. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान विश्व भारती, वीर-भूम (पश्चिम बंगाल) को विभागवार तथा वर्षवार कितना अनुदान दिया गया;

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को दी गई अनुदानों की राशि क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के अन्य विश्वविद्यालय को वर्षवार तथा राज्यवार दिए गए अनुदानों की तुलना में यह अनुदान कितना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अक्तूबर 1971 के दौरान मेरठ के निकट दुहाई गांव में खाद्यान्नों के भंडार का लूटा जाना

1060. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27-28 अक्तूबर, 1971 को मेरठ के निकट दुहाई गांव में खाद्यान्न के सरकारी भंडार को लूटा गया था;

(ख) क्या इस मामले की जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मेरठ के समीप दुहाई गांव में 27-28 अक्तूबर, 1971 को भारतीय खाद्य निगम के एक किराए के गोदाम को लूट लिया गया था।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम ने पुलिस के पास एक शिकायत दायर कराई थी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

नैनीताल में पाए गए तांबे के सिक्के

1061. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नैनीताल में प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी के कुछ तांबे के सिक्के पाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिक्कों से भारत के प्राचीन इतिहास के तथ्यों की कुछ खोई हुई कड़ी जोड़ी जा सकती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) गत महीने प्रेस में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार नैनीताल में कुछ तांबे के सिक्के पाए जाने की सूचना मिली थी। इन प्रेस रिपोर्टों में दिए गए सिक्कों के विवरण से यह पता चलता है कि इन सिक्कों पर स्त्री की आकृति के साथ ग्रीक में 'नाना' अंकित है और ईसा की पहली और दूसरी शताब्दियों में उत्तरी भारत में राज्य कर रहे कुशान राजाओं में से एक राजा की आकृति हैं। तथापि इस खोज पर राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

(ख) यदि प्रेस रिपोर्टों में दिया गया सिक्कों का विवरण सही है तो इस खोज से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों की कोई खोई हुई कड़ी नहीं जुड़ती है। कुशान सिक्के पूरे उत्तरी भारत में तथा नेपाल की तराई में प्रचुरता में पाए जाते हैं। नाना, बाबिल अथवा सुमेरी देवी की आकृति विशेष प्रकार के सिक्के भी बहुत आम हैं। कुशान, कनिष्क और हुविष्क की धार्मिक पुरोहिता उनके वालेसिक्कों पर प्रतिबिम्बित है जो कि ग्रीक, सुमेरी, इलामाईट, फारसी और भारतीय देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी विशेष स्थल पर किसी विशेष साम्राज्य के सिक्कों के पाये जाने से अनिवार्यतया यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि उस स्थल पर उसी साम्राज्य का शासन था, क्योंकि सिक्के व्यक्तियों के जरिए दूर तक पहुंचते रहते हैं। वास्तव में, कुशान साम्राज्य के पतन के काफी बाद तक भी कुशान सिक्के परिचालन में थे।

मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन

1062. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बोर्ड तथा उत्पादित की गई मैक्सिकन गेहूं की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सबसे अधिक मात्रा में मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन करने वाले कृषकों के नाम तथा उनके ज़िलों व राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान मैक्सिकन गेहूं के अन्तर्गत लगभग क्षेत्र 64.8 लाख हैक्टार था। मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के उत्पादन के आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए गए हैं।

(ख) किसानों द्वारा उत्पादित मैक्सिकन गेहूं की कुल मात्रा के आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। फिर भी, रबी 1970-71 के दौरान आयोजित की गई गेहूं सम्बन्धी अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के बुलदाना जिले के श्री रमेश राजभाऊ वोन्डरे ने प्रति हैक्टार 16,117 किलोग्राम की अधिकतम उपज प्राप्त की।

वर्ष 1971-72 के दौरान राज्यों को सूखी खेती के लिए धन का नियतन

1063. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1971-72 के दौरान राज्यों को सूखी खेती के लिए कितने धन का नियतन किया गया है; और

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में 60 प्रतिशत भूमि पर सूखी खेती की जा रही है, और अधिक धन देने की व्यवस्था करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सन् 1971-72 के दौरान अब तक सम्बन्धित राज्य सरकारों को निम्न प्रकार आवंटन किए जा चुके हैं :—

		(रु० लाखों में)
आंन्ध्र प्रदेश	...	39.572
बिहार	...	15.30
गुजरात	...	44.40
हरियाणा	...	38.84
जम्मू तथा कश्मीर	...	16.64
मध्य प्रदेश	...	46.76
महाराष्ट्र	...	20.88
मैसूर	...	50.72

		(रुपए लाखों में)
उड़ीसा	...	11.95
राजस्थान	...	48.36
तमिल नाडु	...	46.87
उत्तर प्रदेश	...	55.68
	कुल योग	435.972

उपरोक्त राशि में से 302.892 लाख रु० की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। शेष राशि के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा संस्थात्मक स्रोतों के माध्यम से प्रबन्ध किया जाएगा। सन् 1971-72 के बजट में 216 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) इन मार्गदर्शी परियोजनाओं के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही और अधिक धन देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

कलकत्ता में राशन की दुकानों पर खराब किस्म के चावल की सप्लाई

1064. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता की राशन की दुकान से सप्लाई किया जाने वाला चावल एकदम कच्चा तथा खराब है और मानव उपयोग के लिये बिल्कुल योग्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कच्चे तथा खराब चावल की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का कलकत्ते की इन राशन की दुकानों को अच्छे तथा सेला चावल देने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) कलकत्ता में राशन की दुकानों के माध्यम से दिए गए चावल की किस्म के एवज में कुछ शिकायतें सरकार के नोटिस में आई हैं लेकिन उनमें यह शिकायत नहीं की गई हैं कि सप्लाई किया गया चावल मानव उपभोग के योग्य नहीं है।

(ख) कलकत्ता में राशन की दुकानों से सप्लाई किए गए चावल में पश्चिम बंगाल में अधिप्राप्त सेला चावल, केंद्रीय भण्डार से सप्लाई किया गया, बंगाल से बाहर का चावल और केंद्रीय भण्डार से आवंटित कच्चा चावल शामिल हैं। यह चावल मानव उपभोग के योग्य मानक किस्म का है।

(ग) कलकत्ता में राशन की दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए केवल सेला चावल ही सप्लाई करना सम्भव नहीं है।

(घ) देश में सेला चावल का कुल उत्पादन इतना अधिक नहीं है जिससे सभी राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस चावल को उपलब्धि के आधार पर विभिन्न राज्यों में बांटना होता है।

पंजाब में भूमि विकास के लिये आवर्तक निधि

1065. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के तीन नगरों की भूमि के विकास और अर्जन के लिए आवर्तक निधि के रूप में कोई राशि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना में गरीबों, और श्रमजीवी वर्ग को कम किराये पर आवास देने के लिए भी कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्थानों से मूर्तियों की चोरी

1066. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सेझियान :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक स्थानों से मूर्तियों की चोरी अभी भी जारी है ;

(ख) क्या हाल ही में खजुराओ से अप्सरा की मूर्ति चोरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरियों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों स्थलों से चोरियों की रोक के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं या जिन्हें उठाने का प्रस्ताव किया गया है, उन्हें 15 नवम्बर, 1971 के लोक सभा के अता० प्र० सं० 159 के उत्तर में विस्तृत रूप से दिया गया है।

इन परिणामों के फलस्वरूप केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों से चोरियों की संख्या में बड़ी कमी हुई है। 1968 में हुई 33 चोरियों की अपेक्षा 1971 के दौरान (प्रथम नवम्बर, 1971) तक चोरियों की संख्या में 10 की कमी हो गई है।

राष्ट्रीय सफाई अभियान

1067. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय सफाई अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आस्तियां और दायित्व

1068. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी की, जिसका हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है, आस्तियां और दायित्व क्या हैं।

(ख) सरकार द्वारा दिए जाने वाली मुआवजे की राशि क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जयन्ती शिपिंग कंपनी की लेखा परीक्षित लेखा केवल 10-6-1966 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। बाद के लेखे की लेखा परीक्षा की जा रही है। कम्पनी के बाद की अवधियों के लेखे की लेखा परीक्षा हो जाने के बाद ही आस्तियां और देयताओं को बताना सम्भव होगा।

(ख) भागीदारों को 4.50 करोड़ रुपये का कुल मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

विद्यार्थियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन

1069. **श्री बालतन्डायुतम** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के विद्यार्थियों में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) विद्यार्थियों में इस प्रवृत्ति के प्रसार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार को, दिल्ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के विद्यार्थियों में नशीले पदार्थों के सेवन की आदत के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम

1070. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े उद्योगों विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन काम करने वाली विभिन्न इकाईयों के लिए तैयार किये गए कार्यक्रम में परिवार नियोजन से सम्बन्धित पाठ सम्मिलित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). जी नही। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किए गए

परिवार नियोजन नगर केन्द्रों में नियुक्त स्वास्थ्य शिक्षकों या परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता का एक विशिष्ट प्रतिमान स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संगठनों में परिवार नियोजन एककों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मन्जूर की जाती है, इस योजना में नगर परिवार नियोजन केन्द्रों, जो इन संगठनों में स्थापित किए जा सकते हैं, के विभिन्न टाइपों के लिए निम्न-लिखित सहायता की व्यवस्था की गई है:

10,000 तक की जनसंख्या के लिए

		रुपये
अनावर्ती		
शिक्षा सहायता, फर्नीचर आदि	...	1000
आवर्ती		
चिकित्सा अधिकारी (अंशकालिक)-1	...	1200
परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ता-2	...	1600
गर्भनिरोधक (अपेक्षित आधार पर)	...	1000
आकस्मिक व्यय	...	300
सेवा अग्रिम धन	...	500
नकद पुरस्कार	...	200
कुल आवर्ती और अनावर्ती	...	**5870**

10,000 से 25,000 तक की जनसंख्या के लिए

अनावर्ती		
शिक्षा सम्बन्धी सहायता, फर्नीचर आदि	...	2000
अंश कालिक डाक्टर—दो (एक पुरुष, एक महिला)	...	2400

परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्ता—दो (1 पुरुष—1 महिला)	...	3240
आकस्मिक व्यय	...	500
गर्भ निरोधक (आवश्यकतानुसार)	...	1500
सेवाओं के लिए अग्रिम धन	...	1000
नकद पुरस्कार	...	500
कुल आवर्ती और अनावर्ती	...	11140

25,000 से 40,000 तक की जनसंख्या के लिए

अनावर्ती

उपकरण, फर्नीचर, भवन मरम्मत और शिक्षा सहायता आदि	...	3000

आवर्ती

अंश कालिक डाक्टर—दो	...	2400
परिवार नियोजन विस्तार शिक्षक—एक	...	2880
परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्ता—दो (1 पुरुष—1 महिला) (या 4 अंशकालिक कार्यकर्ता)	...	3240
परिचारक	...	1080
आकस्मिक व्यय	...	1000
गर्भनिरोधक (अपेक्षित आधार पर)	...	1500
सेवा अग्रिम धन	...	2000
नकद पुरस्कार	...	1000
कुल आवर्ती और अनावर्ती	...	18100

इस समय सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों ने परिवार नियोजन एकक स्थापित किए हैं लेकिन उन सभी सरकारी क्षेत्र के मुख्य-उपक्रमों में, जो श्रमिकों को बड़ी संख्या में नियुक्त करते हैं, उचित टाइपों के एकांश स्थापित किए जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निजी उद्योगों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ, भारतीय चाय एसोसिएशन, भारतीय वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता, भारतीय व्यापारी मण्डल, बम्बई, वस्त्र उद्योग, बम्बई, उत्तर भारतीय मालिक एसोसिएशन आदि जैसे मालिकों के एसोसिएशनों के कुछ एककों ने अपने एककों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के संवर्धन में उत्साह दिखाया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संघ ने औद्योगिक श्रमिकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपने कार्यकलापों के एक मुख्य कार्य के रूप में अपनाया है और परिवार नियोजन का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। निजी क्षेत्र के अनेक उपक्रम नसबन्दी कराने वाले या लूप पहनने वाले अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न उद्योगों द्वारा दिए जा रही प्रोत्साहन सम्बन्धी आवश्यक सूचना एकत्र की गई और उसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया ताकि वे भी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसकी सूचना दे सकें और उन्हें इस बारे में सुझाव दे सकें कि वे अपने कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस बात की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया कि 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की बढ़ोतरी के कार्य में जो भी धन व्यय किया जाएगा उतनी ही राशि कम्पनी की आय से आय कर लगाने के समय कम कर दी जाएगी।

राज्य परिवार नियोजन अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों और उनके द्वारा किए जा रहे परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यों की विस्तृत सूचना एकत्र करें। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का विचार है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि वे कार्यक्रम में पूर्णतः अपना योगदान दे सकें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत औद्योगिक एकांश

कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी अपने औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है। 1969-70 तक वह भी अपने हितग्राहियों को, जो नसबन्दी कराते थे, प्रोत्साहन राशि देती थी। परन्तु इसका देना 31 अक्तूबर, 1969 से बन्द कर दिया गया था। इस कार्यक्रम से संवर्धन के वास्ते निगम द्वारा संचालित अनेक औषधालयों का उपयोग करके कार्यक्रम में आगे उन्हें शामिल करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

खदान क्षेत्रों और बागानों में परिवार नियोजन के सघन उपायों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू कर दी गई हैं।

नेत्रहीन शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था

1071. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नेत्रहीन शिक्षित युवकों तथा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी रोजगार कार्यालय उनके नाम रोजगार के लिए नहीं भेज रहे हैं ;

(ग) क्या यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) आवश्यक जानकारी का विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

नेत्रहीन शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन शामिल हैं, की सहायता हेतु देश के विभिन्न भागों में 9 विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय रोजगार सेवा ने केन्द्रीय सरकार के अधीन रिक्तियों के लिए विकलांग व्यक्तियों जिनमें नेत्रहीन भी शामिल है के लिए प्राथमिकता III निश्चित की है।

3. नेत्रहीन व्यक्तियों की डाक्टरी उस विशेष मैडिकल बोर्ड, जो विकलांग व्यक्ति के विशेष रोजगार केन्द्रों से संलग्न है, द्वारा की जाती है।

4. केन्द्रीय सरकार की वर्ग III और वर्ग IV की सेवाओं के लिए नेत्रहीनों को सारी आयु सीमा में 5 वर्ष की रियायत दी गई है।

5. रोजगार पूर्व जांच प्रदान करने हेतु बम्बई और हैदराबाद में व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

स्कूल के लड़के तथा लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्वस्थता कोर की सेवाओं का उपयोग

1072. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संकट की स्थिति में स्कूल के लड़कों तथा लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्वस्थता कोर की सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यकता की इस घड़ी में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के विकेन्द्रीकरण के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सीमा पर हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय में परिवर्तन करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) . राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को, जो कि शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और सहायक केडेट कोर का एक समेकित कार्यक्रम है, राज्य सरकारों द्वारा 1965 में स्कूल पाठ्यचर्या के अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर प्रशिक्षण देने और उसके बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को विकेन्द्रित करने और अनुदेशकों को राज्यों को हस्तान्तरित करने के बारे में निर्णय लेने का यही कारण था।

स्कूलों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध इस बात से नहीं है कि राष्ट्र के सामने सामान्य अथवा आपात स्थिति है।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर को विकेन्द्रित करने के निर्णय को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर विचार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैजे तथा अन्य महामारियों के कारण शिविरों में बंगला देश के शरणार्थियों की मृत्यु

1074. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आए उन शरणार्थियों की संख्या क्या है जिनकी मृत्यु विभिन्न शिविरों में हैजे तथा महामारियों के कारण हुई थी ; और

(ख) इन शिविरों तथा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय के उन शहरों में जहां शरणार्थी भारी संख्या में बसाए गए हैं की स्वच्छता सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) हैजा/जठरान्त्रशोथ और निमोनिया/श्वसनी शोथ से लोगों के मरने की सूचनाएं मिली हैं। इस बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

मृत्यु संख्या

राज्य का नाम	हैजा/जठारान्त्रशोथ	निमोनिया/श्वसनीशोथ
असम	73 (11-11-1971 को मिली सूचना)	110
मेघालय	592 (15-6-71 तक)	शून्य (1-9-71 को मिली सूचना)
पश्चिमी बंगाल	6,092 (15-11-71 तक)	8 (6-8-71 को मिली सूचना)
त्रिपुरा	1 (6-6-71 तक)	शून्य (30-7-71 को मिली सूचना)
मध्य प्रदेश (माना कैम्प समूह)	69 (5-10-71 तक)	93 (26-7-71 को मिली सूचना)

(ख) आवास, जलपूर्ति, शौचालय, कूड़ा कचरा एकत्र करने और उसके निपटान के लिए जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की आवास समस्या हल करने के उपाय

सामान्य :

(1) विस्थापितों के आने से पैदा हुई समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिए एक कैम्प में 3,000 से अधिक व्यक्तियों को न रखा जाए।

(2) स्थान ऐसा हो जहां आसानी से पहुंचने के लिए कोई मुख्य सड़क हो तथा ऐसा हो कि पानी का निकास आसानी से हो सके।

(3) **तम्बू :**

यद्यपि तम्बू अत्यन्त जकरी हालत में ही लगाए जाने होते हैं फिर भी ये बांस के डण्डों पर खड़े बांस की ही छत के ढांचे और नालीदार जस्ती चादरों वाले आधे पक्के मकानों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। फर्श चारों ओर की भूमि से कम से कम छः इंच ऊपर होनी चाहिए और उस पर दो तहों की ईंटें बिछी होनी चाहिए और छिद्र सिमेण्ट से बन्द

होने चाहिएं प्रत्येक तम्बू में खड़ी दिवारों पर कम से कम तीन फुट की ऊंचाई तक बांस की चटाइयां होनी चाहिए।

(4) तम्बूओं के बीच जमीन के पानी को किसी निकटवर्ती कुदरती नाली तक जाने के लिए ईंट और सिमेण्ट से बनी उपयुक्त नालियां होनी चाहिए।

(5) **जलपूर्ति** :

(क) इन लोगों के लिए अपेक्षित संख्या में ट्यूबवेल होने चाहिएं।

(ख) ये ट्यूबबेल कितने गहरे हों यह इस बस्ती के गत अनुभव के आधार पर तय कर लिया जाना चाहिए ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पीने योग्य पानी प्राप्त हो सके।

(ग) ट्यूबवेल के बनते ही तथा चालू होते ही पानी की किस्म की रासायनिक और जीवाणिक दृष्टि से जांच कर लेना चाहिए ताकि यह निश्चित हो जाय कि पानी पीने योग्य है।

(घ) ट्यूबवेल के खुदते ही उसके चारों ओर चार फुट का एक वर्गाकार चबूतरा बना दिया जाना चाहिए और बाहर गिरने वाले पानी के लिए कुएं से कम से कम 25 फुट तक एक पक्की नाली होनी चाहिए जो अन्त में किसी कुदरती नाली से मिली हो।

(ड़) समुचित रख-रखाव और पूरी देख रेख द्वारा हैण्डपम्पों को चालू हालत में रखा जाना चाहिए।

(च) चूंकि पानी को नित्यप्रति विसंकमित करना व्यावहारिक नहीं होगा अतः ट्यूबवेल के इर्द-गिर्द का क्षेत्र साफ रखा जाना चाहिए और इनके नजदीक शौचालय नहीं होने चाहिए।

(छ) यदि नजदीक में कोई नगर जलपूर्ति योजना हो तो ट्यूबवेल खोदने से पहले उससे पानी लेने की सम्भावना देखली जानी चाहिए। यदि कोई ऐसी सुविधा विद्यमान हो तो कैम्प के स्थान तक एक नई पाइप लाइन बिछा दी जाय और कैम्प में उपयुक्त स्थानों पर अनेक सार्वजनिक नलके लगा दिए जाएं।

(6) **शौचालय** :

(क) आपातकालीन उपाय के रूप में यथा प्रस्तावित गढ़े वाले शौचालय बना दिए जाएं किन्तु गड्ढा पक्की लकड़ी के चबूतरे से ढका होना चाहिए और यह चबूतरा बांसों पर टिका हुआ हो तथा उसमें उपयुक्त छिद्र हों। सीटों को बांस की चटा-

इयों की पार्टिशनों से अलग-अलग किया जाय । पर्दे के लिए शौचालय वाले ब्लाक के सामने बांस की चटाइयों की एक दीवार बना दी जाय ।

(ख) सीटों को समय समय पर साफ करने के लिए तथा चारों ओर जहां तहां शौच न करने देने के लिए कोई स्वीपर नियुक्त किया जाय ।

(ग) यह क्षेत्र चारों ओर से साफ रखा जाय और हर दिन ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाय ।

(घ) गड्ढे वाले अस्थायी शौचालयों के बन जाने के बाद प्रत्येक बीस सीटों वाले अस्थायी ब्लाकों में आधे पक्के शौचालयों के बनाने की व्यवस्था की जाय जिनमें प्रत्येक शौचकुण्ड (बिना वाटर सीट वाला) से छः इंच पाइप की एक ढलवां नाली होनी चाहिए जो शौचालय ब्लाक के पीछे बनी खाई से मिलती हो । यह खाई एक मीटर चौड़ी और दो मीटर गहरी हो और सारे शौचालय के बराबर लम्बी हो । 25 आदमियोंके लिए एक सीट होनी चाहिए । बांसों का उचित ढांचा खड़ा करके यह खाई बांस की चटाई से ढकी होनी चाहिए । उसको पूरी तरह बन्द करने के लिए अन्ततः इस चटाई के ऊपर तीन इंच मोटी मिट्टी बिछा दी जाय ताकि मक्खियां खाई तक न पहुंच सकें । दुर्घटनाओं से बचने के लिये खाई वाले क्षेत्र में बाड़ लगा दी जाय । जब कुछ महीनों के बाद खाई भर जाय तो उसे साफ कर दिया जाय और उस तमाम मल को किसी उपयुक्त स्थान पर जमीन में दबा दिया जाय । वह साफ हुई खाई उसी शौचालय ब्लाक के काम आ सकेगी । इन खाइयों को बनाते समय यदि आवश्यक हो तो किनारों को टूटने न देने के लिए उनपर ईंट की दीवार खड़ी कर दी जाय ।

(7) **कूड़ा व कचरा को एकत्र करना तथा उसका निपटान :**

(क) इस क्षेत्र का कूड़ा व कचरा कम से कम दिन में दो बार अवश्य एकत्र किया जाय तथा किसी ऐसे गड्ढे में डाल दिया जाय जो इस कैम्प से बहुत दूर न हो और प्रत्येक दिन मिट्टी से दबाया जाय ।

(ख) पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त कर उन्हें इस क्षेत्र की सामान्य सफाई की समुचित देख भाल का काम सौंपा जाय । इस काम के लिए शरणार्थियों के सुयोग्य स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाया जाय । उन्हें अच्छे लाउड स्पीकर भी दिये जांय ।

(ग) मक्खियों और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए डी० डी० टी० तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर और इस क्षेत्र में रुके हुए पानी को लार्वानाशी तेल से ठीक प्रकार से साफ कराया जाय ।

(घ) सामुदायिक रसोईघरों के निकट मक्खियों के प्रजनन को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाय और तैयार भोजन के निकट मक्खियों को फटकने न दिया जाय। रसोई घर से गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था की जाय और जहां तक संभव हो इस गन्दे पानी को बन्द सोक पिटों में छोड़ दिया जाय।

(8) **निरोधी उपाय** :

सभी शरणार्थियों को हैजा निरोधी टीके लगाने के लिये समुचित उपाय बरते जांय। प्रत्येक कैम्प में हैजा तथा आन्त्रशोथ के रोगियों के उपचार के लिए काफी दवाइयां रखी जाय, रोग संक्रमित व्यक्तियों को जहां तक सम्भव हो शीघ्र अलग किया जाय और उनका अलग कैम्पों अथवा निकटस्थ अस्पतालों में इलाज किया जाय।

जनता को कैंसर रोग की रोकथाम की शिक्षा देने वाले स्वयं-सेवक

1075. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता को कैंसर रोग की जानकारी देने वाले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन देने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो लोगों को बताए कि यदि वे कैंसर रोग का पता लगाने के लिए जांच परीक्षण करायें तो कैंसर रोग की रोकथाम सम्भव हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश के मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार के लिये आरक्षित स्थान

1076. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उन मैडिकल कालेजों के नाम क्या हैं जहां छात्रों के दाखले हेतु केन्द्रीय सरकार के लिये आरक्षित स्थानों का कोटा है;

(ख) प्रत्येक कालेज में ऐसे कितने स्थान है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के इन आरक्षित स्थानों के लिये किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1071/71]

(ग) विभिन्न आरक्षित वर्गों के केन्द्रीय नामजद उम्मीदवारों द्वारा उनके क्वालिफाइंग परिक्षाओं में प्राप्त अंकों पर निर्धारित योग्यता, उनके चयन का आधार होती है।

दिल्ली/नई दिल्ली में निर्माणाधीन टाइप III और IV क्वार्टर

1077. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन टाईप III और IV क्वार्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) यह क्वार्टर कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे और पात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिए जाएंगे ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल इन दो टाइपों के क्वार्टरों की प्राथमिकता तिथि वर्ष 1948 चल रही है सरकार ने टाइप III और टाइप IV के क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है ; और

(घ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित इन दो टाइप के क्वार्टरों के लिये क्वार्टरों के निर्मित होने के बाद प्राथमिकता तिथि कहां तक पहुंचने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). वर्ष के दौरान पहले पूरे हो चुके तथा आवंटन के लिए सम्पदा निदेशालय को हंस्तांतरित किए गए टाइप III के 336 क्वार्टरों के अतिरिक्त, दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप III और टाइप IV के निम्न-लिखित रिहायशी एकक निर्माणाधीन हैं। उनके पूरे हो जाने की सम्भावित तारीख उनके सामने दी गई है :—

	क्षेत्र	टाइप III	IV	पूरे होने की सम्भावित तारीख
1.	प्रोब्यन रोड तिमारपुर	64	...	25-7-72
2.	तिमारपुर	160	...	30-1-73
3.	डी० आई० जेड० एरिया	...	124	31-6-73
4.	फौच स्केयर डी०आई० जेड० एरिया	64	...	31-6-72

क्षेत्र	टाइप III	IV	पूरे होने की सम्भावित तारीख
5. आर० के० पुरम	120	456	31-6-72
6. मोती बाग/ नानकपुर	148	192	31-6-72
	556	772	

(ग) 16 नवम्बर, 1971 तक जिन प्राथमिकता की तारीखों के लिए व्यवस्था कर दी गई है, वे निम्न प्रकार हैं :—

टाइप III ... 9-1-42

टाइप IV ... 9-7-42

मसजिद मोठ क्षेत्र में टाइप III के 720 और टाइप IV के 152 रिहायशी एककों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गई है, और निर्माण के निकट भविष्य में आरम्भ होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, टाइप II के 1932 और टाइप IV के 178 क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) फिलहाल निम्नलिखित प्राथमिकता की तारीख वाले व्यक्तियों से आवेदन निमंत्रित किये गए हैं ;

टाइप III ... 31-12-50

टाइप IV ... 31-12-4

टाइप III में परितुष्टि की प्रतिशतता 45.84 है और टाइप IV में वह 63.55 है। अभी और आवेदन नहीं मांगे गए हैं। इस स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त निर्माण के पूरे हो जाने पर किस प्राथमिकता की तारीख तक व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1078. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 29 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रस्तावित एक होम्योपैथी, दो आयुर्वेदिक और दो एलोपैथी औषधालय इस बीच खोल दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर खोले गए हैं और क्या उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और उक्त प्रस्तावित औषधालय कब तक खोल दिए जाएंगे और यह कब काम करना आरम्भ कर देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). अभी तक केवल एक ही होम्योपैथिक औषधालय मन्जूर किया जा सका है और इसे देवनगर, दिल्ली में खोलने का प्रस्ताव है। स्थान आदि का उचित प्रबन्ध होते ही यह औषधालय अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

बंगला देश से आए शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों और अधिकतम मितव्ययता की आवश्यक्ता को देखते हुए शेष औषधालयों को खोला नहीं जा सका। स्थिति सुधरते ही इन औषधालयों को खोलने की कार्यवाही की जाएगी।

डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में निर्माणाधीन क्वार्टर

1079. **श्री अमरनाथ चावला :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में निर्माणाधीन क्वार्टर बनकर तैयार हो गए हैं और सम्पदा निदेशालय को सरकारी कर्मचारियों के बीच आवंटित करने के लिए सौंपे जा चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन क्वार्टरों के कब तक तैयार हो जाने तथा सौंपे जाने की संभावना है;

(ग) डी० आई० जैड० क्षेत्र में विभिन्न टाइप के कुल कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं; और

(घ) डी० आई० जैड० क्षेत्र में तैयार हुए इन क्वार्टरों को किस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). डी० आई० जैड० क्षेत्र में क्वार्टरों के निर्माण का कार्य क्रमानुसार चरणों में किया जा रहा है। अब तक टाइप I के 64, टाइप II के 56 तथा टाइप III के 79 क्वार्टर पूर्ण किए जा चुके हैं तथा वे सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए गए हैं।

टाइप II के अन्य 136 क्वार्टर तथा टाइप III के 89 क्वार्टर भी पूर्ण हो गए हैं तथा दखल में लेने के लिए दिसम्बर 1971 तक उनके तैयार होने की संभावना है ।

(ग) 64 टाइप III के, तथा 124 टाइप IV के क्वार्टर डी० आई० जैड० क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं।

(घ) क्वार्टरों का निम्नलिखित ढंग से आवंटन किया गया है :

(i) टाइप I के 64 क्वार्टर 85 ब्लाक पंचकुयां रोड के आवंटियों को, उनके क्वार्टरों को खाली करवाने के लिये जो गिराने अपेक्षित थे, स्थानान्तरित करने के लिए उपयोग में लाए गए।

(ii) टाइप II के 56 क्वार्टर निम्न प्रकार से आवंटित किए गए :

पंचकुयां रोड के टाइप I के क्वार्टरों को गिराने तथा उनको डी० आई० जैड० क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए	...	5
कर्मचारियों की मृत्यु होने पर तथा सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप तदर्थ आवंटन	...	6
चिकित्सा आधार पर तदर्थ आवंटन	...	6
तदर्थ स्थानान्तरण	...	6
बारी पर स्थानान्तरण	...	12
प्रतिबंधित क्षेत्र में बारी पर	...	2
महिला पूल	...	4
विलिंगडन हस्पताल विवाहित नर्सिंग स्टाफ को आवंटन के लिए		7
प्रेस पूल	...	5
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोटा		3
	कुल	56

(iii) टाइप III के 79 क्वार्टरों का निम्न प्रकार से आवंटन किया गया है :

तदर्थ आवंटन/बिना बारी के स्थानान्तरण	...	24
प्रेस पूल को दिए गए	...	5

विलिंगडन अस्पताल के विवाहित नर्सिंग स्टाफ को आवंटन के लिए दिए गए	...	3
महिला पूल को दिए गये	...	2
स्थानान्तरण प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों को आवंटन किया गया	...	45
	कुल	79

अयोध्या में विश्वविद्यालय की स्थापना

1080. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर अयोध्या में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जोरदार मांग हैं, और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख). फैजाबाद के एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार के पास आई है। तथापि इस मांग को स्वीकार करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है ।

टलमा पुल जलपाईगुडी में दुर्घटना से हताहत व्यक्ति, और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का भुगतान

1081. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुडी में (पश्चिम बंगाल) से 15 किलोमीटर दूर टलमा पुल पर 22 सितम्बर, 1971 को एक दुर्घटना में बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से जख्मी हो गये;

(ख) क्या उस दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों में अधिकांश सरकारी कर्मचारी थे;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम आदि क्या हैं; और

(घ) क्या पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं यो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व युवक केन्द्र के निदेशक द्वारा त्यागपत्र

1082. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र के प्रथम निदेशक श्री कृष्ण स्वामी ने इस पद से हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है, और

(ख) यदि हां तो उनके त्याग पत्र देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) चूँकि त्याग पत्र बम्बई में प्रबंध न्यासी के पास था सरकार उनके त्याग पत्र के कारणों से अवगत नहीं है।

विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति में सुधार

1083. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) किन-किन विश्वविद्यालयों ने इन सुधारों को क्रियान्वित किया है; और

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) परीक्षा पद्धति में सुधार के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने 1957-60, 1967-68 तथा 1968-69 में अध्ययन किया है। भारत और श्री लंका के अन्त: विश्वविद्यालय बोर्ड ने जनवरी, 1971 में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं पर एक सेमिनार आयोजित किया था। इन समितियों तथा सेमिनार की रिपोर्ट विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दी गई है। उसकी प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में भी रख दी गई हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी परीक्षाओं पर एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट बोर्ड के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई सूचना के अनुसार, परीक्षा पद्धत्ति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू करने हेतु निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा कदम उठाए गए हैं। कदम उठाने का विचार है : आगरा, इलाहाबाद, आंध्र, अन्नामलाई, असम कृषि, बनारस हिन्दु, बंगलौर, बहरामपुर, कलकत्ता, कालिकट, गोहाटी, डिब्रुगढ़, गोरखपुर। इंदिरा कला संगीत, जादवपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि, जोधपुर; के० एस० दरभंगा संस्कृत, मद्रास, मदुरै, मेरठ, एम० एस० बड़ौदा, पंजाब, पटना, पूना, पंजाबी, राजस्थान, रविशंकर, रुड़की।

सरदार पटेल, सम्बलपुर, सागर, शिवाजी, एस० एन० डी० टी० महिला, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, श्री वैंकटेश्वर, कृषि विज्ञान, बंगलौर, कृषि तथा प्रौद्योगिकी, भुवनेश्वर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश कृषि, उत्कल, विश्व भारती, बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी गुरुकुल कागड़ी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई, आंध्र प्रदेश कृषि, मराठवाड़ा, इन्दौर, कुरुक्षेत्र, अलीगढ़ मुस्लिम, गुजरात विद्यापीठ, दिल्ली बम्बई, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ, कानपुर, कर्नाटक, भागलपुर, जम्मू और काश्मीर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तथा विक्रम।

शेष विश्वविद्यालयों के बारे में स्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पन्न कठिनाई कम करने हेतु राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

1084. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि से उत्पन्न कठिनाई को कम करने हेतु स्थानीय मंडियों में खाद्यान्न भेजने के लिए राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे स्थिति और अधिक खराब नहीं होगी; और

(ग) क्या किसानों में यह भावना है कि अब प्रचुर मात्रा में फसल बोने का चक्र समाप्त हो गया है और अगले वर्षों में उत्पादन कम होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में हुई प्रगति पर असन्तोष

1085. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने अभी हाल में ही जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में हुई प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया है;

(ख) कार्यक्रम के लक्ष्य में कमी के क्या कारण थे; और

(ग) हमारी अर्थ व्यवस्था पर जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या तुरन्त और समन्वित कार्यवाहियां की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) 14 और 15 अक्तूबर, 1971 को हुई अपनी सातवीं बैठक में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने यह नोट किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम ने गत दो वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन उसने यह महसूस किया कि अगले दशक में जन्म-दर को घटाकर 25 प्रति हजार तक लाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम की वर्तमान गति काफी नहीं है।

(ख) अपर्याप्त आधारिक ढांचे का होना, प्रशिक्षण-प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कमी होना और उत्कृष्ट गर्भनिरोधक तरीके अथवा उपाय का न होना कार्यक्रम की मुख्य बाधाएं हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्तम परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नों को तेज करने के लिए जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) एक नई प्रेरणा नीति तैयार की गई है जिसमें माता के स्वास्थ्य और बच्चे के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। सेवा जो व्यक्तियों और विशिष्ट वर्गों से अधिक से अधिक सम्बन्धित होगी।

(ख) देश में ही तैयार किए गए तरीकों और उपायों के उपयोग के साथ-साथ गर्भनिरोधक के सुधरे हुए तकनीक तैयार करने पर भी अधिक जोर दिया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, परिवार नियोजन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(घ) गर्भाशयी, गर्भरोधक और नसबन्दी की उत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें उत्तम चयन, बाद की अच्छी देखभाल तथा इन तरीकों के सम्बन्ध में जनता का डर और आशंका दूर करना सम्मिलित है।

(ङ) नसबन्दी के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने के लिए एर्नाकुलम शिविरों में जो सघन नीति अपनाई गई थी उसे सारे देश में लगभग 25 बड़े शिविरों में प्रयोग किया जाएगा।

(च) कुछ समय के लिए उन दम्पत्तियों पर अधिक प्रयत्न किए जाएंगे जो परिवार नियोजन के तरीकों का अनुमोदन तो करते हैं परन्तु अभी तक उन्होंने इसे अपनाया नहीं है।

(छ) प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वन्ध्यकरण और निरोध जैसे तरीकों को, जिन्हें अपनाने की दिशा में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है, पूर्ण सहायता दी जाएगी।

(ज) सभी स्तरों पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोज़न तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विलय कर दिया जाएगा।

(झ) परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा और उसे अधिक सघन बनाया जाएगा।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के लाभ में कमी

1086. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के कुछ लाभ में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो लाभ न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शिपिंग कारपोरेशन की लाभ-देयता को बढ़ाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। यदि 1968-69 में लाभ देयता में कमी हुई थी, किन्तु 1969-70 तथा 1970-71 के अगले दो वर्षों में उसमें वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिपिंग कारपोरेशन की लाभ देयता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) तेल पोतों तथा खुले माल वाहकों की संख्या बढ़ाकर क्रियाकलापों में वृद्धि करना,

(2) अन्य परिचालकों के साथ बेहतर तालमेल द्वारा सेवाओं का युक्तिकरण,

(3) माल नीमरण तथा माल ले जाने की बेहतर विधियां,

(4) परिचालन परिणामों की लगातार समीक्षा, तथा

(5) जहां भी सम्भव हो वहां जहाजों के विराम काल में सुधार।

चिकित्सीय आधार पर सरकारी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा सूची

1087. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों के सरकारी आवास के लिए प्रार्थनापत्र चिकित्सीय आधार पर स्वीकार किए गए उनमें से कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) उक्त परीक्षा सूची में पहले व्यक्ति का नाम कब से है ; और

(ग) उन व्यक्तियों को सरकारी आवास कब तक आवंटित किए जा सकेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). विभिन्न टाइपों में उन व्यक्तियों की संख्या जिनके वास के अनुरोधों को चिकित्सा आधार पर स्वीकृत कर लिया गया है, तथा जिस तारीख से पहला व्यक्ति उक्त प्रतीक्षा सूची में है, वह निम्न प्रकार से हैं :—

	टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV	टाइप V	टाइप VI
प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या	1	52	1	1	4	2
जिस तारीख से पहला व्यक्ति प्रतीक्षा में है	14-10-71	3-9-71	25-10-71	30-8-71	19-7-71	10-9-71

(ग) यह निर्णय किया गया है कि समस्त परिस्थितियों का ध्यान रखकर तदर्थ आधार पर आवंटन करने का निर्णय किया जाए, वास के लिए चिकित्सा आधार पर तथा अन्य कारणों से उन व्यक्तियों को जो वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते तदर्थ आधार पर साढ़े बारह प्रतिशत रिक्तियों का आवंटन किया जाए। यह बताना संभव नहीं है कि सामान्य पूल से ऐसी प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को वास कितने समय तक आवंटित किया जा सकेगा, क्योंकि यह टाइप विशेष में होने वाली रिक्तियों पर निर्भर करता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के जन्म को रोकना

1088. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कितने राज्य ऐसे थे जिनमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा

बच्चों के जन्म को रोकने की संख्या अधिकतम थी और कितने राज्य ऐसे थे जिनमें देश में अधिकतम नसबन्दी आपरेशन किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यह स्थिति विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष 1669-70, 1970-71 और 1971-72 में 30 सितम्बर, 1971 तक जिन राज्यों की प्रति हजार जनसंख्या नसबन्दी के समकक्ष मामलों की दरें अखिल भारतीय दर से अधिक है उन राज्यों की स्थिति

क्रमांक	राज्य का नाम	नसबन्दी के समकक्ष मामलों की प्रति हजार जनसंख्या स्थिति और दर					
		1969-70		1970-71		1971-72	
		दर	स्थिति	दर	स्थिति	दर	स्थिति
1	उड़ीसा	5.6	1	5.5	1	1.9	8
2	महाराष्ट्र	5.2	2	5.3	3	2.7	3
3	आंध्र प्रदेश	5.0	3	5.5	2	2.7	4
4	पंजाब	4.2	4	3·5	6	2.8	2
5	गुजरात	4.0	5	3.9	4	2.3	5
6	मध्य प्रदेश	3.6	6	2.3*		0.9*	
7	केरल	3.6	7	3.8	5	4.0	1
8	तमिलनाडु	3.2	8	2.3*		2.2	6
9	हरियाणा	3.2	9	3.4	7	2.2	7
10	जम्मू व कश्मीर	2.1*		3.1	8		
	अखिल भारत	3.2		3.04		1.64	

* यह उन राज्यों की दरों को दर्शाती हैं जिनकी दरें सम्बन्धित वर्षों में अखिल भारतीय दरों से कम हैं और जिनको क्रम विन्यास में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी :—"नसबन्दियों के समकक्ष" संख्या निकालने के लिए एक नसबन्दी को तीन लूप पहनने के समकक्ष माना गया है। इसी प्रकार प्रचलित गर्भनिरोधकों के 12 प्रयोगकर्ताओं को एक नसबन्दी के समकक्ष माना गया है।

विवरण-2

जिन राज्यों की दरें अखिल भारतीय दर से अधिक हैं उन राज्यों की दरें और आरम्भ से की गई नसबन्दियों की संकलित संख्या

(राज्यों को दरों के क्रमानुसार रखा गया है)

प्रति हजार जनसंख्या की दर के अनुसार स्थिति	राज्य का नाम	सितम्बर, 1971 तक की गई नसबन्दियों की संकलित संख्या	दर प्रति हजार जनसंख्या
1	महाराष्ट्र	1532061	30.5
2	तमिलनाडु	1051703	25.6
3	उड़ीसा	537193	24.5
4	केरल	503978*	23.7*
5	आंध्र प्रदेश	1028222	23.7
6	गुजरात	568744	21.3
7	मध्य प्रदेश	730036	17.6
8	पंजाब	235604	17.5
	अखिल भारत	9307291	17.0

* केरल के आंकड़े केवल अगस्त, 1971 तक हैं, क्योंकि सितम्बर के आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

टिप्पणी : निर्दिष्ट तारीख तक की गई नसबन्दियों की कुल संख्या को वर्ष 1971-72 की मध्य-वर्षीय जनसंख्या द्वारा विभाजित करके दरें निकाली गई हैं।

उत्तर प्रदेश द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए अनुरोध

1089. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बाढ़ से फसल की क्षति होने के कारण केन्द्र से गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल रखने की 1971 के प्रारम्भ में सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में इस सिफारिश को दोहराया है। यह पत्र कुछ दिन पहले मिला था।

(ख) सरकार सभी संगत पहलुओं और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गयी सिफारिशों पर ध्यान से विचार करने के बाद 9.4 प्रतिशत उपलब्धि पर गन्ने का 7.37 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य जारी रखने का निर्णय किया है। उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक .1 प्रतिशत वृद्धि पर मूल्य में 6.6 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था है। चीनी के चल रहे ऊंचे मूल्यों को देखते हुए यह आशा की जाती है कि उद्योग गन्ने का अधिक मूल्य देगा।

वन्य जीवन की उपयोगिता और उसके संरक्षण का आदिम जातियों में प्रचार

1090. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय जन संख्या विभिन्न राज्यों की अर्थ व्यवस्था में वन्य जीवन की उपयोगिता से अभी भी अनभिज्ञ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आदिम जातियों की जनता में वन्य जीवन के संरक्षण में सहयोग देने के लिए प्रचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) शिक्षा और प्रचार कार्यों की प्रगति के कारण आदिम जन जातियों में वन्य प्राणियों की उपयोगिता के बारे में अधिव जागृति आ रही है।

(ख) और (ग) . अधिकांश राज्यों में आदिम जन जाति के क्षेत्रों में विशेषकर वन्य प्राणि सप्ताह के दौरान पोस्टर व पुस्तिकायें बाँटी जाती हैं और वन्य प्राणियों के विषय में फिल्में दिखाई जाती हैं। कुछ राज्यों में जंगल में चोरी होने के अपराधों के बारे में जानकारी देने के लिए उपहार दिये जाते हैं।

कुछ राज्यों में हाथी के महावत, वन्य प्राणि रक्षक और बन रक्षक आदि विशेष कार्यों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण के सप्ताहों में शेर तथा अन्य वन्य पशुओं के मारे जाने के सम्बन्ध में जांच

1091. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण सप्ताहों में शेरों तथा अन्य वन्य पशुओं को मारने के लिए लाइसेंस दिए थे; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी नहीं। वन्य-प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान शेरों तथा अन्य पशुओं को मारने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किये गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

माध्यमिक शिक्षा विधेयक का पुर:स्थापित किया जाना

1092. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली महानगर परिषद द्वारा पारित रूप में माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1970 पहुंच गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू सत्र में विधेयक को पुर:स्थापित करने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नियम और विनियम

1093. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नियम एवं विनियम क्या हैं; और

(ख) संस्थान प्रबन्ध के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी०

यादव) : (क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नियमों और संस्था के ज्ञापन-पत्र की प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 1072/71]

(ख) (1) केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति।

(2) श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।

(3) श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू।

(4) सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, पुरी।

(5) गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (भूतपूर्व गंगानाथ झा अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद)।

मैसूर राज्य में औषधियों की सप्लाई के लिए टैंडर

1094. **श्री के० मालन्ना** :

श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व मैसूर राज्य द्वारा औषधियां सप्लाई करने के लिए टैंडर आमंत्रित किए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में स्टैंडर्ड और सुप्रसिद्ध फर्मों के स्थान पर ऐसी फर्म या फर्मों के टैंडर स्वीकार कर लिए गये थे। जिनके नाम स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं थे ;

(ग) क्या मैसूर सरकार द्वारा अप्रसिद्ध फर्मों के टैंडर स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप घटिया तथा पुरानी औषधियां ऊंचे मूल्यों पर स्वीकार कर ली गयी थीं ;

(घ) क्या सरकार का विचार केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने का है; और

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर में दवाइयां खरीदने में घोटाला

1095. **श्री के० मालन्ना** :

श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व मैसूर राज्य में राज्य की सी० आई० डी० को दवाइयां खरीदने में हुआ घोटाला तुरन्त जांच के लिए सौंपा गया था ;

(ख) क्या इसकी उचित जांच नहीं की गई और इस पूरे कांड को दबा दिया गया यद्यपि यह तुरन्त दण्ड दिए जाने योग्य प्रथम दृष्टया मामला था ;

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ था ;

(घ) क्या इस कांड से सम्बन्धित व्यक्तियों में से एक को सेवानिवृत होने दिया गया और दूसरे को एक अन्य विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार सौंप दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को संकर बाजरा बीजों की सप्लाई के विरुद्ध शिकायतें

1096. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष से भारत भर के किसानों से संकर बाजरा के सम्बन्ध में आम शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गत एक वर्ष के दौरान संकर बाजरे के विषय में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने शिकायतें की हैं।

(ख) ये शिकायतें खरीफ, 1970 और खरीफ, 1971 की बाजत बाजरे की फसलों में डाऊनी मिलडयू (हरित-बाल रोग) के प्रभाव से सम्बन्धित थीं। और कहा जाता है कि यह रोग दोषपूर्ण बीजों के सम्भरण के कारण हुआ था।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम और भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के प्रजननकों/वैज्ञानिकों के परामर्श से इन शिकायतों की पूर्ण रूप से जांच करवाई गई थी। बताया जाता है कि यह रोग मुख्यतया मृदा तथा वायु-जनक है और यदि बीज द्वारा बाहर से भी बीजाणु आ जायें तो उपयुक्त बीजोपचार द्वारा इन्हें पूर्णतया नष्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय बीज निगम के समस्त बीज बीजोपचार के उपरान्त ही बेचे जाते है। बीजोपचार से ये संक्रमण-रोग से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु ऐसे बीज (उपचारित तथा स्वस्थ) की फसल भी पिछली फसल की मृदा

या हवा में विद्यमान रोग के बीजाणुओं से प्रभावित हो सकती है। यह रोग स्थानीय बाजरे की किस्मों को भी प्रभावित करती है परन्तु केवल संकर बाजरे के विषय में ही शिकायतें की गई है, चूंकि जिस किसान ने बीज के अधिक मूल्य दिए हैं वह रोग से मुक्त फसल चाहता है। फिर भी, विशेषज्ञ इस बात की एक बार फिर जांच कर रहे हैं कि यह रोग बीज से कहां तक उत्पन्न हुआ है और इस दिशा में कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

संकर बाजरे की ऐसी नयी किस्म के जोकि इस रोग की प्रतिरोधी होगी, विकास की समस्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को गत वर्ष भेजी गयी थी। पौध प्रजनन इस रोग की प्रतिरोधी किस्मों के विकास के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय बीज निगम से भी अधिक उत्पादनशील बाजरे की किस्मों के कार्यक्रमों के विस्तार कार्य को बढ़ाने तथा कृषक को यह बताने का अनुरोध किया जारहा है कि कौन-कौन सी सावधानियां बरतने से वह इस रोग के संक्रमण को कम कर सकता है।

Ban imposed on Forward Trading in Gur, Crushing of Sugarcane etc. on Dewali Day

1097. **Shri Ram Chandra Vikal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Government had imposed a ban on forward trading in gur and the crushing of sugarcane over crushers and "Khara Kohlu" on Dewali day ;

(b) if so, the basis on which the said decision was taken ;

(c) whether a deputation of the farmers called upon the Minister of Food and Agriculture in this regard ; and

(d) if so, the demands put forth by the said deputation and the decision taken by the Government thereon ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b). Government decided to suepend forward trading in gur in order to curb speculative rise in its price leading to undue diversion of sugarcane from sugar to gur production. This decision was communicated to the Forward Markets Commission on the 16th October, 1971 and the Commission notified it on the 18th October, 1971 which happened to be Dewali day. The Government of India have not banned the crushing of sugarcane by crushers or 'Khara Kohlu'.

(c) Yes, Sir. A deputation led by the Hon'ble Member himself met the Minister of Agriculture.

(d) The deputation urged for issue of orders to allow resumption of forward trading in gur, removal of restrictions on 'Khara Kohlus' and crushers and immediate payment of cane price dues. The decision to suspend forward trading in gur has beee taken after careful consideration and it is not proposed to reverse this decision for the present. In view of the reply to parts (a) and (b) above, the question of removal of restrictions on cru-

shers and 'Khara Kohlus' does not arise. The State Governments have been requested to take stringent measures for early payment of cane price arrears by sugar factories.

ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों की नियुक्ति

1098. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों को नियुक्त करने के सरकार के प्रयत्न बहुत सफल नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत से स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल बिना डाक्टरों के कार्य कर रहे हैं जिससे ग्रामीण जनता को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या उन डाक्टरों के विरुद्ध जो ग्रामीण केन्द्रों में कार्य करने से मना करते हैं कोई कार्यवाही की जाती है; और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों को नियुक्त करने के सरकार के प्रयत्न सफल हुए हैं क्योंकि 30-6-71 को केवल 3.4 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही बिना डाक्टरों के थे जबकि 1960 में 20.7 प्रतिशत थे।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकारों/संघ-क्षेत्र प्रशासनों ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों का सम्मिलित काडर बनाना।

(2) ग्राम-भत्ता, परिवहन सुविधाओं, विना किराये के सुसिज्जत आवास, पीने का स्वच्छ जल तथा बिजली आदि के रूप में अनेकों प्रोत्साहन एक साथ प्रदान करना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाओं का विशेषकर भवनों, रिहायशी क्वार्टरों के रूप में, सुधार करना।

(4) ग्रामीण-क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक सेवा-मुक्त डाक्टरों को पुनः रोजगार देना।

(5) अग्रिम वेतन-वृद्धि देना।

कुछ राज्यों में चिकित्सा छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी होने के उपरांत कतिपय वर्गों तक ग्राम-क्षेत्रों में सेवा करने के हेतु बंधित करने के विचार से शिक्षा-वृत्ति/छात्र-वृत्ति देने के प्रस्ताव किये हैं।

एक योजना भी तैयार की गई है जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत सहायता उन डाक्टरों को 150 रु० प्रतिमास भत्ता देने के लिए देगी जो कि दूरवर्ती पिछड़े तथा अभाव-ग्रस्त समझे जाने वाले 400 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सुख-सुविधाओं के कारण, अब ग्राम-क्षेत्रों में कार्य करने के बारे में डाक्टरों की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक अच्छी है।

अवैध शराब पीने से मृत्यु

1099. **श्री राय सहाय पांडे :**

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :

श्री विजय पाल सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में बार-बार प्रकाशित होने वाले इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा जाता है कि देश के विभिन्न भागों में देशी अथवा अवैध रूप से निकाली गई शराब के पीने से अनेक व्यक्ति मर गये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक मामले में राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने और अवैध रूप से शराब निकालने तथा नकली शराब के बनाये जाने और उसकी बिक्री को बंद करने एवं जनसमुदाय में इसके उपभोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी; हां।

(ख) सरकार को इस बारे में चिंता है और अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों को लिखा गया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 15 सितम्बर, 1971 को अवैध शराब के पीने से 225 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अन्तिम सूचना के अनुसार, अभी तक 77 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और विशेष पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगे जांच की जा रही है।

मनीपुर, गोवा, दमन और दीऊ, लक्कादीव और चंडीगढ़ प्रशासनों ने सूचना भेजी है कि उनके

क्ष त्राधिकार में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। दूसरी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) मद्यनिषेध को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होने के कारण, उनसे अवैध शराब बनाने तथा नकली मादक वस्तुओं के बनाये जाने और उनकी बिक्री को रोकने के लिये उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

भूतपूर्व नरेशों की भूमि का अधिग्रहण करने की नीति

1101. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई नीति निश्चित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व नरेशों की भूमि को जोत की अधिकतम सीमा के कानून से छूट दी हुई है। अन्य सब राज्यों में जहां तक जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों को लागू करने का सम्बन्ध है, भूतपूर्व नरेशों की स्थिति अन्य कृषकों के समान ही है।

नगरीय परिवहन आयोग गठित करने का प्रस्ताव

1102. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नगरीय परिवहन गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युवक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

1103. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का युवक कल्याण बोर्ड को पुनर्गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा और इस बोर्ड के गठन के बारे में क्या प्रस्ताव हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत राष्ट्रीय युवक सलाहकार बोर्ड (राष्ट्रीय युवक बोर्ड) की ओर है, जिसकी स्थापना सरकारी संकल्प दिनांक 15 जुलाई, 1970 के अधीन की गई थी। सरकारी संकल्प तथा बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न की जा रही है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1073/71]

इस बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बोर्ड की शर्त तीन वर्ष की अवधि के लिए है।

दिल्ली में यातायात की समस्याएं और दुर्घटनाएं

1104. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च तक गत दो वर्षों में दिल्ली में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) राजधानी की बढ़ती हुई याता की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गत दो वित्तीय वर्षों में दिल्ली में दुर्घटनाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार से थी:—

19 69-70	—	8351
1970-71	—	7746

(ख) और (ग). सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए तथा यातायात नियन्त्रण के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) यातायात, संभाव्य खतरनाक स्थानों आदि के अध्ययन के लिए संगठित प्रयत्न किये गए हैं तथा इस आधार पर, मुख्य सड़कों को चौड़ा करने, अधिक भीड़ वाले चौराहों पर सिगनल लगाने, चौड़ी सड़कों पर मध्यम पट्टियों पर रंग करने तथा सड़कों पर रोशनी की अधिक अच्छी व्यवस्था के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों की सिफारिशें की जाती हैं।

(2) सड़क सुरक्षा शिक्षा जिसमें सड़क सुरक्षा पर भाषण और यातायात नियमों का पालन शामिल है शैक्षिणिक सस्थानों में दी जाती है ।

(3) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं और हास्य लेख जनता व शहरों में बच्चों को बांटी जाती हैं ।

(4) यातायात सुरक्षा पर सिनेमा स्लाइड, और टेलीविजन प्रदर्शन भी सड़क सुरक्षा पर आयोजित किये जाते हैं ।

(5) जहाँ कही संभव हो सड़के चौड़ी की जा रही हैं और पटरियों का सुधार किया जा रहा है ।

(6) विभिन्न सड़क चौराहों पर विद्युत सिगनल और जलती बुझती बत्तियां लगा दी गई है ।

(7) शहर के भीड़ भाड़ वाले भागों में एक तरफा यातायात शुरू कर दिया गया है । इन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से भारी गाड़ियों को गुजरने की अनुमति नहीं होती है ।

(8) इरविन रोड़ पर बच्चों के लिए एक पार्क में यातायात प्रशिक्षण पूरे जोरों पर रहा है ।

(9) परिवहन गाड़ियों के बारे में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र जारी करने के पहले सख्त जांच की जाती है ।

(10) चल पुलिस दस्तों द्वारा गाड़ियों की गति जाल प्राय : आयोजित की जाती है और उन चालकों के खिलाफ विधि के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं और असावधानी से चलाते हैं या अधिक रफ्तार पर चलाते हैं ।

(11) चलते फिरते पुलिस दस्तों और उड़न दस्तों द्वारा गाड़ियों की आकस्मिक जांच की जाती है ।

(12) शहर के कुछ क्षेत्रों में दिन के दौरान कुछ विशिष्ट समय के लिए भारी गाड़ियों को चलाना प्रतिबंधित किया गया है ।

(13) बहुत सी सड़कों पर गति सीमा नियत करदी गई है और पटलों पर दिखाई गई है ।

(14) स्थल पर ही गिरफतारी करने तथा मुकदमें के लिए दो चल न्यायालय पूरा महीना भर कार्य करते रहते हैं ।

दस वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा काल वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के पास सरकारी आवास न होना

1105. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के तथा दिल्ली प्रशासन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिनका सेवाकाल दस या दस वर्ष से अधिक है और जिन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं किये गये हैं; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान उनमें से कितने कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) . सामान्य पूल से वास का आवंटन विभिन्न टाइपों के लिए निर्धारित वेतन सीमाओं के आधार पर किया जाता है न कि कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार। श्रेणी III और श्रेणी Iv के कर्मचारी प्रायः टाइप I, II और III के पात्र होते हैं। आवंटन-वर्ष विशेष के दौरान, मकानों की संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली / नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र, सीमित आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं, और टाइप II और III के लिए दस वर्ष या इससे अधिक की सेवा वाले अधिकारियों की संख्या से संबंधित सांख्यिकी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। टाइप I, II और III के लिए, 1 अगस्त, 1970 से आरंभ होने वाले आवंटन वर्ष के लिए जिस प्राथमिकता की तारीख तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उन अधिकारियों की संख्या जो अभी तक आवंटन की प्रतीक्षा कर रहें हैं तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान निर्माण के लिए स्वीकृत क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है:—

टाइप	प्राथमिकता की तारीख जिस तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।	अपने पात्र टाइपो में अभी तक आवेदन की, प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की संख्या	स्वीकृत एककों की संख्या
I	31-12-1962	4,333	304
II	31-12-1955	3,438	1,732
III	31-12-1950	2,410	1,716

इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अगले पांच वर्षों में उनमें से कितनों को आवंटन किए जाने की संभावना है।

झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

1106. **श्री एच० के० एल० भगत :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :

श्री के० लकप्पा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को उनके स्थायी स्थानों पर बसाने और उनके लिए उनकी वर्तमान जगहों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में, 1971 में हुए लोक सभा के चुनावों के बाद झुग्गी झोपड़ियों से सम्बन्धित अपनी नीति में सरकार ने परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तरह से किया गया है और इसकी क्रियान्विति के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). झुग्गी-झोपड़ियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण योजना पुनरीक्षणाधीन है।

सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण

1107. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने सम्बन्धी परियोजना समाप्त कर दी गयी है अथवा उसका कार्यान्वयन निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना को कब स्वीकृति दी गयी थी, इस पर कुल कितनी लागत आनी थी और इसका कितना कार्य किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सफदरजंग रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा 1,23,41,400 रुपये वाली एक योजना अप्रैल,1970 में मंजूर की गयी थी। इस योजना में से 55.28 लाख रुपये की लागत के सम्बद्ध कार्यों को पूरा किया जा चुका है।

देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति का चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली पर प्रभाव

1108. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे की स्थिति का खाद्यान्नों के वसूली लक्ष्यों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा नियत 43 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(ग) चावल भंडार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और देश में चावल की वसूली के बारे में आगे की क्या संभावनाएं हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की बाढ़ तथा सूखा से हुई क्षति के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि देश के कुछ भागों में सूखे और बाढ़ से फसलें प्रभावित हुई हैं फिर भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1971-72 मौसम के लिये अभिस्तावित 43 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। अक्तूबर, 1971 के अन्त में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास चावल का प्रत्यक्ष स्टाक लगभग 16 लाख मीटरी टन था।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा कूड़ा-करकट साफ कराने का प्रबन्ध

1109. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कूड़ा-करकट साफ कराने के सम्बन्ध में कोई विशेष उपाय कर रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जी हाँ। शहर के अन्दर से कूड़ा-करकट एकत्र करने और उसके निपटान के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने कलकत्ता नगर निगम को 30 ट्रक, 45 स्व-चालित इंजन, 2 बुलडोजर, कूड़ा डालने वाले 2 पे-लोडर, रेलवे वैगन तथा शंटर आदि जैसे अन्य उपस्कर दे रखे हैं। कलकत्ता महानगर जिले में सभी 34 नगर पालिकाओं को एक-एक ट्रैक्टर और दो-दो ट्रेलर दिए जा रहे हैं। हावड़ा नगरपालिका के लिए पांच टन वाले 41 ट्रक दिए गए हैं। वर्तमान ट्रकों की मरम्मत करने और एक गराज बनाने के लिए हावड़ा नगरपालिका को 37.50 लाख रुपये भी दिये गये हैं।

स्वयं खेती करने वाले किसानों की प्रतिशतता में कमी तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि

1110. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना के अनुसार स्वयं खेती करने वाले किसानों की प्रतिशतता जो 1961 में 54 प्रतिशत थी। 1971 में घटकर 43 प्रतिशत रह गयी है और खेतिहर मजदूरों की संख्या जो 1961 में 16.71 प्रतिशत थी 1971 में बढ़कर कुल मज़दूरों की संख्या का 25.8 प्रतिशत हो गई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सन् 1961 तथा 1971 की जनगणना के अन्तर्गत अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसानों तथा कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

	1961 **जनगणना**	1971 **जनगणना** (अस्थायी)
कुल मजदूरों में से किसानों की प्रतिशतता	52.8	42.9
कुल मजदूरों में से कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता	16.7	25.8

सन् 1961 तथा 1971 की जनगणना में माने गए 'मजदूर' की परिभाषा में अन्तर के कारण उपरोक्त आंकड़े कड़ेतौर से तुलनीय नहीं हैं। उदाहरणतः गृहणिया विद्यार्थी आदि जो सन् 1961 में मजदूर बताए गए थे, जैसे कृषि में अंशकालिक मजदूर अपने मुख्य कार्य के अनुसार सन् 1971 में मूलरूप से गैर-मजदूर बताए जाएंगे। ऐसी सम्भावना है कि सन् 1961 की जनगणना की आर्थिक गतिविधि से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के लिए अपनाई गई पद्धति किसान बताए गए व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन युक्त सिद्ध हुई है। 1971 के आंकड़े परिसंस्कृत होने और उनका विश्लेषण होने के पश्चात् ही कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सम्भव हो सकेगा।

13 अक्तूबर, 1971 को कलकत्ता में राजकीय बसों और ट्रामों के टिकटों की बिक्री

1111. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 अक्तूबर को कलकत्ता में राजकीय बसों और ट्रामों की टिकटों की कितनी बिक्री हुई; और

(ख) अन्य दिनों में टिकटों की बिक्री की औसत राशि क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सूचना पश्चिम बंगाल से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Building for Central Hindi Directorate

1112. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government rented a building for Central Hindi Institute, Agra ; and

(b) whether this building has been constructed with the grants given by the University Grants Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D.P. Yadav) : (a) The Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra, an autonomous organization, have taken on rent for the Central Hindi Institute a building belonging to the Agra University.

(b) This building was constructed by the Agra University with financial assistance consisting partly of interest bearing loan and partly of a grant given by the University Grants Commission.

Grants to Agra University for Building Hostels

1113. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has agreed to give assistance to the Agra University for construction of another hostel ; and

(b) if so, the amount sanctioned therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Social Welfare (Prof. D. P. Yadav) : (a). No, Sir. The University Grants Commission has not received any proposal from Agra University for assistance for construction of another hostel.

(b) Does not arise.

दिल्ली में कैंसर अस्पताल की स्थापना

1114. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल के निर्माण के लिए कौन सी जगह चुनी गई है और इसके लिए कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस अस्पताल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो यह राशि कितनी है; और

(घ) इस अस्पताल द्वारा संभवतः कितने रोगियों को लाभ पहुंचेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (घ). दिल्ली में कोई नया कैंसर अस्पताल खोलने के किसी प्रस्ताव पर सरकार इस समय विचार नहीं कर रही है। तथापि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रोटरी क्लबों के रोटरी डिस्ट्रिक्ट 310 ने दिल्ली में एक कैंसर फाउण्डेशन स्थापित किया है जिसका यहां पर एक विशाल कैंसर परियोजना चलाने का विचार है, इसके अन्तर्गत 300 पलंगों और एक बहिरंग रोगी खण्ड के साथ साथ अनुसंधान प्रयोगशालाएं और कैंसर के बारे में कार्य करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होगा। इस परियोजना पर आरम्भ में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

इस परियोजना को शुरू करने के लिए यह फाउण्डेशन निम्नलिखित बातों पर विचार विमर्श करना चाहता है :—

1. निर्माण और आवास मंत्रालय अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा 70-100 एकड़ निःशुल्क भूमि की व्यवस्था।
2. फाउण्डेशन द्वारा एकत्र की जाने वाली धनराशि के बराबर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान अर्थात लगभग एक करोड़ रुपये।
3. इस संस्थान को बनाने के लिए शहर की उपयोगी संस्थाओं से विशेषज्ञ सलाह।

इन्डिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण

1115. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थिति इन्डिया आफिस, लाइब्रेरी का अधिग्रहण करने हेतु कौन से कदम उठाए गये हैं;

(ख) उक्त लाइब्रेरी का अधिग्रहण करने में कौन सी रुकावटें हैं;

(ग) ऐसी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) कब तक अधिग्रहण कर लिए जाने की आशा है और यह अधिग्रहण किन शर्तों पर तथा किस प्रकार किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (घ). इन्डिया आफिस लाइब्रेरी लंदन को विषय वस्तुओं का अधिग्रहण करने के संबंध में भारत सरकार ने यूनाइटेड किंग्डम सरकार के साथ बराबर प्रयत्न किए हैं। यू० के० भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच मध्यस्थता हेतु यू० के० सरकार से प्राप्त समझौता प्रारूप विचाराधीन है।

हिन्दी-बंगाली शब्दकोश का प्रकाशन

1116. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जी० पी० मैती द्वारा संकलित हिन्दी-बंगाली शब्दकोश के प्रकाशन के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अब तक ऐसे कितने शब्दकोष प्रकाशित हो चुके हैं और निकट भविष्य में कितने और शब्दकोष प्रकाशित किये जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) श्री जी० पी० मैती के हिन्दी-बंगाली शब्दकोश की पांडुलिपि इस मंत्रालय द्वारा मई, 1970 में खरीदी गई थी। इरादा इस शब्दकोश को प्रकाशित करने का नहीं था, अपितु विश्वभारती के सहयोग से केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एक हिन्दी-बंगला-अंग्रेजी, त्रिभाषी शब्दकोश तैयार करने के लिए उस सामग्री को उपयोग में लाने का था।

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस मंत्रालय द्वारा अथवा इसकी सहायता से प्रकाशित किए गए अथवा किए जाने वाले ऐसे शब्दकोशों से संबधित अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

1. प्रकाशित	...	एक
2. प्रकाशनाधीन	...	एक
3. शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की संभावना		छः

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट का कार्यकरण

1117. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट के कार्यकरण के सम्बन्ध में अफ्रीकन स्टूडेंटस एसोसियेशन आफ इंडिया से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ज्ञापन में निर्दिष्ट गलतियों को सुधारने के लिए सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इस मामले में यथा-आवश्यक और सम्भव कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, विश्व-विद्यालय की है। ज्ञापन की प्रति, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को पहले ही भेज दी गई है।

विवरण

अफ्रीकी अध्ययन संस्था के ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें

1. अफ्रीकी संकलन पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकें "ऐसे लेखकों द्वारा लिखी गई हैं जो मुख्य रूप से औपनिवेशिक पदाधिकारी थे और जो भाषा के अवरोध और औपनिवेशिक मालिकों के अलगाव के कारण स्थानीय जनता की वास्तविक दशाओं के बारे में एकतरफा विचार रखते थे तथा उनके पास गलत सूचना थी और महाद्वीप की प्रतिभा तथा अफ्रीकियों के व्यक्तित्व को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर पेश करना उनका उद्देश्य था।"

2. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में समकालीन अफ्रीका किसी भी प्रकार कोई शैक्षिक रुचि जागृत नहीं कर सका है।

3. विभाग के सेमिनार में केवल ऐसे मनोरंजन क्लब हैं, जहां पर अफ्रीका के बारे में केवल पुरानी दास्तानों पर आधारित हास्यजनक कहानियों पर ही विचार विमर्श किया जाता है।

4. अफ्रीकी अध्ययन विभाग का उद्देश्य अपने स्वार्थ का खुले रूप में पोषण करना प्रतीत होता है।

5. क्योंकि अवर-स्नातक स्तर पर अफ्रीका सम्बन्धी कोई निबन्ध लागू नहीं किया गया है।

6. अफ्रीकी अध्ययन विभाग की बम्बई, कलकत्ता अथवा अन्य केन्द्रों में कोई शाखा नहीं हैं।

7. रिपोर्ट के लेखकों ने शिकायत की है कि उन्हें इस विभाग के वित्तीय साधनों का स्पष्ट रूप से पता नहीं लग सका है।

8. रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि अफ्रीकियों को अतिथि प्राध्यापक/प्रोफेसर/फेलो के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

परिवहन में गतिरोध हो जाने से अगरतला में चीनी का उपलब्ध न होना

1118. **श्री दशरथ देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परिवहन में गतिरोध हो जाने के कारण चीनी उपलब्ध न होने से अगरतला (त्रिपुरा) में मिठाई की 125 दुकान बन्द हो जाने के फलस्वरूप 1400 कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने परिवहन सुविधायें प्रदान करने हेतु कौन से कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उच्चतर शिक्षा पर किया गया व्यय

1119. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने दिल्ली शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया है; और

(ख) भारत में उच्चतर शिक्षा पर किए गये कुल व्यय के अनुपात में इस राशि की क्या प्रतिशतता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) :(क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्धे लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल की रूस यात्रा

1120. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में देश में अन्धे व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था में सुधार करने हेतु एक अध्ययन दल रूस भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई है और उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

1.	श्री बी०एस० रामदास, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।	...	नेता
2.	श्री जगदीश पटेल, महामंत्री, नेत्रहीन पुरुषों की एसोसिएशन, अहमदाबाद ।	...	सदस्य
3.	श्री एडवर्ड जोनाथन, प्रधानाचार्य, स्कूल फार दि ब्लाइण्ड, पलायाकोट्टाई ।	...	सदस्य
4.	श्री जी दान, अवैतनिक निदेशक, नेत्रहीनों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र (पश्चिम बंगाल) ।	...	सदस्य
5.	श्री जी० एल० नारदेकर, महामंत्री, नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संस्था, बम्बई ।	...	सदस्य
6.	श्री सुरेश सी० आहुजा, कार्यकारी अधिकारी, नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संस्था, बम्बई ।	...	सदस्य

(ग) दल के नेता ने एक रिपोर्ट पेश की है ।

(घ) दल के नेता द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । उपलब्ध साधनों को देखते हुए विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाएगी ।

विवरण

सोवियत संघ में प्रतिनिधि मंडल के अवलोकनों के प्रकाश में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

1. कि प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को, जो योग्य है और काम करने का इच्छुक है, जहां कहीं आवश्यक हो, उसके लाभ के लिए विशेष रूप से प्रवर्तित कारखानों में रोजगार दिया जाए;

2. कि इस देश के प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को, चाहे वह लाभकारी रोजगार में लगा हुआ है

अथवा नहीं, 20 रूपए की मासिक पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा को जारी करके शुरूआत की जाए;

3. कि विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में एक अथवा दो प्रतिशत रिक्तताएं निश्चित करने के लिए उचित विधेयक पेश किया जाए;

4. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून की वर्कशाप/कारखाने के विस्तार की परियोजना के भाग के रूप में बिजली के स्विचों तथा बिजली के अन्य उपकरणों का निर्माण शुरू किया जाए। इस प्रकार की एक परियोजना बनाई जाए और सरकारी आधार पर सोवियत संघ से सहयोग मांगा जाए। इस प्रकार के कारखाने देश के अन्य भागों में भी स्थापित किए जांए;

5. सोवियत सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं में भारत के साथ सहयोग करने पर विचार करने के लिए सहमत होगी;

6. कि सरकार इस आशय के अनुदेश जारी करे कि नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए स्विचों और सभी अन्य वस्तुओं को सभी सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेत्रहीनों की संस्थाओं से खरीदें ;

7. (क) कि कोका कोला और अन्य हल्के पेयों, बीयर, शराब, औषधियों तथा ऐसे ही पेयों के ढक्कनों/स्टापरों का निर्माण नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून में किया जाए;

(ख) कि बूट पालिश क्रीमों के लिए टीन के डिब्बे, दरवाजों के कब्जे तथा बल्ब होल्डर इत्यादि वस्तुओं के निर्माण की सम्भावना का पता लगाया जाए;

8. कि देश में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्रहीनों के लिए बहुत सी वर्कशापों की स्थापना की जाए, जिनके लिए उदारतापूर्वक सहायता दी जाए;

9. कि नेत्रहीनों सम्बन्धी स्कूल और अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं कारखाने के काम के लिए आवश्यक कार्यों में नेत्रहीनों को तैयार करने के लिए उचित व्यवसायिक कार्यक्रम शुरू करें;

10. कि नेत्रहीनों के स्कूल शिक्षा के अपने पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक प्रशिक्षण को अधिक स्थान दें। प्रत्येक छात्र को उस प्रकार के कार्य के लिए तैयार किया जाये, जिसे उसने अपनी शिक्षा के समाप्त होने पर अपनाना है। यह उसकी रुचि और योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए।

11. कि केन्द्रीय सरकार देश में नेत्रहीनों के लिए एक या दो अच्छे सेनिटोरियम् स्थापित करे;

12. कि कम नजर वाले बच्चों के लिए स्कूलों का विकास करने में और विशेषतया ऐसे स्कूलों में साज-सामान और अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए यदि आवश्यक हो तो सोवियत संघ से एक विशेषज्ञ बुलाया जा सकता है;

13. कि इस देश में नेत्रहीनों को घटे मूल्यों पर मकान दिए जाएं। उन्हें आय-कर से छूट दी जाय और ऐसी परिवहन सुविधाएं दी जाएं, जो उन्हें अब तक नहीं दी गई हैं;

14. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय आधार पर एक अच्छा मनोरंजन कार्यक्रम बनाया जाए। कुछ क्लबों की स्थापना की जाए तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित रूप से ग्रीष्म शिविरों का आयोजन किया जाए। खेलों, संगीत, ब्रेल तथा अन्य विषयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए;

15. कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र ऐसे तरीकों का विकास करने के लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान एकक स्थापित करे जिससे औद्योगिक कार्यों को सरल बनाया जा सके तथा जो नेत्रहीन औद्योगिक कामगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा साधनों का निर्माण करे;

16. कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का रूस का दौरा बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और आगामी वर्षों में इस प्रकार के आपसी दौरे बहुत मूल्यवान होंगे और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। 1971-72 में रूस से एक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया जाए, जो भारत में नेत्रहीनों संबंधी सेवाओं का गहराई से अध्ययन करे और यहां नेत्रहीनों के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं बनाने में हमें सलाह दे। अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के आपसी दौरों के कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया जाए।

अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के आदान प्रदान कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए।

पटना और गाजीपुर के बीच अब आरम्भ की गई अन्तर्राज्यीय चल परिवहन सेवा का कलकत्ता तक विस्तार

1121. **श्री हरि किशोर सिंह**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा में पटना और गाजीपुर के बीच अन्तर्राज्यीय चल परिवहन सेवा इस बीच आरम्भ हो गई है;

(ख) क्या इस सेवा का कलकत्ता तक विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो कब; और

(ग) अन्तर्राज्यीय चल सेवा के काम आने वाले बजरों की संख्या कितनी है और उनकी क्षमता कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) पटना और गाजीपुर के बीच गंगा पर प्रयोगात्मक एवं संवर्द्धनात्मक नदी सेवा 10 नवम्बर, 1971 से शुरू की गई है।

(ख) कलकत्ता तक सेवा वृद्धि का प्रश्न फराक्का बांध परियोजना की सहायक नहर के पूरे हो जाने और वर्तमान प्रयोगात्मक एवं संवर्द्धनात्मक सेवा के परिणाम देखने के बाद विचार किया जायेगा।

(ग) एक पुशटी एकक जिसमें 4 वजरे हैं और जिसकी वहन क्षमता 500 टन है को इस समय चलाया जा रहा है।

गेहूं की बेहतर किस्म केलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया कार्य

1122. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं की किस्म तथा स्वाद में सुधार करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने क्या कार्य किया है;

(ख) क्या स्वदेशी तथा आयातित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) बेहतर किस्म के खाद्यान्न उगाने के तरीके का किसानों में प्रचार करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रयोजना के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उत्पादन, पोषण और गेहूं के भौतिक चरित्र पर एक अनुसंधान कार्य प्रचालित किया है। इन पहलुओं पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी कार्य हो रहा है। इस कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अन्य केन्द्रों में गेहूं की कई किस्में उगाई गई हैं। इन किस्मों का प्रोटीन तत्वों और चपाती बनाने के गुणों के बारे में मूल्यांकन किया जा रहा है। शर्बती सोनारा, हीरा और उत्तर प्रदेश 301 और कुछ निर्मुक्त किस्मों में अच्छे प्रोटीन तत्व और चपाती बनाने के गुण पाये गए हैं। विकास अधीन सब किस्मों का उपज और गुण दोनों की दृष्टि से परीक्षण किया जाता है, ताकि अधिक उपज देने के साथ साथ अच्छे गुणों वाली किस्में निर्मुक्त की जायें।

(ख) देसी और आयातित दानों किस्म की गेहूं का उनके प्रोटीन तत्वों के लिए अध्ययन किया गया है। यह देखा गया है कि दोनों किस्मों में प्रोटीन तत्वों में आबोहवा के आधार पर अन्तर है और देसी गेहूं की किस्मों में आयातित किस्मों से प्रोटीन तत्वों की किसी प्रकार भी कमी नहीं है। तथापि आयातित किस्मों में अधिक ग्लैटिन है इसलिए वह मशीनों द्वारा ब्रैड बनाने में अधिक उपलब्ध है।

(ग) गेहूं की और अन्य खाद्यान्नों की नयी किस्मों के बीजों में पोषण के आधार पर सुधार करके, इन्हें राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कृषकों को बांटा जाता है। विस्तार निदेशालय और राज्यों के कृषि विभाग कृषकों में इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने में सक्रीय कार्य कर रहे हैं।

इण्डिया सोसायटी आफ न्यूक्लीयर मेडिसन्स का सम्मेलन

1123. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया सोसायटी आफ न्यूक्लीयर मेडिसन्स ने अक्तूबर, 1971 के चौथे सप्ताह में वाराणसी में हुए एक सम्मेलन में चिकित्सा क्षेत्र में विकिरण औषधियों को लोकप्रिय बनाने की सम्भावना पर विचार किया था;

(ख) उक्त सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) न्यूक्लीयर औषधियों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). 25 से 27 अक्तूबर, 1971 तक वाराणसी में हुई सोसायटी आफ न्यूकिलयर मेडिसिन के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में न्यूक्लियर चिकित्सा के लिए आवश्यक रेडियोंफार्मेस्यूटिकलों और उपस्करों की उपलब्धिता के बारे में सूचना का आदान प्रदान करने तथा उसे आधुनिक बनाने का अच्छा मौका मिला।

सम्मेलन के समय इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से यह स्पष्ट हो गया कि न्यूक्लियर चिकित्सा कार्य के लिए अपेक्षित सभी औजार आदि अब देश में ही उपलब्ध हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र रेडियोफार्मेस्यूटिकल का पहले ही नियमित रूप से उत्पादन कर रहा है।

(ग) चिकित्सा, कृषि, उद्योग, खाद्य परिरक्षण और अनुसंधान कार्यों में रेडियोस्टाप का प्रयोग व्यावहारिक रूप से लाभकारी हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित कार्यक्रम चलाने वाला है :—

1. चिकित्सीय वस्तुओं के लिए विसंक्रामक यंत्र लगाना
2. पांच क्षेत्रीय विकिरण चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना
3. देश भर में चिकित्सा कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में 100 छोटी-छोटी आइसोटोप प्रयोगशालाएं खोलने में सहायता देना
4. कैंसर के उपचार के लिए टेलीथरापी केन्द्रों की स्थापना।

दिल्ली के अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी

1124. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक सरकारी अस्पताल के लिए तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक अस्पताल के लिए कुल कितनी एक्सरे फिल्मों की वार्षिक आवश्यकता है;

(ख) इनमें से प्रत्येक अस्पताल में एक्सरे-फिल्मों की कितनी कितनी कमी है और इनके पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कमी किस सीमा तक सप्लाई विभाग द्वारा सप्लाई में विलम्ब करने के कारण होती है और क्या इन अस्पतालों को अपनी कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधी खरीद करने अथवा सीधा आयात करने की अनुमति दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो अस्पतालों की वार्षिक अनुमानित जरूरतें इस प्रकार हैं :—

सफदर-जंग अस्पताल

आकार	**मात्रा**
15 X 12	2100 पैकेट (प्रत्येक पैकेट 25 फिल्में)
10 X 12	3000 ,, ,, ,,
10 X 8	1020 ,, ,, ,,
$8\frac{1}{2}$ X $6\frac{1}{2}$	840 ,, ,, ,,
4 X 4	480 ,, (प्रत्येक पैकेट 50 फिल्में)
दंत सम्बन्धी	180 ,, (प्रत्येक पैकेट 25 फिल्में)

विलिंगडन अस्पताल

13 X 14	1 × 25	90 पैकेट
14 X 14	तदैव	150 पैकेट
12 X 15	तदैव	1500 पैकेट
10 X 12	तदैव	1000 पैकेट
8 X 10	तदैव	900 पैकेट
$6\frac{1}{2}$ X $8\frac{1}{2}$	तदैव	650 पैकेट

5 X 7	1 X 25	100 पैकेट
4 X 42	1 X 50	350 पैकेट
दांत सम्बन्धी सी X 3 से० मी०	1 X25	100 पैकेट
अधिधारक दंत फिल्में	1 X 25	20 पैकेट

दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों की आवश्यकता से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) यह बतलाया गया कि "4 X 4" आकार वाली और दन्त फिल्में बाजार में उपलब्ध नहीं थी। अभाव मुख्यतः सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण रेट-कन्ट्रैक्ट सम्बन्धी विवाद होने के फलस्वरूप सप्लायरों द्वारा उचित मात्रा में फिल्में उपलब्ध करने की अनिच्छा से हुई थी। संभरण और निपटान महानिदेशालय के साथ विचार-विमर्श के फलस्वरूप अब संभरण कर्ता सभी पिछले आपूर्ति आदेशों को पूरा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) एक्सरे फिल्मों के संभरण सम्बन्धी समझौते तय करने में संभरण और निपटान महानिदेशालय की ओर से किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। अस्पतालों को रेट-कन्ट्रेक्ट पर एक बार में 2,000 रुपये तक और एक वर्ष में कुल मिला कर 15,000 रुपये तक मूल्य के माल की सीधी खरीद के अधिकार हैं। वे एक समय में 1,000 रुपये तक के मूल्य जिसमें सीमा शुल्क और माल भाड़ा सम्मिलित है की एक्सरे फिल्मों का आयात भी कर सकते हैं।

राजस्थान में खादर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये ऋण तथा राज सहायता

1125. **नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खादर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए राज सहायता देने हेतु सरकार ने एक योजना बनाई है;

(ख) क्या भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करने वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलाने के प्रबन्ध भी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो योजना पर कैसी प्रतिक्रिया हो रही है और क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं; परन्तु राजस्थान के कोटा जिले में 50 लाख रुपये के परिव्यय से 2000 हैक्टार क्षेत्र में बेहड़ भूमि के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना की एक मार्गदर्शी परियोजना प्रारम्भ की गई है, जिससे कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये शत प्रतिशत अनुदान द्वारा विशाल स्तर पर बेहड़ सुधार के तकनीकी तथा आर्थिक, औचित्य का निर्धारण किया जा सके।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को अभी तक कोई योजना प्रेषित नहीं की गयी है।

भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा दिये गये क्रयादेशों को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

1126. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा मंजूर करने में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा दिये गये क्रयादेशों को शीघ्र पूरा करने में असमर्थ है,

(ख) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने केन्द्रीय सरकार से विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि आवंटित करने का अनुरोध किया है जिससे वह विदेशों से शीघ्र उपकरण खरीद सके, और

(ग) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). गत वर्षों में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पोत निर्माण कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की मंजूरी में कठिनाइयां और परिणामतः विलम्ब के कारण समय-समय पर बाधाएं आईं। परन्तु मई, 1971 से हिन्दुस्तान शिपयार्ड की आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा के थोक नियतन की प्रणाली अपनाने से यह कठिनाई कुछ हद तक हटा दी गई है।

राजस्थान में ग्राम्य आवास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था

1127. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने तीन योजनाओं में ग्राम्य आवास योजनाओं के लिए राजस्थान को कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या इन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो कितनी कमी रह गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को अब तक किस हद तक पूरा कर लिया गया है और अभी कितना लक्ष्य पूरा किया जाना बाकी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इस मन्त्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम अगस्त, 1957 में आरम्भ की गई थी। तृतीय योजना के

अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को 150 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया था, जिसमें से राज्य सरकार ने उन द्वारा किए गए व्यय के आधार पर केवल 75.09 लाख रुपये लिए थे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर तृतीय योजना के अन्त तक उन्होंने लगभग 6,400 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी थी, जिसमें से लगभग 3,000 वास्तव में पूर्ण हो गए थे।

(ग) योजना राज्य क्षेत्र में आती है। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ से राज्य की योजना के सभी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता का नियतन राज्य सरकारों को "खण्ड ऋणों" तथा "खण्ड अनुदानों" के रूप में किया जा रहा है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं, निधियों के नियतन तथा लक्ष्य निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। राजस्थान सरकार ने चतुर्थ योजना के प्रारम्भ से ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम का कार्यान्वयन बन्द कर दिया है।

जहाज मालिकों को कलकत्ता से अधिक नाविकों की भर्ती करने के अनुदेश

1128. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब से आगे जहाज मालिकों को कलकत्ता से अधिक नाविकों की भर्ती करने के अनुदेश दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। परन्तु इस समय की अपेक्षा कलकत्ता से अधिक नाविकों की भर्ती को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पोत स्वामियों और यूनियनों से समय समय पर विचार विमर्श किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Damage of Foodgrains Stored in Granaries during April-July, 1971 and Scheme for providing Silos to Farmers

1129. **Dr. Laxminarain Pandey ;**
Shri R.V. Bade :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to the food-grains stored in the granaries on account of heavy rains in the various parts of the country during April-July, 1971 ;

(b) whether Government have under consideration a scheme of providing 'Silo' etc. to the farmers on easy instalments to avoid such damage ; and

(c) if so, main features thereof ?

The Minister of State in the Mintstry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The details of the loss caused to foodgrains stored in the granaries in different parts of the country due to rains during April-July, 1971, have been called for from the State Governments and other agencies storing foodgrains and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

(b) & (c). A scheme to provide improved type of bins/small silos of capacities varying from 1.4 tonnes to 5.5 tonnes in five States of Punjab, Haryana. Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh at a total cost of Rs. 40.05 lakhs has been approved. The cost of the bins supplied to the farmers on credit basis will be realised in a period of 3 years, i. e., 40% at the time of delivery of bin and 20% every 12 months thereafter. The scheme will be operated through the State Governments. Governments of Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh have already accepted the scheme.

The Delhi Administration have provision for supply of metal bins of one to ten tonnes capacity to farmers in the union territory on one-third subsidy. A provision of Rs. 1 lakh has been made by the Administration for this purpose during the current financial year.

Abolition of Zonal Restrictions on the sale of Sugarcane

1130. **Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether farmers from various States have demanded or submitted any memorandum to Government demanding abolition of Zonal Restrictions on the sale of sugar-cane; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Supplies of sugarcane in sugar factory areas is regulated by State Governments. So far as is known, no demand or memorandum for abolition of such regulation has been received.

(b) Does not arise.

Procedure followed for Fixing Prices of Agricultural Produce

1131. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the procedure adopted by Government in fixing the prices of agriculture produce; and

(b) whether at the time of fixing the prices of agricultural produce, farmer's production cost has not been taken as a basis ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). Procurement prices and/or minimum prices for major foodgrains and important com-

mercial crops are fixed in the light of the recommendations of the Agricultural Prices Commission. While fixing prices of major foodgrains, State Governments are also consulted. In the case of sugarcane, views expressed bv the State Governments, association of sugarcane growers, sugar industry etc., are taken into consideration in fixing the prices. While making its recommendations regarding procurement and minimum prices, the Agricultural Prices Commission takes into account a number of relevant factors including available data regarding trends in cost of cultivation, trends in market prices, need for maintaining an appropriate relationship between the prices of competing crops and providing adequate incentive to the producer etc.

Achievements of National Dairy Research Institute Karnal (Haryana)

1132. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the achievements of National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana) during the last three years ; and

(b) the extent of success of the aforesaid Research Institute in achieving its aims ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The National Dairy Research Institute has been engaged in research, teaching and extension activities in the field of dairying. During the last three years the Institute has developed techniques for the manufacture of cheese spread, soft cheese (paneer), ice cream mix, chhana, dahi, srikhand and sodium caseinate from buffalo milk. This has enable the utilisation of milk surplures and sub-standard milk in the form of the dairy products which will fetch better returns to the manufactures and the farmers. The research work carried out on the cross-breeding of Sahiwal and Red Sindhi cattle with Brown Swiss and Tharparkar with Jersey has enabled the production of crossbred cows with superior breeding efficiency, short inter-calving period and high milk production which is almost double than that of the indigenous breeds. The calf starters developed at the Institute have reduced the cost of rearing young calves to almost half.

The Institute has developed a process for the manufacture of dairy sanitizers called 'Idophors' from raw materials available in the country. A method has been standarised for the preparation of dahi for long storage at room temperature. The methods for the manufacture of rennet from bacterial sources and also from fistulated calves without slaughtering have been developed.

A milk sterilization unit has been designed and fabricated at the Institute for the manufacture of sterilized milk.

Under teaching programme, various courses in the field of dairying leading to a diploma (I.D.D.). B. Sc. (Dairying) and M. Sc. (Dairying) were offered. The Institute has also started M. Sc. sources in Dairy Extension and Dairy economics, Facilities are also made available to carry out post-graduate work for Ph. D. degree in different disciplines of Dairy Science.

The Extension Unit of the Institute has made considerable progress in developing teaching aids and extension methods for education of dairymen and farmers. In the pro-

gramme of the extension work, fodder development, silage making, clean milk production, balanced feeding and other improved dairy practices are being propogated. The utility of Hansa Test for distinguishing buffalo milk from cow milk has been successfully demonstrated to the milk producers. Specialised training courses in dairy engineering, dairy extension, quality control etc. were also offered during this period.

(b) The Institute has been successful in achieving objectives for which it was set up. viz. to conduct research on the various aspects connected with the production and utilization of milk and milk products, dairy education and assist in the development of dairy industry through advisory and extension work.

Recognised Research Centres of Indigenous System of Medicine

1133. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the plaees where the recognised Ayurvedic, Unani, Homoeopathic Research Centres are functioning ;

(b) the achievements thereof ?

(c) the places where the post-graduate classes are being held for bringing all research work to standard level ; and

(d) the time by which the standard pharmacopoeia of these systems will be ready ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The recognised Ayurvedic. Unani and Homoeopathic Research Centres are functioning under the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy, at the following places :

Ayurveda :

1. Central Research Institute, Patiala.
2. Central Research Institute, Cheruthurthy.
3. Institute of History of Medicine, Hyderabad.
4. Jawaharlal Nehru Ayurvedic Medicinal Plant Garden and Herbarium, Poona.
5. Capt. Srinivasamurthy Research Institute, Madras.
6. Documentation Centre, New Delhi.
7. Pharmaceutical Laboratory, Ranikhet.
8. Survey of Medicinal Plants Unit, Jogindernagar.
9. Govt. Ayurvedic Pharmacy College, Rajpipala.
10. Govt. Ayurvedic College, Gwalior,

11. Govt. Ayurvedic College, Gauhati.
12. Govt. Ayurvedic College, Jammu.
13. Govt. Ayurvedic College, Hyderadad.
14. Indian Drug Research Association, Poona.
15. L.M. College of Pharmacy, Ahmedabad.
16. Ayurvedic Research Institute, Trivandrum.
17. National Botanical Garden, Lucknow.
18. Regional Research Laboratory, Jammu.
19. Punjab University, Chandigarh.
20. Bose Institute, Calcutta.
21. National Chemical Laboratory, Poona.
22. Osmania University, Hyderabad.
23. Delhi University, Delhi.
24. Kerala University, Trivandrum.
25. Calcutta University, Calcutta.
26. Institute of Medical Sciences, Varanasi.
27. Govt. Medical College, Bombay.
28. Haffkine Institute, Bombay.
29. S.M.S. Medical College, Jaipur.
30. Medical College, Trivandrum.
31. K.G. Medical College, Lucknow.
32. Lady Harding Medical College, Delhi.
33. Gandhi Medical College, Bhopal.
34. All India Institute of Medical Sciences, Delhi.
35. S.T.R.C. Hospital, Poona.
36. B.J. Medical College, Poona.

37. J.J. Group of Hospitals, Bombay.

38. R.A. Podar Ayurvedic Hospital Bombay.

39. New Civil Hospital, Ahmedabad.

40. Government Ayurvedic College, Trivandrum.

41. Medical College, Trivandrum.

42. State Ayurvedic College, Lucknow.

43. Medical College, Patiala.

44. G.R. Medical College, Gwalior.

45. Safdarjang Hospital, New Delhi.

46. Shyamadas Vaidya Shastra Pitha Parishad, Calcutta.

47. Ayurveda Vikas Mandal Pharmacy, Junagarh.

48. Central Pharmacy, Bangalore.

49. Ayurveda Rasasala, Poona.

50. S.K.V.A. Pharmacy, Trichur.

51. Voluntary Health Service, Madras,

52. All India Institute of Mental Health, Bangalore.

53. Government Ayurvedic College, Jaipur.

54. Government Ayurvedic College, Baroda.

55. Ayurvedic & Unani Tibbia College, Delhi.

56. Ayurvedic College, Kottakkal.

57. Gopabandhu Ayurvedic College, Puri.

58. Civil Hospital, Vidisha.

59. Government Ayurvedic College, Vijaywada.

60. Gujarat Ayurvedic University, Jamnagar.

61. T.M.S.S.M. Library, Thanjavur.

62. Varanasi Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi.

63. Maulana Azad Medical College, Delhi.

64. Willingdon Hospital, New Delhi.

65. Medical College, Bikaner.

66. Central Drug Research Institute. Lucknow.

67. Rishikul Ayurvedic College, Hardwar.

68. Gurukul Kangri University, Hardwar.

69. Tilak Ayurvedic College, Poona.

70. Akhandanand Ayurvedic College, Ahmedabad.

71. Maniben Ayurvedic Hospital, Ahmedabad.

72. Arignar Anna Hospital, Madras.

73. Shri Jayachamrejendra Institute of Indian Medicine, Bangalore.

74. Government Ayurvedic College, Mysore.

Unani

1. Institute of History of Medicine and Medical Research, Tughlaqabad, Delhi.

2. Ayurvedic & Unani Tibbia College, Delhi.

3. Tibbia College, Lucknow.

4. Aligarh Muslim University, Aligarh.

5. Arignar Anna Hospital, Madras.

6. Nizamia Tibbia College, Hyderabad.

Homoeopathy.

1. D.N. De Homoepathic Medical College and Hospital, Calcutta.

2. Midnapore Homoepathic Medical College and Hospital, Calcutta.

3. K.N:H. Medical College, Bhagalpur.

4. Calcutta Medical College, Calcutta.

5. Homoeopathic Medical College, Belgaum.

6. National Homoepathic Medical College, Lucknow.

7. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

8. Arthurashram Homoeopathic Medical College, Kottayam.

9. Dr. Guru Raju Homoeopathic Medical College, Andhra Pradesh.

10. Devatray Charitable Homoeopathic Hospital, Aligarh.

11. Government Homoeopathic Medical College, Bhuwaneshwar.

12. Banaras Hindu University, Varanasi.

13. Bombay Homoeopathic Medical College, Bombay.

(b) Realising the potentialities in the study of drugs described in Indian system of Medicine, it was considered that measures should be taken to step up the drug research programme in Ayurveda and Unani and accordingly various projects related to drug research like Survey of Medicinal Plants Unit, Standardisation of raw drugs, Standardisation of method of manufacture, Standardisation of finished products in terms of physical, chemical, bio-chemical and biological parameters and also to evaluate in terms of pharmacological and clinical efficiency have been started. The Survey of Medicinal Plants Units have been able to locate places where certain important vegetable and mineral drugs like Shilajit, Jatamansi, Katuki, Rudhravanti, Daruharidra besides a number of rarely available but useful drugs could be obtained. These units have also undertaken experimental cultivation of various drugs including saffron to evolve methods of improve the yield as well as the active principal content of the drug. They are maintaining reference museums and supplying the plant material for all the research institutes functioning under the Council.

The Council is maintaining Drug Standardisation Research Units mainly concerned with laying of standards for single drugs and compound formulations of therapeutic usefulness or pharmaceutical necessity which are sufficiently used in medical practice and also for laying methods to be adopted in standardisation besides evolving tests for identity, quality and purity. This data is presently being collected from various units and they will be considered for adoption after further more studies are made.

Based on the idea that systematic investigation of certain commonly used drugs would yield useful and interesting results, the Council has taken over a project to make such a study encompassing disciplines like Pharmacognosy, Chemistry Pharmacology and clinical medicine. The work of this programme has provided interesting and encouraging leads in the case of the following drugs and it is pointed out that the work has reached a fairly advance stage of investigation.

1. Ashoka (Saraca indica).

2. Satavari (Asparagus recemosus).

3. Karavira (Thevetia nerifolia).

4. Guggulu (Commiphora mukul).

5. Bharangi (Clerodendron serratum).

6. Jatamansi (Nardostachys jatamansi).

7. Pippali (Piper longum)

8. (a) Rasna Plutchea lanceolata, (b) Vanda roxburghii.

9. Punarnava (Boerrhavia diffusa).

10. Kantakari (Solanum xanthocarpum).

11. Aragwadha (Cassia fistula).

In case of the following drugs the work has indicated certain encouraging leads :—

1. Saptarangi (Salacia macrosperma and S. Prenoids).

2. Ashwangandha (Withania somnifera).

3. Bala (Sida Cordifolia).

4. Pasanabheda (Bergenia ligulata & B. ciliata).

5. Kumari (Aloe vera).

6. Katuki (Picrorrhiza kurroa).

7. Vasa (Adhathoda vasaka).

The Council alongwith drug research has taken up clinical investigation so that it would be possible to make efforts to study the concepts of pathogenesis, methodology of diagnosis, prognosis and principles of therapeutics. The Council also has undertaken research relating to the study of the nature and frequency of prevalent diseases and to collect information relating to standardisation and types of treatment in the rural population besides the study of relation to the food habits and incidence of disease. The work has only recently been started and it is considered that useful information will flow out of these research efforts. The Council is maintaining Central Research Institutes in various systems of medicine to provide training to the technical personnel of the research units as well as to find out better, cheap and effective remedies for prevention and cure of various ailments These institutes will also attempt to interpret the concepts of systems of medicine in the light of available knowledge and also undertake research on various clinical problems and on special therapies. The documentation centre assists the various research organisations and research workers in providing up-to-date information on the various research problems chosen for study by them. The Institute of History of Medicine has already published a few books besides editing some of the rare manuscripts. They also organise periodically exhibitions which would bring to light the evaluation of medical sciences and also the impact of Indian Systems of Medicine on contemporary medical sciences. The Literary Research Units have edited certain rare manuscripts and printing of those will be taken up in due course. Stress is laid on one of the important features of Homoeopathic system i.e. drug proving on healthy human beings and in this project indigenous drugs only were chosen for study. Clinical trials on certain of chronic conditions which are not easily am-

enable for treatment like cancer, mental diseases, rheumatissm, Bronchial Asthma etc. have been taken up.

It is premature at present to declare achievements in the various researches till they have been finally evaluated on scientific principles and statistically assessed.

(c) At present Post graduate Training and Research in Ayurveda is imparted in the Banaras Hindu University, Varanasi and Gujrat Ayurved University, Jamnagar. In addition, the Government of India have sanctioned the upgrading of departments for Post-graduate Training and Research in the Indian Systems of Medicine in the following Colleges which are in the process of being started :

(1)	Nizamia Tibbia College, Hyderabad.	(Moalijat)
(2)	Govt. Ayurvedic College, Hyderabad.	(Kayachikitsa)
(3)	Govt. Ayurvedic College, Jaipur.	(Kayachikitsa)
(4)	Govt. Ayurvedic College, Trivandrum.	(Kayachikitsa—Kerala specialities)
(5)	Govt. Ayurvedic College, Bhopal.	(Kayachikitsa)
(6)	Govt. Ayurvedic College, Patiala.	(Dravyadi Vigyan Rasasstra Bhaisajya Kalpna).
(7)	State Ayurvedic College, Lucknow.	(Kayachikitsa)
(8)	R.A. Podar (Ayurvedic) Medical College, Bombay.	(Kayachikitsa)
(9)	Govt. College of Indian Medicine, Mysore.	(Kayachikitsa)
(10)	A.K. Tibbia College, Aligarh Muslim University, Aligarh.	(Illmul Advia)

(d) There are, at present a large nnmber of plants, animal and mineral origin which are used in the preparation of Ayurvedic and Unani formulations. Formulary of Ayurvedic medicines which include 462 single drugs and 4,6 formulations has been prepaired. Laboratory invlstigations are at present being carried out under the Cental Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy to determine preliminary standards for the formulations. The preliminary standards are expected to be available by December 1972. The first part of the Ayurvedic Pharmacopoeia of 446 compound formulations will thereafter be published.

The Unani Pharmacopoeia committee has finalised the formula for 160 formulations which include in it 331 single drugs. Laboratory investigations to determine preliminary standards for these formulations will commence after the Formulary has been completed in all respects.

Out of about 2000 drugs in Homoepathic Systems of Medicine, 180 drugs have been included in the first volume of Homoeopathic Pharmacopoeia which is under print.

Pharmacopoeia is a 'book of standards'and a longterm and continuing process involving additions, alteration and revision from time to time. As such, no time limit can be fixed for the completion of the pharmacopoeio.

मिट्टी की किस्म के अनुसार उर्वरकों के चयन में किसानों की सहायता तथा उर्वरकों का वितरण

1134. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त उर्वरकों के चयन में किसानों की सहायता के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में किए गए मृदा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त उर्वरकों के चयन में राज्य कृषि विभागों के विस्तार कर्मचारियों द्वारा किसानों की सहायता की जाती है।

(ख) राज्यों में 128 अचल प्रयोगशालायें और 12 चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें हैं। मुख्य उर्वरक विनिर्माताओं ने उर्वरकों के उपयुक्त प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को सलाह देने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की हुई हैं। इसके अतिरिक्त, देश में जब कभी नई उर्वरक परियोजनायें स्थापित की जाती हैं तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन प्रतिमान प्रदेश की फसलों तथा भूमियों की आवश्यकता के अनुरूप रहें।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चलाए गए पोषण कार्यक्रम

1135. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पोषक आहारों का गावों में अत्यधिक प्रचार करने के लिए और इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आरम्भ किये गए व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम का स्वरूप क्या है; और

(ख) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम वास्तव में देश भर में चल रहा है। उद्देश्य यह है कि उत्तरोत्तर रूप से व्यावहारिक पोषाहार तथा सम्बद्ध विषयों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के एक समन्वित तथा व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का विकास किया जाए जिससे कि संरक्षी खाद्यों के उत्पादन, परिक्षण तथा उपयोग के माध्यम से स्थानीय आहार

में सुधार करने के लिए एक कारगर क्षेत्र सेवा की स्थापना की जा सके। यह कार्यक्रम पोषाहार स्तरों में सुधार करने की दिशा में एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें कमजोर वर्गों, अर्थात स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए आवश्यक पौष्टिक अनुपूरक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है।

2. यह कार्यक्रम खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ के सहयोग से आरम्भ किया गया है। खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन तकनीकी सलाह देते हैं। यूनीसेफ संरक्षी खाद्यों के उत्पादन के लिए कुछ बुनियादी उपकरण उपलब्ध करता है, महिला मण्डलों, युवक क्लबों, आदि जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियां आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता देता है और प्रशिक्षण, गोष्ठियों, आदि का खर्च वहन करता है। तथापि, वित्तीय संसाधनों का प्रमुख भाग राज्यों की योजना स्कीमों से प्राप्त होता है, जिनकी विस्तार सेवाओं, अवस्थापना के सम्बन्ध में वचनबद्धता 51,000 रु० प्रति वर्ष प्रति खण्ड बनती है।

भारत सरकार स्कूल उद्यानों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुक्कुट-पालन व मत्स्यपालन यूनिटें स्थापित करने के लिए धन देती है और महिला मण्डलों को उन उपकरणों तथा साज-सामान प्राप्त करने के लिए सहायता देती है जो पौष्टिक भोजन की उन सामान्य मदों को तैयार तथा वितरण करने के लिए आवश्यक हैं जो कार्यक्रम की सफलता के लिए अनिवार्य तो हैं किन्तु मूल राज्य योजना स्कीमों में शामिल नहीं हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में भारत सरकार ने राज्यों को अस्थाई तौर पर 409 लाख रु० का भुगतान किया है। राज्यों को उपलब्ध सहायता की दर 34,000 रु० प्रति खंड प्रति वर्ष है। चौथी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 10,00,00,000 रु० है।

3. 31 मार्च, 1971 तक यह कार्यक्रम 924 खण्डों में आरम्भ किया जा चुका था। इस वर्ष यह कार्यक्रम और 100 खण्डों में चालू किया जा रहा है और इस प्रकार व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1024 खण्ड आ जाएंगे, अर्थात, देश के कुल सामुदायिक विकास खण्डों का 20 प्रतिशत से मामूली-सा अधिक भाग।

4. इस कार्यक्रम से जहां सम्भाव्यता है वहां बागवानी, कुक्कुट पालन, उत्पादन, आन्तर स्थलीय मात्स्यकी के विकास को बढ़ावा मिला है। समुद्री मात्स्यकी बहुत से क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आरम्भ की गई है। सूचना मिली है कि मार्च, 1971 के अन्त तक 35000 से अधिक स्कूल उद्यान, 15 लाख रसोई व 15,000 सामुदायिक उद्यान लगाए गए हैं। प्रत्येक खण्ड में औसतन 44 स्कूल उद्यान, 18,180 रसोई उद्यान और 20 सामुदायिक उद्यान लगाए गए हैं। सूचित किया गया है कि प्रति खण्ड में 33 कुक्कुटपालन यूनिटें स्थापित की गई हैं। 46,000 हैक्टर पानी के क्षेत्र में मछलियां जमा की गई हैं।

सूचना भेजने वाले लगभग 800 खण्डों में इन वर्षों में 375 लाख से अधिक मछली के बच्चे सप्लाई किए गए हैं। यह सूचित किया गया है कि व्यावहारिक पोषाहार

कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन प्रदर्शन कार्यक्रमों में 20,000 क्विंटल से कुछ अधिक सब्जियों, 7000 क्विंटल मछलियों, 15 लाख लिटर दूध और 250 लाख अण्डों का उपयोग किया गया है। इनका उपयोग लगभग 1180 लाख शिशु व महिला दोनों में किया गया है।

5. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1,44,000 से कुछ अधिक गैर-सरकारी तथा 25,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण बागवानी, कुक्कुट-पालन और मत्स्य-पालन में दिया गया है।

6. इस कार्यक्रम ने संरक्षी खाद्यों के उत्पादन, परिरक्षण और उपयोग के माध्यम से स्थानीय भोजनों में सुधार करने के लिए क्षेत्र सेवा की स्थापना करने में सहायता दी है। राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई कुछ अत्यावश्यक क्षेत्रों, जैसे अन्तर्गत लाए गए गांव, स्कूल उद्यान, कुक्कुट-पालन एककों आदि की स्थापना, पैदा किए गए अण्डे, सब्जियां, मछलियां, दूध, आदि और प्रशिक्षित किए गए सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति, की उपलब्धियां संलग्न अनुबन्ध में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1074/71]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दिया गया अनुदान

1136. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 और 1971-72 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) उक्त अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्य विश्वविद्यालय को अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्यवार सम्बद्ध कालेजों को कालेजवार उनकी विभिन्न कैम्पस योजनाओं के लिए कुल कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रबी की फसल की जल्दी बुवाई के लिये द्रुत कार्यक्रम

1138. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक स्तर पर रबी की फसल की जल्दी बुवाई के लिये एक द्रुत

कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों को कितना उर्वरक भेजा गया है अथवा भेजा जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). बीज उर्वरक जैसे विभिन्न आदान प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता करके वर्तमान कार्यक्रम को तेज किया गया है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त क्षेत्र को रबी काश्त के अधीन लाये।

(ग) दक्षिण और महाराष्ट्र में सूखे की परिस्थितियों को देखते हुए और अगस्त, 1971 में कम नोटिस पर उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे कई उत्तरी राज्यों से रबी 71-72 के लिये मांग में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुये उत्तरी राज्यों की 1971-72 की रबी के दौरान उर्वरकों की सप्लाई को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से समन्वय करके, रेलों पर अन्य जरूरी मांगों के बावजूद भी, कन्डला और बम्बई से विशेष रेलें चलाने के लिये विस्तृत प्रबन्ध किये गये। रेल द्वारा परिवहन के पूरक के रूप में, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके सड़क द्वारा ले जाने के लिये भी पर्याप्त प्रबन्ध किये गये जिसकी परिवहन लागत भारत सरकार ने वहन की।

पूल उर्वरकों के लिये राज्य सरकारों की रबी मौसम की मांग साधारणत: अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च की तिमाही में नियत की जाती है। जुलाई-सितम्बर की तिमाही के नियतन का कुछ भाग रबी के लिये भण्डार बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अक्तूबर-दिसम्बर की तिमाही के लिये नियतन पहले ही किया जा चुका है और जनवरी-मार्च, 1972 की तिमाही के लिये कुछ समय में जारी कर दिया जायेगा। जुलाई-सितम्बर, 1971 और साथही अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 की तिमाहियों के लिये भेजने के आदेशों में से यदि राज्य सरकारों को उसका दो-तिहाई प्राप्त हुआ मान लिया जाये तो रबी 1971-72 के लिये दिसम्बर, 1971 तक लगभग 40.40 लाख मीटरी टन उर्वरक भेजने की योजना है, जिसे जुलाई-सितम्बर, 1971 के पिछले दो महीनों में और अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 के पिछले तीन महीनों में अर्थात् अगस्त से दिसम्बर तक के पांच महीनों में भेजा जायेगा। अनुपातित आधार पर पहली अगस्त से 31 अक्तूबर तक के पहले तीन महीनों के दौरान आयोजित सप्लाई लगभग 2.64 लाख मीटरी टन होती है। इसकी तुलना में पहली अक्तूबर से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान पूल उर्वरकों की वास्तविक सप्लाई लगभग 2.78 लाख मीटरी टन थी, जिसमें पहले नियत की गई सप्लाई, जो वास्तव में इसी अवधि में भेजी गई, भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने स्थानीय निर्माताओं से भी सीधी सप्लाई प्राप्त की।

मसालों के उत्पादन और मूल्य के बारे में सर्वेक्षण

1139. **श्री राम कंवर:**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1971 को मसालों के उत्पादन और मूल्यों के सर्वेक्षण के बारे में 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण के अनुसार देश में मसालों का उत्पादन बहुत कम हो गया है और इसके परिणामस्वरूप निर्यात से होने वाली आय कम हो गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Increase of Percentage in use of Tractor

1140. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the percentage increase in the number of tractors used during the last three years ?

The Minister of State in Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : As per the National Census conducted during 1966, the total population of tractors in the country was 54,012 numbers. Census on tractors, pump sets and other agricultural machinery is conducted after every five years and the next census which was to be conducted this year is now proposed to be conducted in April, 1972. The present tractor population in the country will be known precisely only after this census is completed. In the absence of any definite information regarding the tractor population, it would not be possible to indicate precisely the percentage increase in the number of tractors used during the last three years.

Indigenous Producton of Tractors and their Import.

1141. **Shri M.C.Daga** ; Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the indigenous production of tractors during the year 1969-70 and the number of trnctors for the import of which permission was granted during this year; and

(b) the number of imported tractors which reached India up to 31st July, 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) During 1969-70 17,099 tractors were manufactured indigenously. A programme for the import of 35,000 tractors was agreed to against the requirements for 1969-70.

(b) 22,114 tractors were received-shipped up to 31st July, 1971.

Amount invested by Government Maintenance of Accounts and Mismanagement in Super Bazars of Delhi.

1142. **Shri M.C.Daga:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount invested by Government in Super Bazar of Delhi and the total amount of shares purchased by private individuals ;

(b) the total amount of investment at present ; and

(c) the persons responsible for unsatisfactory maintenance of accounts and mismanagement as well as the steps taken by Government to punish the guilty persons ?

The Deputy Minister in The Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The total amount invested by Government in Super Bazar, New Delhi, by way of loan, share capital contribution and subsidy is Rs. 145.58 lakhs, the share capital subscribed by members as on 30. 6. 1971 is Rs. 2,41,870.

(b) the total amount of Government investment at present is Rs. 1,33,16,471.

The Super Bazar was set up in the wake of devaluation at short notice, when there was no time for laying down detailed administrative and accounting procedures. Some of the staff recruited at that time were also not of the requisite calibre. The position has been progressively rectified and maintenance of accounts has been improved. For the general deficiencies in the maintenance of accounts and management, it has not been possible to fix responsibility on any individual.

Grants to National Advisory Board for Youth Services

1143. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount granted to the National Advisory Board for Youth Services during the Fourth Plan;

(b) the names of places in Rajasthan where District Advisory Boards, District Youth Centres and Reception Centres have been set up so far; and

(c) the time by which Youth Advisory Board, Youth Centre and Reception Centre are likely to be set up in pali District of Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) to (c). The National Youth Board is an advisory body and does not receive any grant from the Government of India.

2. Although an amount of Rs. 5 crores had been allotted during the plan period for developing national programme for non-student youth, the pressure on resources of the Government of India arising from the expenditure incurred with regard to refugees from Bangla Desh has not made it possibe to begin implementaiion of all the schemes fully. For the present, the decision is to incur expenditure of approximately Rs. 12 lakhs for establishment of three Youth Centres to be called Sri Aurobindo Youth Centres in Calcutta, Baroda and Delhi under Sri Aurobindo Society, Pondicherry and an expenditure of Rs. 115 lakhs for the establishment of 20 work Centres and development of play-fields. The other programmes would be taken up when the Bangla Desh issue is resolved.

3. It is for the State Government to set up District Advisory Boards. No district youth centres or reception centres have been established out of the funds allotted for this purpose on account of the reasons mentioned above. In view of this; the question of establishment of youth centres and reception centres in Pali district of Rajasthan does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

1144. **श्री सरजू पाण्डे:** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी जानें गई हैं; और

(ग) देश में इस प्रकार के सूखे की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस वर्ष राज्य के सभी 21 जिले सूखे से प्रभावित बताये जाते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का स्थल पर ही जायजा लेने के लिये केन्द्रीय दल ने आन्ध्र प्रदेश का सितम्बर, 1971 में दौरा किया था और उन्होंने सूचित किया था कि जिन जिलों का उन्होंने दौरा किया था वहां सूखे की स्थिति काफी गम्भीर थी और खरीफ फसल को क्षति पहुंची थी। कुल मिला कर सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल को कोई अधिक हानि नहीं पहुंची थी। आशा है कि अगस्त, 1971 में हुई वर्षा से कुछ फसल बच पायेगी हालांकि इस मामले में भी पैदावार सामान्य से कम होगी। आशा है कि यह दल नवम्बर, 1971 में किसी समय स्थिति की समीक्षा करेगा।

(ख) राज्य सरकार से किसी जानी नुकसान के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी जिसके लिए चौथी योजनावधि में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर के सूखे से हमेशा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, ग्रामीण सड़कों आदि की मजदूरी प्रदान करने वाली और उत्पादन प्रेरक योजनाएं शुरू करने के लिए 54 जिलों (आन्ध्र प्रदेश के 5 जिलों सहित) को चुना गया है। हालांकि देश से सूखे की स्थिति को बिलकुल समाप्त करना सम्भव नहीं है, लेकिन ग्रामीण निमार्ण कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में पड़ने वाले सूखे की तीव्रता को कम करना है।

वन्य जीवन का संरक्षण

1145. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनों में वन्य जीवन शीघ्रता से नष्ट होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश के वनों में वन्य जीवन के संरक्षण के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार शेर, चीते और मोर को छोड़कर अन्य सभी वन्य पशुओं और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये उठाये गये उपाय मुख्यतः ये हैं:—(1) राष्ट्रीय उद्यानों तथा आश्रय स्थलों की स्थापना (2) जीवित तथा मृत वन्य पशु पक्षियों तथा उनसे बने पदार्थों पर प्रतिबन्ध (3) दुलर्भ तथा समाप्त होती जा रही नसल के पक्षियों तथा पशुओं का संरक्षण (4) वन्य प्राणियों के लिये उपयुक्त कानून बनाना (5) राज्य सरकारों तथा कुछ केन्द्र शासित क्षेत्रों के वन विभागों के अन्तर्गत वन्य प्राणी संरक्षण स्कन्धों की स्थापना (6) वन्य प्राणियों के लिये प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से जन साधारण को सुशिक्षित करना।

(ङ) जी, हां।

Sale Price of Sugarcane to be Sold to Mahidpur Road Sugar Mill (Madhya Pradesh)

1146. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that while Government had fixed the sale price of sugarcane to be sold to Mahidpur Road Sugar Mill (Madhya Pradesh) by the farmers at Rs. 7.77 per quintal the owners of the said Mill made payment to the farmers only at the rate of Rs. 7.37 per quintal and thus made lesser payment by Rs. 0.40 per quintal;

(b) if so, the action taken against the Mill owners for making illegal profit of lakhs of rupees by flouting Government orders; and

(c) the action being taken to ensure that the payment of remaining amount is made by the Mill owner to the farmers as also the time by which this amount will be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c). The Mahidpur Road Sugar Factory had questioned the basis on which the minimum sugarcane price payable by it was fixed. The position has been explained to the factory and it has been asked to pay on the basis of the notified price of Rs. 7.77 per quintal.

जन जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए केन्द्रीय योजना

1147. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई योजना शुरू की गई है अथवा किसी योजना को सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय उसको क्रियान्वित किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ग) . देश में अनुसूचित आदिम जातियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु पिछड़ा वर्ग योजना के राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं। जिन राज्यों/संघ क्षेत्रों में आदिवासी आबादी है उन द्वारा ये क्रियान्वित की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र में, जहां केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है, निम्नलिखित मुख्य योजनाएं हैं :—

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां तथा वृत्तिकाएं ।

2. ट्यूशन/परीक्षा फीस से छूट ।

3. शैक्षणिक उपकरणों का प्रावधान ।

4. आश्रम/आवासीय स्कूलों की स्थापना ।

5. स्कूल तथा छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान ।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं :—

1. अनुसूचित जातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी मान्यता प्राप्त कोर्सों के लिए किसी भी आय-जांच या मैरिट-जांच के बिना ही ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार अपने वचन-बद्ध भाग के अतिरिक्त भी शतप्रति-शत सहायता राज्य सरकारों को देती है ताकि सभी पात्र अनुसूचित/आदिवासी छात्र ये छात्रवृत्तियां प्राप्त कर सकें।

2. अनुसूचित आदिवासी महिला छात्रावास—इस जाति की लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है; ये छात्रावास भवन विभागीय तौर पर बनाए जाएं या भले ही ये स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा तैयार किए जाएं ।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग की निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

1. लकादिवि, मिनिकौय एवं अमिनदिवि द्वीपो के विद्यार्थियों तथा मुख्य देश में तथा द्वीपों में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना।
2. अंडमान-निकोबार द्वीपों के विद्यार्थियों को मुख्य-देश में शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां।

} इन योजनाओं का पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3. आवासीय स्कूलों में भारत सरकार मैरिट छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों के लिए ढाई प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं यदि वे अन्तिम टैस्ट में उत्तीर्ण हों। इन छात्रवृत्तियों का पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जनजातियों के लिए बोर्डिंग स्कूलों की योजना

148. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक जनजातियों के लिए "बोर्डिंग स्कूलों" की स्थापना की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस योजना के अनुसार प्रति विद्यार्थी वार्षिक कितनी राशि खर्च कर रही है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) हां, श्रीमान। हमारे यहां आदिम जातियों के लिए "आश्रम स्कूलों" की योजना है, जो आवासीय स्कूल हैं।

(ख) आश्रम स्कूलों की योजना राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं और वे ही उसे अमल में लाती हैं। इन स्कूलों में प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च के सम्बन्ध में जानकारी सुलभ नहीं है। इन स्कूलों में प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है।

(ग) निम्नलिखित राज्य आदिम जातियों के लिए आश्रम/आवासीय स्कूल चला रहे हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. केरल

5. हिमाचल प्रदेश

6. महाराष्ट्र

7. मध्य प्रदेश

8. तामिल नाडु

9. मैसूर

10. उड़ीसा

11. उत्तर प्रदेश

12. राजस्थान

13. पश्चिमी बंगाल

राजधानी में जनजातियों की कला तथा दस्तकारी की स्थायी प्रदर्शनी

1149. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में जनजातियों को कला तथा दस्तकारी की एक स्थायी प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौवहन कम्पनियों में कलकत्ता से नाविकों की भर्ती

1150. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी तथा भारतीय नौवहन कम्पनियों के मालिक कलकत्ता पत्तन से उत्तरोत्तर कम संख्या में नाविक भर्ती करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी बेरोजगारी बढ़ी है;

(ग) भर्ती के मामले में इन मालिकों को कलकत्ता के विरुद्ध यह पक्षपात करने देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलकत्ता में नाविकों के लिए विदेशी जहाजों पर नौकरी की उपलब्धता में कुछ समय से गिरावट आई है परन्तु पिछले कुछ वर्षों से कलकत्ता में भारतीय पोतों में उपलब्ध नौकरियों में वृद्धि हुई है।

(ख) 1-1-1970 से 1-10-1971 तक अवधि के दौरान विदेशी जहाजों में 1512 नौकरियों की कमी हुई है जबकि भारतीय जहाजों में 191 नयी नौकरियों की वृद्धि हुई है। अतएव उक्त अवधि में 1321 नौकरियों की निबल कमी हुई है।

(ग) भेद भाव का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पोत स्वामी अपनी आवश्यकतानुसार जहां से वे चाहें पत्तनों से कार्मीदल भर्ती कर सकते हैं।

(घ) इस समय की अपेक्षा कलकत्ता से अधिक नाविकों की भर्ती को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पोतस्वामियों और यूनियनों से समय-समय पर विचार विमर्श किये जा रहे हैं।

पूना के निकट प्रागैतिहासिक बस्तियों का पाया जाना

1151. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में पूना के निकट हाल ही में कुछ प्रागैतिहासिक बस्तियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इतिहासकारों द्वारा इन बस्तियों का अनुमान लगाया है कि ये बस्तियां किस युग की है और क्या-क्या वस्तुएं मिली हैं;

(ग) इन बस्तियों के निवासियों की संस्कृति क्या थी;

(घ) क्या वहां कुछ और वस्तुएं मिलने की भी आशा है; और

(ङ) क्या इसका सिन्धु घाटी सभ्यता से भी कोई सम्बन्ध मालूम होता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ङ). समाचार पत्रों (प्रेस) में छपी रिपोर्टों के अनुसार डांगर परियोजना के भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के निदेशक, डा० के० सी० मलहोत्रा को, जो इस समय दक्कन कालेज, पूना में प्रतिनियुक्ति पर हैं, पिछले जून (मास) में जिला अहमदनगर में धवलपुरी गांव के समीप एक

दूसरे के बहुत निकटता से चार प्रागैतिहासिक बस्तियां, जो पिछले 40,000 से 50,000 वर्ष पुरानी समझी जाती है, मिली थी। इस उपलब्धि में खुरचने, बेधकों, बाण मुखों और फलकों के शामिल होने की भी रिपोर्ट है। यह निश्चित करने के लिए कि औज़ार पाषाण युग के हैं अथवा उससे उत्तर-अवशेषों के हैं, स्थानों और औज़ारों की बारीकी जांच करने की आवश्यकता है। फिर भी इस विषय में दक्कन कालेज, पूना के डा० मलहोत्रा और डा० संकालिया से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र प्रदेश मध्य पाषाण युगीन औजारों और लघु-पाषाणिकों से सम्पन्न हैं और इसलिए इस खोज का बहुत अधिक महत्व नहीं जान पड़ता।

चौथी योजना के अन्त तक नकदी फसलों का अनुमानित उत्पादन

1152. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्त तक नकदी फसलों के उत्पादन का अनुमान क्या है;

(ख) क्या कुछ नकदी फसलों के उत्पादन में कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए मुख्य नकदी फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

फसल	**चौथी योजना के उत्पादन लक्ष्य**
1. तिलहन ...	105 लाख मीटरी टन
2. गन्ना (गुड़) ...	150 ,, ,, ,,
3. रुई	80 ,, ,, ,,
4. पटसन ...	74 ,, गांठें
5. तम्बाकू ...	4500 ,, कि० ग्रा०

(ख) इन फसलों के 1969-70 और 1970-71 के उत्पादन आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

फसल	**उत्पादन**	
	1969-70	1970-71
1. तिलहन (लाख मीटरी टन) ...	77.3	91.9
2. गन्ना (गुड़) (,, ,,) ...	137.8	131.9

फसल	उत्पादन	
	1969-70	1970-71
3. रुई (लाख गांठें)	52.5	45.6
4. पटसन (,, ,,)	56.5	49.1
5. तम्बाकू (लाख किलोग्राम)	3371.0	3499.0

इनसे प्रतीत होगा कि रुई, पटसन और गन्ने के उत्पादन में कमी परन्तु तिलहनों और तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) वर्तमान गहन काश्त योजनाओं के अधीन कार्य की गति को तेज किया गया है। समन्वित सुधार योजना के अधीन अनुसंधान पहलू पर काफी बल दिया गया है। रूई की एक संकर किस्म (संकर 4), जिसमें अधिक उत्पादन की बड़ी क्षमता है, की काश्त का समुचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 1971-72 से प्रमुख रुई उत्पादक राज्यों के चुने हुए जिलों में गहन रुई जिला कार्यक्रम लागू किया गया है। पटसन के लिए भी ऐसा ही कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

छात्रों की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति

1153. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में छात्रों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इसके निर्देश-पद क्या होंगे; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को दे देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मोंगा, पंजाब के पंजाब रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा भूख-हड़ताल

1154. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मोंगा, पंजाब के पंजाब रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा की गई 48 घंटे की भूख-हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भूख हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां के श्रमिकों की तकलीफों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क)से (ग). अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में मान्यता प्राप्त स्कूल

1155. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में मान्यता प्राप्त उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने स्कूल अपने अध्यापकों को नियमित रूप से प्रत्येक मास की पहली तारीख को वेतन देने की स्थिति में हैं;

(ग) इनमें से कितने स्कूलों को अनुदान घाटे के आधार पर दिये जाते हैं तथा कितने स्कूलों को एक-मुश्त अनुदान दिए जाते हैं; और

(घ) कितने स्कूलों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता और कितने स्कूल सरकार द्वारा मान्यता दी जाने की प्रतीक्षा में हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) 1-1-1970 तक के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

हाई स्कूल	2025
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	1997
जोड़	4022

(ख) 1973

(ग) (I) घाटे के आधार पर अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल 1973

(II) एक मुश्त अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल 1849

(III) मंहगाई भत्ता तथा तदर्थ वेतन वृद्धि के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल 200

(घ) मान्यता की प्रतीक्षा, में स्कूल 246
ये स्कूल अनुदान प्राप्त नहीं करते।

पश्चिमी बंगाल में प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की भर्ती

1156. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस प्रक्रिया की जाँच करने पर विचार कर रही है जिस के द्वारा पश्चिमी बंगाल में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती की जाती हैं;

(ख) क्या सरकार को जिला स्कूल निरीक्षक के कार्यालय में इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जानकारी है; और

(ग) एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी मान्यता दी जानी है और इन्हें मान्यता दी जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपंजीकृत चिकित्सक

1157. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल और सम्पूर्ण भारत में कितने चिकित्सक अपंजीकृत हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा विधेयक पेश करने का है जिससे वे अपने को पंजीकृत करा सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध की गई सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) अगले वर्ष होने वाली केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में अनहर्ता प्राप्त चिकित्सकों के नामों को सूचनाबद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विवरण

राज्य का नाम	देश में गैर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या
पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते।
मेघालय	कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
तमिलनाडु	सूचना उपलब्ध नहीं है।
उड़ीसा	गत दो वर्षों में 32 गैर पंजीकृत तथा बिना लाइसेन्स वाले चिकित्सा व्यवसायी ध्यान में आये
पंजाब	सूचना उपलब्ध नहीं है।
गुजरात	सूचना शून्य है।
हरियाणा	ज्ञात नहीं।
केरल	गैर पंजीकृत चिकित्सकों का ब्यौरा नहीं रखा जाता।
मैसूर	कोई सूचना नहीं।
नागालैण्ड	कोई सूचना नहीं।
असम	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।
जम्मू व कश्मीर	लगभग 1,000
महाराष्ट्र	ज्ञात नहीं।
राजस्थान	अनर्ह (अप्रशिक्षित) प्राइवेट चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं है इसलिए उनकी निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है।
हिमाचल प्रदेश	कोई सूचना नहीं।
आन्ध्र प्रदेश	कोई सूचना नहीं।
उत्तर प्रदेश	कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।
दिल्ली	ज्ञात नहीं।
चंडीगढ़	कोई सूचना नहीं।

राज्य का नाम	देश में गैर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या
त्रिपुरा	ज्ञात नहीं।
पांडिचेरी	इस राज्य में चिकित्सक पंजीकरण अधिनियम अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। वैसे, चिकित्सक पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में अपना पंजीकरण स्वयं करा लेते हैं।
अण्डमान एवं निकोबार	इस संघ शासित क्षेत्र में कोई भी गैर पंजीकृत और बिना लाइसेंस वाला चिकित्सक नहीं है।
गोवा, दमन एवं द्विव	कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।
लक्षदिवि	इस संघ शासित क्षेत्र में कोई भी गैर पंजीकृत और बिना लाइसेंस वाला चिकित्सक नहीं है।
मणिपुर	जी नहीं।
दादर नगर हवेली	इस संघ शासित क्षेत्र में कोई ऐसा चिकित्सक नहीं है।

पश्चिमी तट पर मत्स्य नौकाओं के लिए जापानी पत्तन

1158. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फैडरेशन आफ फिशिंग कोओपरेटिव एसोसिएशन (जापान) के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कोचीन पत्तन न्याय अधिकारियों से पश्चिमी तट पर मत्स्य नौकाओं के लिए पत्तन बनाने के बारे में चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम रहा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। नेशनल फैडरेशन आफ फिशिंग कोओपरेटिव एसोसिएशन, जापान के प्रतिनिधियों ने कोचीन पत्तन न्याय अध्यक्ष से उन सुविधाओं के बारे में बातचीत की थी जो कि कोचीन पत्तन पर उनकी मत्स्य नौकाओं के आने पर और पश्चिमी तट पर टयूना मछली पकड़ने वाली उनकी मत्स्य नौकाओं के लिए वहां बंकर तथा पानी की सप्लाई के संबंध में उपलब्ध है।

(ख) कोचीन पत्तन अधिकारियों ने पत्तन पर प्राप्त सुविधाओं के विषय में सूचना दे दी थी। किन्तु न तो पार्टी ने इस संबंध में किसी सुविधा की व्यवस्था करने का ही निवेदन किया था और ना ही पत्तन अधिकारियों ने कोई वचन दिया।

त्रिचूर (केरल) में मछली पकड़ने की नावें और अन्य सामान बनाने के लिये औद्योगिक केन्द्र

1159. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिचूर जिले में कलानौर के निकट मछली पकड़ने की नावें और अन्य सामान बनाने के लिए औद्योगिक केन्द्र आरम्भ करने की सरकार की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जाएगा;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). त्रिचूर जिले में क्रेंगानौर के निकट मछली पकड़ने की नावें तथा मछली पकड़ने के अन्य उपकरणों का निर्माण करने के लिये कोई औद्योगिक केन्द्र प्रारम्भ करने के विषय में सरकार की योजना नहीं है ।

दमें का इलाज

1160. **श्री श्यामनन्दन मिश्र;** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के सहायक निदेशक डा० डी० एन० शिवपुरी ने दमा के उपचार में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) डा० डी० एन० शिवपुरी ने दावा किया है कि उन्होंने टाइलोफोरा इन्डिका के पौधे से दमा के रोगियों को ठीक किया है । यह कार्य अभी तक प्रयोगात्मक अवस्था में है अतः यह कहने की अभी स्थिति नहीं आई है कि दमे के उपचार में सफलता प्राप्त कर ली गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्व

1162. **डा० रानेन सेन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्व अब भी सक्रिय है;

(ख) क्या इन तत्वों ने हाल ही में विश्वविद्यालय के किसी भवन पर कब्जा कर लिया है;

(ग) क्या इन्हीं तत्वों की गतिविधियों के कारण विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय को इन तत्वों से मुक्त करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कुलपति ने उन कारणों का विस्तृत विवरण प्रकाशित कर दिया है, जिनसे विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ा । रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) विश्वविद्यालय में हुई हाल ही की घटनाओं की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक सदस्यीय समिति नियुक्त की थी । उस समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

माडर्न बेकरीज का उत्पादन, विक्रय, लाभ-हानि

1163. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी माडर्न बेकरियां (सरकारी स्वामित्व वाली) जनता की सेवा कर रही हैं और ये कहां कहां स्थित हैं;

(ख) 1970-71 में इनमें कुल कितना उत्पादन और विक्रय हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों में इनका लाभ अथवा हानि का विवरण क्या है; और

(घ) क्या आगामी वर्ष में इनका विस्तार और अधिक स्थानों में करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). इस समय माडर्न बेकरीज के 9 यूनिट विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं । स्थान, उत्पादन, बिक्री, लाभ तथा हानि को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कुछेक मध्यम आकार की बेकरियां स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विवरण

माडर्न बेकरीज के स्थानों के नाम, उनका कुल उत्पादन, बिक्री और लाभ-हानि बताने वाला विवरण

स्थान का नाम	1970-71 में उत्पादन तथा बिक्री (मानक डबल रोटियां लाख में)	लाभ (+) हानि (—) लाख रुपयों में 1998-69	१969-70	1970-61
अहमदाबाद	43.69	(—) 1.81	(—) 1.30	(—) 0.41
बंगलौर	38.01	—	(—) 3.24	(—) 4.77
बम्बई	104.95	(—) 0.65	(+) 0.42	(+) 3.75
कलकत्ता	54.94	—	—	(—) 5.16
कोचीन	77.44	(+) 3.40	(+) 4.39	(+) 5.23
दिल्ली	101.62	(—) 1.00	(+) 2.19	(+) 2.89
हैदराबाद	46.16	—	(—) 5.12	(—) 1.42
कानपुर	75.22	—	(—) 2.36	(+) 6.22
मद्रास	35.09	(—) 2.28	(—) 4.27	(+) 2.09
जोड़ :—	577.12			

आसाम में धान का मूल्य

1164. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम में धान उत्पादकों ने यह मांग की है कि धान के लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह देश में उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मूल्य आयोग ने धान की सम्पूर्ण मूल्य नीति का पुनरीक्षण किया है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम की आसाम में लोक-विरोधी नीति के कारण धान उत्पादकों को फसल की कटाई के मौसम में अपनी उपज काफी कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 1971-72 मौसम की खरीफ अनाजों की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में 1971-72 के खरीफ मौसम के लिए धान की समूची मूल्य नीति की समीक्षा की है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम असम में दारंग जिले को छोड़कर सारे राज्य में राज्य सरकार की ओर से धान की अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति एजेन्ट है। अपने अधिप्राप्ति क्षेत्र में, भारतीय खाद्य निगम धान की अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर साहाय्य मूल्य सुलभ करना है। निगम के अधिप्राप्ति क्षेत्र में धान उत्पादकों के लिए ऐसा कोई मौका नहीं आया था जबकि उन्हें अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी उपज बेचनी पड़ी थी। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार द्वारा मौसम विशेष के लिए अपनी नीति घोषित करने के बाद अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ करता है। 1970-51 के खरीफ मौसम के दौरान अधिप्राप्ति कार्य शुरू करने में कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति से सम्बन्धित कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं को अन्तिम रूप देने में देर कर दी थी। निगम ने 1971-72 मौसम के लिए अपने अधिप्राप्ति क्षेत्र में जोकि पिछले वर्ष का ही क्षेत्र है, धान की अधिप्राप्ति के लिए 1-11-71 से पूर्व सभी प्रबन्ध कर लिए थे। निष्कर्ष यह है कि भारतीय खाद्य निगर धान की अधिप्राप्ति के मामले में असम में लोक-विरोधी नीति अपना रहा है, यह कहना अनुचित है।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के आदिवासियों में क्षय रोग का अत्यधिक फैलना

1165. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के बरिन्द क्षेत्र में आदिवासी लोग, वहां क्षय-रोग के अत्यधिक फैलने और उनके इलाज का किसी प्रकार का साधन न होने के कारण काफी संख्या में अपने घर-बार को छोड़ कर जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ऐसी कोई सूचना भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) क्षय रोग से पीड़ित 'बरिन्द' क्षेत्र के आदिवासी, मालदा जिले के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों क्षय रोग चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं।

क्षय रोग से पीड़ित रोगियों का घर पर उपचार करने के लिए मालदा जिले में दो वक्ष चिकित्सालय और क्षय रोगियों के लिए 50 पलंग हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल क्षेत्र क्षय रोगियों

के उपचार के लिए राज्य सरकार ने एस० बी० डे आरोग्याश्रम में भी 4 पलंगों की व्यवस्था की हुई है।

सड़क दुर्घटनाओं में मरनें वाले व्यक्तियों की संख्या

1166. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचित करने वाले विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1968 से 1970 की अवधि में देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से थी :

1968	...	3716
1969	...	4238
1970	...	4794

(ख) और (ग). आंकड़ों के संग्रह तथा विश्लेषण के साथ साथ सड़क की सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 3 जून, 1969 को सड़क सुरक्षा के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की।

परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कमी

1167. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न त्रिपुरा में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को प्रमुख व्यक्तियों और संसद सदस्यों की ओर से कोई पत्र या तार मिला है जिसमें त्रिपुरा में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स के माल-वाहक विमान की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) वहां की इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) फिलहाल

त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है और वहां के विभिन्न स्थानों पर देश के दूसरे भागों से खाद्यान्नों की परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं भी यथेष्ठ हैं;

(ख) अगरतला के लिए अतिरिक्त माल वाहक विमान सेवाओं के चालू करने के सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स का कुछ निवेदन प्राप्त हुए थे। फिर भी खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए ही माल वाहक विमान की व्यवस्था चाही गई हो ऐसी कोई बात नहीं है ।

(ग) और (घ). पूर्व की ओर ले जाए जाने वाले कुछ माल को विमान द्वारा भेजने के लिए 13 से 19 सितम्बर, 1971 तक कलकत्ता में एक वाइ काउंट विमान तैयार रखा गया था। इस विमान ने कलकत्ता और गोहाटी के बीच कुछ उड़ानें भर कर गोहाटी तथा आसाम और त्रिपुरा के अन्य स्थानों पर काफी माल पहुंचा दिया। भाड़ा एजेन्टों ने सम्बन्धित गंतव्य स्थानों के लिए माल के अतिरिक्त परिवहन की व्यवस्था की। परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अगरतला के लिए माल वाहक विमान की किसी सीधी उड़ान की व्यवस्था नहीं की थी ।

गोआ में जुहारी पुल के निर्माण के लिए टैंडर

1168. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में जुहारी पुल के निर्माण के लिए टैंडरों को मंजूर कर लिया गया है और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोआ में मन्डोवी पुल के निर्माण में पहले काफी विलम्ब हुआ था, इस निर्माण कम्पनी के साथ कोई विशेष सावधानी बरती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनाज की फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बोर्ड के विचार

1169. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड ने हाल की भयानक बाढ़ और सूखे के कारण अनाज की फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके लिए क्या उपाय बताये ; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 30 जून, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के पैरा 182 में भयंकर बाढ़ों तथा सूखे आदि से वृद्धि दर पर सम्भाव्य प्रभाव के बारे में टिप्पणी की गई है। खाद्य फसलों के बारे में यह कहा गया है कि इससे वृद्धि दर पर सम्भवतः बहुत थोड़ी कमी हो सकती है।

(ख) और (ग). रिपोर्ट का पैरा 188 विकासमान प्रयत्नों के विषय में है। इसमें दिये गये उपायों अर्थात् सिंचाई सम्भाव्यताओं का और अधिक उपयोग उन्नत बीजों का और अधिक क्षेत्र में प्रयोग, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियों, शुष्क खेती की तकनीकों का विकास भूगत जल संसाधनों का और अधिक उपयोग करने तथा चावल अनुसन्धान को तेज करने की चौथी पंच वर्षीय योजना में पहले ही व्यवस्था की गई है।

मन्त्रालय ने (1) बाढ़ का पानी उतरते ही, या सूखे का प्रभाव समाप्त होते ही और अधिक उपज का आयोजन करने (2) और बाढ़ या सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन को यथा सम्भव अधिकाधिक बढ़ाने के लिये कदम उठाए हैं।

दिल्ली/नयी दिल्ली के टैक्सी स्टैंडों पर सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में टैक्सी ड्राइवरों की एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

1170. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की ओर से इस आशय के कई अभ्यावेदन मिले हैं कि टैक्सी ड्राइवरों की धूप और वर्षा से रक्षा करने के लिए टैक्सी स्टैंडो पर छतदार शेड बनाये जाये ;

(ख) क्या इस बात का भी अभ्यावेदन किया गया है कि टैक्सी स्टैंडों पर पीने के पानी के नल लगाये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत अधिक अध्यापकों का स्थानांतरण

1171. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बहुत अधिक अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी०पी०यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में नये मेडिकल कालेज की स्थापना

1172. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नये मेडिकल कालेज की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उसमें कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है;

(ग) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए किन-किन अर्हताओं आदि की आवश्यकता है; और

(घ) क्या उन सभी विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने वर्ष 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय से "प्री-मेडिकल एक्जामिनेशन" प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था और जिन्हें विद्यमान कालेजों में प्रवेश नहीं मिल सका था;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज ने अपना कार्य 25 अक्तूबर, 1971 से आरम्भ कर दिया है।

(ख) 1971 में 125

(ग) इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा, 1971 में कम से कम प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत अंक)

(ii) दिल्ली में नियुक्त उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जिनकी यहां पर नियुक्ति हुए तीन वर्ष से अधिक न हुए हों।

(घ) उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने दाखिले के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने शर्तें पूरी की हैं, इस कालेज तथा एल० एल० आर० एम० चिकित्सा कालेज, मेरठ में जहां 50 सीटों की व्यवस्था की गई है, दाखिल कर लिया गया है।

लोदी कालोनी के निकट खुले नाले के कारण स्वास्थ्य को हानि

1173. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि लोदी कालोनी, नई दिल्ली के निकट और कोटला मुबारकपुर के निकटवर्ती खुले नाले (जो गन्दा नाला के नाम से जाना जाता है) से वास्तव में स्वास्थ्य को हानि होती है, क्योंकि यहां पर मच्छर पैदा होते हैं;

(ख) क्या वर्षा ऋतु में नाले में बहुत पानी भर जाता है और स्थानीय लोगों को उससे काफी असुविधा होती है; और

(ग) क्या उक्त नाले का रास्ता बदलने अथवा उसे भर देने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Preventive Measures to Check Cancer among Women in U.P.

1174. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether 40 percent of women taking oral tablets and using loops for family planning, have suffered from cancer;

(b) if so, the total number of women suffering from cancer in U.P. and the number of those out of them who have been sent to the Patna Institution for special treatment at Government's cost; and

(c) the preventive measures adopted to check this disease in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D.P. Chattopadhyaya): (a) A definite statement that oral tablets (contraceptives) I.U.C.D. do not cause cancer, cannot be made at the present stage of clinical use and observation. It is because the effect of all known carcinogenic agents in humans is delayed with a latency period of as long as a decode.

(b) The facts are being ascertained from the State Government.

(c) Cancer is a disease characterised by an unrestrained growth of abnormal cells. It can be detected and treated but there are no known preventive measures for Cancer except perhaps by eliminating causative agents such as smoking, exposure to strong sun light, chewing of betel leaves, consumption of alcohlic beverages, intake of hot and spicy foods, early marriage and repeated pregnancy. This is being achieved through a health education programme for the general public by means of all available mass communication media. Family Planning Medical Officers examine the women to check that they are not suffering from Cancer before they are put on oral tablets or are fitted with IUD.

भारत की फुटबाल की टीम के स्तर में गिरावट

1175. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों में भारत में फुटबाल के खेल का स्तर गिर गया है;

(ख) क्या सरकार ने कुआलालम्पुर में हाल में हुए मेरडेका फुटबाल टूर्नामेंट में भारत की फुटबाल की टीम का खेल अत्यधिक कमजोर रहने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हाँ, तो भारत की टीम का खेल कमजोर रहने के क्या कारण है; और

(घ) देश में फुटबाल के खेल के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार इस मामले से पहले ही अवगत है। अखिल भारतीय फुटबाल संघ से एक जांच समिति स्थापित करने को कहा गया है जो उनके इतने खराब खेलने के कारणों का पता लगायेगी। समिति के जांच परिणाम की प्रतीक्षा है।

(घ) देश में फुटबाल का स्तर सुधारने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी मुख्यतः अखिल भारतीय फुटबाल संघ की है। फिर भी, सरकार समिति के (जांच) परिणाम का अध्ययन करेगी तथा अखिल भारतीय फुटबाल संघ के परामर्श से, इस संबंध में, उचित कदम उठाएगी। इस बीच, अब सरकार द्वारा राज्यों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्तियां आदि की मंजूरी, जैसी विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।

केरल आवास निगम की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1176. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल आवास निगम की परियोजनाओं के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और वह कितनी है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किये गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य आवास बोर्ड की सम्बन्धित योजनाएं, उनके स्वरूप तथा उनकी कितनी राशि है, निम्नलिखित हैं :—

योजना का नाम	योजना की प्रमात्रा	अपेक्षित ऋण की राशि
1. मैडिकल कालेज हाउसिंग स्कीम, त्रिवेन्द्रम	2. 54 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास और 45 मकानों का निर्माण।	12. 20 लाख रुपये
2. त्रिवेन्द्रम के निकट परूरकड़ा हाउसिंग स्कीम	112 प्लाटों का विकास और उन पर मकानों का निर्माण तथा 12 रिहाइशी प्लाटों का विकास।	19.00 लाख रुपये
3. उल्लोर हाउसिंग स्कीम, त्रिवेन्द्रम	104 प्लाटों का विकास और उन पर मकानों का निर्माण।	24.89 लाख रुपये

(ग) पहली दो योजनाएं, 4-10-1971 को आवास और नगर-विकास निगम के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। तीसरी योजना के सम्बन्ध में, केरल राज्य आवास बोर्ड को कोचीन और कालीकट जैसे अपेक्षाकृत अधिक घने बसे क्षेत्रों के लिए आवास योजनाएं तैयार करने की बात पर विचार करने की सलाह दी गई है।

एरणाकुलम-फारोका तटीय राजमार्ग का विकास करने हेतु धनराशि नियत करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध

1177. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में एरणाकुलम-फारोका तटीय राजमार्ग को विकसित करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र से 9 करोड़ रुपये की धनराशि नियत करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सका है क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही से पश्चिमी तट सड़क के विकास के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यव-

स्था कर दी है और एक दूसरी समानान्तर तटीय सड़क के लिए किसी धन की व्यवस्था करना या मौजूदा पश्चिमी तटीय सड़क, जो कि तैयार होने वाली है, का मार्ग परिवर्तन करना व्यवहार्य नहीं है।

कलकत्ता में परीक्षण किये गये औषधियों के घटिया नमूने

1178. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता में परीक्षण किये गये औषधियों के 1615 नमूनों में से 470 घटिया किस्म के पाये गये थे; और

(ख) यदि हाँ तो ऐसी घटिया औषधियां बनाने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1970 पचांग वर्ष में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में 2177 नमूनों का परीक्षण किया गया इनमें से 511 नमूने घटिया किस्म के पाए गये।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दुग्ध के मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिशें

1179. **श्री सी० जनार्दनन :**

डा० संकटा प्रसाद :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के शासीनिकाय ने दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने स्टैन्डडइिज्ड दुग्ध और टोन्ड दुग्ध के मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि मूल्यों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने से पहले, अधिकतम संभव मितव्ययता के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के सब विभागों की कार्य-प्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिये। इस बीच दिल्ली दुग्ध योजना की प्रत्याशित हानि को कम करने के लिये 10 अक्तूबर, 1971 से मानकित दूध में चिकनाई की मात्रा को घटाकर 5 प्रतिशत से 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

खाद्यानों की आवश्यकता और उत्पादन

1180. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों के लिए चालू वर्ष में खाद्यान्नों की अनुमानत: कितनी आवश्यकता है;

(ख) सरकार के पास खाद्यान्नों के वर्तमान स्टाक की स्थिति क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में अनुमानत: कितने खाद्यान्न का उत्पादन होगा और ये आँकड़े गत वर्ष की तुलना में कैसे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान बंगला देश के शरणार्थियों के लिये खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की कुल आवश्यकता अनुमानत: 107 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) अक्तूबर, 1971 के अन्त में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 73.5 लाख मीटरी टन था।

(ग) 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों की कुल पैदावार 1078 लाख मीटरी टन हुई थी। चालू वर्ष (1971-72) के दौरान खाद्यान्नों की सम्भावी पैदावार का कोई यथार्थिक अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि खरीफ की फसलें अभी खेतों में हैं और रबी फसलों की बुवाई हो रही है। चालू वर्ष के लिए पैदावार का लक्ष्य 1120 लाख मीटरी टन रखा गया है।

खाद्यान्न जोनों की समाप्ति

1181. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्यान्न जोनों को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके परिणम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस समय जो खाद्य क्षेत्र हैं वे केवल चावल के बारे में हैं। गेहूं और गेहूं के पदार्थों का संचलन पश्चिमी बंगाल के सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में मुक्त है। अधिकांश प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मोटे अनाजों के संचलन पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं।

13 अक्तूबर, 1971 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चावल के क्षेत्रीय प्रतिबन्धों की समीक्षा की गई थी। इस बात पर पतैक्य था कि अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से ये प्रतिबन्ध लगे रहने चाहियें। सरकार ने सम्मेलन की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

चावल का आयात

1182. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चावल की स्थिति क्या है और चालू वर्ष में कितने चावल का आयात करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : चावल की उपज की सम्भावनाएं सामान्यतया सन्तोषजनक दिखायी देती हैं। सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक है। दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष के दौरान 2,38,000 मीटरी टन पहले से आयात की गयी मात्रा के अलावा लगभग 2,000 मीटरी टन चावल प्राप्त होने की आशा की जाती है।

विशाखापत्तनम पर लौह अयस्क का लदान करने वाले मजदूरों में बेरोजगारी

1183. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों के न मिलने के कारण, विशाखापत्तनम पर लौह अयस्क का लदान करने वाले मजदूरों में बहुत बेरोजगारी फैल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं और इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति ही उत्पन्न न हो ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) विशाखापत्तनम पत्तन से निर्यात लौह अयस्क की धरा-उठाई यांत्रिक साधनों से की जा रही है और वैगनों को उतारने के या पोत लदान के समय कोई मजदूर नहीं लगाये जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं की फसल के लिये अतिरिक्त भूमि में उर्वरक के उपयोग के बारे में अनुसंधान

1184. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट" में हाल में किये गये अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि गेहूं की फसल के लिए असिंचित भूमि में उर्वरक का प्रयोग लाभप्रद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए अनुसंधान के परिणामों का प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप असिंचित भूमि वाले क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन में कितनी वृद्धि की आशा की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के राज्यों में सन् 1969-70 और 1970-71 के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित कृषि योजना के अन्तर्गत बारानी खेती के क्षेत्रों में किसानों की खेतों में बड़ी संख्या में परीक्षण किए गए थे। इन परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि असिंचित परिस्थितियों में उर्वरक के प्रयोग से गेहूं की उपज में, उन खेतों की अपेक्षा जिनमें उर्वरक का प्रयोग नहीं हुआ, 25 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(ख) इन प्रयोगों के परिणामों को राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के गेहूं सम्बन्धी कार्य के करने वालों के नोटिस में लाया जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय प्रदर्शनों के अन्तर्गत भी प्रदर्शित किया गया है और सघन कृषि जिला कार्यक्रम वाले जिलों में व्यवहार में लाया गया है।

(ग) अनुसन्धान के परिणामों का प्रचार करने से असिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है। क्योंकि अन्तिम रूप से उपज कुछ कारणों पर निर्भर करती है जिनमें से कुछ कारण मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं। फिर भी जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिया गया है, गत दो वर्षों की अवधि में किसानों के खेतों में किए गए परीक्षणों से उपज में वृद्धि 55 से 100 प्रतिशत तक रिकार्ड की गई है।

Health Services in Rural Areas

1185. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any Scheme to extend health services to rural areas;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government to implement it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Yes. A Master Plan for provision of Health, Medical and Family Planning services in rural areas has been prepared.

(d) The Master Plan includes 8 schemes enumerated below:—

1. Revised pattern of sub-centres attached to Primary Health Centres—Provision of ANMs and Basic Health Workers.

2. Establishment of Primary Health Centres in Blocks which are without them and addition of Family Planning Wings to each of the P.H. Cs—Completion of buildings of Primary Health Centres and staff quarters. Augmentation of staff and provision of drugs and equipment.

3. Development of Referral Services – Upgradation of Primary Health Centres/ Dispensaries to 25 bed hospitals.

4. Mobile Training-cum-Service Hospitals and dispensaries on contributory basis.

5. Hospitals and Dispensaries—Involvement in preventive and promotional care.

6. Role of Voluntary Organisations running Medical Institutions.

7. Special Camps.

8. Village Sanitation.

(c) Action has already been initiated and the present position of these eight schemes is given in the attached statement.

Statement

Sl. No.	Name of the Scheme	Remarks
1	Revised pattern of Sub-centres attached to Primary Health Centres—Provision of ANMS, Basic Health Workers.	This scheme is proposed to be included in the Mid-term Appraisal of the 4th Plan at a cost of Rs. 12.96 crores for implementation during the remaining period of the Plan.
2	Establishment of Primary Health Centres in Blocks which are without them and addition of Family Planning Wings to each Primary Health Centre-Completion of buildings of Primary Health Centres, Augmentation of staff-Provision of drugs and equipment.	The State Governments were addressed in the matter. Replies have so far been received from 9 States and 5 Union Territories. Necessary action is being taken by the State/U T. Governments for the establishment of new PHCs and construction of buildings of PHCs and staff-quarters.
3	Development of Referral Services—Upgradation of Primary Health Centres/ Dispensaries to 25 bedded hospitals.	The State Governments were addressed regarding the establishment of 25 bedded hospitals by upgrading 1000 PHCs/Dispensaries by them. Replies have been received from 8 States and 3 Union Territories. Other States and Union Territories are still examining the proposal and working out the Scheme. In general the States are not in favour of the scheme as they have already earmarked the funds for improving the hospitals and dispensaries. A proposal for the upgrading of 400 selected PHCs to 25 bedded hospitals with Central assistance is also under consideration.

Sl. No.	Name of the Scheme	Remarks
4	Mobile Training-cum-Service Hospitals.	21 mobile hospitals have been sanctioned i.e. five by Ministry of Health and Family Planning and 16 by the Ministry of Education under C.R. Das Centenary Celebrations. Of these four of the Ministry of Health and 8 of the C.R. Das mobile hospitals have started functioning. The proposal to have more mobile hospitals to be attached to each Medical College is under consideration.
5	Hospitals and Dispensaries—Their involvement in preventive and promotional care.	The State Governments were addressed. Replies from most of the States are awaited.
6	Role of Voluntary Organisations running medical institutions.	This scheme has already been approved in principle. The State Governments were addressed for their acceptance of the 1/3rd share of the grants-in-aid under the scheme. Replies from most of the State Governments are still awaited.
7	Special Camps.	The State Governments were addressed. Replies from most of the States are awaited.
8	Village Sanitation.	The State Governments are proposed to be addressed in the matter.

Rich Class monopoly in Education imparted by Public Schools

1186. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only persons belonging to rich classes are monopolising the education imparted by Public Schools in the country ;

(b) if so, the number of students in such schools and the number of those in other schools separately ;

(c) whether Government propose to bring uniformity in education in all schools ; and

(d) if so, the time by which the scheme will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav); (a) No, Sir. In order to extend the benefits of Public School education to deserving children, especially of lower income groups, who would otherwise be unable to secure such advantages, a Scheme of Merit Scholarships for Study in

Public Schools and good Residential Schools was started in the year 1953-54. Till 1970-71, 2359 scholarships have been awarded to children of lower income groups. Government also propose to reserve 25% of the fresh admissions to all Public Schools for Government scholars selected on the basis of merit-cum-means.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table.

(c) As the school education is the responsibility of the State Governments, it is not possible for the Government of India to bring uniformity in education in all schools. Besides, under Article 30(1) of the Constitution of India, all minority, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(d) Does not arise.

पश्चिम बंगाल के अप्रशिक्षित अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि

1187. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न अध्यापक संगठनों से पश्चिम बंगाल के अप्रशिक्षित अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) पश्चिम बंगाल के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनों में वार्षिक वृद्धि के लिए पश्चिम बंगाल के माध्यमिक स्कूल-अध्यापकों तथा कर्मचारी-संघ की ओर से राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

24 परगाना (पश्चिमी बंगाल) के सुन्दर वन में सांप के काटने का इलाज

1188. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 परगाना के सुन्दर वन में सांप के काटने का इलाज करने सम्बन्धी सुविधायें कितने और किन-किन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में गांवों में कार्य करने वाले प्राइवेट डाक्टरों को औषधियों और उपकरणों सम्बन्धी कुछ सुविधायें देने की कोई योजना आरम्भ कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 24 परगाना के सुन्दर वन में जिन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश के उपचार की सुविधायें विद्यमान हैं उनके नामों व संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

धान के 2/3 महीनों के पौधों पर खारी पानी के प्रभावों सम्बन्धी अनुसन्धान

1189. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **कृषि** मंत्री खारी पानी में धान की खेती सम्बन्धी अनुसन्धान के बारे में 5 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान के 2/3 महीनों के पौधों पर खारी पानी के नवीन प्रभाव के बारे में अनुसन्धान किया जा रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

काकद्वीप-पठारप्रतिमा, रायडिगी-पठारप्रतिमा और काचूबेरिया-काकद्वीप (सागर-द्वीप समूह) के लिये नौका (लांच) सेवायें

1190. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) काकद्वीप और पठार-प्रतिमा, (दो) रायडिगी और पठार-प्रतिमा और (तीन) काचूबेरिया (सागर द्वीपसमूह) और काकद्वीप के लिए बड़ी क्षमता वाली दो-दो नौका (लांच) सेवायें चलाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में सरकारी क्वार्टर

1191. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से नियम के अन्तर्गत एक सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास को अपने कब्जे में रख सकता है और कितनी अवधि तक;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में जिन सेवानिवृत कर्मचारियों के कब्जे में सरकारी आवास हैं, उनकी श्रेणीवार संख्या क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन आवासों को खाली करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अनुपूरक नियम 317-बी-11 (2) के नीचे सारणी की मद (II) के अधीन यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत होने पर या टर्मीनल छुट्टी पर गये सरकारी कर्मचारी अपने दखल के वास को दो महीने की अवधि तक अपने पास रख सकता है। मद (IX) के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि एक अधिकारी जो सेवा-निवृत होने से पूर्व की छुट्टी पर जाता है या मूल नियम 86 के अधीन मना की गई छुट्टी पर चले जाने पर, अपने दखल के सामान्य पूल वास को छुट्टी की पूरी अवधि के लिये पूरे औसत वेतन पर अपने पास इस शर्त पर रख सकता है कि वह अवधि अधिक से अधिक चार महीने हो, जिसमें सेवा निवृति के मामलों में अनुमेय अवधि सम्मिलित है।

(ख) ऐसे सेवा निवृत कर्मचारी 220 हैं, जो दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का अब तक दखल लिए हैं और उनका ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

टाइप I	...	11
टाइप II	...	33
टाइप III	...	48
टाइप	...	65
टाइप V	...	57
टाइप VI	...	6
जोड़		220

(ग) ऐसे अधिकारियों के दखल में वास के आवंटन रद्द कर दिये हैं, और पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड आक्युपेन्टस) एक्ट 1971 के अधीन उनके विरुद्ध बेदखली की कार्य-वाही कर दी गई है/आरम्भ की जा रही है।

मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सरकारी क्वार्टर का रखा जाना

1192. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित किस नियम के अन्तर्गत सरकारी क्वार्टर को रख सकते हैं और कितने समय तक;

(ख) दिल्ली में निर्धारित समय से अधिक सरकारी क्वार्टर को रखने वाले ऐसे आश्रितों की वर्ग-वार संख्या क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इन सरकारी क्वार्टरों को खाली कराने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकारी निवासस्थान (दिल्ली में सामान्य पूल) आवंटन नियम, 1963 के अनुपूरक नियम 317-बी, 11 (2) के नीचे सारणी की मद (III) के अधीन एक व्यवस्था है, जिसके अनुसार आवंटी की मृत्यु पर सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को 4 मास की अवधि के लिए वास रखने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) मृत सरकारी कर्मचारियों के 48 आश्रित निर्धारित अवधि से अधिक समय से वास को रखे हुए हैं। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

टाइप I	15
टाइप II	9
टाइप III	9
टाइप IV	7
टाइप V	7
टाइप VI	1
कुल	48

(ग) आवंटन रद्द कर दिये गये हैं, तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन अनधिकृत दखलकारों की बेदखली के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित व्यक्ति को सरकारी आवास का आवंटन

1193. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर उसके आश्रित व्यक्ति को, यदि वह आश्रित व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में हो तो, तुरन्त सरकारी आवास आवंटित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नियम का क्या औचित्य है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक सरकारी अधिकारी के सेवानिवृत होने पर उसके लड़के, लड़की, पत्नी, पति अथवा पिता को नियमित/तदर्थ आधार पर आवंटन इस शर्त पर किया जाता है कि उक्त सम्बन्धी सामान्य पूल वास का पात्र सरकारी कर्मचारी हो तथा वह सेवानिवृत अधिकारी के साथ उनकी सेवानिवृति की तिथि से कम से कम 6 मास पहले से रह रहा हो। ऐसे नियमितीकरण आवंटन सेवा निवृत होने वाले अधिकारी को वास रखने की अनुमेय रियायती अवधि के अन्दर किये जाते हैं।

(ख) यह व्यवस्था सेवानिवृत होने वाले उन अधिकारियों तथा उनके परिवारों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर की गई है, जो उनके रिटायर होने के बाद गैर सरकारी क्षेत्र में मकान किराये पर ले सकने में असमर्थ हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कानपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेदखली के नोटिस दिए जाने के समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अधीन बनाये गये विभिन्न मकानों में रहने वाले 4000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें 3000 रक्षा कर्मचारी हैं, बेदखली के नोटिस दिये जाने के समाचार की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।"

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न मकानों में रह रहे केन्द्रीय सरकार के 4000 कमचारियों, जिनमें 3,000 रक्षा-कर्मचारी शामिल हैं, को दिये गये बेदखली के

नोटिस की सूचना पर उत्तर प्रदेश सरकार से पहिले ही रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 2(i) के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों तथा खान अधिनियम 1952 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत आने वाले कोयला और अभ्रक की खानों से अन्य खानों में काम करने वाले व्यक्तियों और जिनका वेतन 350 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, को रियायती किराये पर वास उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकारों, औद्योगिक नियोजकों तथा औद्योगिक वर्करों की सहकारिताओं को मकान बनाने में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने यह योजना 1952 में प्रारम्भ की थी।

हमारे पास अब उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की आर्थिक सहायता (50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत सहायता) से कानपुर में लगभग 16,000 मकानों का निर्माण किया। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (जिनमें रक्षा-संस्थापनों के कर्मचारी शामिल हैं) इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों के आवंटन के पात्र नहीं हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए (चाहे औद्योगिक हो अथवा गैर औद्योगिक), जहां कहीं आवश्यक हो, अपने अपने बजट में आवश्यक व्यवस्था करके मकान बनाए।

2. प्रारम्भ में मकान, पात्र औद्योगिक कार्मिकों में बहुत लोकप्रिय नहीं थे। कुछ टेनामेन्टस क्षेत्र के कतिपय रक्षा-संस्थापनों के सिक्यूरिटी क्षेत्र में भी पड़ते थे, तथा स्थानीय मिलिटरी अधिकारी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि ऐसे मकान बाहर के लोगों को आवंटित किए जाएं। इन बातों को देखते हुए तथा राजस्व की हानि से स्वयं बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में लगभग 5,000 टेनामेन्ट अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिए (जिनमें रक्षा-स्थापनाओं के कर्मचारी भी शामिल थे)। जबसे मामला 1958 में मेरे मंत्रालय के नोटिस में आया है उत्तर प्रदेश सरकार को अपात्र व्यक्तियों के दखल के मकानों को खाली कराने के लिए प्रेरित करने के प्रयत्न किये गए हैं ताकि ये मकान उन पात्र आद्योगिक कर्मकारों को आवंटित किए जा सकें जिनके लिए ये बनाये गए थे।

3. रक्षा कर्मचारियों द्वारा दखल में लिए गए मकानों को खाली कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वैकल्पिक हल के रूप में यह प्रस्ताव किया कि ऐसे मकान रक्षा मंत्रालय द्वारा उनसे खरीद किए जा सकते हैं। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को स्वीकार्य नहीं था। रक्षा मंत्री, तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के बीच 21 अक्तूबर, 1965 में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार 1 अप्रैल, 1966 से ऐसे मकानों को औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना से निम्न आय वर्ग योजना में हस्तान्तरित कर सकती है और उक्त तारीख से इस सहायता को भारत सरकार को 20 वर्षों की अवधि में ब्याज सहित वापस कर सकती है (मानो कि उसने ऋण लिया हो)। भारत सरकार ने इस चिर-निलम्बित समस्या के हल करने के उपाय के रूप में उस तारीख तक सहायता

भाग पर ब्याज छोड़ देने का प्रस्ताव किया। इस तरीके से रक्षा कर्मचारियों तथा निम्न आय वर्ग में आने वाले अन्य कर्मचारियों को, अर्थात् जिनकी आय 600 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होती, उत्तर प्रदेश सरकार मकान आवंटित करने में समर्थ होती।

4. उपर्युक्त निर्णय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री को 13-1-1966 को सूचित किया गया। नवम्बर, 1966 में राज्य सरकार ने उपर्युक्त निर्णय को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और अपने पहले इस आग्रह पर पुनः बल दिया कि रक्षा मंत्रालय को ये मकान खरीद लेने चाहिए। क्योंकि रक्षा मंत्रालय को यह क्रय स्वीकार्य नहीं था, राज्य सरकार को अप्रैल, 1967 में अपने वैकल्पिक प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई। जुलाई, 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की परिधि को व्यापक बनाने का सुझाव दिया ताकि रक्षा कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाया जाए। ऐसा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा भी किया गया था। देश भर में योजना पर इसकी होने वाली व्यापक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जनवरी, 1970 में पुनः बल दिया कि समस्या का एकमात्र तर्क संगत तथा वांछनीय हल यही होगा कि रक्षा मंत्रालय मकानों को खरीदे। इस सुझाव की रक्षा मंत्रालय को मई, 1970 में पुनः सिफारिश करते हुए उनका ध्यान विशेषतौर पर इस बात की ओर आकृष्ट किया गया कि काफी संख्या में मकान सुरक्षित क्षेत्र (सीक्योरिटी ज़ोन) में स्थित होने के कारण, साधारणतया ये ऐसे लोगों के दखल में नहीं होने चाहिए जो रक्षा-स्थापनाओं में कार्य नहीं करते हों। मामला रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

5. यद्यपि मकान शत-प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता से राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं, मकानों का स्वामित्व तथा प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार में निहित है, और वे अपात्र आवंटियों के विरुद्ध अपने नियमों आदि के अनुसार कार्यवाही करने में सक्षम हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें विवरण को पढ़ना चाहिए। वे इस मामले में बुरी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री आई० के गुजराल : मेरा बुरी परम्परा डालने का कोई इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह एक परम्परा है। यदि विवरण छोटा है तो वह पढ़ा जाना चाहिए और यदि वह लम्बा है तो उसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए। हम इसी प्रक्रिया का पालन करते रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उक्त विवरण सदस्यों को लगभग 11 बजे मिला था। अनेक मामलों में विवरण सदस्यों को केवल 15 मिनट पूर्व दिए गए हैं। सदस्यों को इसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब 1956 में कानपुर का दौरा किया था और वहां राज्य कर्मचारी बीमा निगम का उद्घाटन किया था तब उन्होंने वहां गन्दी बस्तियों का भी दौरा किया था और अपने ऐतिहासिक वक्तव्य में बताया था कि इन गन्दी बस्तियों को जला दिया जाना चाहिए और इनके स्थान पर नये मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए। पंडित जवाहर

लाल नेहरू की उक्त घोषणा के बाद इन मकानों का वहां निर्माण आरम्भ हुआ। इन मकानों का निर्माण रक्षा प्रतिष्ठान की भूमि पर हुआ था। इसके कारण रक्षा डिपो के कमांडेंट कर्नल आर० सी० नायडू ने इन मकानों को गिराने की धमकी भी दी थी। इन मकानों को केन्द्रीय आयुध डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को एलाट कर दिया गया था। वर्ष 1958 से इन लगभग 3000 मकानों में रक्षा कर्मचारी और 1000 अन्य मकानों में डाक और तार कर्मचारी तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारी रह रहे थे। वे मकानों का किराया नियमित रूप से अदा कर रहे थे। अब केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से वे इन मकानों में नहीं रह सकते। इन नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इन मकानों में नहीं रह सकता।

इस मामले से श्री जगजीवन राम, श्री स्वर्ण सिंह और श्री यशवन्त राव चव्हाण को अवगत करा दिया गया था।

रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने जब कानपुर का दौरा किया था तब इस बात का निश्चित आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी को वहां से नहीं हटाया जाएगा और उनको कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा।

उन मकानों को रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदने का मामला अभी भी रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि आज जब हम समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं विभिन्न कर्मचारियों के साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। आयुध डिपो में काम करने वाले और पटसन मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वहां पर व्याप्त भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए।

मकानों में रहने वाले प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 3000 से 4000 रुपये की क्षति पूर्ति किए जाने का नोटिस दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप रक्षा कारखानों में काम करने वाले लगभग 3000 कर्मचारी और आर० एम० एस० तथा डाक-तार विभाग के 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। यदि उनके मकानों को नीलाम किया गया और उन्हें बेघर किया गया तो वहां पर कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होगी। अतः मैं श्री आई० के० गुजराल और श्री उमाशंकर दीक्षित से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर-प्रदेश के मुख्य मन्त्री, आवास और श्रम मन्त्री और रक्षा अधिकारियों से इस मामले पर विचार विमर्श करें और वहां रहने वाले कर्मचारियों से नीलामी और बेदखली के नोटिस वापिस लेने का अनुरोध करें।

जबकि रक्षा मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सहानुभूति प्रकट की है और वे इन मकानों में 10 से 13 वर्ष से रह रहे हैं और उन्होंने किरायेदार के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वे नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, तो उन्हें उन मकानों से बेदखल करने के क्या कारण हैं ? इस समय उनको उन मकानों से निकालना कहां तक उचित है ? सरकार को एक कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी में भेदभाव नहीं करना चाहिए।

उक्त नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए और वे नोटिस वापिस लिए जाने चाहिए और मुख्य मन्त्री को स्थिति का समाधान करने के लिए उचित तरीकों का पता लगाना चाहिए।

आयुध कारखानों के 4,000 कर्मचारी, इस भय से कि उनके परिवार का और उनके सामान का क्या बनेगा, काम नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री को इस बारे में निश्चित आश्वासन देना चाहिए।

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस बारे में यह स्पष्ट कर दूँ कि ये बेदखली अथवा क्षति के नोटिस केन्द्रीय सरकार के कहने पर नहीं दिए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आवास मन्त्री मुझसे कल मिलेंगे तो मैं उनसे इस बारे में विचार विमर्श करूंगा।

इन मकानों का निर्माण औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत किया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये मकान औद्योगिक कर्मचारियों को नहीं दिए गए और वे मकानों को औद्योगिक कर्मचारियों को न देकर अन्य व्यक्तियों को दे दिए गए थे। इस बारे में सरकार के पास तीन विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि रक्षा मंत्रालय इन मकानों को ले ले और उन्हें अपने कर्मचारियों को उचित शर्तों पर दे दे। इस बारे में रक्षा मंत्रालय से बातचीत की गई लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। रक्षा मन्त्रालय ने यह भी सुझाव दिया था कि ये मकान उनमें रहने वाले व्यक्तियों को बेच दिए जायें। अधिकांश व्यक्ति इन मकानों को खरीदने के इच्छुक नहीं हैं। हम उन मकानों को निम्न आय गृह-निर्माण योजना में परिवर्तित करना चाहते हैं।

दूसरा विकल्प यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को लौटा दे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने की इच्छुक नहीं थी।

हम रक्षा उत्पादन कारखाने के कर्मचारियों को मकान एलाट करने का इसलिए विरोध नहीं करते हैं क्योंकि हम विभिन्न औद्योगिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव करते हैं। लेकिन इसका विरोध करने का यह कारण भी है कि यदि सरकार किसी एक विभाग अथवा अन्य विभाग में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए सहायता दे दे तो श्री बनर्जी कल यह भी कहेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों की गृह-निर्माण की योजना प्रगति नहीं कर रही है और इस योजना में सब धन लग रहा है।

यदि वह धन हमें वापस मिलता है तो उसे भारत की संचित निधि में नहीं डाला जाएगा। अपितु उसे औद्योगिक आवास पर व्यय किया जाएगा। आवास सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं अपितु सभी लोगों के लिए आवश्यक हैं।

इन मकानों का सुरक्षित क्षेत्र में स्थित होने का कारण यह है कि इनका रक्षा मन्त्रालय अथवा रक्षा उत्पादन एकक के अधीन रहना आवश्यक है।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : अधिभोगियों को बाहर निकलने के लिए कहने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार या रक्षा मंत्रालय को

हमारे मन्त्रालय के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। हम इस मामले को यथा शीघ्र हल करने का प्रयास करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के वक्तव्य से लगता है कि प्रजातंत्र पद्धति में समन्वय का अभाव है।

उनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि यह मामला 1958 में मंत्रालय की जानकारी में आया था। इन मकानों का निर्माण सुरक्षित क्षेत्रों में क्यों किया गया था ? क्या उस समय यह पता नहीं था कि उक्त क्षेत्र सुरक्षित हैं ? खेद का विषय है कि देश जिस समय अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जुटा है सुरक्षा उत्पादन के कार्मियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि विभिन्न मंत्रालयों को स्वतंत्र रूप से कार्य नही करना चाहिए और उनके कार्य में समन्वय होना चाहिए। उन आवासों का निर्माण सुरक्षित क्षेत्रों में होने दिया गया तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उनमें रहने दिया गया। इन्होंने इन पर बलपूर्वक अधिकार नहीं किया था। उन्हें लागत मूल्य पर यह मकान देने का विकल्प दिया गया है। मंत्रालय का मत है कि वे नियमों में कोई छूट देने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसका कोई न कोई समाधान खोजना चाहिए।

श्री आई० के० गुजराल : मंत्रालयों के मध्य तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कुछ भी विचार-विमर्श हो, मैं इस बात बात का ध्यान रखूंगा कि मकानों में रहने वालों को मकान खाली न करने पड़े।

Shri Sarjoo Pandey (Gaxlpur): We get similar assurances every time. One such assurance was given by the Hon. Minister when I raised this question. Inspite of that these persons were served with eviction notices and have been charged damages.

Shri I.K. Gujral : The Ministers of U. P. Government are coming here. I shall try to settle this issue with them.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दो विषयों पर नोटिस दिये हैं। एक तो यह कि वित्त सचिव के वक्तव्य का पर्याप्त प्रसारण हुआ है और उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। दूसरे कल गुरुतेग बहादुर का बलिदान दिवस है जिसपर छुट्टी होनी चाहिए।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVELEGE

अध्यक्ष महोदय : 10 अगस्त, 1971 को श्री बी०पी० मौर्य ने नवभारत टाइम्स दिल्ली के 6 अगस्त, 1971 के अंक में, जिसमें उन पर आक्षेप लगाये गये थे, प्रकाशित एक लेख के बारे में, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था।

उक्त समाचार पत्र के सम्पादक ने 11 अगस्त, 1971 को मुझे एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि उनका इरादा सदस्य अथवा सभा की भावनाओं को कष्ट पहुँचाना नहीं था। सम्पादक ने सदस्य और सभा से क्षमा याचना की है।

श्री मौर्य की इच्छानुसार समाचार पत्र के सम्पादक से उनकी अपनी तथा लेखक विवेकी की माफी नवभारत टाइम्स में छापने को कहा गया था। ऐसा सम्पादक ने तारीख 24 सितम्बर, 1971 के समाचार पत्र में कर दिया था। अतः इस मामले को समाप्त किया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो मामला उठाया है मैं उसपर ध्यान दूँगा। यह ठीक है कि यह वक्तव्य मँत्री महोदय को देना चाहिये था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बंबई मोटर गाड़ी गुजरात संशोधन नियम, 1971

संसदीय कार्य और नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, बम्बई मोटर-गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई मोटरगाड़ी (गुजरात संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनाक 24 जून, 1971 अधिसूचना संख्या जी/जी/71/76/एम वी आर/1070/26850 मई में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1061/71]

राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध संशोधन स्कीम, 1971

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1062/71]**

चीनी नियंत्रण संशोधन आदेश 1971

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1266 में प्रकाशित हुआ था।

(2) चीनी (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 13.0 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1063/71 तथा 1064/71]

भारतीय औद्योगिकी संस्थान बम्बई और खुदाबख्श ओरियंटल लाइब्रेरी पटना के लेखा परीक्षित लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) औद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1065/71]

(2) (एक) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1066/71]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 16 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा 18 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 1971 को पास किये गये खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

———

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL—AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पारित किए गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

———

लोक लेखा समिति अठारहवाँ और उन्नीसवाँ प्रतिवेदन
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE EIGHTEENTH & NINETEENTH REPORT

श्री ईरा सेझियान : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) चिकित्सा सामग्री डिपुओं (स्वास्थ्य विभाग) के सम्बन्ध में समिति के 103वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 तथा विनियोग लेखे (सिविल), 1967-68 के सम्बन्ध में समिति के 118वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

———

खाद्य अपमिश्रण निवारण कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार विधेयक
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (EXTENSION TO KOHIMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं

प्रस्ताव करता हूँ कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

छोटे सिक्के (अपराध) विधेयक

SMALL COINS (OFFENCES) BILL

श्री के० आर० गणेश : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना और छोटे सिक्के पिघलाने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ उन्हें जमा करना रोकने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना और छोटे सिक्के पिघलाने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ उन्हें जमा करना रोकने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMET REGARDING SMALL COINS (OFFENCES) ORDINANCE

श्री के० आर० गणेश : मैं छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये

जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन सभा पटल पर रखता हूँ।

डाक की वस्तुओं पर कर विधेयक
TAX ON POSTAL ARTICLES BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय डाक की वस्तुओं पर कर उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कतिपय डाक की वस्तुओं पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अध्यादेश द्वारा संसद की अवहेलना की गई है।

इसके अलावा कर इतने अधिक हो गये हैं कि जनता और अधिक सहन नहीं कर सकती। सरकार अन्य स्रोतों से, यथा आयकर की बकाया राशि की उगाही द्वारा धन की कमी को पूरा किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इससे सरकार के दिवालियेपन का पता चलता है। इस वर्ष के बजट में वास्तविक घाटा 400 से 475 करोड़ रुपए था। आज जनता को बढ़ी हुई कीमतों से बुरी तरह पिस रही है दूसरी ओर एक मंत्री पर 25,000 से 50,000 रुपये मासिक व्यय होते हैं।

आज करों की बकाया राशि 900 करोड़ तक पहुंच गई है। करों का अधिकतम भाग नियमित तथा व्यक्तिगत करों के रूप में है। आज सरकार तस्करी के कारण प्रत्येक वर्ष 400 करोड़ रुपये की हानि उठा रही है। इसके अतिरिक्त कम तथा अधिक बीजकों के कारण भी 400 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

समाचार पत्रों पर कर लगाना भी अनुचित है क्योंकि देश के अच्छे से अच्छे क्षेत्रों में भी 68 प्रतिशत से अधिक लोग समाचार पत्र नही पढ़ते हैं और पिछड़े क्षेत्रों में 22 प्रतिशत से अधिक लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : I have two reasons to oppose this Bill. Firstly, the ordinance was promulgated only on 22.10.71 where as the session was to begin on 15th of November,

According to the traditions set up by Lok Sabha the financial matters should not be taken up by way of ordinances.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Imposition of taxation by way of ordinances is against Parliamentary democracy.

अध्यक्ष महोदय : अध्यादेशों में वित्तीय और गैरवित्तीय का भेदभाव करना अनुचित है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के विचारों के अलावा हम आपके विचार जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं जब सभा का सत्र होने वाला होता है उस समय अध्यादेश जारी किये जाने के पक्ष में नहीं हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpaye : Please ask the Hon. Minister why the levies could not be made effective from lst. December.

श्री के० आर० गणेश : यह सभा भली प्रकार जानती है कि बंगला देश के विस्थापितों की देख-भाल के कारण भारी भार पड़ा है । इस मामले पर मुख्य मंत्रियों से बातचीत हुई थी और उनमें इस बारे में मतैक्य था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह आशा करता हूँ कि ऐसी कार्यवाही को तब तक पुनः नहीं दुहराया जाएगा जब तक कि ऐसे ही हालात विद्यमान न हों ।

श्री राज बहादुर : हमें संसद की कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए । हम आपको इस बारे में संतुष्ट कर देंगे ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : हम इस बात से इनकार नहीं करते कि धन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है । परन्तु ऐसी क्या अनिवार्यता थी कि 15 नवम्बर तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी ?

किसी अध्यादेश के जारी किये जाने के लिये कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिएं । सरकार ने यह नहीं बताया है कि विशेष परिस्थितियां क्या थीं । इस सम्बन्ध में विधेयक 15 नवम्बर, को रखा जा सकता था और उसको पारित कराया जा सकता था । सत्तारूढ़ दल का सभा में अत्यधिक बहुमत है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : To impose taxation through an ordinance is to ignore this Parliament. Government could have waited for some days and introduce a Bill on 15th Nov., 1971 in this regard.

Mr. Speaker : In accordance to the reply given by the then Prime Minister when Shri Mavlankar was Speaker, the Government has the right to issue ordinances, but the question that whether the Government can issue ordinance when the session is shortly to begin, requires examination.

श्री के० आर० गणेश: श्रीमान जो भी कर अथवा शुल्क लगाये जाते हैं उनके लिये प्रशासनिक व्यवस्था करना अनिवार्य होता है । उदाहरणार्थ स्टाम्प शुल्क तथा डाक वस्तुओं पर कर लगाने के संबंध में बहुत प्रकार की प्रशासनिक तैयारी करनी पड़ती है और क्योंकि प्रत्येक दिन के बीतने पर अत्यधिक हानि होने की आशंका थी, इसलिये इसे 15 नवम्बर, 1971 से लागू किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय डाक की वस्तुओं पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Look Sabha divided

पक्ष में :	102	**विपक्ष में :**	32
Ayes :	102	**Noes :**	32

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———

डाक की वस्तुओं पर कर अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. TAX ON POSTAL ARTICLES ORDINANCE

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): मैं श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से डाक की वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

———

रेल यात्री भाड़ा विधेयक
RAILWAY PASSENGER FARES BILL

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि रेल भाड़े पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : तीसरे दर्जे के यात्रियों के किराये में वृद्धि करना उचित नहीं है। मैं वायुयानों के किराये/वातानुकूलित दर्जे के किराये बढ़ाये जाने के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु चाहता हूँ कि गरीब तीसरे दर्जे में चलने वाले यात्रियों पर यह भार न डाला जाये। अत: मैं इस विधेयक को वापिस लिये जाने का आग्रह करता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि कम आय वाले यात्रियों का किराया बढ़ाया जाना अनुचित है। सरकार इस बारे में अध्यादेश जारी करने की बजाय 15 नवम्बर को इस बारे में एक विधेयक सभा में ला सकती थी।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब तक नितान्त आवश्यक न हो तब तक सरकार कभी भी कोई अध्यादेश जारी नहीं करती है। बंगला देश संकट से उत्पन्न स्थिति के कारण हमें यह अध्यादेश जारी करना पड़ा है। रेल यात्रा के लिये अग्रिम आरक्षण 20 दिन पहले किया जा सकता है अतएव बाद में इसका धन एकत्र करना कठिन हो जाता। मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि अध्यादेश के द्वारा करारोपण नहीं किया जाना चाहिये परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहती हूं कि अत्यावश्यक होने के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल भाड़े पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Look-Sabha divided

पक्ष में :	105	**विपक्ष में :**	28
Ayges :	105	**Noes :**	28

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

रेलवे यात्री भाड़ा अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. RAILWAY PASSENGER FARES ORDINANCE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल रखता हूं जैसाकि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

अंतर्देशीय विमान यात्रा कर विधेयक

INLAND AIR TRAVEL TAX BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्देशीय

विमान यात्रा पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्देशीय विमान यात्रा पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अन्तर्देशीय विमान यात्रा पर कर अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. INLAND AIR TRAVEL TAX ORDINANCE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen hours of the Clock)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर बीस मिनट म० प० पर समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1969-70

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देषित—आंग्ल-भारतीय) : हमारी शिक्षा प्रणाली में एक रोग

उत्पन्न हो गया है और इस रोग को तुरन्त समूल नष्ट किया जाना चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि इस रोग की जड़ कहां पर है।

एक दुर्बल नींव पर सुन्दर या सुदृढ़ मकान बनाना असम्भव है। सर्वप्रथम हमें अपने छोटे बच्चों को सुदृढ़ प्रारम्भिक शिक्षा देनी चाहिए और इसके लिये हमें ऐसे अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता है जो वास्तव में बच्चों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकें। इस स्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रेम या अरुचि पैदा होती है। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये अतएव हमें बच्चों में शिक्षा के लिए प्रेम पैदा करना चाहिये।

हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों से शिक्षा का अन्तर स्तर धीरे-धीरे गिरता जा रहा है। स्तर की इस गिरावट के लिये युवकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में यह दोष हमारे अध्यापकों का है। सरकार पुस्तकें आदि निर्धारित करने के लिये उत्तरदायी है। या तो यह बात है कि जो सामग्री पढ़ाई जाती है वह रुचिकर नहीं होती है या हमारा अध्यापन का ढंग अच्छा नहीं है जिससे कि छात्रों में अनुशासनहीनता पैदा हो गई है। देश के सभी भागों में अधिक तकनीकी कालेज खोले जाने चाहिये और इस शिक्षा के लिए सरकार को अधिक धन निर्धारित करना चाहिये। डाक्टरों, इन्जीनियरों आदि को अच्छे रोजगार दिये जाने चाहिये। यदि ऐसा न हो सके तो उन्हें अपने रोजगार के साधन खोलने के लिये ऋण दिये जाने चाहिए ताकि वे अपना कारोबार प्रारम्भ कर सकें।

कालिजों और विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध समिति में छात्रों को सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए। यदि इस कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करना है तो समय-समय पर कालिजों और विश्वविद्यालयों में नेतृत्व करने के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अपने व्यक्तित्व को विकसित और समृद्ध करने का अवसर मिल सके तथा अन्य छात्रों की शिकायतों पर विचार करने का अवसर मिल सके।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में काफी समय से असंतोष फैला हुआ है। अब तक यह पता नहीं लगा कि क्या छात्र शिक्षा की नयी प्रणाली को अपनाना चाहते हैं अथवा नहीं। शायद छात्र अपनी पुरानी पुस्तकों से तंग आ गये हैं। इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या हम नई पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन से देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के भविष्य के बारे में आशा बंध गई है। गत 13 अथवा 14 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो प्रकार से कार्य करना आरम्भ किया है; पहले विज्ञान विभागों, प्रयोग शालाओं तथा ग्रंथालयों के विकास के लिये अनुदान देकर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की परिस्थितियों में सुधार करके और दूसरे उन्नत अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना तथा गोष्ठियों आदि के आयोजन द्वारा अध्ययन तथा अनुसंधान स्तरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करके।

देश में पांच विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं। यदि अन्य विश्वविद्यालय भी पत्राचार पाठ्यक्रमों को अपने यहां लागू कर लें तो लाखों छात्रों को लाभ पहुंचेगा।

इस समय केवल ग्रीष्म संस्थाओं में बुनियादी विज्ञान की व्यवस्था की गई है। सामाजिक विज्ञानों के लिये भी इनकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केवल कुछ विश्वविद्यालयों ने ही सेमिस्टर सिस्टम अपनाया है।

जब तक वर्तमान व्यवस्था को, जिसके अन्तर्गत वर्ष के अन्त में परीक्षा ली जाती है और जिस पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है, समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के बारे में कोई प्रगति सम्भव नहीं है, यदि विद्यार्थी के पूरे वर्ष के काम का मूल्यांकन करने की प्रणाली को हम स्वीकार कर लें तो वह पहले से अच्छी पढ़ाई करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बद्ध कालेजों में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इस प्रतिवेदन में जिस वर्ष की समीक्षा की गई है उसमें जो 24 या 25 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु केवल 3300 कालेजों को अनुदान देने पर 3.6 करोड़ रुपये खर्च किये गए है।

विचाराधीन प्रतिवेदन में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इन अनुदानों से कितने कालेजों को लाभ पहुंचा है। मेरे विचार में 3,300 कालेजों में से बहुत से कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान लेने के हकदार नहीं हैं। अतः जब तक हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते तब तक देश में चल रहे हज़ारों कालेजों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करना सम्भव नहीं होगा। मेरे विचार में इस बात की व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिये।

आजकल विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। परीक्षा के समय विद्यार्थी नकल करते रहते हैं और निरीक्षक केवल देखते रह जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते, छात्रों में अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई है कि मुफ़स्सिल क्षेत्रों में स्तर को ऊंचा उठाना कठिन है। इसके लिये हम केवल सरकार या कालेजों के प्राधिकारियों को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते; इसके लिये माता पिता तथा विद्यार्थी भी ज़िम्मेदार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग़ैर-रिहाइशी विद्यार्थियों के लिये केन्द्र स्थापित करने हेतु धन देकर, खेल के मैदान बनाने और पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदने के लिये धन दे कर विद्यार्थियों की स्थिति सुधारने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। इस प्रकार की कई योजनाएं बनाई गई हैं।

इस प्रतिवेदन से पता लग जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य में संसाधनों कमी की ज़बरदस्त रुकावट है। समस्त देश में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 26 करोड़ रुपये की राशि मेरे विचार से बहुत कम है। हमें शिक्षा पर कुछ अधिक खर्च करना चाहिये। मेरे विचार में हम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करते। हमें अपने स्नातक का स्तर इतना बढ़ाना होगा कि वह पश्चिमी देशों के

स्नातकों का मुकाबला कर सकें। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जायेगी और वह पहले से अच्छा कार्य कर सकेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस प्रतिवेदन में परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में एक अध्याय है। इस संबंध में इस प्रतिवेदन का निष्कर्ष कुछ भी हो परन्तु तथ्य यह है कि बहुत से विश्वविद्यालय और उनके कालेज जो परीक्षाएं लेते हैं वे स्मरण-परीक्षाएं मात्र हैं। इस परीक्षा प्रणाली को एकदम बदलना चाहिये।

अप्रैल 1969 में उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था और इस प्रतिवेदन में उस सम्मेलन की कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का भी एक सम्मेलन वर्ष 1969 में हुआ था। विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों ने भी उन सिफारिशों को स्वीकार किया था। यह बहुत अच्छी बात थी। परन्तु इस प्रतिवेदन में उसके बारे में केवल इतना कहा गया है कि आयोग ने अधिकांश रूप से इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। मेरे विचार में जब तक यह कार्यवाही नहीं की जाती तब तक हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार स्नातकोत्तर अध्ययन के बारे में भी एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षा का सुधार सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालयों को अधिक वित्तीय सहायता देना बहुत आवश्यक है। जब आयोग इस बात का पता लगाने हेतु कालेजों का निरीक्षण करने के लिए जाता है कि उनके पास प्रयोगशालाओं में पूरे उपकरण है या नहीं, तो पता चलता है कि बहुत से मुफस्सिल स्थानों पर हमें पता चला था कि उन प्रयोगशालाओं में बिजली के उपकरण और स्पेक्ट्रोसकोपिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। जब निरीक्षण समिति निरीक्षण के लिए कालेज में जाती है तो वे निकटवर्ती कालेजों से उपकरण लाकर अपने कालेजों में दिखा देते हैं। निरीक्षण करने वाले लोग उससे संतुष्ट हो जाते है। इस निरीक्षण के आधार पर इन कालेजों को मान्यता दे दी जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार का निरीक्षण कार्य बिना पूर्व सूचना दिये किया जाना चाहिये जिससे कालेजों के उपकरण में कमी न हो और विद्यार्थियों को अपर्याप्त साधनों के कारण कष्ट न उठाना पड़े।

मैडिकल कालेजों में धनी वर्ग को तरजीह दी जाती है। यदि कोई विद्यार्थी दान के रूप में 5,000 या 10,000 रुपये दे दे तो उसे दाखिला मिल जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह पद्धति समाप्त कर देनी चाहिये जिससे कमज़ोर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा का माध्यम निश्चित करने के लिए हमें ठोस सिद्धान्त बनाने चाहिए और मेरे विचार में ये सिद्धान्त निम्नलिखित होने चाहिएं :—

(1) आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता।

(2) अन्तर्विश्वविद्यालयों के विचारों का आदान प्रदान बनाये रखने की वांछनीयता और

(3) विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को अधिक से अधिक स्थान देना ।

शिक्षा के माध्यम के बारे में यथा स्थिति नहीं चल सकती। यदि इन सभी बातों पर विचार किया जाए तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यह वर्तमान शिक्षा माध्यम अंग्रेज़ी को बदलना है और हिन्दुस्तानी या हिन्दी जैसी कोई अखिल भारतीय भाषा ही उसका स्थान ले सकती है। यदि दक्षिण भारत स्थित विश्वविद्यालयों को हिन्दी स्वीकार्य नहीं है तो उन्हें शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी ही रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। परन्तु अन्य प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देना हानिकारक होगा क्योंकि इससे विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई होगी।

बहुत सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राधिकार का जानबूझ कर उल्लंघन करती हैं। उक्त आयोग ने कई सिफ़ारिशें भी की हैं, उन्होंने अध्यापक वर्ग के कुछ वेतनमान निर्धारित किये हैं। परन्तु कई कालेजों के प्रबन्धक इन सिफारिशों की स्वीकार नही कर रहे हैं। कुछ कालेज प्रबन्धक अपने डीमांस्ट्रेटरों की सेवापरख अवधि पूरी करने से पहले ही समाप्त कर देते हैं जिससे उन्हें नये वेतन-मान न देने पड़ें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्राधिकार या सिफ़ारिशों का उल्लंघन न हो।

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर): श्रीमान, वर्ष 1961 में इस देश में 46 विश्वविद्यालय थे। वर्ष 1969 में इनकी संख्या 79 थी और अब 83 है। इसी प्रकार कालेजों की संख्या 1683 से बढ़ कर 3297 हो गई है। इस से पता लग जाता है कि शिक्षा का देश में कितना प्रसार हो रहा है। परन्तु शिक्षा में विशेष सुधार नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इस सम्बन्ध में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

व्यक्तियों में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। शिक्षा प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। अतः विद्यार्थी अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर उन्हें रोज़गार प्राप्त करने की चिन्ता होने लगती है। यह सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय विकास और विद्यार्थियों के हित आपस में मेल न खाने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाहता है कि उसे अच्छा रोजगार मिले। वे ऐसे रोज़गार पसन्द करते हैं जिससे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जायें। वे शारीरिक श्रम और कृषि कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर जब कालेजों में दाखिला शुरू होता है तब विश्वविद्यालय गुण दोष के आधार पर दाखिला देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उदाहरणार्थ एम० ए० के लिए 45 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जाए। परन्तु जनता यह चाहती है कि इस प्रतिशतता को कम किया जाए जिससे मैट्रिक पास करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को कालेज में दाखिला मिल सके। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके साथ ही हमें इस समस्या पर भी विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षित युवकों का उपयोग किस प्रकार किया जाये। यदि यह समस्या हल हो जाए तो हमारी बहुत सी समस्याएं स्वतः हल हो जायेंगी। मेरे विचार में मैट्रिक या हायर सेकेंडरी के स्तर पर हमें पाठ्यक्रमों में निश्चित रूप से विविधता लानी चाहिए। यदि हम विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कोई व्यवस्था न कर सके तो वे अच्छे नाग-

रिक नहीं बन सकेंगे और शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न विफल हो जायेंगे। अनपढ़ लोग तो परिश्रम कर लेंगे परन्तु शिक्षित व्यक्ति प्रतिष्ठित पद चाहते हैं। अतः शिक्षित व्यक्तियों का बेरोजगार रहना अधिक खतरनाक है।

यदि इस समस्या को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर पर, इस समय नहीं सुलझाया गया तो शिक्षा के माध्यम पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु हमेशा आपस में झगड़ते रहेंगे।

मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी ही होना चाहिए। हमारी प्रादेशिक भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में तीन प्रकार के शिक्षा के माध्यम हों। छात्रों के लिए किसी भी माध्यम से पढ़ने का विकल्प होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी प्रादेशिक भाषा पर रोक लगा दी गई तो साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी सृजनात्मक रचनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। छात्रों की सृजनात्मक क्षमता सीमित होकर रह जाएगी। यदि छात्र प्रादेशिक भाषा में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उन्हें ऐसी सुविधाएं तुरन्त दी जानी चाहिएं।

ऐसा भी बताया गया है कि छात्र अपने अध्यापकों की अवज्ञा करते हैं परन्तु कठिनाई यह है कि हम बुजुर्ग लोग शिक्षा प्रणाली को अपने ढंग से देखते हैं। यदि हम युवा-पीढ़ी के दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली को आंकें तो हमें पता चलेगा कि आज छात्रों में किस बात के लिए रोष है। छात्र चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। छात्र आन्दोलन विश्व के सभी देशों में हो रहे हैं। इस आन्दोलन ने फ्रांस से शुरू होकर जर्मनी और ब्रिटेन तथा अन्य देशों में स्थान ले लिया। इस समस्या के समाधान का सही तरीका मैं हमेशा यही समझता हूँ कि छात्रों का विश्वविद्यालय के सीनेटों में प्रतिनिधित्व हो। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रों को सीनेट में प्रतिनिधित्व देगा। आज जब सभी मजदूर संघों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो क्यों न छात्रों को विश्व-विद्यालयों के सिनेटों में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

हमें अध्यापकों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं परन्तु यह एक प्रथा सी हो गई है क्योंकि उन अध्यापकों को शीघ्र ही भुला दिया जाता है। समाज को अध्यापकों को उतना आदर देना चाहिए जितने आदर के वे योग्य हैं। देश में कुछ विश्वविद्यालय अपने निकायों में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। यदि हम इतना भी नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं। उन्हें प्रतिनिधित्व देकर हम उनका सम्मान करेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा की ही देख-रेख करता है और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसके अन्तर्गत नहीं आती है और इस उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में हम नहीं रख सकते हैं। जब पंजाब में विश्वविद्यालय के संकट के बारे में मैंने शिक्षा मंत्री से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो फिर कौन हस्तक्षेप कर सकता है। हमें विश्वविद्यालय और कालेज की शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना चाहिए ताकि जहां कहीं भी दोष हो उन्हें दूर किया जा सके।

श्री सी० के चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्रीमान, शिक्षा के बहुत से पहलुओं पर निर्णय करने के सम्बन्ध में अनिच्छा व्यक्ति की जाती है और कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा पहले भी होता रहा है और इस प्रतिवेदन में भी यही बात पुनः दोहरायी गई है।

उदाहरणार्थ इस प्रतिवेदन में परीक्षा पद्धति में सुधार के बारे में कहा गया है। यही बात बीस वर्ष पहले के राधाकृष्णन आयोग के प्रतिवेदन में भी कही गई थी परन्तु इन वर्षों में क्या किया गया है ? कई समितियां, सम्मेलन और गोष्ठियां हुईं परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

आज परीक्षा भवनों में छात्र परीक्षकों को छुरे भोंकते हैं, नकल करते हैं परन्तु उनके इस दोष के साथ-साथ सरकार की भी यह असफलता है कि वह अपने ही आयोगों द्वारा परीक्षा पद्धति में सुधारों के लिए की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर पाई है।

परन्तु सरकार उन प्रणालियों को लागू क्यों नहीं करती है जो छात्रों को अधिक स्वीकार्य हैं। विभिन्न आयोगों ने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है की विभिन्न विश्वविद्यालय उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज केवल छात्रों पर अनुशासनहीनता का ही दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोठारी आयोग के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। हमारी शिक्षा का सम्बन्ध कृषि और उद्योगों से होना चाहिए ताकि जब छात्र पढ़-लिखकर निकलें तो वह सही अर्थ में समस्त समाज की सेवा कर सकें।

शिक्षित बेरोजगार का जहां तक सम्बन्ध है, वास्तविकता यह है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जायेगा तब तक विश्वविद्यालय शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल पाएंगे।

अभी शिक्षा के माध्यम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि हम यह चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो तो विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रादेशिक भाषा को माध्यम के रूप में बनाया जाना चाहिए। आज 20 वर्षों में विश्वविद्यालय में प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें न रखकर आधुनिक ज्ञान को विकसित नहीं किया गया और अब यह कठिन मालूम होता है और मामले को विभिन्न आयागों और समितियों को भेजा जाता है।

सरकार के सीधे नियन्त्रण में जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या हो रहा है ? गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने त्याग पत्र दे दिया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आर० एस० एस० का प्रशिक्षण दिया जाता है और शाखायें चल रही हैं।

Shri Hamendra Singh Banera (Bhilwara) : On a point of order, Sir. The case of R.S.S in that University is sub-judice. Therefore that cannot be discused here.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं किसी न्यायालय के विचाराधीन मामले को यहां नहीं

लाना चाहता। 'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय में कहा गया है कि उपकुलपति डा० श्रीमाली चाहते हैं कि आर० एस० एस० भवन को खाली कर दें। आर०एस०एस० वहां संस्कृति के नाम पर नियमित प्रशिक्षण दे रही हैं। क्या यही एक मात्र सांस्कृतिक संस्था है। जब डा० श्रीमाली ने विश्वविद्यालय भवन को खाली करने को कहा तो 1600 लोगों ने भवन घेर लिया तब कानून और व्यवस्था को क्या हो गया ? उत्तर प्रदेश की पुलिस और छात्रों की हत्या करने के लिए कुख्यात पी० ए० सी० को वहां भेजा गया। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है जो धर्म निरपेक्षता की बात करती है ?

जब मैं केरल के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करूं तो माननीय सदस्यों को आवेश में नहीं आना चाहिए। दो महीने पहले वहां पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने हड़ताल की थी और मांग की थी कि अध्यापकों को सीधा भुगतान किया जाना चाहिए और नियुक्तियां उचित माध्यम से की जानी चाहिए। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रबन्धकों द्वारा 80 से 90 प्रतिशत कालेज चलाये जाते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए जब अनुच्छेद 30 लागू किया गया था तो यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि राज्य में उच्च शिक्षा की यह स्थिति होगी परन्तु बात अब उलट गई है। वहां लोगों ने अल्पसंख्यकों के नाम से शिक्षा को धंधा बना लिया है और काफी लाभ कमा रहे हैं। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए।

राधाकृष्णन् आयोग से कोठारी आयोग तक विभिन्न आयोगों ने छात्रों को प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिश की है। हम छात्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं परन्तु इस बारे में ठोस उदाहरण अपनाया जाना चाहिए। केरल में छात्रों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है और वह सफल रहा है।

परन्तु हर बात में सरकार का अनिर्णय रहता है। जब छात्र उचित परिवर्तन की मांग करते हैं तो उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिएं।

शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किये जाने चाहिए।

Shri Raja Ram Shastri (Varanasi) : Mr. Deputy Speaker. Sir, the University Grants Commission deserves congratulations for its report.

Today several issues regarding student unrest have arisen. The Kothari Commission considered this situation and arrived at a decision that the unemployment is the main cause of these troubles. It suggested that every graduate should be given an appointment slip at the time of convocation so that he may get employment. But to-day the situation is different. With a veiw to consider and implement the recommendations made by various commissions a committee should soon be appointed by the Ministry of Education consisting of the members of the Planning Commission, Ministry of Education and persons related to manpower.

So far as employment is concerned, it is apparent that there are not enough employment resources as compared to the number of the educated candidates. But certain revolu-

tionary steps should be taken as a Vice-Chancellor of South Indian University did. The revolutionary steps must be taken and uniform scheme should be implemented for whole of India.

The Kothari Commission has made several suggestions. According to them students must be persuaded at the Secondary level to work. It is time. If a person undergoes technical training he may get employment. To-day there is need of interlinking education with industry and agriculture. It may to some extent, solve this problem.

The causes of troubles are different. Some affluent persons can easily become doctors after giving a sum of rupees ten thousand as Capitation Fee. Such practices should be checked. Education should be given only to the deserving persons whether it is done through questions or tests. Monetary assistance or subsidy should be given to the needy persons. Only then there can be a social justice. There are certain confusions regarding education in our country from the angle of national integration. There is an academic confusion in the basis of communalism. These persons take religion and culture as one and the same thing. Our academicians should find out the ways to remove this confusion. Religion and culture are two different things and they should be dealt with separately.

There is also vagueness at the matter of prescribing text-books. It should be removed and there should be a clarity.

Shri Hamendra Singh Banera : Mr. Deputy Speaker, Sir we have always given respect to the educationists.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

The University Grants Commission was set-up to establish co-ordination, to develop national integrartion and to improve Cabinet University relations. It was our aim to keep the Commission away from politics. To-day the number of universities has increased from 46 to 83. It is essential but it is not good to continue to open more Universities under political pressure.

It is obvious from the report ot the U.G.C. that Government is not making available the funds required by U.G.C. Why this Commssion is not assisted with more funds by minimising the heavy expenditure on our administration ? During mid-term Poll the Chief Minister of Rajasthan and the hon. Member of ruling party from Ajmer assured the people to open Dayanand Saraswati University at Ajmer. May I know whether Government propose to open a University at Ajmer ?

The problems of student indiscipline and student unrest are grave. It should be ensured where from the problems originate ?

The students of Banaras Hindu University agitated demanding implementation of Twenty-point Demand Note and the Vice-Chancellor gave assurance to meet the demands. But later on the Vice Chancellor denied that assurance. That has caused the trouble among students. There was proposal of providing accommodation to 45 percent students during the Third Plan but the Fourth Plan is going on and we have been able to provide accommo-

dation only to eight to ten percent students there. The required funds should be provided to the U.G.C.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : I belong to rural areas and I would like to put before the House the views of the people of villages.

The prime object of education is to prepare such deserving persons who can run the administration in a successful manner and bring the country on the path of progress.

Education is primarily a State subject. The Central Government bring out programmes and earmark guidelines through U.G.C. It has been noticed that after independence the number of colleges and universities has increased but at the same time the level of education has proportionately decreased. The educationists and intellectuals are not entrusted with the offices of Vice-Chancellor. Under political pressure all this is done. Consequently unrest takes place among students and the expected progress in education is not achieved. The less able students, who keep contact with the examiners, obtain high marks while the students particularly belonging to tribals or Harijans, lag behind.

This creates alround unrest and discontent in the University. We have two kinds of Universities—One which affiliate different colleges to them ; and the other which are known as teaching Universities. As regards affiliatio of collegs to the first category of Universities, on account of political pressure and individual influence, colleges without adequate teaching staff and Science equipment etc., are affiliated as a result of which the students cannot attend to their studies properly and try to get through the examination at the point of dagger or with the help of loud speakers. Thus the mere opening of colleges and Universities does not itself solve the problems. We will have to change the mode of teaching and also the sylabii. Then cordial relations between the students and teachers is also one of the prime factors for attainments in regard to progress in the field of education.

The pay-scales and service condition of the teachers should also be improved. Their affairs should be controlled by the University Grants Commission and not by the different Managing Committees most of whom always act according to their own whims and fancies, particularly in regard to proper staffing in the colleges. This causes a great set back to the cause of education.

Then the gap between the salaries of college professors and University professors should also be minimised. Also the Universities should be given autonomy.

To-day we find that certain Universities are riven with politics. The B.H.U. is one example. Though I believe that most of the students there go for their studies only and the closure of the University at frequent interval creates disturbances. Bureaucracy is reigning supreme in this University which should be stopped forthwith. The rustication of students just on the bureaucratic grounds will be a curse for the educational institution. The Government should make full enquires with these cases.

The Vice Chancellor here is full time and he should have planned for the better future of this University instead of approaching Police Stations. Dr. Shrimati Sushila Rohatgi is in fact, responsible for allthese sad state of affairs in this University and it will continue till he is there.

A model act for Aligarh Univertity is long awaited. What is the reason for delay in that ?

Some students have been rusticated in Besra Engineering College belonging to Birlas. I have met the Vice Chancellor but I have been told that the affairs are not in the control of either the College authorities or the Vice-Chancellor. Thus if our educational institutions are controlled by the capitalists you can well assess what would happen to our education. I request the Hon. Minister to probe into these affairs of Besra.

And finally you have opened several University after the name of several national leaders. Then why not after the name of our first Indian President Dr. Rajendra Prasad. The condition of the Rajendra College in Chhapra is also very bad and it has become the hot bed of communal clashes. Let the Hon. Minister look into the affairs of this College so that the pious name of that great leader and the worshipper of non-violence is not arraigned. Let the Central Government take over this college and run it according to its dignity.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : We have made quite a good progress in the field of higher education since independence and particularly during the last decade. This is evident from the report of the University Grants Commission. This has come out as a result of this commission and Vice-Chancellor, professors and students all. All decisions are taken collectively. Teachers standard are improved with the help of some people from foreign countries. But still, it is a fact, that we are spending very little on our education field.

Also whatever we are spending, that too is not being appropriated. The U.G.C. has always been demanding more funds and our Hon. Members here have also been asking the Government to spend more on education, but we should also see that ours is a poor country with very limited resources and with many other priorities. So we are bound to take care of these also. But virtually we are totally ignoring the basic aims and values of education and thus despite a lot of progress in technology and many other fields, we are not going in a proper direction. Certain very important decisions and reforms have to be carried out to set the things right.

I am very much shocked to hear that 45-50 thousand of rupees are spent to become the President of the Students' Union. Is it really very important a post to warrant so much of expenditure ? Do they become Presidents, Secretaries and other office-bearers only to decide as to how many hours should they read ; how much should they copy from books in the examinations, etc. etc. ? Weren't these students to serve the country in this way in future ?

99 percent of the students today, donot want to do physical work. Should we not arrange the things in such a way that after the education in colleges, our boys and girls do something solid and help the country in removing poverty and defending our democracy and progressing towards real socialism. It is quite sad however, to note that our teachers who should be a source of light and guide to student ; and also the students are the victims of groupism and party-politics.

Therefore, if we want that there should be discipline among our students, let us them follow the ideas of Mahatma Gandhi who always pleaded to make the man a very goodman

and a successful man. Today despite getting technical education, our men do not want to put in labour ; they prefer white collar jobs in Government service. This all has happened because of certain defects in our administration and also in the way of its thinking. The need is that our Vice Chancellors should be given strong promises so as to enable them to enforce strict discipline and stop groupism among teachers. The standard of education will also continue falling till we link the dignity of labour with the studies for students. Also, it is very essential to create an atmosphere where a student honours his teachers and his Vice Chancellor as his preceptor. In this context, we will have to view on the ideals putforth by Mahatma Gandhi, Rabinder Nath Tagore and Swami Vivekanand. Let the educational boards be strengthened and given adequate powers to improve the fast deteriorating mentalities and tendencies. With these words, I support the report of the Commission.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : आज हम वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। न जाने क्यों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर पेश नहीं कर पाता।

शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है तथापि हमारे इस आयोग के कुलपति डा० डी० एस० कोठारी तथा हमारे शिक्षा मंत्री सौभाग्य से बड़े योग्य लोग हैं और सर्व सम्मान के पात्र हैं। हमें उनसे बहुत आशा है।

इस समय तो स्थिति बहुत ही खराब है। हिंसा बढ़ती जा रही है और अध्यापकों के प्रति छात्रों में श्रद्धा भावना नहीं है। विश्वविद्यालय बन्द हो रहे हैं।

इस प्रतिवेदन में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि हमने विश्वविद्यालय प्रांगणों के विवाद पर कितना खर्च किया है और प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रतिवेदन में अधिकाधिक जानकारी प्रदान करें।

विश्वविद्यालयों के लिए विधान बनाने के लिए हम अनेक आयोग तथा समितियां गठित करते रहे हैं। फिर उपसमितियां तथा कार्यकारी दल बनाये जाते रहे हैं। तथा कोई कारगर परिणाम नहीं निकल सके हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों का स्तर अभी भी वैसा ही है जैसा कि स्वाधीनता के समय था।

मुझे यह जानकर बड़ा ही खेद हुआ है कि अभी भी गैर-सरकारी संस्थानों पर 10 प्रतिशत भार है। हमारे 97 प्रतिशत छात्र वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबद्ध कालेजों में जाते हैं और विश्वविद्यालयों में तो केवल 10 प्रतिशत छात्र संरक्षण पाते हैं। यही बात अध्यापकों के बारे में है। इस पर भी गैर सरकारी न्यासों को कोई प्रोत्साहन या प्रशंसा प्राप्त नहीं है जबकि हमारे अनेक बड़े-बड़े नेता गण भी इसी प्रकार के संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके आगे आए हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमने दिल्ली में एक कालिज चलाया था परन्तु उसका बहुत ही कटु अनुभव हुआ। उसके लिए 8-9 लाख रुपया एकत्रित किया गया परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पैसा तक नहीं दिया

इसलिए कि विश्वविद्यालय ने किसी बहाने से आयोग को संबंधित पत्र नहीं भेजे थे। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में पूरी तरह जांच कराई जाये।

मेरा यह भी अनुरोध है कि छात्रों में अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए सख्ती से काम लिया जाए। यद्यपि मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन में छात्रों का योगदान हो परन्तु केवल वही छात्रों के कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों संबंधी निर्णय होते हैं या जहां उनके अध्ययन संबंधी विचार विमर्श होते हैं। परन्तु जहां उनके अनुशासन संबंधी निर्णय होते हैं वहां उनका भाग लिया जाना उचित न होगा।

छात्र आजकल अपने छात्र संघों के माध्यम से राजनीति में घुसने लगे हैं। अनेक छात्र तो छुट्टी आदि तक लेकर घूमते देखे गये हैं और अपनी कक्षायें छोड़कर चुनावों आदि के झमेले में पड़ते हैं और हड़तालें आदि करते हैं।

यदि छात्रों को प्रबंध आदि में भाग लेने में अनुमति देनी ही है तो केवल उन छात्रों को शामिल किया जाए जो अपनी शैक्षिक परीक्षाओं में ऊंचा दर्जा प्राप्त करते हैं। अथवा खेलकूद आदि में प्रथम आते हैं। किसी भी सूरत में समाज-विरोधी तत्वों को इन चीजों में शामिल न किया जाये। लड़कियां प्रायः गम्भीरता से अध्ययन करने की इच्छुक होती हैं परन्तु उन्हें ऐसे तत्व उनकी कक्षाओं में भी जाने से रोकते हैं। मेरा सुझाव है कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम बनाया जाये और सर्वप्रथम उसे केन्द्र के चारों विश्वविद्यालयों में लागू किया जाये।

उक्त बुराइयां विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की आंतरिक राजनीति के कारण उत्पन्न होती हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में कुछ अध्यापकों ने अपने हाथों में काफी शक्ति नियंत्रित कर ली है जोकि सर्वथा नियमों के विरुद्ध है। उदाहरणार्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक विभाग के अध्यक्ष को नौकरी देने के इतने अधिकार प्राप्त हैं जितने कि प्रधान मंत्री, शिक्षामंत्री अथवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी प्राप्त नहीं हैं। वह अपने विभाग में 50-100 लेकचरारों के पद भर सकता है। प्रायः उन पदों के लिए व्यक्तियों के नाम पहले से की उसकी जेब में होते हैं। जबकि विश्वविद्यालय आयोग के नियम कहते हैं कि विभागाध्यक्ष की हैसियत केवल एक सलाहकार जैसी होती है। परन्तु वस्तुतः दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष अध्यापकों के चयन के बारे में अन्तिम फैसला देता है। और इस शक्ति का प्रायः दुरुपयोग ही होता है। वस्तुतः यही लोग विश्वविद्यालयों में राजनीति का बीज बोते हैं।

उपरोक्त शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्रालय इन सभी सही मामलों की जांच करे।

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti): No doubt there has been a lot of expansions in our educational field after independence, but I do not think it is really education till we are able to raise our moral character and which does not help in the production.

There have been quite a number of Commissions and Committees in regard to suggestion, improvements in our educational system. One was Kothari Commission. But their re-

commendations have not been implemented to a long extent. To me the present educational institutions are no more than hot beds of politics and till education is under the shadow of politics it can never flourish. We find groupism, politics and casteism in our educational organs. Is it not a matter of great pity for our nation ?

Secondly, there are quite a number of aspects to be considered for an effective educational system. Let us take the case of teachers first. Almost every teacher is wedded to certain political party or group and is generally the hidden leader or master brain behind a certain group of students.

Then there is a difficulty in getting admissions particularly in technical institutions. The Hon. Minister is himself aware of facts and real problems.

Finally, I suggest that there should be more stress on technical education and industrial education. Agricultural education should also find an important place in our educational field.

I agree with what the University Grants Commission has said in its report. But I would again stress that due attention should be paid for securing admissions particularly for Scheduled Caste students.

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापत्तनम) : मैं चाहता हूं कि शिक्षा को उद्योग कल के साथ संबद्ध किया जाये। मैं जानता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक इसमें कुछ कठिनाइयां होगी परन्तु क्योंकि सैकन्डरी तथा हाईस्कूल शिक्षा तक शिक्षा राज्यों का विषय है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोचाहिए कि वह सारे देश में तकनीक तथा बुनियादी शिक्षा को केन्द्रीयस्तर तक अनिवार्य विषय बना दे ।कनीकी शिक्षा को राज्यों का विषय न रहने दे। संयुक्त सूची विषय के रूप में भी इससे संबंधित अधिक शक्ति केन्द्र के पक्ष में हो।

इस संबध में जापान का उदाहरण अनुकरणीय है। वहां प्रारंभिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल शिक्षा की पृथक पृथक स्थिति है और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक तकनीकी अथवा औद्योगिक शिक्षा के मार्ग अलग-अलग हो गए। अतः भारत में भी जापान के 'मैत्री' प्रणाली जैसी शिक्षा प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए।

भारत में प्रारंभिक तथा हाईस्कूल शिक्षा एक राज्य विषय होने के कारण सारे देश में शब्दावली एक समान नहीं है। साथ ही हिन्दी के अंक भी यहां तक कि हिन्दी राज्यों में भी एक समान तरीके से नहीं लिखे जाते। मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में अखिल भारतीय एक रूपता होनी चाहिए यही बात तेलुगु आदि अन्य भाषाओं के साथ भी पाई जाती है। इसी कारण मैं शब्दावली और अंशावली की एक रूपता का अनुरोध करता हूं।

अतः मेरा आग्रह है कि शिक्षा के साथ औद्योगिक कल को भी जोड़ा जाए और तकनीकी शिक्षा को साथ रखा जाए। देश भर में वैज्ञानिक शिक्षा तथा तकनीकी शब्दावली की एकरूपता होनी चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : देश में शिक्षा का विकास करने में विश्वविद्यालय आयोग का बहुत बड़ा महत्व है। परन्तु दुर्भाग्य से, स्वाधीनता के पश्चात् से, अनेक प्रयोग किये जाने के बाद शिक्षा के स्तर में सुधार की बजाय गिरावट आई है। माध्यमिक तथा कालेज स्तर पर शिक्षा संस्थानों की संख्या में क्रमवार वृद्धि हुई है। अनेक नये विश्वविद्यालय भी खुले हैं और इस हिसाब से देश में शिक्षितों की प्रतिशतता में भी काफी वृद्धि हुई है। परन्तु इसी हिसाब से शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है जोकि विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को प्रदान की जा रही है।

विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में गलत आयोजन के कारण अत्यधिक असंतुलन है। एक समय आशा थी कि देश के चिकित्सा, पोलिटेकनिक इंजीनियरी संस्थान छात्रों की तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

समय की गति अनुसार तकनीकी शिक्षा-क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सुविधाओं की तुलना में जब हम अपनी बेरोजगारी की स्थिति देखते हैं तो हमें लगता है कि मशीन की गलती जरूर है। मैं अन्य राज्यों की बात तो नहीं कह सकता। परन्तु आंध्र प्रदेश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक पोलीटेकनिक जरूर है कहीं कहीं तो दो-दो या ज्यादा भी हैं परन्तु आज स्थिति यह है कि कोई छात्र इनमें प्रवेश पाने के लिए आगे नहीं आता, यही बात इंजीनियरी छात्रों के बारे में भी है। फिर क्यों न सोचा जाए कि हमारे आयोजन में गलती कहां है? तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे छात्र बेरोजगार क्यों रहते हैं और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान क्यों नहीं दे पाते?

इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में उचित खोजबीन करे और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इस असंतुलन को दूर करे।

विश्वविद्यालय आयोग कुछ संस्थानों में व्याप्त कदाचारों, विशेष रूप से कालेजों में प्रवेश संबंधी अनियमितताओं की ओर ध्यान दे।

बहुत समय पहले त्रि-भाषी सूत्र का सुझाव दिया गया था किन्तु अभी तक उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप एक राज्य के विद्यार्थियों को अन्य राज्य में शिक्षा पाने में बहुत कठिनाई होती है। प्रत्येक राज्य भाषा के सम्बन्ध में इस प्रकार कार्य करता है जैसे वह स्वतंत्र राज्य हो। मेरा अनुरोध है कि त्रि-भाषी सूत्र को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने पर बल दिया जाये।

विश्वविद्यालयों ने स्नातकोत्तर कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना आरम्भ किया है किन्तु इस सम्बन्ध में सफलता नहीं मिली है क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाये। इसका यह कारण है कि वे भाषाएं इतनी विकसित नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि पहले क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा विकास किया जाये और उसके उपरान्त उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने शिक्षा का माध्यम उर्दू

को बनाया है और उसने उसका विकास भी किया है। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिए।

बहुत से विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं है। छात्रावासों में भी स्थान की भारी कमी है। मंत्री महोदय विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दें तथा उपयुक्त व्यवस्था करें।

पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के कारण विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होतीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में भी ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य केवल वित्तीय सहायता देना ही नहीं होना चाहिए अपितु उसे वे सारे कार्य सौंपे जाने चाहिएं जिससे विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महत्व पर वाद-विवाद किया जा रहा है। आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि 87 प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों में शिक्षा पाते हैं। अतः विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर दिलाया जाना चाहिए।

चित्तूर स्थित कालेज के बारे में उपकुलपति ने अपने निरीक्षण के दौरान कहा था कि इस कालेज की स्थिति बहुत दयनीय है। किन्तु राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी ने इसकी स्थति में सुधार करने के लिए कोई कार्य नहीं किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि उसने अपने सीमित संसाधनों से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रसार हुआ है। शैक्षिक संस्थानों की संख्या की दृष्टि से हमारे देश का स्थान विश्व के देशों में तीसरा है तथा विद्यार्थियों की संख्या में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष दो-तीन लाख विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पाने के लिए दाखला प्राप्त कराते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से कठिनाइयां उत्पन्न हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि बड़े बड़े नगरों में, जहां कई क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी रखा जा सकता है। किन्तु बहुत से विश्वविद्यालयों में इस सुझाव की उपेक्षा की जा रही है तथा शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे राज्य में इसी कारण कालेजों में हड़ताल रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। तथा ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेजी को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम रखे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा अल्पसंख्यक भाषा भाषी विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए जिससे

अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा पाने का अवसर मिल सके तथा इमारतें आदि की कमी का प्रश्न हल हो सके।

केन्द्रीय सरकार के सभी विश्वविद्यालय उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। इस बारे में भारी असंतोष व्यक्त किया गया था। आशा है सरकार इस विषमता को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Sagar University in Madhya Pradesh has been given very small grants by the University Grants Commission. I request the Hon. Minister to increase the amount of grants to the said University to remove resentment from the minds of the students.

I also demand that post-graduate classes should be introduced in all the colleges. Military education should also be introduced in all the universities. It is also desirable to impart agricultural education to the students in all the universities so that after leaving the colleges youngmen can take to farming.

Steps should also be taken by the Government for the employment of educated youngmen belonging to scheduled castes. Lecturers of the Universities should be transferred from one college to another after a certain period or after seven years.

I also want to suggest that preference should be given to the female candidates for lecturership in view of their better performance.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री नुरुल हसन): प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में बहुत सी ऐसी बातें कहीं हैं जिनसे सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों सहमत हैं। मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य की सराहना करता हूं।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि विशेषकर उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक धन नियत किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मांग का भी समर्थन करता हूं।

जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है 63 विश्वविद्यालयों तथा 4 संस्थानों ने एक भारतीय भाषा को शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम माना है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें प्राप्त करने के लिए निधियां दी हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। किन्तु उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में पुस्तकों की समस्या स्थाई समस्या है क्योंकि आज जो पुस्तकें लिखी गई हैं आगामी वर्षों के लिए वे सम्पन्न नहीं हो सकतीं। आधुनिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता होती रहेगी जिनमें नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं में इस प्रकार की पुस्तकें समय के अनुसार लिखी जाती रहें। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आधुनिकतम जानकारी सम्पन्न पुस्तकें प्राप्त करना असम्भव है। अतः जब तक क्षेत्रीय भाषाएं पूर्णतः समर्थ नहीं होतीं तब तक विद्यार्थियों को शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में विद्यार्थियों के सहयोग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाये तथा उनकी मांगों की पूर्ति की दृष्टि से आवश्यक है कि उन्हें विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में भाग लेने दिया जाये। गजेन्द्रगडकर आयोग ने भी इसी आशय की सिफारिश की है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकारों से कहें कि गजेन्द्रगड कर आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये। शिक्षा मंत्री ने गत सप्ताह यह घोषणा की थी कि सरकार इस आयोग की सिफारिशों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करती है। तथा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा। इसी दृष्टि से सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं कि गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये। राज्य सरकारों से उत्तर मिलने के पश्चात् केन्द्र सरकार इस बारे में घोषणा करेगी।

मैं लगभग 25 वर्ष तक परीक्षक रहा हूं तथा मैंने हाईस्कूल से लेकर पी० एच० डी० और डी० लिट० तक के विद्यार्थियों की परीक्षा ली है। अतः मैं जानता हूं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। इस सम्बन्ध में कई आयोग बनाये गये तथा उनके प्रतिवेदनों को विश्वविद्यालयों को भेजा गया किन्तु इस परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पाया। सरकार इससे अतिरिक्त कर भी क्या सकती है क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान है। तथापि सरकार को वर्तमान परीक्षा प्रणाली के बारे में चिन्ता है तथा कुछ व्यक्तियों के सहयोग से इस प्रणाली में सुधार करने का प्रयत्न किया जायेगा।

कुछ विश्वविद्यालयों ने सेमिस्टर प्रणाली आरम्भ की है तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी कठिनाई है कि यदि अन्य विश्वविद्यालय इस प्रकार के कदम नहीं उठाते तो पहली किस्म के विश्वविद्यालयों के छात्रों को रोजगार पाने के बारे में हानि हो सकती है। अतः मैं इस बारे में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों से उनका दृष्टिकोण बदलने के लिए अनुरोध करूंगा। आशा है वे मान जायेंगे।

सरकार को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों की कठिनाइयों का पता है। गजेन्द्रगडकर आयोग कालेजों के प्रशासन तथा अध्यापकों के वेतन आदि के प्रश्नों पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में हमें आयोग के प्रतिवेदन के दूसरे तथा तीसरे भागों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगाल से आये विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। यह बात सच नहीं है। कुछ विद्यार्थी छात्रावासों में स्थान चाहते थे किन्तु स्थानाभाव के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

यह कहना सच है कि हमने शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के बारेमें ऐसी योजना नहीं बनाई जैसी बनाई जानी चाहिये थी। इसका एक मुख्य कारण यह है कि सभी स्तर की शिक्षा राज्य का विषय हैं। किन्तु आशा है कि शिक्षा के बारे में उपयुक्त योजना बनाने वाली मशीनरी की स्थापना के लिये राज्य सरकारों को सहमत कर लिया जायेगा। पता चला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय सरकार के सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को अनुशासन और शिक्षा का स्तर बनाये रखने के लिये पूरा समर्थन दिया जायेगा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वैध प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के हित में की गई किसी भी कार्यवाही का केन्द्र सरकार समर्थन करेगी।

विद्यार्थियों के दाखिले के लिये चंदा प्रति-व्यक्ति कर दिये जाने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निरनुमोदन किया है किन्तु खेद है कि इस स्पष्ट सिफारिश की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री दीक्षित की मौजूदगी में हमने कहा था कि पटना मैडीकल कालेज में दाखिले के लिए विद्यार्थियों से 50,000 रुपये लिए जाते हैं तथा विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से भी यह राशि ली जाती है। इस प्रकार एकत्र किए गये धन में से 60 लाख रुपयों की राशि बैंक में जमा है तथा 30 लाख रुपयों का दुर्विनियोग किया गया है। इस पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री नुरुल हसन : शिक्षा मंत्रालय ने विश्वद्यालय अनुदान आयोग को यह आश्वासन दिलाया है। मंत्रालय आयोग की नीति का समर्थन करेगा।

यह कहना सच नहीं है कि पहले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। बिहार में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

सरकार को पूरी तरह विदित है कि उच्चतर शिक्षा पाने के अवसर विशेषकर गरीब जनता को पूरी तरह प्राप्त नहीं हैं। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के अवसर दिलाये जाने के लिये भिन्न तरीके निकाले जायें।

देश के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करके साहित्य और दर्शन आदि का आनन्द उठाए। किन्तु सीमित साधनों के कारण दुर्भाग्य से हम ये सारी सुविधाएं शीघ्र प्रदान नहीं कर सकते। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हुए सरकार जनता में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा शिक्षा के लिये रेडियो और बाद में टेलीवीजन का उपयोग करने की ओर कदम उठायेगी।

उद्योग और कृषि के साथ शिक्षा पद्धति में सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक है जिससे कालेज और विश्वविद्यालय के लोग देश के और व्यक्तियों से अलग न रहें। नई तकनीक तेजी से विकास कर रही है तथा बहुत से नये नये कालेज भी खुलते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा नई तकनीक के अनुरूप होनी चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। विद्यार्थियों को कृषि की शिक्षा भी मिलनी ही चाहिए जिससे उनमें आत्म निर्भरता का भाव उत्पन्न हो सके। हमें यह भी देखना है कि हम विज्ञान या तकनीक के बारे में किसी दूसरे पर निर्भर न रहें।

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971
FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 1971

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*आधे घंटे की चर्चा के बारे में
Re : Half an-Hour Discussion

सभापति महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा होगी। चर्चा का प्रारम्भ माननीय सदस्य श्री कल्याण सुन्दरम् को करना है। परन्तु माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। सभा की क्या राय है ?

कुछ माननीय सदस्य : सभा स्थगित की जाए।

सभापति महोदय : सभा स्थगित होती है। माननीय मंत्री भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 नवम्बर, 1971/2 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 23, 1971/Agrahyana 2, 1893 (Saka)

Printed by Bharat Mudranalaya, Navin Shahdara, Delhi-32. 12-1-72—490